# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 ] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का चौसठवां दिवस [ संख्या 36

सोमवार

दिनांक 17 मई, 1971

विधान सभा की बैठक म०पू० 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

—— ——

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[ विधि, विद्युत, पंचायत, आयुर्वेद, खाद्य, श्रम, पशुपालन, शिक्षा, आबकारी, सिंचाई, वित्त, अकाल सहायता, पुनर्वास विभाग ]

### प्रश्न सं० 791

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री राजवी रूपसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री फूलचन्द बाफना

### मीटर रीडिंग का कार्य

792. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान विद्युत मंडल, शाखा फालना के फालना सब-डिविजन के अन्तर्गत आने वाले समस्त गांवों की फरवरी, 71 व मार्च 71 मास की मीटर रीडिंग किस किस मीटर रीडर द्वारा किस किस गांव की कब कब ली गई व उनके फरवरी, 71 व मार्च 71 के बिल किस किस तारीख को तैयार हुये ?

(2) बिलों की डेट आफ इश्यू किस किस गांव की कौन कौन सी दी गई ? बिलों का वितरण किस किस गांव का किस किस तारीख को किस किस व्यक्ति द्वारा किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि बिल उपभोक्ताओं को देते समय फरवरी, 71 के पहले उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर लिये जाते थे ? क्या यह सही है कि फरवरी, 71 व मार्च 71 के बिल उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर लिये बिना

(श्री फूलचन्द बाफना)

ही बिल उपभोक्ताओं को स्वयं को नहीं दिये गये लेकिन किसी भी आते जाते के साथ भेज दिये गये जो कई उपभोक्ताओं को आज तक भी नहीं पहुँचे ?

(4) बिल भरने की अन्तिम ड्यू तारीख किस किस गांव में कौन कौन सी दी गई ?

(5) क्या यह सही है कि बिलों की रकम लेने हेतु गांवों में कैशियर भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से कैशियर किस किस गांव में किस किस तारीख को बिलों की रकम लेने गये ?

(6) फालना सब डिविजन के मार्च,71 के बिलों में मीटर किराया 50 पैसे के बदले में एक रुपया क्यों लगाया गया है व ऐसा करने की जिम्मेदारी किस किस की है व उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया गया है ?

**उप मन्त्री विद्युत (श्री खेतसिंह) :** (1) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, फालना सब डिविजन के अन्तर्गत समस्त गांवों की माह फरवरी व मार्च, 71 की मीटर रीडिंग संलग्न सूची (ए) के अनुसार मीटर रीडर द्वारा उनके नाम के आगे लिखी तिथि को ली गई थी। बिल बनाने की तारीख भी सूची में अंकित है।

(2) पूर्ण सूचना सूची (बी) में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, बिल उपभोक्ताओं को देते समय उनके हस्ताक्षर लिये जाते थे और अब भी लिये जा रहे हैं। मार्च, 71 में सादड़ी ग्राम से बिल वितरक छुट्टी पर होने के कारण उस गांव के लाइनमैन द्वारा बिल वितरित कराये गये थे। लाइनमेन ने अनपढ़ होने के कारण तथा समय के अभाव के कारण व इस कार्य में अनुभवहीन होने से कुछ उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर लिये तथा कुछ के नहीं लिये। बिल उपभोक्ताओं को स्वयं अथवा उनके घरों (कनेक्शन की जगह) पर उपस्थित व्यक्ति को दिये गये। किसी भी आते जाते के साथ नहीं भेजे। सादड़ी के अतिरिक्त अन्य गांवों में बिल वितरण करते समय हस्ताक्षर लिये गये हैं।

(4) बिलों का भुगतान करने की अंतिम तारीख विभिन्न ग्रामों में निम्न प्रकार दी गई —

| | |
|---|---|
| 1-तखतगढ़ | 29, 30 व 31 मार्च |
| 2-खीमेल | 28 मार्च, 71 |
| 3-रानी | 29 व 30 मार्च, 71 |
| 4-बाली | 29, 30 व 31 मार्च, 71 |
| 5-लुनावा | 31 मार्च, 71 |
| 6-सेवाड़ी | 31 मार्च, 71 |
| 7-बिन्जोबा | 31 मार्च, 71 |

**श्री फूलचन्द बाफना :** सूची मेरे पास है।

**श्री अध्यक्ष :** चलिये आगे बढ़िये।

**श्री खेतसिंह :** कुछ गांवों के बिल समय पर वितरित नहीं होने के कारण रानी के अलावा पूरे फालना सब डिविजन के बिलों के भुगतान की तिथि 12-4-1971 तक बढ़ा दी गई थी। रानी में भुगतान की तिथि 14-4-71 तक बढ़ाई गई थी। (5) बिलों की रकम भरने हेतु सभी गांवों में कैशियर नहीं भेजे जाते है। केवल कुछ निश्चित स्थानों पर निश्चित समय के लिए कैशियर भेजा जाता है फालना सब-डिवीजन में जो कैशियर रकम लेने गये हैं उनकी सूची (सी)

(श्री खेतसिंह)

संलग्न है। चूंकि ड्यू डेट बदल कर 12-4-71 कर दी गई थी इसलिये कैशियर बदली हुई ड्यू डेट पर भी संलग्न सूची (सी) के अनुसार भेजे गये थे।

(6) फालना सब डिविजन की मार्च 1971 के बिलों में मीटर का किराया 1) रुपया लगाया गया है क्योंकि फरवरी, 1971 में चुनाव होने के कारण इस माह के बिल समय पर नहीं बनाये जा सके थे क्योंकि लेखा विभाग के अधिकतर लिपिकों की चुनावों में ड्यूटी लगाई गई थी। इसलिये दो माह फरवरी, और मार्च, 71 के बिल एक साथ बनाये गये थे। इस कारण से दो माह का मीटर किराया 1) रुपया वसूल किया गया था।

( कृपया परिशिष्ट 1 देखिये )

**श्री फूलचन्द बाफना :** अध्यक्ष महोदय इन्होंने कहा मीटर रीडिंग करने गये। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं, मीटर रीडर ने हर जगह नहीं जाकर एक जगह ही बैठ कर ही लिख दिये हैं। बिलों पर उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर नहीं है। आपने बताया आते जाते के साथ नहीं भेजे गये हैं। यह लाइनमैन ने आते जाते के साथ ही बिलों को भेजा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज तक बिल नहीं पहुंचे हैं। मेरा भी बिल मुझे रास्ते में मिला है।

**श्री अध्यक्ष :** स्पष्टीकरण।

**श्री फूलचन्द बाफना :** मैं आपको बताता हूं। ये मीटर रीडर केवल एक जगह बैठकर मीटर रीडिंग ले लेते हैं और जब वे बिल बांटते हैं तो हस्ताक्षर करवाते हैं अबके हस्ताक्षर भी नहीं करवाये गये हैं-यह जरूरी है लाइनमैन पहुंचना चाहिये। स्कूल के लड़के आते जाते हैं, उनके साथ भेजे हैं। दूसरा यह है कि वहां पर किसी को भी सन्तोष नहीं है। अभी जो अफसर है, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर इसके पहले जो व्यवस्था थी, वह बहुत अच्छी थी। अब कुछ खराब हो गई है। किसी का कोइल जल जाता है, किसी का मीटर जल जाता है। बिजली लेना अभिशाप हो गया है।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री खेतसिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय यह बात सही है कि मीटर रीडर छुट्टी पर होने के कारण लाइनमैन को भेजा गया है। वह अनफिट है। उसको कोई तजुर्बा नहीं था। जो डेट्स की गलती हो गई है उसके लिये आदेश भेज दिये हैं। आगे के लिये और फिर भी अगर कोई डेट निकल गई हो तो कुछ केसेज में वापिस कन्सीडर कर लिया जायगा। कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं उनके पैसे जमा कर लें। दूसरी बात जो कही गई है कि व्यवस्था ठीक नहीं है। आये दिन शिकायतें रहती है। सारी परिस्थितियों को देखते हुए वहां के जो ए. इ. एन. हैं उनका तबादला कर दिया गया है। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

**श्री फूलचन्द बाफना :** जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वे कुछ करते धरते नहीं हैं।

**श्री दौलतराम सारण :** क्या आपने जानकारी की कि माननीय सदस्य ने जो दिक्कतें और परेशानियां बताई हैं वास्तव में वे परेशानी वहां है इसलिये आपने उस अधिकारी का स्थानान्तरण किया है और

(श्री दौलतराम सारण)

क्या आपने यह जानकारी की कि इन दिक्कतों और परेशानियों के लिये वह अधिकारी जिम्मेदार था ?

**श्री फूलचन्द बाफना** : अध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं, करीब 125 बिलों में पैसे नहीं भरे हैं। बिल के कितने पैसे भरने हैं, यह भी पता नहीं है। वे बिल वापिस लौटाये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।**

**श्री खेतसिंह** : कुछ बातें तो अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन के रिप्लाई में आ चुकी है। वहां पर जो ए. ई. एन. है वह ज्यादा तजुर्बेकार न होने से गलती की है और दिक्कतें आई है, हालांकि उनके खिलाफ रिश्वत लेने का कोई हवाला नहीं है, लेकिन बिल गलत बनाये हैं। अब वापिस हिदायत दी गई है....

**श्री दौलतराम सारण** : बिल गलत बनाना जिम्मेदारी की हीनता है ?

**श्री खेतसिंह** : जी हां। है।

**श्री दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी ने जिम्मेदारी का दायित्व वहन नहीं किया उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की। केवल स्थानान्तरण करने से उसका दायित्व दूर हो गया क्या ?

**श्री खेतसिंह** : ए. ई. एन. का एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया है। और अब जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी, वह की जायगी।

**श्री फूलचन्द बाफना** : अध्यक्ष महोदय दूसरा निवेदन यह है कि फालना शहर को बराबर बिजली नहीं मिलती है। वहां बहुत सारे खराब कनेक्शन हो गये हैं। दो दिन तक तो स्टे रहा वह तो ठीक था जुलूस की वजह से रहा लेकिन अब तो जुलूस भी निकल गया। ए. इ. एन. की ठीक व्यवस्था कब तक हो जायगी।

**प्रश्न सं० 793**

**श्री अध्यक्ष** : श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

**प्रश्न सं० 794**

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट श्री रघुनाथ बिश्नोई।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : 785।

**श्री दौलतराम सारण**: 795 नाट 85।

## बाजरे की खरीद

795. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विशेष तौर पर सांचोर तहसील में सांचोर डाडेचा एवं भाव मंडियों में बाजरे की तुरन्त खरीद का इन्तजाम करने के बारे में खाद्य निगम को आग्रह किया है? अगर हां, तो कब व किस दर पर ?

(2) उपरोक्त मंडियों में बाजरे की खरीद के लिए अब तक खाद्य निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

# Page No 5



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) इस प्रकार खाद्य निगम कितना बाजरा खरीदने का इन्तजाम करेगा ? इस खरीद की एजेन्सी खाद्य निगम देगा या खुद निगम सीधा खरीददारी करेगा ?

(4) अब तक निगम ने उपरोक्त मंडियों में कितना कितना खरीदा है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) तहसील सांचोर में केवल सांचोर क्रय केन्द्र कार्य कर रहा है। अन्य केन्द्रों के लिए अनुरोध नहीं किया गया।

(2) सांचोर क्रय केन्द्र पर व्यवस्था है। अन्य स्थानों का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) कोई मात्रा निर्धारित नहीं है। खाद्य निगम व्यवस्था करेगा।

(4) अब तक सांचोर मंडी में 3987 क्विन्टल बाजरा खरीदा गया है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** अध्यक्ष महोदय, जब पहले एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा तो सांचोर ढाडेवा एवं भाव मंडियां मुकर्रर की थी। वहां पर 50–50 मील के फासले से लोगों को गल्ला लाने में दिक्कत होती है। राजस्थान सरकार केन्द्र से आग्रह करे कि एरिया लम्बा चौड़ा है और एक मंडी है और खरीददारी अभी शुरू हुई है इसलिए इसको ज्यादा दिनों तक रखे ताकि टार्गेट पूरा हो जाने पर लोगों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके फूड कारपोरेशन से आग्रह करे।

**श्री परसराम मदेरणा :** फूड ग्रेन्स परचेज का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था उस वक्त दिल्ली में मेरी और मुख्य मंत्रीजी की बातचीत स्टेट गवर्नमेंट के एकाउन्ट पर नाज के लिए केन्द्र खोलने के बारे में हुई और हमने उनसे ज्यादा केन्द्र खोलने के बारे में अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि हमारा जो स्टाफ है तो हमारे जो केन्द्र हैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एकाउन्ट पर खरीदने के इनसे ज्यादा क्रय केन्द्र नहीं खोल सकेंगे। उससे ज्यादा क्रय केन्द्र खोलेंगे तो स्टेट गवर्नमेन्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के ज्यादा पैसे लगेंगे और स्टाफ का पैसा बाजरे से वसूल करेंगे। इसलिए यह उचित समझा गया कि डिसकलर्ड होने से बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है तो हमने एक एक तहसील में एक एक ही केन्द्र रखा है। प्रश्न यह था कि काला बाजरा कैसे खरीदा जाय तो पहले तो काले बाजरे के लिए 12 पर्सेन्ट का रखा और फिर कोई पर्सेन्टेज का नहीं रखा है तो 3987 क्विन्टल बाजरा खरीदा गया स्टेट गवर्नमेंट एकाउन्ट पर और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एकाउन्ट पर 500–700 क्विन्टल के आसपास।

**श्री रघुनाथ विश्नोई:** यह सोच-विचार-कर काश्तकारों का फायदा किया राज्य सरकार ने निर्णय लेकर लेकिन वह कुछ दिनों तक खरीददारी रखें ताकि मंडी एक होने के कारण सब लोग बाजरा अपना ला सकें। तीन दिन पहले खरीददारी शुरू हुई और तीन दिन बाद बन्द कर देंगे तो लोग मारे जायेंगे क्योंकि मंडी एक ही है।

**श्री परसराम मदेरणा :** जैसाकि, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि स्टेट गवर्नमेंट एकाउन्ट पर जो बाजरा खरीदा जा रहा है वह सिर्फ 13 क्रय केन्द्रों पर जो कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में

(श्री परसराम मदेरणा)

जोधपुर, जालोर और बाड़मेर में खरीदा जा रहा है। इन जिलों के अन्दर जो टार्गेट दिया है एफ० सी० आई० ने वह 10 हजार टन का है। इसका मतलब यह है कि 1 लाख क्विन्टल का है। एक लाख क्विन्टल में से अभी तक 13 तारीख तक 11 हजार के करीब बाजरा खरीदा गया है और इन दो चार दिनों में और खरीदा गया होगा। बाद की इनफर्मेशन नहीं आ सकी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अभी तक 1 लाख क्विन्टल में से 18 हजार क्विन्टल खरीदा गया है। एक लाख का टार्गेट पूरा कर दे और उसके बाद में अगर स्थिति ऐसी रहती है कि काश्तकारों के पास में पर्याप्त बाजरा बचता है तो राज्य सरकार उस पर पुनः विचार करेगी।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

### रतनगढ़ में आई० टी० आई० का भवन

796. **श्री मेघराज पंवार (चूरू)** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रतनगढ़ में आई० टी० आई० की बिल्डिंग बनाने के लिए विभाग को क्या कोई धनराशि दान स्वरूप मिली थी? यदि हां, तो कितनी, कब और किस के द्वारा?

(2) राज्य सरकार ने इस धनराशि का क्या उपयोग किया है।

**श्रम मंत्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा)** : (1) जी हां। रतनगढ़ में आई. टी. आई. की बिल्डिंग बनाने के लिए इस विभाग को रुपये 225000) व 25 एकड़ जमीन वित्तीय वर्ष 1966-67 में श्री संचियालाल वैद्य ट्रस्ट द्वारा दान स्वरूप मिली।

(2) इस धनराशि से राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।

**श्री मेघराज पंवार** : काम कब शुरू किया गया है और अब तक कितना धन लग गया है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : काम का टेन्डर दिया गया था और ठेकेदार ने शुरू किया तो 15 पर्सेन्ट काम शुरू होने के बाद में ठेकेदार फैल हो गया और उसके बाद पी. डबलू. डी. ने और टेन्डर्स इन्वाइट किये हैं और वह काम जल्दी शुरू हो जायगा।

**श्री मेघराज पंवार** : क्या यह सही है कि इस बिल्डिंग का जो भाग बन गया है वह गिर चुका है?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : इसकी सूचना पी. डबलू. डी. को होगी मुझे नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न।

नेक्स्ट।

### कम्पाउन्डरों व स्कन्ध-पालों की वरिष्ठता सूची

797. **श्री श्रवण लाल (हिन्डौन)** : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पशु पालन विभाग के कम्पाउन्डर व स्कन्ध पालों की वरिष्ठता सूची विभाग

# Page No 7



(श्री श्रवणलाल)

द्वारा कब कब प्रकाशित की गई ? कृपया वरिष्ठता सूचियों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने में क्या क्या आधार विभाग द्वारा रखे गये थे ? क्या विभाग ने इसके लिए कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, पशु-पालन** ( श्री मनफूल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इसका स्थगित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

**श्री श्रवण लाल** : इसमें कोई खास बात नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया है।

**प्रश्न संख्या 798**

श्री पृथ्वी सिंह।

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये )

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

## उदयपुर डिवीजन में बांस कूपों की नीलामी

799. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 67–68 में उदयपुर डिवीजन के बांस कूप सलार, तोरना (कम्पार्टमेंट 2 से 7 तक) देवली नं० 6 के ठेके नीलाम किये गये थे अगर हां, तो कब कब किस किस के पक्ष में व कितनी कितनी राशि में ?

(2) बांस की कटाई का मौसम कब से कब तक होता है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त तीनों ठेकों में बांस की कटाई की अवधि बढ़ाई गई थी ? अगर हां, तो क्यों ? कृपया तीनों ठेकों की अवधि बढ़ाई जाने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**वन मंत्री** ( राव श्री नारायण सिंह मसूदा ) : (1) 1967–68 के बांस कूप, सलार व देवली नं० 6 नीलाम किये गये। बांस कूप तोरना ( कम्पा० नं० 2 से 7 ) नीलाम नहीं किये गये। बांस कूप सलार उक्त वर्ष के नीलाम में समाप्त नहीं किया गया और देवली बांस कूप नं० 6 उक्त वर्ष दिनांक 19-9-67 को 26,6000) रुपये में श्री हुसेन पिता अब्दुलगनी के नाम नीलामी में समाप्त हुआ।

(2) 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक।

(3) बांस कूप देवली नं० 6 की अवधि बढ़ाई थी किन्तु ठेकेदार ने उसका उपयोग नहीं किया। आदेश की प्रति संलग्न है।

बांस कूप सलार 1969–70 में स्वीकृत हुआ था तथा उसमें अवधि विस्तार 30 जून, 1970 तक दिया गया था।

बांस कूप तोरणा नीलाम नहीं किया गया अतः अवधि विस्तार देने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

अवधि विस्तार ठेकेदारों द्वारा ठेके का काम नियत समय में पूरा नहीं कर पाने के कारण दिया गया था।

( कृपया परिशिष्ट 2 देखिये )

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या यह सही है कि इन ठेकों को अवधि का विस्तार किया गया वह राज्य सरकार के आदेश से हुआ था ?

**राव श्री नारायणसिंह मसूदा** : यह अवधि विस्तार नीचे से सी० सी० एफ० आदि की रिपोर्ट के बाद में राज्य सरकार ने किया है।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या यह सही है कि मुख्य संरक्षक और सी० सी० एफ० इस प्रकार की अवधियां समाप्त हो जाने पर उनके विस्तार के आदेश देते हैं ?

**राव श्री नारायणसिंह मसूदा** : अवधि विस्तार के आदेश राज्य सरकार से ही दिये जाते हैं।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या यह सही है कि कई जंगलों के ठेकों की अवधियां समाप्त होने के बाद उनकी अवधि का एक्सटेन्शन स्वयं सी० सी० एफ० ने बिना राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये हुए ही अपने आदेश से किये थे।

**राव श्री नारायणसिंह मसूदा** : ऐसे केसों में राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है तो क्या इस प्रकार के एक्सटेन्शन के सवाल पर राज्य सरकार और सी. सी. एफ. के पावर्स को डिमार्केट कर रखा है ?

**राव श्री नारायण सिंह मसूदा** : इसमें खाली अवधि विस्तार का प्रश्न है वह राज्य सरकार ही करती है।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या यह सही है कि रूल्स के अन्दर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार इस प्रकार से एक्स्टेन्शन दे। रूल्स में सी० सी० एफ० को अधिकार है और एग्रीमेंट के अन्दर ही सी० सी० एफ० को अधिकार है।

**राव श्री नारायणसिंह मसूदा** : अवधि विस्तार के साथ में यह प्रशासनिक ढंग से कई डिसेन्ट्रेलाइज भी किये गये हैं पावर्स और कई नहीं किये गये हैं।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : आज क्या स्थिति है ?

**राव श्री नारायणसिंह मसूदा** : आज की स्थिति यह है कि अवधि विस्तार पर रोक लगाने की मन्शा थी। मैं निवेदन करूंगा कि 65-66 में 100 के ऊपर यानि 122 केसेज अवधि विस्तार के हुए हैं तो उसको नियन्त्रित करने के लिए.......

**श्री अध्यक्ष** : राज्य सरकार ने ले लिया।

**राव श्री नारायणसिंह मसूदा** : राज्य सरकार ने लिये पावर्स और उसका परिणाम यह हुआ कि 20-22 से ज्यादा केसेज अवधि विस्तार के नहीं हुए।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

# Page No 9



प्रश्न संख्या 800

श्री लक्ष्मण तानीवाल, रामप्रसाद बोहरा।

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये.)

अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट

801. श्री रावतराम (खापर सु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) लोकसभा तथा विधान सभाओं की तरह पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) पंचायत राज संस्थाओं में भी अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसे आवश्यक समझते हुए क्या सरकार यह निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उपमंत्री, पंचायत(श्रीमती प्रभा मिश्रा ):

(1) जी नहीं।

(2) पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए सहवरण द्वारा प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रावधान राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 9 (1) एवं राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 8 (2) तथा धारा 42 (4) में उपलब्ध है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों में से सहवरण द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाना अनिवार्य रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 802

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 803

श्री मदनसिंह दांता।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया

बारां नगर की स्कूलें

804. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां नगर में बालक व बालिकाओं की मिडिल स्कूल व प्राइमरी स्कूल कितनी हैं उनमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि बारां नगर में सिर्फ एक ही मिडिल स्कूल है और उसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 1300-1400 की है और इस आधार पर नगर में एक नया मिडिल स्कूल और खुलना चाहिए ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष नये सैशन से नया मिडिल स्कूल खुल जायगा ?

उपमंत्री, शिक्षा श्रीधीरसिंह : (1) बारां नगर में निम्नलिखित उच्च

(राव श्री धीरसिंह)

प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय हैं व उनकी छात्र संख्या निम्नलिखित हैं :-

| शालावर्ग | शाला संख्या | छात्रसंख्या | |
|---|---|---|---|
| | | बालक/बालिकाएं | बालक/बालिकाएं |
| उच्च प्रा० वि० | 1 - | 961 | 48 |
| प्राथमिक वि० | 62 | 1756 | 1075 |

(2) यह सही है कि बारां नगर में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें छात्र संख्या 1009 है। अन्य प्रस्तावों के साथ औचित्य के आधार पर विचार किया जावेगा।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : यह तो औचित्य के आधार पर ही बता रहे हैं। यह लगातार तीन साल से बारां के मिडिल स्कूल के अन्दर 1200-1300 की संख्या रहती आ रही है और छात्रों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है और इसके बारे में बराबर निरीक्षक महोदय और शिक्षा विभाग के दूसरे अधिकारियों ने लिखा है कि बारां में एक मिडिल स्कूल है उसकी संख्या को देखते हुए और प्राथमिक स्कूल्स हैं उनकी संख्या को देखते हुए और 3 हजार हरसाल विद्यार्थी प्राथमिक स्कूलों से मिडिल स्कूल में आते हैं तो इस प्रकार से ...

**श्री अध्यक्ष** : यह औचित्य मान लिया है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : कब तक किया जायगा ?

**राव श्री धीरसिंह** : जब मिडिल स्कूलों के बारे में विचार किया जायगा तो जो आपने डिफिकल्टीज बताई हैं और जो बातें आपने बताई हैं उनको देखते हुए किया जायगा।

**श्री अध्यक्ष**: उसको देख लिया जायगा। श्री रामसिंह कुड़ी।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : नहीं। इस वर्ष मिडिल स्कूल जो राज्य सरकार खोलने जा रही है और जिस समय नये मिडिल स्कूल खोलने के आदेश जारी करेंगे तो बारां में भी मिडिल स्कूल खोलेंगे ?

**राव श्री धीरसिंह** : जो प्रोपोजल्स आये हैं उनकी परिस्थितियों पर और आपकी परिस्थितियां उन सबका अवलोकन करके निर्णय लिया जायगा। अभी मेरे लिए एक एक स्कूल के लिए यहां कहना मुश्किल होगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री कुड़ी।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : इसमें।

**श्री अध्यक्ष** : वह कह दिया है। औचित्य का प्रश्न है इस पर विचार कर लिया जायेगा।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, तीन साल से इस प्रश्न को रखता आ रहा हूं और यही उत्तर मिलता रहा है हमेशा।

**श्री अध्यक्ष** : अब भी यही है, देख लीजिये।

## प्रश्न संख्या 805

श्री रामसिंह कुड़ी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 806

श्री रामप्रसाद बोहरा
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 807

श्री मनोहरसिंह मेहता
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 808

श्री मजलिस खां
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ

**श्री केदार नाथ :**

प्रश्न संख्या 809

**श्री जयकिशन :** अध्यक्ष महोदय, इसको राजस्व विभाग को ट्रान्सफर करने के लिये लिख दिया है। इसका उस विभाग से सम्बन्ध है।

**श्री अध्यक्ष:** पोस्टपोन्ड। नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 810

श्री रामानन्द अग्रवाल
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 811

श्री गोरधन सोनी
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासहाय

## घास एवं अनाज को गोदामों तक पहुँचाने का कान्ट्रेक्ट

812. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालोर जिले में अकाल के समय घास एवं अनाज गोदामों तक पहुंचाने का कान्ट्रेक्ट देने के सम्बन्ध में किन किन व्यक्तियों के टेन्डर आये थे और किस व्यक्ति का टेन्डर मंजूर किया गया ?

(2) क्या यह सत्य है कि रानीवाड़ा से सांचोर तक माल ढोने का ठेका दिया गया उसमें बापसिया से सांचोर तक कच्चा रूट मान कर ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी क्या रेट थी ? क्या यह भी सत्य है कि बापसिया से सांचोर तक पक्की सड़क मेटल बन चुकी थी और डामर बिछ गया था ? यदि हां, तो कब और उसे कच्ची रेट देने का क्या कारण था व उस रेट से कितना भुगतान ज्यादा किया गया ?

**उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):** (1) जालोर जिले में सन् 68-69, 69-70 में घास एवं अनाज गोदामों तक पहुंचाने के सम्बन्ध में जिन जिन व्यक्तियों के टेन्डर आये, और जिन व्यक्ति का टेन्डर मंजूर किया गया, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। रानीवाड़ा से सांचोर तक माल ढोने का सन् 68-69 में जो ठेका दिया गया, उसमें बापसिया से सांचोर तक कच्चा रूट मान कर ठेका दिया गया तथा उसकी रेट 9 पैसे प्रति क्विंटल प्रति मील थी। जनवरी, 69 से मार्च 69 तक बापसिया से सांचोर तक सड़क निर्माण कार्य होने के कारण और वाहनों को कच्चों में से बाईपास होने के कारण कच्चे रूट में सड़क की दर से भुगतान किया गया था।

# Page No 12



( श्री गंगा सहाय)

यह सही नहीं है कि उस समय बापसिया से सांचोर सड़क पक्की, मेटल की बन गई थी और डामर बिछ गई थी। उस रेट से 4159.33 रुपये का अधिक भुगतान हुआ था।

( कृपया परिशिष्ट 3 देखिये )

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री परसराम गंगाराम।

## 'सुखाड़िया नगर' अजमेर में प्लाटों की नीलामी

813. **श्री परसराम गंगाराम** (अजमेर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सुखाड़िया नगर अजमेर में प्लाट नीलाम किये गये हैं ? अगर हां, तो किन किन को कितने रुपयों में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि बिना सरकार की आज्ञा के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है ? अगर हां, तो सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या सरकार का बचे हुए प्लाटों को नीलाम करने का इरादा है ? अगर हां, तो कब ?

(4) क्या 'सुखाड़िया नगर' अजमेर में प्लाट नम्बर 30 नीलाम किया गया है ? यदि हां, तो कितने रुपयों में और किसको ?

**राज्य मंत्री पुनर्वास** (श्री जयकिशन): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध भारत सरकार से है। माननीय सदस्य को जानकारी चाहना हो तो थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाय।

**श्री परसराम गंगाराम** : काफी टाइम से दिया हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : भारत सरकार से इसका सम्बन्ध है। अवधि बढाना चाहते हैं तो बढा दूं।

**श्री बालसिंह सोढा** : फिर भी राज्य सरकार का कर्तव्य तो है।

**श्री अध्यक्ष** : अवधि इसीलिये मांगी है।

श्री नन्दलाल बैरवा।

## बून्दी से लाखेरी बस सर्विस

814. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी से लाखेरी, बून्दी से नैनवा, बून्दी से केशवराय पाटन, कापरेन तथा इन्द्रगढ़ स्टेशन से नैनवा कितनी बसें चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त मार्गों की बसों के परमिट किस किस को दिये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्टेशन इन्द्रगढ़ से नैनवा जाने व आने वाली बसें गांवों में होकर यात्रियों को लेकर आती है ? यदि हां, तो कौन कौन से ग्रामों में

Page No 13



( श्री नन्दलाल बैरवा )

तथा परमिट कौन कौन से गांवों का दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि बून्दी से लाखेरी आने जाने वाली बसें कस्बों व गांवों के अलावा फेक्ट्री एरिया में तथा ग्राम पंचायत कार्यालय पर सवारियां छोड़ने व लेने जाती है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उप मंत्री यातायात** (श्री समर्थलाल) : (1) बून्दी से लाखेरी 4 बसें, बून्दी से नैनवा 11 बसें, बून्दी से केशवरायपाटन 2 बसें, काप्रेन से आखरी बस इन्द्रगढ़ से नैनवा 3 बजे चलती है। सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, इन्द्रगढ से नैनवा जाने व आने वाली बसें इन्द्रगढ़, बामनवास, समीदी. कखर ग्रामों में होकर यात्रियों को लाती व ले जाती हैं। ये गांव परमिटों में लिखे हुए हैं मार्ग पर छोटे छोटे गांव और भी पड़ते हैं जैसे खटावदा, सूसा, बरोंदियाल हीलापुर, बम्बूलिया, राजलावरिया, आदि परमिटों में बड़े गांव का उल्लेख है। जिन गांवों के नामों का परमिटों में उल्लेख है उनकी ओर जो मार्ग में छोटे गांव पड़ते हैं उनकी सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) बून्दी से लाखेरी चलने वाली बसें वाया मण्डौली होकर चलती है और छोटे गांव जो रास्ते में पड़ते हैं और वहां पर बस स्टोपेज हैं वहां से सवारियां उठाती है व उतारती है लाखेरी गांव में बस स्टॉप रेल्वे क्रासिंग के पास है एवं दूसरा बस स्टॉप डाक बंगले के आगे तिराहे पर है जहां से इन्द्रगढ़ का मार्ग मुड़ता है और यहां बस्ती भी है इन दोनों स्टॉपों से सवारियां उठाती है व उतारती है जहां जहां मार्ग पर बस स्टॉप ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने हैं तो ऐसे स्टॉप से भी सवारियां उठायी जाती हैं और और उतारदी जाती है।

( कृपया परिशिष्ट 4 देखिये )

**श्री अध्यक्ष** : ( कुछ माननीय सदस्यों के आपस में वार्तालाप पर ) विल नोट टाक एक्रॉस दी टेबल।

**श्री नन्दलाल बैरवा** : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि इन्द्रगढ़ से आने वाली बस है। ग्राम सोढा के पास होकर नहीं जाती हैं। इससे ग्रामवासियों को कोई फायदा नहीं होता है। हमारा निवेदन है कि वहां पर भी यह जाय।

**श्री समर्थलाल** : जहां पर बस स्टॉप है वहीं पर गाड़ियां ठहरती हैं। जहां नहीं है तो वहां नहीं ठहरती हैं।

**श्री नन्दलाल** : जहां पर जनता को लाभ हो वहां तो गाड़ी जाती नहीं है और जहां जरूरी नहीं है वहां पर जाती है। जनता की समस्या को देख कर परमिट देना चाहिये।

**श्री समर्थलाल** : इस पर विचार कर लिया जावेगा।

**श्री नन्दलाल** : कब तक ?

**श्री समर्थलाल :** शीघ्र ।

**श्री नन्दलाल :** आपने फर्माया कि लाखेरी में आती है। म्युनिसिपल एरिया में छोड़ कर चली जाती है। मजदूर लोगों को आधा किलोमीटर छोड़ कर चली जाती है जिससे काफी दिक्कतें आती हैं। क्या आश्वासन देंगे ?

**श्री समर्थलाल :** इस पर भी विचार करेंगे।

**श्री नन्दलाल :** विचार की भी सीमा होनी चाहिए। यातायात मन्त्रीजी को, चेयर मैन को काफी पत्र लिखे।

**श्री अध्यक्ष :** आश्वासन दिया है।

**श्री समर्थलाल :** पहले तो कोई जानकारी मिली नहीं। अब मिली है।

**श्री नन्दलाल :** कई पत्र लिखे चेयर मैन को, यातायात मंत्रीजी को।

**श्री अध्यक्ष :** क्या पत्र लिखे हैं ?

**श्री समर्थलाल :** यह भी एक जानकारी है।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न सं. 815 ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** सम्बन्धित अधिकारी का स्वर्गवास हो गया है इसलिये मैं नहीं पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** व्यक्ति का हुआ है स्वर्गवास। प्रश्न का नहीं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** नहीं पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** स्थगित प्रश्न ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा ।

## स्थगित प्रश्न

(4-5-71)

## जिला बूंदी में सरपंचों के विरुद्ध मामले

604. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बूंदी के कौन कौन से सरपंचों के विरुद्ध जिलाधीश व डिप्टी डी. डी. ओ. के पास किस किस प्रकार के अभियोग दर्ज किये जाकर जांच चल रही है ? यह अभियोग किस प्रकार के हैं और कब से चल रहे हैं ? अब तक कितने सरपंचों के विरुद्ध पुलिस केस दर्ज हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उपमंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा):** सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री केसरीसिंह हाड़ा :** बार बार ऐसी सूची सरकार देती है जिसको मैं नहीं पढ़ सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** मैं भी अपनी सूची देख लेता हूं। (विराम) मेरी सूची कुछ अच्छी है आप से। मैं आपको अपनी नजर कर देता हूं।

**श्री केसरीसिंह हाड़ा :** आप नैक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिये। जितने मैं देख लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 613।

श्री भैरोंसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बालसिंह सोढ़ा !

स्थगित प्रश्न

(5-6-71)

**पोकरण तहसील के ग्रामों को अकाल-ग्रस्त घोषित करने की सिफारिश**

623. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या अकाल साहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पोकरण तहसील के ग्राम सनावड़ा को पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, तहसीलदार की सिफारिश अकाल घोषित करने के लिये होते हुए भी अभावग्रस्त घोषित गांवों की सूची में नहीं लिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम अभावग्रस्त घोषित करने की सभी शर्तें पूरी करने पर भी अभावग्रस्त घोषित नहीं किया है, जिसके कारण वहां वसूली की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि इससे अधिक वर्षा वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ? अगर हां, तो इस ग्राम को घोषित नहीं करने का क्या कारण है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी नहीं। पोकरण तहसील के ग्राम सनावड़ा को सहायता विभाग के आदेश क्रमांक एफ। (9) स० आ०। खरीफ (70-71) दिनांक 7 व 10-5-71 द्वारा अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है।

(2) नहीं नहीं। इस गांव में केवल 19 व्यक्तियों द्वारा 314) रु० 16 पै० मात्र जमा कराये गये हैं। इन लोगों ने भी स्वेच्छा से रकम जमा कराई है।

(3) जी नहीं। गांव को अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका है।

**श्री बालसिंह सोढ़ा :** अध्यक्ष महोदय, अभावग्रस्त घोषित किया इसके लिये तो धन्यवाद। परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस लिस्ट में वह नाम नहीं है। मैं दस दिन पहले ही वहां जाकर आया हूं।

**श्री गंगाराम चौधरी :** पहले होने से रह गया था। अब कर दिया है।

**श्री अध्यक्ष :** स्थगित प्रश्न 691।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा।

**श्री केसरीसिंह हाड़ा :** ( प्रश्न संख्या 604 के सन्दर्भ में ) अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि ये बहुत से ऐसे मामले हैं, 66 से चल रहे हैं उनको निपटाने में किन कारणों से असमर्थ रहे। सूची दी। 19, 20, 21, नम्बर के मामले सन् 66 से चल रहे हैं। अब तक सरकार इनका फैसला क्यों नहीं कर चुकी है ?

**श्री परसराम मदेरणा :** कौन सी लिस्ट को रेफर कर रहे हैं, माननीय सदस्य ?

(श्री परसराम मदेरणा)

दो लिस्ट्स दी हैं, एक में सात केसेज हैं और दूसरी में 13 हैं, सात की अलग है और 13 की अलग है, तो कौन सी लिस्ट को रेफर कर रहे हैं ?

**श्री केसरीसिंह हाड़ा:** अध्यक्ष महोदय, इसमें पीपलियां के सरपंच के खिलाफ दो तीन केसेज लिखे हुए हैं। एक तो 1969 का है और एक 1966 का केस है। पीपलिया के सरपंच के खिलाफ ये सारे मामले जिलाधीश के पास पेंडिग पड़े हुए हैं और वे उसमें कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं, यह बहुत खेद की बात है। मेरी जहां तक जानकारी है, इनमें स्वायत्त शासन मंत्री फैसला नहीं होने देते क्योंकि उससे सरपंच को असुविधा होने की सम्भावना है।

**श्री परसराम मदेरणा :** अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूची है, उसके अनुसार 6 मामले तो डिप्टी डी.डी.ओ. के पास एन्क्वायरी में हैं और एक मामला कलेक्टर के पास है। इनके अलावा 13 मामले प्रिलिमिनरी जांच के हैं। अब यह जो माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इनमें फैसला नहीं होने देना चाहते और वे दखल करते हैं, यह बिल्कुल निराधार है और असत्य है।

**श्री केसरीसिंह हाड़ा :** इसमें लिखा है कि जांच विचाराधीन है। वास्तव में डिप्टी डी. डी. ओ. के द्वारा जांच की गई है, केवल फैसला नहीं दिया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश के पास 14-7-69, 22-3-66 और 9-9-68 से लेकर पड़े हुए हैं और फैसला नहीं कर रहे हैं, फिर जनता को क्या न्याय मिलेगा ? मेरी समझ में नहीं आता।

**श्री परसराम मदेरणा:** ये मामले कलेक्टर के पास विचाराधीन हैं। विशेष विवरण में आप देखिये, तो कुछ पार्टीज ने हाई कोर्ट में रिट किये हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष:** और कोई प्रश्न ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

**कस्तूरी एवं च्यवनप्राश की खरीद**

794. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देश रक्षक औषधालय, हरिद्वार द्वारा निर्मित कस्तूरी एवं च्यवनप्राश की कितनी मात्रा राजकीय चिकित्सालयों के लिये अब तक खरीद की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस औषधालय द्वारा निर्मित दवाओं की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस प्रकार ?

(3) क्या राज्य सरकार को इस औषधालय के विरुद्ध नकली कस्तूरी, एवं च्यवनप्राश आदि सप्लाई करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह सही है कि इस फर्म के मालिक श्री पारस कुमार जैन थे जो अब शिवालिक ड्रग्स हरिद्वार के नाम से कारोबार करते हैं ? शिवालिक ड्रग्स से कितने कीमत की दवाइयां अब तक खरीदी गई हैं ?

**राज्य मंत्री, आयुर्वेद** ( श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) केवल 2 किलो कस्तूरी क्रय की गई है।

( श्री जयकृष्ण शर्मा )

(2) जी नहीं।

(3) केवल कस्तूरी के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच भ्रष्टाचार निरीक्षक विभाग एवं सतर्कता आयोग द्वारा की जा रही है।

(4) देश रक्षक औषधालय, हरिद्वार के मालिक श्री पारस कुमार जैन थे। यह ज्ञात नहीं है कि श्री जैन अब शिवालिक्स ड्रग्स के नाम से कारोबार करते हैं। शिवालिक्स ड्रग्स से कोई औषध क्रय नहीं की गई है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** यह जांच कब से चल रही है ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा :** सन् 1968 से।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** क्या यह सही है कि इस फार्मेसी से उसके बाद भी दवाइयां खरीदी जाती हैं ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा :** दवाइयां खरीदने का सवाल नहीं आता है, लेकिन अगर खरीदी भी जातीं तो गलत बात नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:** जिस फार्मेसी के खिलाफ ऐंटी-करप्शन डिपार्टमेंट में जांच चल रही है, तो आप यह बताने की कृपा करें कि अभी भी उस फर्म से दवाइयां खरीदी जाती हैं या उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा :** ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया लेकिन कोई दवाइयां च्यवनप्राश वगैरह नहीं खरीदा गया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** कस्तूरी खरीदी गई है ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा :** कस्तूरी 1967 में खरीदी गई, उसके बाद कोई कस्तूरी नहीं खरीदी गई। उसके बाद कोई कस्तूरी या च्यवनप्राश नहीं खरीदा गया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** शिलाजीत लिया गया ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा :** इसका नाम तो आपके प्रश्न से ही सुना है। हमारे यहां तो उनकी कोई दवाई नहीं आई है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री पृथ्वीसिंह।

### पाली जिले की हाई स्कूलें

798. **श्री पृथ्वीसिंह चौहान** (बाली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में 31-3-71 को कितनी हाई स्कूलें कहां कहां, कब कब से चल रही थीं ?

(2) इनमें से आगामी वर्ष 1971-72 में किस किस स्कूल को क्रमोन्नत किया जाकर हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाने का इरादा है ?

**उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री वीरसिंह):** (1) पाली जिले में 15 वर्तमान में सेकेण्डरी स्तर की स्कूलें हैं जिनके क्रमोन्नत के वर्ष इनके सम्मुख अंकित हैं: -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | रा.मा.वि. | सुमेरपुर | 1949 |
| 2. | ,, | तखतगढ़ | 1950 |
| 3. | ,, | रायपुर | 1953 |
| 4. | ,, | मारवाड़ जंक्शन | 1961 |
| 5. | ,, | आउवा | 1961 |
| 6. | ,, | आनन्दपुर कालू | 1961 |

(राव श्री धीरसिंह)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | ,, | बगड़ी | 1961 |
| 8. | ,, | नाडोल | 1962 |
| 9. | ,, | चण्डावल | 1966 |
| 10. | ,, | खैरवा | 1966 |
| 11. | ,, | नाणा | 1966 |
| 12. | ,, | कोशेलाव | 1968 |
| 13. | ,, | गुडाएन्दला | 1968 |
| 14. | ,, | खिवाला | 1968 |
| 15. | ,, | रोहट | 1969 |

(2) अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ गुणा-वगुण के आधार पर शिक्षा प्रसार के उचित समय पर इनके लिए विचार किया जावेगा।

**श्री पृथ्वीसिंह** : क्या आपको जानकारी है कि सुमेरपुर में 1949 से हाई स्कूल चल रहा है, उसके बाद कई मिडिल स्कूल खोले गये और वे क्रमोन्नत होकर हायर सेकेन्डरी भी हो गये, लेकिन सुमेरपुर का हाई स्कूल अभी हाई स्कूल ही है ? इसको क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

**राव श्री धीरसिंह** : जब हायर सेके-न्डरी स्कूल्स का पैटर्न लागू किया गया उस समय जो हाई स्कूल थे उनमें से कई रह गये। जो रह गये हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। पुराने हाई स्कूल हैं उन पर विशेषरूप से ध्यान देना चाहिये, कि हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाये जायें। इस पर भी विचार किया जा रहा है।

**श्री पृथ्वीसिंह** : मेरे कहने के मतलब यह है कि 1949 के बाद कई मिडिल स्कूल खोले गये, वे भी क्रमोन्नत होकर हायर सेके-न्डरी बन गये। लेकिन यह तो 1949 में भी हाई स्कूल था, तो इसको क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

**राव श्री धीरसिंह** : अब यह जो है, ईअरवाइज तो क्राइटेरिया नहीं है। जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं, कई तरह के दृष्टि-कोण होते हैं, उन दृष्टिकोणों से समय समय पर स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाता है। यह सही है कि यह वास्तव में बहुत पुराना स्कूल है और रह गया है, आयन्दा इस पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

**श्री पृथ्वीसिंह** : सुमेरपुर के स्कूल को क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं ? किन कारणों से नहीं किया गया ?

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न।

**श्री पृथ्वीसिंह** : अलग से कैसे है ? इस स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया जब कि छोटे छोटे गांवों में जो मिडिल स्कूल्स थे उनको क्रमोन्नत किया गया है। मंत्री महो-दय आश्वासन दे दें कि इस साल क्रमोन्नत किया जायेगा।

(प्रश्न संख्या 800)

**श्री अध्यक्ष** : इस पर विचार किया जायेगा, उन्होंने कह दिया।

**श्री पृथ्वीसिंह** : बहुत पुराना स्कूल है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मण तानीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(प्रश्न संख्या 802)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(प्रश्न संख्या 803)

श्री मदनसिंह दांता

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 806

श्री राम प्रसाद बोहरा ।

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये )

प्रश्न संख्या 807

श्री मनोहरसिंह मेहता ।

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये )

प्रश्न संख्या 808

श्री मजलिस खां

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये )

प्रश्न संख्या 810

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये )

प्रश्न संख्या 811

श्री गोरधन सोनी

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये )

प्रश्न समाप्त हुए ।

**श्री श्रवणलाल :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 793 का उत्तर दिलवाया जाये ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री जुझारसिंह की कोई प्रयॉरिटी नहीं है आपके लिये । प्रश्न समाप्त हुए ।

सदन के आदेश से मैं जो समय शेष रहा है उसका उपयोग कर लेता हूं ।

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### डूंगरपुर में पब्लिक प्रोसीक्यूटर

791. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर में इस वक्त पब्लिक प्रोसीक्यूटर कौन हैं व कब से हैं ?

(2) वे पहले कहां वकालत करते थे और क्या किसी राजनैतिक पार्टी के मेम्बर थे और क्या अब भी है ?

(3) उनको पब्लिक प्रोसीक्यूटर बनाने में कौनसा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया है ?

**उत्तर**

(1) डूंगरपुर में इस वक्त पब्लिक प्रोसीक्यूटर कोई नहीं है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### ग्राम पंचायत सालोतिया के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध आरोप

793. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सालोतिया ग्राम पंचायत समिति पिडावा, जिला झालावाड़ के भूतपूर्व सरपंच श्री कन्हैयालाल डांगी के विरुद्ध अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के आरोप सन् 1964 से सरकार के विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार पिडावा व कलेक्टर झालावाड़ ने उक्त सरपंच के विरुद्ध केवल इस कारण जांच करने से मना कर दिया है कि वह अब राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में उपमंत्री बना लिये गये हैं ?

(3) सालोतिया के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच अब सरकार कब और किनके द्वारा करवाने का इरादा रखती है ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) तहसीलदार द्वारा जांच करने में असमर्थता प्रकट करने पर जिलाधीश द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया था।

(3) उप जिलाधीश, झालावाड़ की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतें तथ्यहीन पाई गईं।

### जिला झालावाड़ के ग्रामों में बिजली

800. श्री लक्ष्मण तानीवाल– (डग):

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष जिला झालावाड़ के लिये जिले से किन किन ग्रामों को बिजली दिये जाने की सिफारिश की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) दिनांक 27-5-1970 को जिलाधीश द्वारा आमन्त्रित जिला परिषद् की बैठक की ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु कार्य प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन ग्रामों में से किन किन ग्रामों को सन् 1970 में ही बिजली दे दी जावेगी?

(4) बाकी ग्रामों को बिजली नहीं देने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) 1970–71 वर्ष के लिये जिलाधीश झालावाड़ द्वारा जिन जिन ग्रामों को विद्युतिकरण के लिए प्रस्तावित किया गया था उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। यह सूची जिला कृषि उत्पादन समिति के अनुमोदन से ही प्रस्तुत की गई थी।

(2) जिलाधीश झालावाड़ द्वारा आमन्त्रित जिला परिषद की बैठक दिनांक 27-5-70 को होने की सूचना इस विभाग को नहीं है।

(3) जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित ग्रामों में से 12 को विद्युतिकरण के लिये स्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित सारे ग्रामों को एक साथ विद्युतिकरण के लिये स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

( कृपया परिशिष्ट 5 देखिये )

### डिनेचर्ड स्प्रिट का ठेका

802. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, बाजार) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1 अप्रेल सन् 1967 से अब तक किन किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को किन किन आधार पर डिनेचर्ड स्प्रिट का लाइसेन्स दिया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(आबकारी मंत्री)

उत्तर

तालिका 'क' संलग्न है। डिनेचर्ड स्प्रिट के लाइसेन्स आबकारी अधिनियम, 1950 व उसके तहत बनाये गये राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार दिये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## दांता हरिजन बस्ती में विद्युत लाइन

803. श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बस्ती दांता में विद्युत लाइन डालने हेतु बीस हजार रुपये दिये गये हैं? अगर हां, तो आज तक बिजली लाइन क्यों नहीं डाली गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम दांता में हरिजनों द्वारा आज दो साल से बिजली के कनेक्शन लेने हेतु सिक्युरिटी जमा करा दी गई है? अगर हां, तो आज तक उनको कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया है?

उत्तर

(1) जी हां। टाईपिंग में गल्ती के कारण इस कार्य के लिये मण्डल कार्यालय से भेजी गई स्वीकृति में रु० 20,000) के बजाय रु० 2000) छप जाने के कारण सहायक अभियन्ता सीकर ने केवल इसी धनराशि के एस्टीमेट बनाये थे, जो स्वीकृत हो गया था और वर्क आर्डर भी जारी हो गया था परन्तु दांता ग्राम के प्रधान एवं सरपंच के कहने से कार्य शुरू नहीं किया जा सका। सहायक अभियन्ता द्वारा स्पष्टीकरण चाहने पर अब गल्ती दुरुस्त कर दी गई है और शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य पूरा कर दिया जायगा।

(2) जी नहीं—प्रश्न नहीं उठता।

## सरपंच व उप सरपंचों के रिक्त स्थान

805. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले की ग्राम पंचायत रोल व खाटू बड़ी में सरपंचों व उप सरपंचों के स्थान रिक्त हैं एवं रोल में अस्थाई व्यवस्था राज्य सरकार ने पंच को सरपंच का कार्य करने हेतु नामीनेट करके की है एवं खाटू बड़ी ग्राम पंचायत ऐसी व्यवस्था के अभाव में बन्द पड़ी है?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों ग्राम पंचायतों का ऑडिट भी सरपंचों के स्थान रिक्त होने के कारण इस वर्ष माह मार्च, 1971 में नहीं हो सका?

(स्थगित किया गया)

## भीमनी बांध से फसलों को पानी

806. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीमनी बांध जिला झालावाड़ नहरों की सफाई और समय

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

ग्राम-वासियों की ओर से भेजी जाती रही हैं ? परन्तु विभाग की ओर से समय पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती ?

(2) क्या यह सही है कि समय पर पानी ऊपर बांध जो बनाना है उससे नहीं छोड़ने के कारण फसलें सूख जाती हैं ?

उत्तर

(1) भीमली ऐनीकट जिला झालावाड़ की नहरों की सफाई समय २ पर हरसाल की जाती रही है तथा पानी भी समय २ पर छोड़ा जाता रहा है तथा ग्रामवासियों को जो कठिनाइयां इस विभाग को प्राप्त हुई हैं वह समय समय पर दूर की जाती रही हैं।

(2) जी नहीं।

## मांडलगढ़ पंचायत समिति द्वारा लगाये गये कर

807. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ पंचायत समिति में निजी आय के लिये कुछ कर लगाये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कब से और किस किस चीज पर लगाये गये हैं और किस किस वर्ष में कितने रुपये आय हुई है और कितनी रकम इस प्रकार लगाये गये कर से कुल इकट्ठी हुई है ?

(3) क्या जिस जिस पंचायत से जो रकम आई है वह उसी पंचायत को वापस विकास के लिये दे दी गई है ? यदि नहीं दी तो क्यों ?

उत्तर

1-जी हां।

2-व्यावसायिक कर वर्ष 1961 से व भू-राजस्व पर उप-कर वर्ष 1968 से लगाया गया है। करों से हुई आमदनी की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

3-जी नहीं। निजी आय से खर्चा किये जाने के लिए जारी किये गये निर्देशों के अनुसार ऐसा किया जाना उचित नहीं समझा गया।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

## ग्राम बसई बांध की मोरी

808. **श्री मजलिस खां** (कामां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि हरियाणा की तहसील फिरोजपुर झिरका के ग्राम बसई बांध की उत्तरी मोरी पूरे वर्षाकाल में खुली रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि घोलेट डहर जो पूरे वर्ष डूब में रहता है वह इसी बसई बांध के पानी के कारण रहता है यदि हां, तो क्या राज्य सरकार हरियाणा सरकार से उक्त बांध की मोरी को रोकने के लिये बात-चीत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि घोलटे डहर की 500 बीघा भूमि इसी बांध के पानी के कारण 10 वर्ष से डूब में चली आ रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त 500 बीघा

(श्री मजलिस खां)

का नुकसान का भुगतान हरियाणा सरकार से लेने की चेष्टा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि बसई बांध में दूसरी मोरी बीवा ग्राम की तरफ भी लगी हुई है ? यदि हां, तो उक्त बांध का पानी इस मोरी से निकालने में हरियाणा सरकार को कोई प्रापत्ति है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) बरसात में मोरी में तख्ते लगाये जाते हैं परन्तु उनमें से मामूली पानी झरता रहता है।

(2) जी हां, शीघ्र ही।

(3) धोलेट डहर की ओर बांध व मोरी 63-64 में ही बनी है और तभी से यह जमीन डूब में आती है। भविष्य में इस मोरी के पानी से नुकसान न हो तथा हुए नुकसान के मुआवजे के लिये शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। इस बारे में हरियाणा सरकार से बातचीत की जायेगी।

## स्वर्णकारों को दिये जाने वाले ऋण के नियम

809. (761 वि. म)

श्री रामकिशन (वैर):

श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्वर्णकारों को दिये जाने वाले कर्ज के कोई नियम हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) चूरू जिले में सन् 1963 से कुल कितनी धनराशि स्वर्णकारों को लोन के रूप में दी गई है ?

(3) क्या स्वर्णकारों को दिये गये लोन में किसी स्वर्णकार की जमानत किसी अन्य व्यक्ति से ली गई थी ? यदि हां, तो किस व्यक्ति से ?

(4) क्या स्वर्णकारों को दिये गये लोन की वसूली हो रही है ? चूरू जिले में कुल कितनी वसूली हुई और बकाया किस किस में कितनी है ?

( स्थगित किया गया )

## असिस्टेन्ट इन्जिनियरों का रिवर्सन

810. श्री रामानन्द अग्रवाल ( अलवर ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में 1-10-70 को 85 असिस्टेन्ट इन्जीनियरों को रिवर्ट किया गया तथा 12-10-70 को दोबारा रिट्रेंचमेन्ट किया? यदि हां, तो इस रिवर्सन और रिट्रेंचमेन्ट का क्या आधार रखा गया और इससे कौन कौन लोग किस-किस रूप में प्रभावित हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 17-10-70 से माही सरकल में प्रत्येक इन्जीनियरिंग सबओर्डीनेट की सर्विस फिर से चालू रख दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? माही सरकल में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

1-10-70 और 12-10-70 के आदेश से प्रभावित किन-किन व्यक्तियों को सर्विस में रखा गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि 22-11-70 को विभाग द्वारा एक आदेश निकाला गया जिसमें 22-5-70 से पहले सर्विस करने वाले इन्जीनियरिंग सबओर्डीनेट्स की सर्विस चालू रखने की व्यवस्था की गई? कृपया इस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग में इस समय 22-5-70 या इसके बाद में सर्विस में प्रवेश करने वाले इन्जीनियरिंग सबओर्डीनेट भी मौजूद हैं? यदि हां, तो कौन-कौन और कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें? इन लोगों को किस आदेश के तहत रखा गया?

उत्तर

1. जी हां, परन्तु 12-10-70 को किसी को भी रिट्रेंच नहीं किया। अकाल राहत कार्यों के लिए जिन खण्डों की स्थापना की गई थी उसके समाप्त होने पर 85 (Ad-hoc) सहायक अभियन्ताओं को उनकी वरिष्ठता के अनुसार रिवर्ट किया गया। जिन सहायक अभियन्ताओं को रिवर्ट किया गया था उनकी सूची 'अ' संलग्न है।

2. जी हां, 8-10-70 को अधीक्षण अभियन्ता उदयपुर से अपने वृत्त के 49 सलेक्टेड अधिदर्शकों माही सर्किल में 49 अनसलेक्टेड अधिदर्शकों की जगह पोस्ट किया लेकिन बाद में मुख्य अभियन्ता सिंचाई के 16-10-70 के आदेश द्वारा 49 सलेक्टेड अधिदर्शकों के बजाय माही वृत्त बांसवाड़ा के राजस्थान नहर परियोजना में पोस्ट किया गया। इस कारण माही सर्किल के 49 अधिदर्शकों के सेवायें चालू रहीं। इन अधिदर्शकों की सूची 'अ' संलग्न है।

3. जी हां, ऐसा आदेश अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत्त उदयपुर द्वारा 27-11-70 को निकाला गया था। प्रतिलिपि 'स' संलग्न है।

4. जी हां, ऐसे अधिदर्शकों की 'क' सूची 'द' संलग्न है। इनको दोबारा रखने के लिये कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## पंचायत समिति रीयां द्वारा बीज गोदामों का निर्माण

811. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रीयां द्वारा कुछ वर्ष पहले बीज गोदामों का निर्माण किया गया? यदि हां, तो किन-किन जगह गोदामों का निर्माण किया गया? उसमें कितनी रकम खर्च हुई? मय तारीख सन् के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उन बीज गोदामों का कोई उपयोग नहीं है।

उत्तर

1. जी नहीं।

2. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

स्थगित प्रश्न

( 4-5-71 )

पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा कृषि कार्य

613 श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा (जिला भीलवाड़ा) पंचायत समिति द्वारा पेटा काश्त कराई जाती है ? यदि हां, तो कब से ? कृपया अब तक का हानि लाभ का लेखा जोखा सदन की मेज पर रखें।

(2) इस पेटा काश्त के खाते ट्रैक्टर व अन्य मशीनें, पुर्जे, मशीनों की मरम्मत आदि के नाम पर प्रति वर्ष कितना-कितना व्यय हुआ है ?

(3) पेटा काश्त से किस-किस वर्ष में कौन-कौन सा कितना-कितना अनाज पैदा हुआ है। और उसकी बिक्री से कितनी कितनी आय हुई ? कृपया अनाज के विक्रय के भाव बताने का कष्ट करें।

( स्थगित किया गया )

स्थगित प्रश्न

(10-5-71)

अध्यापकों की पदोन्नतियां

691. श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि डाईरेक्टर, प्राईमरी एण्ड सेकेण्ड्री एज्यूकेशन, राजस्थान ने अपने परिपत्र संख्या ई. डी. बी. एस्ट/ए/5785/पी./एस. पी. एल. 62 दिनांक 27-3-63 द्वारा आदेश दिया था कि जो भी ग्रेज्यूएट अध्यापक ट्रेंड अथवा अनट्रेंड 1-7-62 को नौकरी में है उन्हें तृतीय ग्रेड से द्वितीय ग्रेड में पदोन्नति दे दी जाय? यदि हां, तो परिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त परिपत्र की व्याख्या करते हुए डायरेक्टर महोदय की ओर से इसी सम्बन्ध में बाद में भी परिपत्र निकाले गए ? यदि हां, तो कब कब ? कृपया प्रत्येक परिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने कष्ट करें।

(3) अलवर जिले में इस परिपत्र वर्णित प्रश्न संख्या (1) के अन्तर्गत कितने अध्यापकों को प्रमोशन मिला ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त परिपत्र के तहत प्रमोशन के हकदार कितने ही अध्यापकों को प्रमोशन नहीं मिला ? यदि हां तो ऐसे हकदार अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) इन अध्यापकों को प्रमोशन नहीं मिलने का क्या कारण है ? क्या सरकार की ओर से इन्हे प्रमोशन देने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यदि नहीं तो क्यों नहीं।

उत्तर

1 जी हां, लेकिन उक्त आदेश अनुसार केवल बी० ए० बी० एड० अथवा बी० ए० अंग्रेजी साहित्य, शास्त्री एवं आचार्य (लैंग्वेज टीचर) व बी० एस० सी०

( शिक्षा मंत्री )

अध्यापकों को पदोन्नति दी जा सकती है। इनके अतिरिक्त किसी अप्रशिक्षित स्नातक अध्यापक को पदोन्नति देने का उक्त आदेश में प्रावधान नहीं है। परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(3) इस जिले में जिन अध्यापकों को पदोन्नति दी गई है उनकी सूची संलग्न है।

(4) यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) उक्त दोनों परिपत्रों के सन्दर्भ में पदोन्नति के जो प्रावधान हैं उसके अनुसार जो अध्यापक पदोन्नति के अधिकारी नहीं थे, उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### रेंज आफिसर अलवर की योग्यता

709. श्री रामकिसन (वैर): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन विभाग में रेंज आफिसर की निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता क्या है।

(2) अलवर रेंज के रेंज आफिसर कौन है ? इसकी नियुक्ति वन विभाग में किस तिथि को और किस पद पर हुई थी ? इन्हें रेंज आफिसर कब बनाया गया था।

(3) क्या अलवर रेंज में श्री राम किशोर नाम के व्यक्ति भी कभी रेंज आफिसर थे, अथवा हैं ? यदि हां तो इनकी शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षा क्या है ? श्री राम किशोर की शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षा का निम्न ब्यौरा सदन की मेज पर रखें—

शैक्षणिक शिक्षा परीक्षा कब पास की किस विश्वविद्यालय या बोर्ड से किस श्रेणी में ?

तकनीकी शिक्षा उपरोक्तानुसार विवरण

(4) क्या श्रीरामकिशोर रेंज आफीसर के विरुद्ध कोई शिकायतें थी ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या आदेश हुए ?

(5) क्या श्री रामकिशोर के लिये उच्चाधिकारी तथा जन मन्त्रालय ने यह आदेश दिया था कि इन्हे अलवर रेन्ज में नियुक्त न किया जाय।

(6) क्या वन मन्त्री महोदय ने इनके निलम्बन के भी आदेश दिये थे। यदि हां, तो किस कारण और उन आदेशों का क्या हुआ।

### उत्तर

(1) रेन्जर्स I श्रेणी सीधी भरती/ न्यूनतम योग्यता इन्टरमीजियट साईन्स व डी०डी०आर० (देहरादून से प्रशिक्षित रेन्जर)

### पदोन्नति

पांच वर्ष की क्षेत्रीय श्रेणी की निरन्तर सेवायें।

रेन्जर्स II श्रेणी :– पांच वर्ष की उप-क्षेत्रीय की निरन्तर सेवायें।

( वन मंत्री )

2. अभी श्री रामकिशोर है । ये दिनांक 1-4-56 को वनपाल के पद पर नियुक्त हुए। दिनांक 17-12-67 से रेन्जर द्वितीय श्रेणी पदोन्नत हुए ।

3. जी, हां । श्री राम किशोर दिनांक 17-5-69 से 15-10-69 तक तथा 2-8-70 से अब तक ।

योग्यता निम्न प्रकार है :-

शैक्षणिक शिक्षा :– परीक्षा पंजाब द्वितीय श्रेणी विश्वविद्यालय मेट्रिक 1946

| | | |
|---|---|---|
| तकनीकी – | वनपाल प्रशिक्षण 1956 | उच्च श्रेणी वनपाल प्रशिक्षणालय, अलवर |

4. जी हां । जांच करने पर एक शिकायत सही नहीं पाई गई। दो प्रकरणों में जांच जारी है जो मण्डल वन अधिकारी, जयपुर तथा मंडल वन अधिकारी, भरतपुर द्वारा की जा रही हैं।

5. जी नहीं। किन्तु अलवर रेन्ज के चार्ज से हटाये जाने का आदेश दिया था।

6. जी हां। अभद्र व्यवहार व रिश्वत लेने की शिकायत के कारण जांच करने पर शिकायत सही नहीं पाई गई। अतः मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

## टोडारायसिंह के तालाब

710. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडाराय सिंह): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोडाराय सिंह निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधीन कौन कौन से तालाब कहां कहां पर किस किस नाम से स्थित हैं तथा उन पर प्रत्येक में किस किस श्रेणी का कितना कितना स्टाफ नियुक्त है एवं उससे कितने कितने एकड़ की सिंचाई की जाती है ? ग्राम पंचायतवार उपरोक्त तालाबों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में किस किस तालाब पर कितनी कितनी धनराशि कब कब सन् 1967 से 1970 तक खर्च की ? ग्राम पंचायतवार प्रत्येक साल का प्रत्येक तालाब पर खर्च की गई धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3)क्या यह सही है कि ग्राम रामपुरा, ग्राम पंचायत बोटुन्दा तहसील टोडाराय सिंह के ग्राम वासियों ने एक दरख्वास्त सिंचाई विभाग के तालाब के केचमेन्ट ऐरिया के अंदर माटी नाला आदि के बारे में दी थी ? यदि हां, तो कब दी तथा उस पर आज दिन तक क्या कार्य किया गया है ?

### उत्तर

1. सूची संलग्न है।

2. सूची संलग्न है।

3. जी हां, इस बांध व फीडर को ठीक कराने के लिये तखमीना बना लिया गया है और तखमीना की जांच हो रही है ?

इस बांध व फीडर के ठीक करने की मांग मार्च 1971 में प्राप्त हुई।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**नहरों में कातला लाईनिंग की स्वीकृति**

711. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिंचाई खण्ड बूंदी के लिये 1969-70 के बजट में नहरों में कातला लाईनिंग करने हेतु कितने की स्वीकृति दी ?

(2) सिंचाई विभाग द्वारा कितने की फरसी किस किस नहर पर डलाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) खरीद की गई फरसी को क्या उपयोग में ले लिया गया है ?

**उत्तर**

1. इस काम के लिए अलग से कोई राशि स्वीकृति नहीं हुई थी।

2. सूची 'अ' संलग्न है।

3. खरीदी गई फरसी का उपयोग सूची 'ब' के अनुसार विभिन्न कार्यों पर लाया गया।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

**स्कूटर्स का अलॉटमेंट**

712. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सन् 1967 से फरवरी, 1971 तक लेम्ब्रेटा व वैस्पा स्कूटरों के कोटे के 860 स्कूटर एलोट किये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन को ? कृपया नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**कर्मचारियों के पेन्शन के मामले**

713. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में आज तक कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेन्शन केस कब कब हुए ? इनमें से कितने केस कब कब तय कर दिये गए और कितने केस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए है ? कृपया सूची केसवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या मण्डल ने अवधि निर्धारित की हुई है जिसके अन्दर अन्दर प्रत्येक कर्मचारी के पेन्शन का केस तय हो जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) पेन्शन के पेंन्डिग केसों को तय करने के लिए क्या मण्डल अब कोई तारीख निश्चित करने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो कौनसी ?

**उत्तर**

1. उपलब्ध जानकारी के अनुसार पेन्शन के कुल 449 केसेज हुए जिनके बारे में वांछित सूचना देते हुए सूची संदन को मेज पर रख दी गई है। पेन्शन केसेज के तय किये जाने की पूर्ण जानकारी विद्युत मण्डल में

(विद्युत मंत्री)

उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रत्येक केस में सरकार द्वारा स्वीकृति महालेखाकार के कार्यालय में भेजी जाती हैं जहां से पी. पी. ओ./जी. पी. ओ., जारी किया जाता है। जिनकी सूचना महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मण्डल को नहीं भेजी जाती। पेन्शन केसेज को निपटाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 437 केसेज में सुपरन्यूमररी पदों का सृजन किया जा चुका है जिनमें या तो महालेखाकार कार्यालय फाईनल पी. पी. ओ./जी. पी. ओ. जारी कर दिये गये हैं या कुछ में करने हैं। इन केसेज में विद्युत मण्डल को कुछ भी नहीं करना है तथा ये मण्डल की ओर से तय बराबर ही हैं। जितनी भी जानकारी विद्युत मण्डल में उपलब्ध हो सकी है उसके आधार पर संलग्न सूची तैयार की गई है, जिसके अनुसार 215 केसेज तय किये जा चुके हैं। सम्भवत: इनके अतिरिक्त अन्य कई और मामले भी तय हो गये होंगे जिनकी पूर्ण जानकारी महालेखाकार कार्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए।

2. यद्यपि विद्युत मण्डल ने इसके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की है, तथापि पेन्शन केसेज को शीघ्रातिशीघ्र निबटाने के लिए मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में केवल इस ही कार्य के लिए अलग से एक कक्ष कायम कर रखा है, जो कि ऐसे मामलों को हर सम्भव तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी अविलम्ब तय कराने का प्रयत्न करता है।

3. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, पेन्शन के अधिकांश मामले तय किए जा चुके हैं तथा शेष मामलों में हर स्तर पर अविलम्ब कार्यवाही की जाती है ताकि इन्हें शीघ्रातिशीघ्र निबटाया जा सके।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

### बारां नगर का अस्पताल

714. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में अस्पताल शहर से दूरी पर स्थित होने के कारण व जनसंख्या आदि कई कारणों को देखते हुए एक अलग से डिस्पेन्सरी नगर के मध्य खोले जाने का निर्णय की सम्बन्धित मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि धर्मादा संस्था बारां ने डिस्पेन्सरी हेतु भवन आदि देने के लिए माह जनवरी-फरवरी. 71 के आस पास लिखित में मंत्री महोदय को दिया था।

यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

### छोई के पानी से फसलों को क्षति

715. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कि बरसात के समय प्रति वर्ष सिकराय में पांचोली व

(श्री किशन लाल वर्मा)

ठीकरीया पंचायत क्षेत्र में छोई का पानी सारे खेतों में भरकर सारी फसल को गला कर नष्ट कर देता है ?

(2) क्या सरकार ने इस छोई के पानी को रोकने के लिए कभी कोई सर्वे करवाई है? यदि करवाई है तो कब कब ? सर्वे कार्यों में सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ है और उसका क्या नतीजा रहा है ?

(3) क्या सरकार सर्वे के अनुसार इस पानी को रोकने के लिए कोई कार्य करनें पर विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब कराया जावेगा ? इस सम्बन्ध में सरकार की योजना है उसको कृपया सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

1. जी हां-लेकिन अधिक वर्षा आने पर ही ।

2. जी हां, सन् 1962 में पंचायत समिति द्वारा तथा 1965 में सिंचाई विभाग द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया । सिंचाई विभाग द्वारा करवाये गये सर्वे पर कुल 8047-68 पैसे खर्च हुए । अभी सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हुआ है ।

3. जी हां, योजना का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा होने पर एवं योजना स्वीकृत होने तथा आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा ।

**पंचायत समिति लाडनूं में ऋण की बकाया**

716. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में सरकार का ऋण बकाया है ? यदि हां, तो 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में कुल कितना ऋण उक्त समिति में सरकार का बकाया रहा है और वो ऋण किस किस कार्य के लिए दिया गया था ?

(2) उक्त ऋण जिस कार्य के लिए दिया गया था क्या यह उसी में खर्च किया गया था ?

(3) उक्त ऋण समिति से सरकार को कब वसूल करना था ?

(4) समितियों से ऋण वसूली करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(5) क्या उक्त ऋण वसूली के मामलों में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

1. जी हां । दिनांक 31 मार्च 1970 को कुल 4,48,042-83) रु० बकाया थे । वर्ष 70-71 में कृषि अल्पकालीन ऋण (खाद बीज) के 5,225-98 पैसे का आवंटन किया गया था । इस राशि का महालेखाकार के स्तर पर अभी तक मिलान नहीं हो पाया है । वर्ष 70-71 में इस पंचायत समिति ने ऋण पेटे जो राशि जमा कराई उसकी सूचना व मिलान भी अभी होना शेष है । जिस कार्य के लिये ऋण दिया गया उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

( पंचायत मंत्री )

2. ऋण जिस कार्य के लिये दिया गया था उसी में खर्च किया जाना बताया गया है।

3. पूरे ऋण की वसूली 1986 तक होती रहेगी।

4. समितियों से ऋण वसूली हेतु वार्षिक मांग पत्र सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा भेजे जाते हैं और जो राशि पंचायत समितियां ऋणियों से वसूल करती हैं उतनी ही राज्य सरकार को भुगतान कर देती है।

5. ऋण वसूली के मामले में इस पंचायत समिति की कोई अनियमितता राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

( कृपया परिशिष्ट 8 देखिये )

### अल्प पोषण आहार स्कीम

717. **श्री हरजीराम बुरड़क**(लाडनू): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अल्प पोषण आहार स्कीम किन किन पंचायत समितियों में कब कब से चालू है और इसके तहत पंचायत समितियों को क्या क्या खाद्यान दिये जाते हैं ?

(2) इस स्कीम में क्या क्या कार्य किया जाता है और इसका प्रशासकीय नियंत्रण किस विभाग का है ?

(3) इस योजना के तहत पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर को कब कब क्या क्या साधन व रुपये किस किस कार्य हेतु दिये गये और उनको किस किस कार्य में कब कब लगाये गये ?

(4) पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में उक्त योजना के तहत कौन कौन से कर्मचारी व अधिकारी कार्य कर रहे है तथा उनकी नियुक्ति कब कब किस किस के द्वारा की गई ?

(5) पंचायत समिति लाडनूं के क्षेत्र के लिए इस कार्यक्रम के लिए कोई निश्चित स्कीम बनाई गई हो, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) इस सम्बन्ध में जारी किये गये सरकारी आदेशों की प्रतियां भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) इस योजना के तहत मिली हुई जीप के उपयोग के बारे में निश्चित प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

1. अल्प पोषण आहार नाम से कोई योजना पंचायत समितियों में नहीं चल रही है, अपितु व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम 32 पंचायत समितियों में चल रहा है। जिन पंचायत समितियों में यह कार्यक्रम चल रहा है उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों को कोई खाद्यान्न नहीं दिये जाते हैं।

2. व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत (1) बागवानी (2) महिला मंडलों का गठन (3) मुर्गी पालन (4) मछली पालन व (5) नवयुवक मंडलों का गठन का कार्य किया जाता है। इस कार्यक्रम

( पंचायत एवं विकास मंत्री )

पर प्रशासकीय नियंत्रण सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग का है।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक महिला पोषाहार अधिकारी दिनांक 11-12-70 से व एक ड्राइवर दि० 15-2-71 से कार्य कर रहे हैं। महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी का निदेशक, प्रशिक्षण (पंचायती-राज) द्वारा स्थानान्तरण पर लगाया गया है व ड्राइवर की नियुक्ति पंचायत समिति की प्रशासन स्थायी समिति द्वारा की गई है।

(5) अलग से कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है। व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम के प्लान आफ ओपरेशन्स, जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है, के अन्तर्गत कार्यक्रम चलाया जाता है।

(6) विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) विभाग द्वारा जारी किये निर्देशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### सरपंच ग्राम पंचायत रानोली द्वारा रकम का दुरुपयोग

718 श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप जिला विकास अधिकारी सीकर द्वारा जांच के पश्चात् ता.20-11-67 के जरिये पत्र संख्या 4235 ग्राम पंचायत रानोली के सरपंच श्री हीरालाल को सचिव तथा चपरासी का वेतन चुकारा नहीं करने के लिए लिखा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त हुक्म के बावजूद सरपंच ने ग्राम पंचायत रानोली के सचिव तथा चपरासी को चुकारा कर दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि तारीख 17-7-62 को पंचायत कोष में से एडवान्स 300 रुपये सचिव को और 300 रुपये चपरासी को दिये गये ?

(4) क्या पंचायत अधिनियम में रुपया एडवान्स देने का नियम है ? यदि नहीं, तो एडवान्स रकम दी गई उस पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि सचिव ग्राम पंचायत, रानोली को ( श्री सीताराम ) 300 रु० कूप निर्माण हेतु और 400 रु० बैल क्रय हेतु पंचायत समिति, पिपराली से दिलाये गये थे ?

(6) क्या यह सही है कि श्री सीताराम सचिव के नाम कोई जमीन नहीं है ? अगर हां, तो झूठी वेरीफाई सरपंच द्वारा की जाकर रकम का दुरुपयोग के साथ ही पद का जो दुरुपयोग किया गया है उनके लिए संरपच के विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई गई तथा सचिव से रकम वसूल करने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही हैं ?

(स्थगित किया गया)

### प्राथमिक शालाओं की क्रमोन्नति

719. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील शिव, जिला बाड़मेर में ग्राम भीयाड़, जेसिंधर एवं हरसाणी में अभी तक उच्च प्राथमिक पाठशाला (मिडिल स्कूल) नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्रामों में जनता की मांग उच्च प्राथमिक पाठशाला (मिडिल स्कूल) खुलवाने की काफी अर्से से है ? अगर हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) राज्य सरकार उपरोक्त स्थानों में सन् 71-72 में उच्च प्राथमिक पाठशालाएं (मिडिल स्कूल) खोल कर जनता की वाजिब मांग की पूर्ति करेगी ?

#### उत्तर

(1) जी हां ।

(2) यह सही है । धनाभाव के कारण सम्भव न हो सका ।

(3) अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर इन पर भी विचार किया जायेगा ।

### बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण-प्राप्त अध्यापक

720. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को यह विदित है कि राज्य में बहुत से बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक बेकार बैठे हैं और उनको सेवाओं में नहीं लगाया जा सका है ? यदि हां, तो कितने और कब से बेकार हैं ?

(2) क्या अध्यापकों की जो नई नियुक्तियां स्थायी या अस्थाई हो रही हैं उन सब में पहले प्रशिक्षित अध्यापकों को अवसर दिया जा रहा है ?

(3) सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को कब तक सेवाओं में लगा दिया जायेगा ?

(4) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अध्यापक लगाने का जो सरकार का आदेश है उसका कहां तक पालन हो रहा है ?

#### उत्तर

(1) जी हां । विभाग में ऐसी सूचियां नहीं पायी जाती हैं ।

(2) जी हां । अध्यापकों को जो नयी नियुक्तियां, स्थायी या अस्थाई होती है उन पर जिला स्तर अधिकारियों द्वारा सबसे पहले प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्तियां दी जाती है ऐसा नियम में प्रावधान है ।

(3) जैसे जैसे नये पद सृजित होते रहेंगे ।

(4) प्रत्येक प्रति हस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को आदेश दिये जा चुके हैं । अप्रशिक्षित पद अमान्य ही समझे जाते हैं ।

### स्थगित प्रश्न

(27-4-71 व 10-5-71)

### पलाड़ा गांव की पाठशाला

501. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पलाड़ा तहसील नावां जिला नागौर के श्री उगमसिंह

(श्री विजयसिंह)

18 राजस्थान बटालियन एन. सी. सी., पाली में नियुक्त हैं, और उन्होंने भारतीय सैनिक होने के नाते पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, उस समय उनका पुत्र प्रतापसिंह उपरोक्त ग्राम की पाठशाला में पढ़ता था ?

(2) क्या यह सही है पलाड़ा के प्रधानाध्यापक उपरोक्त विद्यार्थी के पीछे ईर्षावश पड़ गये और उन्होंने पहिले उनको फेल कर दिया फिर स्कूल से बाहर निकाल दिया ?

(3) इस बच्चे को स्कूल से निकालने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि श्री उगमसिंह ने शिक्षा मंत्री का ध्यान इस बारे में बार बार दिलाया ? क्या शिक्षा मंत्री ने इस कार्य में कुछ किया ? यदि हां, तो क्या किया ?

### उत्तर

(1) पाठशाला के अभिलेखों के अनुसार श्री प्रतापसिंह पुत्र उगमसिंह निवासी पलाड़ा दिनांक 6-7-67 से दिनांक 8-4-69 तक प्राथमिक पाठशाला पलाड़ा का विद्यार्थी था।

(2) छात्र को पहले फेल करके फिर विद्यालय से नहीं निकाला गया। अपितु परीक्षा प्रारम्भ होने से 20 दिन पूर्व छात्र का नाम उपस्थिति पंजिका से काट दिया जाना पाया जाता है।

(3) अनुशासनहीनता के कारण पाठशाला से निकाला गया था।

(4) शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई।

### स्थगित प्रश्न

( 3-5-71 व 10-5-71 )

### टौंक जिले के सरपंचों पर बकाया

564. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) टौंक जिले की किन किन पंचायतों में किस किस प्रकार की सरकारी बकाया कब से बाकी है ? पंचायत समितिवार, नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) टौंक जिले के किस किस सरपंच पर गबन, लापरवाही, पद के दुरुपयोग के कितने मामले विचाराधीन हैं और उन पर क्या क्या कार्यवाही कहां कहां की जा रही है ? सरपंचों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

### उत्तर

(1) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

( सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई )

स्थगित प्रश्न

(4-5-71)

सरकार द्वारा गुवार की निकासी के परमिट

590. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सन् 1967-68, 1968-69 एवं 1969-70 में गुवार की निकासी हेतु परमिट दिए थे ?

(2) यदि हां, तो किस किस पार्टी को किस किस स्थान के कितनी तादाद के किस किस तारीख को परमिट दिए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान से बाहर जाने पर पशु चारे की निकासी पर सरकार ने पाबन्दी लगा रखी है ?

( स्थगित किया गया )

स्थगित-प्रश्न

(5-5-71)

जिला बून्दी के ग्राम में चम्बल से सिंचाई

615. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बूंदी की कौन कौन सी तहसील के कितने कितने गांवों में चम्बल से सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन गावों में चम्बल की नहर निकलने के बाद अब तक उससे सिंचाई नहीं हुई है वे भी कमाण्ड एरिया में सम्मिलित किये हुए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी तहसीलों के कितने कितने गांव ऐसे हैं ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त प्रकार के गांवों को कमान्ड एरिया से बाहर घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी की बूंदी एवं केशवराय पाटन तहसील के 141 एवं 136 क्रमशः गांवों में चम्बल बाईं मुख्य नहर सिस्टम से सिंचाई होती है।

(2) जी हां, सूची संलग्न है।

(3) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्थगित-प्रश्न

(5-5-71)

उमरेही क्षेत्र में पानी की व्यवस्था

618. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि शाहबाद तहसील के उमरेही क्षेत्र में पीने के पानी के कुए नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उस क्षेत्र के गांवों में कुए खुदवाने की योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार ने ग्रामीण पेय जल योजना बनाई हैं ? यदि हां, तो उस योजना में यह क्षेत्र आता है या नहीं ?

(विकास मन्त्री)

उत्तर

1. जी हां। कुए खुदवाने की योजना है।

2. ग्रामीण पेय जल योजना बनाई गई है। पंचायत समिति शाहबाद की वर्ष 70-71 में 25000/- रु० की राशि आवंटित की गई है। इस धनराशि में से 15000 अधूरे कुवों व 10,000 नये कुओं के लिए दी गई है। पंचायत समिति की कुल मांग 69000/- रु. की विकास अधिकारी द्वारा सूचित की गई है।

स्थगित-प्रश्न

(6-5-71)

जिला बून्दी में ओलावृष्टि से प्रभावित ग्राम

627. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में सन् 1969 से 1971 तक किस किस तहसील में ओलावृष्टि हुई और इससे कितने गांव प्रभावित हुए और उनमें से कौन कौन से गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जहां ओलावृष्टि हुई और जिन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया उन गांवों में अनुदान अथवा ऋण दिया गया था? यदि हां, तो किस किस गांव में कितने कितने व्यक्तियों को अनुदान व ऋण दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में वसूलियां स्थगित की गई थी? यदि हां, तो दूसरे वर्ष पूरी वसूली की गई या नहीं?

उत्तर

(1) इस जिले में वर्ष 1969 से 1971 के दरमियान केवल रबी 2026 में तहसील बून्दी के 28 तथा केशोरायपाटन के 31 गांवों में ओलावृष्टि हुई थी। उनमें से तहसील बून्दी के 10 गांव तथा केशोराय पाटन के 14 गांव राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित किये गये थे। तहसील हिण्डोली में 2 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए थे परन्तु यह गांव 50 प्रतिशत से कम खराबी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये। प्रभावित एवं घोषित गांवों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अभावग्रस्त गांवों में जो ऋण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां, राज्य सरकार के वायरलेस से प्राप्त आदेश दिनांक 16-3-70 व विज्ञप्ति संख्या 18040-46 दिनांक 29-6-70 के अनुसार अभावग्रस्त घोषित गांवों में भू-राजस्व की वसूली 30-9-70 तक निलम्बित रखी गई थी। इस वर्ष वसूली जारी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(10-5-71)

ग्राम पचायत कठूमर द्वारा प्लाटों का बेचान

657. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कठूमर ग्राम पंचायत ने गत 5 वर्षों में कितने आवासीय अथवा दुकानों के लिए

( श्री गंगा सहाय )

प्लाट बेचे हैं ? इन प्लॉटों के बेचान से पंचायत को कितनी आमदनी हुई है ? इस रकम को कहां जमा कराया गया है तथा कब व उसमें से किस किस मद पर खर्च किया गया है ? क्या इस समय पंचायत कोष में कुछ रकम बाकी है ? यदि हां, तो कितनी ?

( स्थगित किया गया )

### स्थगित प्रश्न

( 10-5-71 )

### सवाई माधोपुर जिले में मत्स्य पालन कार्य

659. श्री हरिवल्लभ शर्मा ( सवाई माधोपुर ) : क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर पौष्टिक पदार्थ वितरण एवं मत्स्य पालन कार्यालय स्थापित हैं ? यदि हां, तो कब से और इस पर 31 मार्च सन् 71 तक क्या व्यय हुआ है ?

(2) उक्त कार्यालय द्वारा अब तक कितना मत्स्य पालन किस किस बंधे में किया और किस किस किस्म का कितना पौष्टिक पदार्थ अब तक किस किस पंचायत समिति में वितरित किया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस कार्यालय पर हुए व्यय को देखते हुए इसके द्वारा किया गया कार्य नगण्य है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

( स्थगित किया गया )

### स्थगित प्रश्न

(10-5-71)

### जनसेवा आयोग द्वारा अयोग्य माने गये डाक्टर की नियुक्ति

644. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि डा. के. एम. लोढ़ा सी. ए. एस. जोधपुर को अतीत प्रभाव से सी. ए. एस. क्लास के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? कृपया इस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही हैं कि श्री के. एम. लोढ़ा को इस पद के लिए जन सेवा आयोग द्वारा अयोग्य माना गया था ? यदि हां, तो कब ?

(ग) इस अतीत प्रभावी आज्ञा के कारण श्री के. एम. लोढ़ा को कितना अतिरिक्त भत्ता व वेतन देय होगा ?

(घ) क्या यह सही है कि वित्त आयुक्त ने उपरोक्त नियुक्ति का विरोध किया है ?

### उत्तर

(क) जी हां, दिनांक 1-8-51 से 27-4-54 तक राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 17 (372) चि० स्था। 62 दिनांक 16-9-69 द्वारा अस्थाई नियुक्ति की गई है (आदेश की

( चिकित्सा मन्त्री )

प्रतिलिपि संलग्न हैं) । डॉ. लोढ़ा के इस प्रतिवेदन पर कि वे नियमानुसार सी.ए.एस. क्लास 1 के पद के लिए योग्य थे, विभाग द्वारा विचार कर वित्त विभाग की सहमति के अनुसार उन्हें 1951 से 1954 की अवधि में सी.ए.एस. क्लास 1 के पद पर अस्थाई रूप से अतीत प्रभाव से नियुक्त किया गया। क्योंकि इस अवधि में एक पद सी. ए. एस. क्लास 1 का बराबर रिक्त रहा था वह उनके इस पद के योग्य होने के कारण वे उस पर अस्थाई रूप से लगाये भी जा सकते थे ।

(ख) जी हां, दिनांक 23-1-53 को जो सूची सी.ए.एस. क्लास 1 की जन सेवा आयोग से आई उन में डाक्टर लोढ़ा का नाम नहीं था किन्तु ये इस पद के लिए योग्यता रखते थे, डा. लोढ़ा जिस समय उनका चयन आयोग द्वारा होना था, सी. ए. एस. क्लास 2 के पद पर थे यदि वह अन्य उम्मीदवारों के भांति सी. ए. एस. क्लास 1 के पद पर अस्थाई या एडहाक रूप से कार्य करते होते तो यह सम्भावना थी कि ये आयोग द्वारा चयनित कर दिये जाते। इसी आधार पर उन्होंने अपना प्रतिवेदन भी दिया है जिस पर विचार करने पर ही उक्त निर्णय लिया गया है । इन्हीं के समान योग्यता व अनुभव रखने वाले डा. अचलमल सिंघवी के मामले में भी उनको सन् 1951 में सी.ए.एस. माना गया है और इसी आधार पर इनके मामले में उपरोक्त आदेश हुए हैं।

(ग) डा० लोढ़ा द्वारा अभी तक एरियर की रकम नहीं उठाया जाना महालेखाकार के कार्यालय से मौखिक जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ है। इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी महालेखाकार से मांगी जा रही है। सन् 1951 से 1956 के बीच सी. ए. एस. के दो ग्रेड्स सी. ए. एस. क्लास 1 व सी.ए.एस. क्लास 2 से जिनकी वेतन शृंखला इस प्रकार थी :

(1) सी.ए.एस. क्लास-1-250-25-400 ई.बी. 25-500

(2) सी. ए. एस. क्लास-2-150-10-250-ई० बी०-10-300 ।

डा० लोढ़ा 1951 से सी.ए.एस.क्लास2 की वेतन शृंखला में थे, ऐसी स्थिति में 1951 में उन्हें सी. ए. एस. क्लास 1 की वेतन शृंखला में फिक्स किये जाने पर 100 रु० प्रति माह से ज्यादा का लाभ होना सम्भव नहीं है । 1951-54 तक के 4 वर्षों के लिए उन्हें अधिक से अधिक 500 रुपये की कुल धनराशि बकाया के रूप में मिलने की सम्भावना है। यह राशि वेतनमानों के फर्क के आधार पर अनुमानित हैं। निश्चित राशि इससे कुछ कम ज्यादा भी हो सकती है। जिसकी अभी जानकारी नहीं है।

(घ) प्रारम्भ में वित्त आयुक्त ने इस विभाग की टिप्पणी पर कुछ और जानकारी चाही थी, एतराज भी उठाये थे किन्तु स्पष्टीकरण दिये जाने पर तथ्यों पर स्पष्टीकरण पर पुनः विचार कर उन्होंने सहमति दी है जिसके बाद ही उक्त आदेश निकाला गया है।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा ने तहसीलदार

( श्री अध्यक्ष )

हिन्डौली द्वारा पेटा तालाब गुड़ा बान्ध की आवंटित भूमि से काश्तकारों को बेदखल किये जाने, उनकी फसल को जब्त करने तथा लगान का 30 गुना वसूल किये जाने के फैसले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित दो पेंडिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(1) कोटा ओरियन्टल पावर केबिल्स फैक्ट्री के मजदूरों की छंटनी के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री श्रवणलाल, श्री किशनलाल शाह, श्री केशरीसिंह हाड़ा व श्री लक्ष्मण तानीवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन, निगम एवं सरकार द्वारा श्रम न्यायाधिकरण के फैसले पर अमल नहीं किये जाने से मजदूरों में असन्तोष के बारे में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष गंगानगर जिले की मंडियों में और विशेष कर पदमपुर मन्डी में मैक्सिकन गेहूं प्रति क्विन्टल निर्धारित कीमत से कम कीमत पर खरीदा जा रहा है जिससे काश्तकारों में असन्तोष व्याप्त है।

गेहूं की कम कीमत पर खरीद के सम्बन्ध में अन्य कई माननीय सदस्यों से भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि गेहूं की कम कीमत पर खरीदी के सम्बन्ध में माननीय खाद्य मंत्रीजी स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य। सरदारशहर तहसील के ग्राम देगा में आग लगने तथा सरकारी सहायता दी जाने सम्बन्धी मामले पर राजस्व मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कोटा की एक फैक्ट्री के लिये दिया था और उस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, उस फैक्ट्री के अन्दर 50 से अधिक मजदूरों की छंटनी कर दी गई है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जानकारी होने पर ही निर्णय दूंगा।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : उस समय व्यवस्था दी थी माननीय उपाध्यक्ष जी ने, कि इस सम्बन्धित विषय के अन्दर मन्त्री महोदय शीघ्र ही वक्तव्य देंगे।

# Page No 40



**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न कैसे पैदा होता है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : यहां पर यह व्यवस्था दी गई है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय उपाध्यक्षजी से पूछ लूंगा और अगर उन्होंने कहा है तो उससे सहमति प्रकट करूंगा।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं'''

**श्री अध्यक्ष** : अब कोई निवेदन नहीं होगा माननीय सदस्य। मैंने निवेदन कर दिया है कि इस पर यदि माननीय उपाध्यक्षजी ने किसी प्रकार का निर्णय दिया है तो उससे मेरी सहमति होगी। फिर आगे कहा''''

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं जब तक निर्णय न दूंगा आप तब तक इस पर भाषण नहीं कर सकते।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : मैं बोलना नहीं चाहता, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आपका मतलब यह हुआ कि आज ही वक्तव्य दिलाया जाये।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर मजदूरों को रोज हटाया जा रहा है''''

**श्री अध्यक्ष** : विश्वास रक्खें, उपाध्यक्ष महोदय ने इस तरह से कहा है तो मैं उससे सहमति प्रकट करते हुए अपना निर्णय दे दूंगा।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : मैंने गंगानगर में चुकन्दर की फसल खराब हो रही है उसके सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया और उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जो व्यक्ति चुकन्दर की खेती करेगा'''

**श्री अध्यक्ष** : चुकन्दर के बारे में मैंने जानकारी ली है और वह अभी आई नहीं है। आने पर निर्णय दूंगा।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : चुकन्दर या छछूंन्दर ?

**श्री अध्यक्ष** : चुकन्दर।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : सारा प्रचार किया गया और लाखों रुपयों की फसल खड़ी है जो बर्बाद हो रही है। इसलिए इस सम्बन्ध में जल्दी ही वक्तव्य होना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : जल्दी मत करिये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और मैं यह स्वीकार करता हूं यह विलम्ब से दिया है। अध्यक्ष महोदय, संविधान की धाराओं के अन्तर्गत यह राज्य मन्त्रिमण्डल इस सदन के प्रति जिम्मेदार है ? अध्यक्ष महोदय, हम भी इस डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्ट एण्ड पारशल आफ गवर्नमेंट हैं। हमें खेद इस बात का है कि आज राज्य के प्रशासन में कांग्रेसी नेता हस्तक्षेप कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, यह एक बड़ा गम्भीर

# Page No 41



( श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल )

मसला है। आज हत्याओं का मामला, असामाजिक तत्वों के मामलों को किस प्रकार दबाया जा रहा है, उसके लिये किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को दबाया जा रहा है और गृह मन्त्री महोदय लाचार हैं, लाचारी महसूस कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले का जो मामला है और जिन मामलों में प्रदेश कांग्रेस के नेतागण हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो हत्या के मामले हैं, उसमें पुलिस की कार्यवाही को दबाया जा रहा है और असामाजिक तत्वों को कांग्रेस के नेतागण संरक्षण दे रहे हैं। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय एक आतंक का वातावरण बना रखा है और राज्य का प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। यह इम्पारटेन्ट मसला है और गम्भीर है। मैं समझता हूं कि इस गम्भीर मामले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कल की मीटिंग में जो कुछ हुआ है उसके समाचार समाचार पत्रों में आये हैं, जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उससे साफ है कि प्रदेश कांग्रेस के नेतागण राज्य के प्रशासन में अनुचितरूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हत्याओं के मामलों में राज्य के कई कांग्रेसजन उलझे हुए हैं····

श्री अध्यक्ष : यह अभी मेरे सामने आया है। मैं शीघ्र ही इस पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी उदारता है कि आपने विलम्ब से आने वाले स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में उदारतापूर्वक यह फर्माया है कि अभी अभी निर्णय दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी निर्णय दे दूंगा। यह नहीं कहा है। आज ही आया है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह सनसनीखेज मुद्दा है और यह संवैधानिक परम्पराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित है। इन परम्पराओं, व्यवस्थाओं पर आघात करने वाला मुद्दा माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखा है और विरोधी दल के सदस्य भी बार बार इस सदन में यह आरोप लगाते हैं कि प्रशासन में राजनैतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है···

श्री अध्यक्ष : मैं जब अपना निर्णय दे दूं तब आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषरूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जो आरोप इस सदन में लगाते हैं उनसे यह सरकार बराबर मुकरती रही है लेकिन अभी अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में यह मुद्दा बड़े उग्ररूप से मुखरित हुआ है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : वहां यह बात विशेषरूप से प्रकट हुई है···

श्री अध्यक्ष : आज इतनी तीव्रता और उग्रता क्यों ? माननीय सदस्य ?···

श्री दौलतराम सारण : इस प्रदेश के कुछ कांग्रेसी विधायक और सांसद प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं और हत्या, लूट, बलात्कार चोरी···

Page No 42



**श्री अध्यक्ष** : कृपया इस पर सविस्तार न बोलें। माननीय सदस्य। देखिये आप खुद समझते हैं। मैं यहां पर आसन पर बैठा हूं। स्थगन प्रस्ताव आज आया है...

**श्री दौलतराम सारण** : यह मैं समझता हूं। आपकी विवशता है। परन्तु यह समाचार उत्तेजनात्मक है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का है।...

**श्री अध्यक्ष** : आप स्थान ग्रहण करिये। मैं यह बता चुका हूं कि यथाशीघ्र ही मैं इस पर निर्णय दे दूंगा।

## सरदारशहर तहसील के ग्राम देगा में आग लगने के सम्बन्ध में मन्त्री द्वारा वक्तव्य

मन्त्री महोदय।

**उपमन्त्री राजस्व** (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, सरदारशहर तहसील के ग्राम देगा में दिनांक 2-5-71 को अचानक आग लग जाने के कारण कुल 20 व्यक्तियों को नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर प्रधान पंचायत समिति, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और तात्कालिक सहायता के रूप में तीन हरिजनों के परिवारों को 75/-75/- रुपया एवं 33-33 किलो बाजरी की सहायता दी गई। इसी तरह से दो सवर्ण परिवारों को 75/- 75/- रुपयों की सहायता स्वीकार की गई है। उपरोक्त सहायता मौके पर दी जा चुकी है। प्रभावित व्यक्तियों के नुकसान का अनुमान 17935/- रुपया प्राथमिकरूप में आंका गया है।

**श्री दौलतराम सारण** : बाजरा दिया 33 किलो और नुकसान हुआ 17 हजार, यह तो बड़ी उदारता है।

**श्री गंगाराम चौधरी** : जिलाधीश के पास आग पीड़ितों को सहायता देने हेतु 3000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिस में से उनको इन आग पीड़ितों को एवं ऐसे दूसरे लोगों को सहायता देने के लिये कहा गया है।

**श्री दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो तथ्य बतलाये हैं उनसे मेरी कोई असहमति नहीं हैं। मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि यह तात्कालिक सहायता दी गई है वह तो साधारणतया मेरे प्रस्ताव में भी उल्लेखित हैं। उसके बाद क्या समुचित व्यवस्था की गई है उसका कोई उल्लेख इस वक्तव्य में नहीं किया गया है जिलाधीश की जो सहायता दी गई है वह तो जानकारी है परन्तु वह सहायता तो एक जनरल सहायता के रूप में है। इसके अलावा आपने कोई मन्जूरी नहीं दी हैं, कोई व्यवस्था नहीं की है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है कि उनको और सहायता मिलेगी या नहीं।

**श्री रामकिशोर व्यास** (राजस्व मंत्री): मंत्री महोदय ने जो कहा है वह ठीक है। लेकिन बजट में इसके लिये एक लाख रुपया ही स्वीकृत किया गया है और यह लाख रुपया पॉपुलेशन बेसिस पर जरूरत के माफिक दिया जाता है। इसमें जितना भी दिया जा सकता था वह दे दिया गया है और 3000 रुपये की और राशि जिलाधीश को भेज रहे हैं और विशेष सहायता की जरूरत हो तो चीफ मिनिस्टर फन्ड से आप ले सकते

(श्री रामकिशोर व्यास)

हैं। इससे ज्यादा सहायता देना सम्भव नहीं है। हमारे पास जो बजट है उसके माफिक ही दिया है और दे दिया है। इस रिलीफ का मतलब है कि जो नुक्सान होता है उसके लिये तात्कालिक सहायता दी जाये। परन्तु जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको पूरा करना तो सम्भव नहीं है। इस राहत का मतलब यही है कि तुरन्त सहायता पहुंच जाये। नुक्सान हुआ है यह सही बात है परन्तु उस नुक्सान की पूर्ति गवर्नमेंट नहीं कर सकती है और यह सम्भव नहीं है और जैसा कि मैंने निवेदन किया है कुल इसके लिये एक लाख रुपया है और उस लिहाज से मिलेगा और मदद हो सकती है तो सी० एम० फण्ड से हो सकती है।

श्री दौलतराम सारण: वहां ऐसी स्थिति है जैसा मन्त्री महोदय ने कहा है कुछ हरिजनों के परिवार मौजूद नहीं थे और उनके मकान, कपड़े, बिस्तर, चारपाई सभी जल गए हैं। इसी तरह से सवर्णों के दो तीन परिवार थे जिनके सारे बर्तन वगैरह नष्ट हो गए अब उनके पास आश्रय का कोई स्थान नहीं है, न कपड़े हैं, न बर्तन हैं और न खाने पीने की कोई चीजें हैं। उनको तात्कालिक राहत 33 किलो बाजरी और 75 रुपया प्रति परिवार जो दिये गये हैं उसमें उन गरीबों का अध्यक्ष महोदय, क्या हो सकता है। दो चारपाई भी नहीं बनेगी। कपड़े, बर्तन सब उनके नष्ट हो गये हैं। विशेष प्रयास करके मदद दिलवायें। मैं हर्जाने की पूर्ति के लिए तो नहीं कहता लेकिन उनकी झोंपड़ी बन सके, कम से कम चारपाई खरीद सकें, बच्चों के लिए कुछ समय के लिये गुजारा कर सकें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये और कुछ विशेष व्यवस्था करानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: ग्राम खुड़ी, थाना डीडवाना, जिला नागौर के कुछ व्यक्तियों की दिनांक 5 अप्रेल, 1971 को मारपीट होने तथा इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के बारे में गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक निवेदन यह है कि यह प्रश्न श्री भैरोंसिह जी ने उठाया है और वे आज बम्बई गये हुए हैं। इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: स्थगित कर देता हूं।

अनुदानों की मांगों पर....मन्त्री महोदय

## अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं मांग सं० 25 मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,48,78,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष: मांग संख्या 35।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 35 मुख्य शीर्षक 76–अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री परसराम मदेरणा)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 79,94,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

( विराम )

## मांग संख्या 25 व 35 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

### मांग संख्या 25

श्री नन्दलाल बैरवा ( पाटन ) : 1. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जायं ( समाज कल्याण विभाग द्वारा व आदिमजातीय सेवा संघ द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये )।

2. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों, आदिवासियों पर होने वाले व्यय पर चर्चा के लिये )।

श्री हरिबल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): 3. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मीणा होस्टल सवाई माधोपुर में छात्रों की भर्ती में राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समिति की राय लिए बिना अनाधिकारी छात्रों को प्रवेश दिए जाने के आदेश देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए )।

4. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सवाई माधोपुर जिले के कस्बा बोंली के हरिजनों को, उनके आवेदन-पत्र गत वर्ष विभाग को प्रेषित किए जाने पर भी गृह निर्माण हेतु अभी तक अनुदान स्वीकृत न किए जाने पर चर्चा के लिए )।

5. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सवाई माधोपुर कस्बे में हरिजन होस्टल न खोले जाने से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

6. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतिकरण कराने में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिए)।

7. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सवाई माधोपुर कस्बे में 25% हरिजन आबादी होते हुए भी वहां समाज कल्याण केन्द्र न खोले जाने पर चर्चा के लिए )।

श्री गंगासहाय ( कठूमर ) : 8. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देने में विलम्ब, ऋण देने में भारी पक्षपात पर चर्चा के लिए )।

# Page No 45



श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): 9. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : 10. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग): 11. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्यों में उदासीनता बरती जा रही है एवं अव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा अनुमानित संस्थाओं के धन के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : 13. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कोटा द्वारा गन्दी बस्तियों के लिये योजना न बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, कोटा द्वारा प्रशासन पर फिजूल खर्ची व नियुक्तियों में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, कोटा द्वारा नाजायज ढंग से भूमि के विक्रय पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, कोटा द्वारा शोपिंग सेन्टर, नई धानमंडी, गुलाब बाड़ी, भीमगंज मंडी के विकास में की जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा लालकोठी स्कीम के लिए भूमि को अवाप्त कर अनुचितरूप से प्लाट रिलीज किए जाने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा लालकोठी स्कीम में प्रभावी व्यक्तियों को कृषि भूमि पर तामीर की इजाजत दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

19. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा बसन्त बिहार की भूमि का, एक प्रभावी व्यक्ति को, अनुचितरूप से उप विभाजन की स्वीकृति देने पर चर्चा के लिये )।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

20. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 38 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजस्थान प्रान्त में मेहतरों द्वारा सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा बंद करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये )।

21. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये बाड़मेर नगर में छात्रावास खोलने की जनता की वाजिब मांग को स्वीकृति देकर क्रियान्वित करने में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये )।

22. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बाड़मेर नगर के गाडोलिया लोहारों को बसाने के लिये भवन निर्माण में माकूल सहायता नहीं देने से उनमें तीव्र असन्तोष पर चर्चा के लिये )।

23. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बाड़मेर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बाड़मेर नगर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में पानी एवं बिजली की सुविधा के लिये योजना बनाने में निष्क्रियता एवं ढिलाई बरतने के कारण उन मोहल्लों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों में तीव्र असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये )।

24. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के बाड़मेर जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए सक्रिय कदम उठाने में उदासीनता एवं निष्क्रियता पर चर्चा के लिये )।

25. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मोहल्लों में बिजली एवं पानी की व्यवस्था के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर के नेहरू नगर मोहल्ले में स्थाईरूप से बसे हुए गाडोलिया लुहारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान देने में समाज कल्याण विभाग द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिए)।

27. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के

( श्री मनोहरसिंह मेहता )

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रावास अलग न खोलने, अन्य बस्तियों के साथ निवास के प्लाट देने, सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने, छात्रावासों पर पूर्ण नियंत्रण रखने शराबबन्दी के लिये विशेष कार्यक्रम रखने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

28. **श्री पी०के० चौधरी** (फुलेरा): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ रेनवाल में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

29. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशन पोल, जयपुर ) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

30. **श्री रावतराम** (छापर) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

31. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु दो हजार रुपये ऋण देने एवं पीने के पानी की समस्या के समाधान तथा राजकीय छात्रावासों में घोर अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

32. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा परिगणित, सिवाय मेहतरों को छोड़ कर, जाति के एक भी सदस्य को आवास गृह निर्माण हेतु अनुदान या ऋण नहीं दिया गया, इस पर चर्चा के लिये) ।

33. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( केकड़ी क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा परिगणित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

34. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में परिगणित जाति व जनजाति का छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

35. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसे बढ़ाने एवं एक मुश्त देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ) ।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

36. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा केकड़ी नगर में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पब्लिक स्वीकृतशुदा टैप अब तक नहीं लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

37. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में लघु उद्योगों को ऋण देकर प्रोत्साहित करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर कार्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

38. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के सही विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति नहीं देने व समय पर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये )।

39. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39 विविध समाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला समाज कल्याण विभाग,अजमेर ने केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के अनुसूचित जाति के सदस्यों को मकान बनाने के इच्छुक सदस्यों के फार्म प्रान्तीय कार्यालय में समय पर नहीं भेजे और एक भी सदस्य को ऋण व अनुदान नहीं दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :

40. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार व अव्यवस्था को रोकने में सरकार एकदम असफल रही है, सरकार की इस दुर्लक्षपूर्ण नीति का अननुमोदन )।

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) :

41. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामाजिक कुरीतियों के निवारण एवं विकासीय संगठन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

42. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्बलों (इन्फर्मस) को दी जाने वाली सहायता के लिए नागौर से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर स्वीकृतियां नहीं देने पर चर्चा के लिए )।

43. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकास संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों के लिए मकान बनाने के लिए सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिए ।)

44. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियों में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिए ।)

( श्री हरजीराम बुरड़क )

45. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्राम जसवन्तगढ़ जिला नागौर में विभाग द्वारा हरिजन बस्ती के लिए दिये गए ऋण व अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए। )

46. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कुचेरा में हरिजन बस्ती के लिए दिये गये रुपयों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए।)

47. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय छात्रावास लाडनूं के लिए किराये के भवन का फर्जी असेसमेन्ट करवाने तथा ज्यादा किराया देना और एक मंजिले मकान को दो मंजिला बताकर किराया बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) :

48. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को निर्धारित नीति के अनुसार प्लाट्स आवंटित न किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में हरिजनों को एवं आदिवासियों को मकान सहायतार्थ कोई धनराशि न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय के गीजगढ़, सिकन्दरा एवं मानपुर में हरिजन एवं आदिवासियों की बस्ती विकसित किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(समाजवाद की सफलता के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में अधिक पैसा विकास के लिए व्यय किए जाने हेतु चर्चा के लिये)

52. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति के क्षेत्रों में विकास की योजनाएं चालू किए जाने पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास सुचारू रूप से नहीं चलाए जाने पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मीणा सेवा संघ,

Page No 50



( श्री किशनलाल वर्मा )

जयपुर के छात्रावास के लिए नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा जमीन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर न्यास द्वारा छोटे व गरीब आदमियों के प्लाट्स आवन्टन न कर बड़े व धनी आदमियों को नियम विरुद्ध प्लाट्स आवन्टन किये जाने पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास, जयपुर, द्वारा एक स्कीम से दूसरी स्कीम में प्लाट बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के विनिमय किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास, जयपुर, द्वारा न्याय व नियम के विरुद्ध प्लाट्स आवन्टन किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास, जयपुर, द्वारा प्लाट्स के आवन्टन में होने वाली धांधली व पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी सर्विसेज में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को रिजर्वेशन के कोटे के अनुसार नौकरियां न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : 60. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत माँग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च न्यायिक सेवाओं में भी अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा सुरक्षित सीटें न रखवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अनुसूचित जाति, जन जाति व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आवास व पीने के पानी की समस्या हल करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़ी जातियों और विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा कारगर योजना न बनाने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली जातियों का उत्थान न करने की शिकायत पर चर्चा के लिये)।

Page No 51



( श्री शंकरलाल )

64. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति समाप्त न कर सकने की शिकायत पर चर्चा के लिये)।

**श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :**

65. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे बारां, किशनगंज व अटरू छात्रावासों में छात्रों को खाने के लिए मिलने वाले खाद्यान्न में मिलावट व उनकी व्यवस्था में चल रही धांधली पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र में हरिजन कोलोनी निर्माण हेतु करीब 7–8 वर्ष पूर्व दिए गए धन को वापिस ले लिये जाने के बाद पुनः नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे बारां के छात्रावास भवन की दुर्दशा एवं छात्रों के लिए बिजली व पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने एवं छात्रों की संख्या कम होने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा गृह निर्माण हेतु सन् 71–72 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दिये गए ऋण व अनुदान में प्रत्येक जिले में प्रत्येक जाति के परिवारों को अनुपात के आधार पर नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को गृह निर्माण हेतु सन् 69–70, 70–71, व 71–72 में दिए गए अनुदान व ऋण में हुए पक्षपात, भ्रष्टाचार एवं राजनैतिक कारणों पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बारां के अनुसूचित जाति के कोली, मेहतर, रेगर व खटीक बैरवा, चमार जाति के निर्धन परिवारों को धंधों के लिए तथा मकान बनाने हेतु अनुदान व कर्जा नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू में अन्धे लड़कों के स्कूल को उचित आर्थिक सहायता नहीं देना व प्रशिक्षित लड़कों को योग्य नौकरी व सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

( श्री देवीदत्त गाड़िया )

दिया जाय (अनुसूचित जाति के एक उप-मंत्री के भाई व रिश्तेदारों को गलत ढंग से करीब दो वर्ष में मकान बनाने के नाम पर दिए गए अनुदान व ऋण में हुए पक्षपात आदि पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों की पैरवी हेतु सहायतार्थ विभिन्न जिलों में माहवारी वेतन पर विभाग द्वारा वकीलों की की गई नियुक्तियों में चल रहे पक्षपात व भ्रष्टाचार तथा मुकदमों की पैरवी ठीक तरह नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए )।

74. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बारां नगर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में बिजली लगाए जाने हेतु राजस्थान विद्युत मण्डल, बारां के सहायक अभियन्ता कार्यालय द्वारा किए गए धन के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार तथा निर्धारित मोहल्लों में बिजली नहीं लगाकर अन्यत्र मोहल्लों में बिजली लगाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए )।

75. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( छबड़ा में सांसी कंजरों के लिए बनाई गई कोलोनी में हुए भ्रष्टाचार एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई जांच रिपोर्ट दबाये जाने तथा कोलोनी की दुर्दशा पर चर्चा के लिए )।

76. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( तहसील किशनगंज एवं शाहबाद क्षेत्रों में अनुसूचित एवं आदिवासी सहरिया जाति के लोगों की भूमियों को सिंचाई के लिए बनाए गए बांधों, एनीकट्स एवं तालाबों की बड़े 2 भूमिपतियों आदि द्वारा दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिए )।

77. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में सहरिया जाति के लोगों के लिए बनाई गई शुभधरा, खुशालपुरा एवं पेनावदा कोलोनी के निर्माण एवं उनमें बसाए गए सहरिया परिवारों को दी गई कृषि भूमि एवं उसमें खेती के लिए खुदवाए गए कुओं में भारी भ्रष्टाचार एवं उनमें पानी के अभाव आदि पर चर्चा के लिए )।

78. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा विकास के नाम पर गरीब किसानों की जमीनों पर मुआवजा देकर, अवाप्त करना किन्तु जिस निमित्त जमीनें ली गई उनका उस प्रयोजन हेतु प्रयोग न होने पर चर्चा के लिए )।

79. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कर दिया जाय (जयपुर, कोटा नगर विकास न्यासों में बड़े 2 व्यक्तियों को प्लाट्स आवंटन आदि में तथा निर्माण की इजाजत देने में फैल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

80. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र में सन् 1957 व 1967 में आई भयंकर बाढ़ की रोकथाम के लिए न्यास द्वारा अभी तक कोई योजना नहीं बनाने के कारणों की, की गई जांच रिपोर्ट पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं एवं नगर-विकास न्यासों के बीच अधिकारों के लिए चल रहे विवाद पर चर्चा के लिए)।

82. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका क्षेत्र में नगर न्यास बनाए जाने की सरकारी स्पष्ट नीति नहीं होने एवं राजनैतिक आधार पर गठन कर राजनैतिक नेताओं को नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष बना देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

83. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर विकास न्यास के भूतपूर्व सचिव को नगर विकास न्यास द्वारा पुरस्कार स्वरूप प्लाट व नगदी सोने का मैडल देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास, जयपुर जोधपुर, कोटा, हिण्डौन, चित्तौड़ व उदयपुर आदि में प्लाट्स के आवंटन व नीलामी में चल रहे पक्षपात व भ्रष्टाचार तथा एक नीति निर्धारित नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए)।

85. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रिलीफ एण्ड रिहेबिलिटेशन विभाग द्वारा आनन्द आश्रम, राजापार्क, सिन्धी कालोनी, जयपुर में आवासीय क्वाटर्स आवन्टन में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

86. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम को अभी तक पूरा नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में राज्य की राजधानी होते हुए भी, पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन सम्बन्धी समुचित व्यवस्था एवं उस हेतु वांछित सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए)।

( श्रीदिग्विजय सिंह )

88. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बढ़ते हुए पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए एक बोर्ड का गठन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

89. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेडा): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों एवम् पिछड़ी जातियों के कल्याण कार्यों पर व्यय को जाने वाली राशियों की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामाजिक एवं नैतिक आचार तथा पश्चात्वर्ती सेवाओं पर व्यय की जाने वाली राशियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेरी विकास तथा दुग्ध वितरण योजना की असफलता पर चर्चा के लिए)।

92. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (टोंक): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटक संगठन द्वारा पर्यटकों को सुविधा ठीक प्रकार से प्रदान न करने पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 35**

93. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 76– अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभि-हस्तांकन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं व पंचायत समितियों को दी गई क्षतिपूर्ति बहुत कम होने व इस कारण उक्त संस्थाओं का कार्य सुचारु रूप से न चलने पर चर्चा के लिए)।

## अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोयल।

( विराम )

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय……(विराम)

**श्री अध्यक्ष** : हां साहब। ( विराम ) एक दो बार अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय तो बोल दीजिए ताकि……

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उनमें मैं अपने विचार सदन के सामने अधिकांशत: यू० आई० टी०, जयपुर को सामने रखते हुये पेश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जयपुर का विकास जिस गति से होना चाहिये था और जयपुर के वे लोग जो आज गन्दी बस्तियों में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको योजना के माध्यम से…. अध्यक्ष महोदय, यह कटौती प्रस्ताव रखा है किसका करूं••• ( विराम )

**श्री अध्यक्ष:** मैं जानकारी ले लेता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : किस किस मंत्री की कौन कौन सी डिमान्ड है ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं व्यवस्था कर रहा हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इसका जवाब कौन देगा ?

( विराम )

**श्री अध्यक्ष** : यू०आई०टी० की जो डिमान्ड है वह गलत से सरक्यूलेट हो गई है। इसलिए यह कट मोशन गलत सरक्यूलेट हो गये हैं 35-71··· इसलिये मैं कल के लिये फिक्स-अप कर देता हूं। बाकी का···

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : यह कटौती प्रस्ताव कल होगा।

**श्री अध्यक्ष:** मैं इसको स्थगित करता हूं और जो आप बोलना चाहें तो ····

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : नहीं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री नन्द लाल बैरवा।

**श्री परसराम मदेरणा** (मंत्री, अकाल राहत): इसका मतलब मांग सं० 25 पर जो कट मोशन्स होंगे, वह ···

**श्री अध्यक्ष:** 35-76 other than.

**एक माननीय सदस्य** : क्या फर्मा रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष:** यू. आई. टी. की डिमान्ड पर जो कटौती के प्रस्ताव हैं ···

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : कल की डिमान्ड में मान लिये जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : हां। यह फिर से सरक्यूलेट हो जायेगा। श्री नन्द लाल बैरवा।

**श्री नन्द लाल बैरवा** (पाटन) : सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले राजस्थान में समाज कल्याण को सारे जिले में अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं लेकिन, सभापति महोदय ····

**श्री अध्यक्ष** : सभापति नहीं हूं अध्यक्ष हूं।

**श्री नन्दलाल बैरवा** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बूंदी जिले में गत वर्ष से ही समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय टौंक में स्थानान्तरित कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है समाज कल्याण मंत्री जी यह समझते हैं कि हमारे बूंदी जिले में आदिवासियों की समस्या समाप्त कर दी है। समाज कल्याण का कार्यालय न रखने का कारण ही यही है। जो भी आदिवासियों और हरिजनों की समस्यायें थीं, वे बूंदी जिले में समाप्त हो गई हैं। बहुत ही खेद का विषय है आज वहां के आदिवासियों की समस्या को लेकर उन लोगों को समाज कल्याण के दफ्तर तक पहुंचने तक के लिये कोई साधन नहीं है। क्योंकि टौंक काफी दूर है। आदिवासी हरिजन गरीब जनता है। वहां टौंक तक आने जाने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिये अभी सरकार के द्वारा यह नियम निकाला है कि कोई फार्म भरे, उसको दो हजार का कर्जा दिया जायगा। आज फार्म भी भर रखा है और उसमें यह भी प्रावधान कर रखा है कि समाज कल्याण अधिकारी को सिफारिश होनी चाहिये।

( श्री नन्दलाल बैरवा )

वहां पर रहने वाले लोगों को यह पता नहीं कि समाज कल्याण अधिकारी कहां है। बूंदी में पता लगाते हैं तो कोई समाज-कल्याण अधिकारी नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यदि आप बूंदी जिले में आदिवासी और हरिजनों की समस्या को मानकर चलते हैं तो बूंदी से जो टोंक में अधिकारी ले गये हैं तो उसका कार्यालय बूंदी में स्थापित करना चाहिए ताकि वहां के रहने वाले गरीब हरिजनों को लाभ मिल सके।

साथ ही साथ दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो आदिवासी छात्रावास और समाज कल्याण छात्रावास चल रहे हैं तो दोनों ही तरह के छात्रावास हमारे जिले में स्थापित हैं। आदिवासी छात्रावास भी है और समाज-कल्याण छात्रावास भी है। लेकिन समाज कल्याण छात्रावास में सरकार जो वहां के छात्रों को सुविधाएं देती हैं वह आदिवासी छात्रावास के छात्रों को नहीं मिलती है। उनको पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासी छात्रावास जो कि संस्थाओं की ओर से चल रहे हैं वहां पर जो छात्र रह रहे हैं उनको जिस प्रकार के साधन मिलने चाहिए, पढ़ाई के लिखाई के और हर प्रकार के खाने और पीने के, वे सुविधाएं बराबर नहीं मिल पाती हैं। उसके लिए उनको कहते हैं तो कहते हैं कि हम 50-60 पर्सेन्ट तक संस्था की ओर से करते हैं बाकी सहयोग छात्रों को करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब 15-15 मील के एरिया में छात्रावास होते हैं और उनमें एक समाज-कल्याण का और दूसरा आदिवासी तो समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में जो रहेगा छात्र उसको सारी सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती हैं और दूसरे छात्रावास यानि आदिवासी छात्रावास में जो संस्थाओं की ओर से चलाये जाते हैं वहां पर छात्र आधा पैसा अपने परिवार से लाते हैं और आधा सरकार देगी। यह बात अच्छी नहीं है। हरिजन हैं उनको तो सरकार की ओर से दिया जाय और दूसरे जो छात्रावास हैं आदिवासी संस्थाओं की ओर से चल रहे हैं। उनको नहीं। वहां पर छात्रों को आधा घर से लाकर देना पड़ता है। आज की स्थिति में दोनों में इस प्रकार का फर्क साथ-साथ नहीं चल सकता है। आदिवासी छात्रावासों को पूर्ण सहयोग सरकार को देना चाहिए। इस प्रकार का सहयोग नहीं देते हैं तो आदिवासी छात्रावासों को समाज-कल्याण छात्रावासों में परिवर्तित कर दिये जायं और सरकार ही उनको चलाये।

साथ साथ जो गांधी शताब्दि में यह नियम रखा है कि छात्रावासों में 50-50 पर्सेन्ट छात्र आदिवासी और हरिजन रहना चाहिए। आदिवासी छात्रावास होगा तो उसमें 50 पर्सेन्ट हरिजन जाति के छात्र रहेंगे और समाज कल्याण का होगा तो उसमें 50 पर्सेन्ट आदिवासी लोग रहेंगे, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में इस बात की बड़ी समस्या सामने आ रही है कि कोई आदिवासी छात्रावास है और वहां पर हरिजन छात्रों को रखते हैं तो आदिवासी छात्र इस बात के लिए कहते हैं

(श्री नन्दलाल बैरवा)

कि हरिजन हमारे बीच में नहीं रहने चाहिए यह समस्या हमारे सामने आ रही है। आदिवासी छात्रावास के लोग हरिजनों के प्रति छुआ-छूत को मानकर चलते हैं तो वे ऐसी संस्थाओं का संचालन करने में असमर्थ हैं। यह समस्या ऐसे लोगों के वहां रहने से होती है। यह समस्या कई स्थानों पर सामने आई है। मैं समाज कल्याण मंत्रीजी को आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां ऐसी समस्या है वहां पर जांच करके 50.50 पर्सेन्ट यानि बराबर बराबर की संख्या में आदिवासी और हरिजन छात्रों को आदिवासी छात्रावास और समाज कल्याण छात्रावासों में प्रवेश मिलना चाहिए। गत वर्ष कई छात्रों को इस प्रकार से प्रवेश नहीं मिल सका है। इस प्रकार की समस्या राजस्थान के अन्दर खुद राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा पैदा की गई है।

शहरों में तो समाज कल्याण विभाग का काम सराहनीय रहा लेकिन गांवों में अब भी समस्या बनी हुई है। गांवों में जाकर जितने भी माननीय सदस्य हैं और हम लोगों ने कहा कि गाँधी शताब्दी के अन्दर जो गरीब किसान और मजदूर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के हैं उनको सरकार ने काफी फायदा दिया है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, भूमि के अलाटमेंट के सवाल को ले लें, मकान के सवाल को ले लें, जिस प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए था उस प्रकार का लाभ समाज कल्याण विभाग से नहीं मिल पा रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि बूंदी जिले में चार पंचायत समितियां हैं उनके अन्दर क्या मंत्री महोदय यह बतला सकते हैं कि वहां पर बूंदी जिले के अन्दर हरिजनों के लिए पीने के पानी की समस्या नहीं हैं? लाखों रुपयों का बजट आपका मन्जूर होता है लेकिन बूंदी जिले के लिए पानी के नाम पर दो हजार दिये हैं। गांवों में हरिजनों को दूसरी जाति के लोग कुओं से पानी नहीं भरने देते हैं। उनको कुओं पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। आप कहते हैं कि हम कुओं के लिए पैसा देते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए दो हजार रुपया पीने के पानी के लिए दिया है पूरे कुए के लिए पैसा नहीं दिया है। इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, गांवों में पीने के पानी की समस्या है। हम कहते हैं कि शहरों में छुआ-छूत की समस्या का कुछ समाधान हुआ है लेकिन गांवों में यह समस्या बुरी है। जब आप पीने के पानी की सुविधा हरिजनों और आदिवासियों को नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं? इसलिए बराबर उनको कुए के लिए सहायता मिलनी चाहिए और समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जानी चाहिए। समाज कल्याण विभाग को यह पता नहीं है कि कौन से गांव में हरिजनों के लिए कुए से पानी लेने की सुविधा है और कौन से गांव में नहीं है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग का अधिकारी यदि वहां पर रहता है तो उसके पास इस प्रकार के कोई आंकड़े उस जिले के लिए नहीं होते हैं। न तो वह संबंधित विधायक से जाकर कान्टेक्ट करते हैं और न जिले में जाकर तलाश करते हैं और नोट करते हैं। समाज कल्याण विभाग जिन जिलों में खोला गया है वह काम नहीं करता है। हम बार-बार कहते हैं कि गांवों के अन्दर जो हरिजनों की समस्या है पीने के पानी की व दूसरी समस्याएं है उनका समाधान समाज

(श्री नन्दलाल बैरवा)

कल्याण विभाग किस प्रकार से नहीं करता है ? क्यों नहीं करता है ? इसका मुख्य कारण यह है कि समाज कल्याण विभाग में वे लोग बैठते हैं जो हरिजनों की सेवा नहीं करते । हम बार-बार इस बात के लिए कहते हैं। शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों की वे ही सेवा कर सकते हैं जो कि कम पढ़े लिखे और छोटी जाति के होंगे। पढ़े लिखे लोग किसी छोटी जाति के लोगों से बात करना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को जिलों में अधिकारी बनाकर भेजें......

**श्री रावतराम** : समाज कल्याण मंत्रीजी को आगे बैठाया जाय क्योंकि वे सुनते नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रमोशन पर बैठाया जाता है आगे।

**श्री रावतराम** : आज आज उनका प्रमोशन कर दिया जाय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वे खेतसिंह जी से तो सीनियर ही हैं। वे राज्य मंत्री हैं और खेतसिंहजी डिप्टी मिनिस्टर ही हैं।

**श्री नन्दलाल बैरवा** : समाज कल्याण विभाग के अन्दर इस प्रकार के अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए जो कि गांवों की जो गरीब जनता है उसकी वे सेवा कर सकें। समाज कल्याण विभाग ने शहरों में जरूर काम किया है लेकिन गांवों में नहीं किया है।

आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण के अन्दर गांवों की समस्याओं का हल नहीं हुआ है। न तो छुआ छूत की समस्या का हल किया है और न पानी की समस्या का हल किया है। समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ा विभाग है और लाखों और करोड़ों रुपया हरिजनों के काम में खर्च हो रहा है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है मैं उनमें से हूं जो कि गांवों में जाकर पूछता रहता हूं तो वह कहते हैं कि हम लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता है और हम लोगों के सामने इसकी बड़ी भारी समस्या है।

मैं एक दूसरी बात और निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर छुआछूत के मामले को ले लें। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी या सम्बन्धित अधिकारी ने कभी इस बात के लिए प्रयास नहीं किया। वहां पर जो प्याऊ है उन पर एक तरफ तो रामझारा मिलेगा और दूसरी तरफ नाली लगी हुई मिलेगी। उसका विरोध आज तक किसी समाज-कल्याण अधिकारी ने नहीं किया। छुआछूत का कानून बनाया हुआ है लेकिन न तो पुलिस ही और न समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उसकी पालना करायेंगे। क्यों नहीं करायेंगे ? इसलिए कि वे इस लायक नहीं हैं। इसलिए जो पुलिस को अधिकार दिया है अस्पृश्यता निवारण के कानून के अन्तर्गत आज सैकड़ों जगह नालियां लगी हुई हैं और इसके लिए पुलिस को जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस परवाह नहीं करती है। समाज कल्याण अधिकारी नहीं सुनें, पुलिस वाले नहीं सुनें और मंत्री महोदय को कहें कि इस प्रकार से अभी तक नालियां लगी हुई हैं तो वह कहते हैं कि हमने इतनी जगहों से हटा दी

( श्री नन्दलाल बैरवा )

हैं, इतनी तो नालियां पुलिस द्वारा और इतनी नालियां समाज कल्याण विभाग द्वारा हटाई गईं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी जगह से नहीं हटाई गई हैं। हरिजन या मेहतर नालियों से पानी पीयें और दूसरे लोग रामझारे से पीयें और फिर हम समाजवाद की बात करें लेकिन आज समाजवाद उन नालियों के द्वारा आयेगा क्या ? पुलिस वाले परवाह नहीं करते हैं और समाज कल्याण अधिकारी सुनें नहीं और फिर आज शहरों में देखिये जगह जगह आपको नालियां लगी हुई मिलेंगी। अब इस प्रकार से समाज कल्याण विभाग किस प्रकार से हमारा उद्धार कर सकता है और कैसे हरिजन लोग ऊपर उठ सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : शीघ्र समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री नन्दलाल बैरवा** : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की ओर से लाखों रुपया अनुदान में दिया जाता है और गांव के लोग नहीं समझते कि अनुदान क्या होता है। उनको तो यह मालूम है कि अनुदान एक प्रकार से कर्जा है। क्योंकि वे समझते नहीं हैं तो वे गांव वाले अनुदान के लिए पंचायतों में जायेंगे या किसी और जगह भी जायेंगे तो वे समझेंगे नहीं और सोचेंगे कि यह हमें वापिस करना पड़ेगा। लेकिन आज अनुदान केवल कागजों में रहता है। आज लोगों से अंगूठा जरूर करवा लिया जाता है लेकिन उनको अनुदान नहीं मिलता है और ऐसे उदाहरण हैं कई जगह के कि पंचायतों में से 500 रुपया अनुदान के दिये गये लेकिन उनको अनुदान नहीं मिला। अभी दो तीन साल पहले की बात है कि एक आदमी से अंगूठा और दस्तखत करा लिये और उसके बाद पता चला कि पैसा नहीं मिला और उस आदमी ने जब इधर उधर कहा तो फिर उसको वापिस दिये और उससे पीछा छुड़ाया। अनुदान हरिजन और आदिवासियों को मिलना चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य समाज कल्याण विभाग करेगा तो यह पैसा उन हरिजनों को मिलेगा और अगर विभाग इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो उनको यह रकम नहीं मिलने वाली।

( समय-समाप्ति-सूचक, घन्टी )

मैं यह मानकर चलता हूं कि अनुदान के नाम पर उसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है......

**श्री अध्यक्ष** : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

**श्री नन्दलाल बैरवा**: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और निवेदन करना चाहता हूं। जो समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है वह समय पर नहीं दी जाती और समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति नहीं दी जाकर शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मिडिल और प्राइमरी स्कूल में जो भी छात्रवृत्ति मिलती है वह समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही मिलनी चाहिए और शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि समाज कल्याण विभाग के द्वारा मिलने से गांव के लोगों को उसे प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ इस दिशा में मिल सकता है।

अंत में मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि बूंदी जिले के अन्दर जो समाज कल्याण विभाग अधिकारी का कार्यालय

( श्री नन्दलाल बैरवा )

था और उसको वहां से हटाया गया है उसको वहां फिर से स्थापित किया जाये और वहां पर बिजली की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, जमीनों की समस्या है और कई अनेक समस्यायें हैं उन समस्याओं को वहां जाकर हटाया जाये ।

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें । श्री दुर्गा-लाल बाढ़दार ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** ( हवामहल ) : अध्यक्ष महोदय, वह मांग तो रखी नहीं जिस पर मैं बोलना चाहता था और उसको तो आपने कल के लिए रख दिया, इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं तो उस पर ही बोलना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गंगासहाय ...

**श्री गंगासहाय** ( कठूमर-सु. ) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड पर बोलने से पहले एक बात जानना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हो सकी है कि उस पर विचार कब होगा । तो मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं ?

**श्री अध्यक्ष** : कब विचार होगा और कब तय होगा मैं निर्णय नहीं दे सकता । बोलिये ।

**श्री गंगासहाय** : मैं तो मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय के अधिकार में नहीं है ।

आप ( श्री गंगासहाय ) आरम्भ रखिये ।

**श्री गंगासहाय** : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं । बार-बार उन्होंने घोषणायें की हैं कि छात्रों को छात्रवृत्ति सत्र के आरम्भ होने के बाद ही मिल जायगी लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है और उनको बड़ी परेशानी होती है । गरीब छात्र हैं और उनको फीस जमा करानी पड़ती है, किताबें रखनी पड़ती हैं और ड्रैस भी बनानी पड़ती हैं, और कपड़े भी बनाने पड़ते हैं और सब कुछ करना पड़ता है और इससे उनको छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने के कारण बहुत कठिनाई होती है । वे पुस्तकें नहीं खरीद पाते, पढ़ नहीं पाते इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था कर कि छात्रों को छात्रवृत्ति आरम्भ में ही मिल जाये ।

दूसरे मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो रकम दी है उसमें भेदभाव बरता गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में सबसे ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा रकम दी गयी है और अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे कम रकम दी गयी है । मैं निवेदन करूंगा कि छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिये राशि दी है और जो छात्र पहले पैसा पा रहे थे उनको तो पैसा मिल चुका है लेकिन जिन छात्रों को पिछली बार नहीं मिल सकी थी या उससे पहले नहीं मिल सकी थी किसी भी कारण से वह आज भी इससे वंचित हो रहे हैं । नई छात्र-वृत्ति अलवर जिले में एक भी नहीं दी गयी है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप ध्यान दें । मैंने इन्सपेक्टर ऑफ

( श्री गंगा सहाय )

स्कूल्स से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने मांग भेजी है कि हमें छात्रवृत्ति के लिए पैसा दिया जाये लेकिन मार्च के अंतिम समय तक भी उनको रकम नहीं मिली और इस कारण से वे गरीब छात्र जो छात्रवृत्ति की आशा में थे वे उससे वंचित रहे।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कठूमर क्षेत्र आरम्भ से ही वंचित रहा है और उपेक्षित रहा है और वहां पर हरिजनों की बहुत आबादी है लेकिन आज तक पिछले बीस वर्षों में उस क्षेत्र को एक पैसा भी न सब्सिडी के रूप में दिया गया और न ऋण के रूप में दिया गया। इस वर्ष पिछली बार करीब 35-36 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र भिजवाये थे लेकिन हमें उत्तर मिला कि ब्याज मुक्त ऋण के प्रार्थना-पत्र देरी से प्राप्त हुए इसलिए स्वीकृति नहीं मिल सकी। इसलिए मुझे अध्यक्ष महोदय, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सूचना बिलकुल गलत है। वे प्रार्थना-पत्र समय पर आ चुके थे और समाज कल्याण मंत्री ने समय पर भेज दिये थे लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो व्यक्ति थे वे कमरे में जाकर बैठ गये और मैंने यह दो घण्टों तक तमाशा देखा है और मैंने भी मिलने के लिए इत्तला भिजवाई लेकिन नहीं बुलाया गया। बाहर बीकनेर, चुरू, जालोर, जैसलमेर के लोग आये हुए थे, वह कह रहे थे कि समाजवाद का बंटवारा माननीय मंत्री जी के कमरे में हो रहा है और मंत्री और उप-मंत्री बैठे हुए हैं और हमें बात करनी है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : जालोर के लोग कब आये थे जरा बता दें।

**श्री गंगासहाय** : मुझे मालूम है उस समय बैठे हुए थे।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : कौनसी तारीख को आये थे ?

**श्री दिग्विजयसिंह** : जालोर में आप ही हैं क्या ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मुझे मालूम है इसलिए पूछ रहा हूं।

**श्री गंगासहाय** : पूरे राजस्थान के लोग थे। करीब 50-60 लोग थे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आप आरम्भ रखिये।

**श्री गंगासहाय** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर लोग बैठे हुए थे। वे लोग कह रहे थे कि हम पहले तो आफिस में गए तो हमें कहा गया कि आप वहीं पर आ जाइये मैं विचार करूंगा। जो कुछ प्रभावशाली थे वे तो अन्दर चले गये, मंत्री और उप-मंत्री भी अन्दर गये और अन्दर समाजवाद की बातें करने लग गये और दूसरे लोग बाहर बैठे रहे। बाकी जो प्रभावशाली नहीं थे वे आखिर तक बैठ कर तमाशा देख कर चले गये। मैंने भी स्लिप भेजी थी लेकिन दो घन्टे तक मुझे अन्दर बुलाने का कष्ट नहीं किया...

**श्री अध्यक्ष** : आपने विधायक लिखा था क्या ?

**श्री गंगासहाय** : बिल्कुल लिखा था।

**श्री अध्यक्ष** : आरम्भ रखिये।

**श्री गंगासहाय**: मुझे नहीं बुलाया और मैं भी बैठ कर चला गया...

श्री रघुनाथ विश्नोई : दो घण्टे तक जोशीजी बाहर बैठायें यह समझ में नहीं आया हमारे।

श्री गंगासहाय : मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं।

श्री दुर्गालाल बाहदार : ये तो अपनी व्यक्तिगत घटना बता रहे हैं आप क्यों अविश्वास कर रहे हैं ?

श्री शंकरलाल : जो स्लिप भिजवाई वह पहुंच तो गयी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिन दिनों की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं उन दिनों में मुझे माइल्ड सा हार्ट का इफेक्ट था और मैं कन्फाइन्ड टू बैड था फिर भी मैंने चारपाई पर बैठ कर भी यह विचारा कि पैसा बचने से रह जाये और मैंने बीमारी की हालत में भी ग्यारह-ग्यारह बजे तक बैठ कर काम किया है।

श्री अध्यक्ष : यों तो आप कर्त्तव्यनिष्ठ हैं।

श्री गंगासहाय : वहां पर मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर थे वह पहले पहुंच गये और हमें पूछा तक नहीं गया और वह लड़े वहां जाकर कि आपको इतनी रकम देनी ही पड़ेगी और उन्होंने वह रकम मन्जूर की ! माननीय मंत्री महोदय, आज चाहे इस बात से इन्कार कर दें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कटूमर क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र रहा है और मेरा सुझाव है कि वहां पर इतनी आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है इसलिए वहां पर छात्रावास खोला जाये या जबरदस्त आपके पास कोई दण्डवत् करे तभी स्वीकार करेंगे ? आप हम लोगों की बड़ी उपेक्षा करते हैं, ये तो शोषित हैं शोषित रहे हैं और आज भी शोषित हैं और इसी का परिणाम है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की रिपोर्ट पर बहस करने की व्यवस्था आपने नहीं की। आपने क्यों नहीं इसके ऊपर निर्णय किया ? क्या इसी से आप समानता लायेंगे ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसके लिए समय निर्धारित करेगी। मैं नहीं कर सकता।

श्री गंगा सहाय : वह करेगी लेकिन आपका भी तो फर्ज है या नहीं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने फर्ज पूरा कर दिया है। मैंने सदन की मेज पर उस रिपोर्ट को रख दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री गंगा सहाय) आरम्भ रखिये।

श्री गंगासहाय : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं नौकरियों के बारे कहना चाहता हूं। यहां पर पहले भी बताया गया था कि चूंकि विज्ञापन तो होता नहीं और समाज कल्याण विभाग सूचना देता नहीं, और करते यह हैं कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मंगवा लेते हैं और नियुक्तियां कर लेते हैं और इस प्रकार से ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग वंचित रह जाते हैं। करते क्या हैं कि कुछ विभागों में लीव रिजर्व के रूप में अपाइन्टमेंट कर लेते हैं और फिर दूसरे स्थान पर उनका ट्रान्सफर कर लेते हैं और ट्रान्सफर दिखाकर पे उठा लेते हैं और वह

(श्री गंगासहाय)

पोस्ट फिल-अप कर लेते हैं और हरिजनों के ऊपर कुठाराघात होता है। मैंने निवेदन किया था कि समाज कल्याण विभाग में भी यही धांधली हो रही है और वही धांधली सब जगह चल रही है। ऐसे 2 भी उदाहरण हैं कि व्यक्ति मौजूद है अनुभवी है लेकिन उसको प्रमोशन नहीं दिया गया और अन्य आदमी को लेकर प्रतिबंध लगा दिया कि आपको इतने साल का एक्सपीरियेन्स नहीं। वहां पर पहले ही आदमी शिड्यूल्ड कास्ट्स का है, पोस्ट खाली है, एक्सपीरियेन्सड है तो क्यों नहीं उसको प्रमोशन दिया गया? आप ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं.... ...

**श्री अध्यक्ष :** अब दूसरा प्रश्न ले लीजिए।

**श्री गंगा सहाय :** आप लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और इसके सिवाय और दूसरी बात नहीं हो सकती और मुझे आश्चर्य होता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को रिजर्व में रखा जाता है और अपाइन्टमेंट नहीं दिया जाता है...

**श्री अध्यक्ष :** उदाहरणार्थ ?

**श्री गंगा सहाय :** आप कहें तो मैं लिखित में दे सकता हूं, लेकिन आप कार्य-वाही करेंगे क्या ? उन अधिकारियों के प्रति कार्यवाही करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष :** वह तो अनिवार्य है। आप लिखित में दें और कार्यवाही नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** जरूर होगी लेकिन आपने दिया नहीं है।

**श्री दौलतराम सारण :** आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाता है गजेटेड आफिसर्स को। आदेश की प्रतीक्षा में दो-दो वर्ष तक गजेटेड आफिसर्स को रखा जाता है, कार्यवाही नहीं की जाती है और बैठे बैठे तनख्वाह दी जाती है यह सही है क्या ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** इसका इस मामले से संबंध नहीं है।

**श्री दौलतराम सारण :** यह सही है या नहीं यह तो बतायें ? कितने हजार रुपये दे दिये बैठे बैठे यह तो बता दें ?

**श्री अध्यक्ष :** विश्राम में थे वे।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** हाईकोर्ट में रिट चल रही है। जिस पोस्ट के ऊपर लगाया था उसके लिए उन्होंने मना कर दिया।

**श्री दौलतराम सारण :** क्या हाई-कोर्ट यह कहता है कि उनको बैठे बैठे तनख्वाह दे दो ?

**श्री अध्यक्ष :** आप (श्री गंगा सहाय) आरम्भ रखिये।

**श्री गंगा सहाय :** इसी प्रकार से यू० आई० टी० अलवर के बारे में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों को प्लाट्स देने की बात थी और वह प्लाट्स नहीं दिये गये और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वहां पर भी प्लाट्स के देने में कितना भेदभाव बरता जाता है। दूसरे लोगों को तो एक-एक हजार वर्ग गज के प्लाट्स दिये जाते हैं और अनु-सूचित जाति के लोगों को 500 वर्ग के ही दिये गये, यह भेदभाव क्यों ? क्या वे रहना

(श्री गंगासहाय)

नहीं जानते हैं ? या उनकी योग्यता नहीं, है, या हैसियत नहीं है ? क्या कारण है कि यह भेदभाव रखा जाता है और हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को 164 वर्ग गज से लेकर 200 वर्ग गज के दिये जाते हैं और जब कि दूसरे लोगों को हजार-हजार वर्ग के प्लाट्स दिये जा रहे हैं, यह भेद भाव क्यों ? मेरा कहना है कि आप उनको भी बराबर के प्लाट्स दिलवायें, यदि आप समाजवाद लाना चाहते हैं और सही रूप से उनको बसाना चाहते हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि कठूमर क्षेत्र शुरू से ही रिजर्व सीट का रहा है इसलिए वहां पर छात्रावास खोला जाये। वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय दो हैं और बच्चों को दूर दूर से आना पड़ता है, वहां पर छात्र 5 मील से आते हैं और 5 मील जाते हैं और इस आने जाने में सारी शक्ति और समय बरबाद हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप वहां पर छात्रावास जरूर खोलें और साथ ही छात्रवृत्ति भी समय पर देने की व्यवस्था करें। वहां पर नयी छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है उसकी आप जांच करें और मैं निवेदन करूंगा कि उनके फण्ड्स बढ़ायें और भेदभाव नहीं करें। इन बातों का आप ध्यान रखें और कार्यवाही करें, यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा !

श्री किशनलाल वर्मा ( सिकराय-सु०): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले यू० आई० टी० के द्वारा जो प्लाट्स अलाट किये जा रहे हैं उसके संबंध में ध्यान आकर्षित करूंगा। अभी गांधी शताब्दी के अवसर पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 17 व्यक्तियों को जो प्लाट्स अलाट किये थे उसके बारे में निवेदन करता हूं कि उनको तो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिये हैं क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थे अगर उनमें किसी प्रकार की धांधली भी हुई क्योंकि जिनके नाम प्रायोरिटी में थे उनको प्लाट्स नहीं दिये और बहुत से लोगों को बाद में प्लाट्स दिये जिनमें प्रोसीजर को फोलो नहीं किया, तो प्रोसीजर के फोलो नहीं करने में तो यू० आई० टी० की गलती थी न कि उन लोगों की। यदि सदस्यों को बताया जाता तो उसी प्रकार से कार्यवाही की जाती।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़े बड़े आदमियों को जिनको नियमानुसार प्लाट्स अलाट नहीं होने चाहिए थे, उनको ऑक्शन में ही दिये जाने चाहिए लेकिन उनको भी दिये जा रहे हैं। जैसे चीफ सेक्रेटरी श्री जोरावर सिंहजी भाला के श्री उदयसिंहजी राठोड़, पुत्र श्री महाराज सिंहजी जो कि इनके बहनोई लगते हैं उनको अभी हाल ही में बहुत बड़ा प्लाट अलाट किया गया है। इसी प्रकार से दूसरे उनके रिश्तेदार श्री हरेन्द्र सिंह जी हैं उनको भी जनता कॉलोनी में सन् 70 में ही प्लाट अलाट किया, तीसरे भोपाल सिंह जी को जो कि इनके भाई हैं उनको टोंक रोड पर हजार गज का प्लाट दिया गया है ......

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह डिमाण्ड तो कल रखी है। यू. आई. टी. की कल रखी है।

श्री अध्यक्ष : कल पर रखा है। समाज कल्याण पर आ जाइये। आपका कोई कट-मोशन है समाज कल्याण के बारे में ?

श्री किशनलाल वर्मा : जी हां, है।

समाज कल्याण के बारे में एक तो मैं यह बात बताऊंगा कि सर्विसेज के अन्दर जो रिजर्वेशन रखा गया है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। उसके कई जगह आदेश नहीं गये हैं, और उसकी पूर्ति जनरल कोटा से की जाती है, और उनको नहीं लिया जाता है, और उनमें खामियां निकाल कर रोक दिया जाता है। इस प्रकार से रिजर्वेशन का जो कोटा निर्धारित किया गया है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि उसका पूर्ण रूप से पालन हो, और जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनको खासतौर से निर्देश दिये जायें और उनके खिलाफ कार्य-वाही की जाये। वे इसका पूर्ण रूप से पालन नही करते हैं और वह कोटा यों का यों ही रह जाता है और ये लोग सर्विसेज में जाने से वंचित रह जाते हैं।

दूसरे, मैं बताऊंगा कि तहसील सिकराय के हरिजनों को मकान सहायता के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया जबकि वहां के काफी हरिजनों की हालत बहुत खराब है और उनको मकान बनाने के लिए पैसा देना बहुत आवश्यक था, क्योंकि कई लोगों ने काफी दरख्वास्तें दी हुई हैं और उनकी हालत गिरी हुई है। मानपुरा के हरिजनों की दरख्वास्त थी, लवाण के हरिजनों की थी, गीजगढ़ और सिकन्दरा के कुछ लोगों की थी, लेकिन उनको कोई पैसा नहीं दिया गया, इसलिए मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

दूसरी तहसील सिकराय के कस्बे गीज-गढ़, सिकन्दरा, मानकपुरा और सिकराय की जो हरिजन बस्ती है उसमें कोई बिजली की व्यवस्था नहीं की गयी है जबकि और बस्तियों में कर दी गयी है। उसके लिए लट्ठे रिजर्व होकर गये थे फिर भी नहीं लगाये गये हैं और उनको बिजली से वंचित रखा गया है। इसके संबंध में समाज कल्याण विभाग का भी कई बार ध्यान आकर्षित किया गया कि वहां के लोगों की जो हरिजन बस्ती है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्ती है उसको बिजली दी जाये। उनको इससे वंचित नहीं रखा जाये, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। यह पैसा समाज कल्याण विभाग की तरफ से खर्च किया जाता है। यह खास तौर से पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्दर और खास तौर पर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का क्षेत्र है, उसमें खर्च होना चाहिए। लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। पैसा चाहे जहां पर खर्च कर दिया जाता है। उन क्षेत्र को मैं देखता हूं कि उनकी उपेक्षा की जाती है। मैं चाहता हूं कि यह क्षेत्र जो हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ऐसी योजनायें बनाई जायें जिन योज-नाओं के द्वारा वहां का पिछड़ापन दूर हो और उनका विकास हो। हरिजनों व आदि-वासियों की हालत सुधारने के लिए ऐसे काम किये जायं ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो। हम देखते हैं कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति वैसी की वैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा

(श्री किशनलाल वर्मा)

है। थोड़ा बहुत उनके लिए काम हो जाता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है।

तो एक तरफ हम समाजवाद की बात करते हैं, समान हक सबको देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उसके लिए जरूरी है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां आप बड़ी बड़ी योजनायें बनायें, और उनको कार्यान्वित करने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से प्रयत्न किया जाय, और ज्यादा से ज्यादा धनराशि वहां पर लगाई जाय, तभी उनका विकास हो सकता है और उनका पिछड़ापन दूर हो सकता है।

इसके अलावा जो छात्रावास चलाये जा रहे हैं, उनके बारे में मैंने जैसा पिछले टाइम बताया था, उनमें धांधली चलती है। वह बच्चों का पैसा होता है लेकिन उनको सामान अच्छा नहीं दिया जाता है। इन पर कंट्रोल अच्छी तरह से नहीं रखा जाता है इसलिए वहां ऐसी गड़बड़ी करते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से कार्यवाही की जाय। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होने के कारण वहां यह चीज चलती रहती है। इसका विद्यार्थियों पर असर पड़ता है, उनकी तन्दुरुस्ती पर असर पड़ता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके साथ ही मैं यह भी बताऊंगा...

**श्री अध्यक्ष :** मोदीजी ने कागज दिया है उस पर बोल लें।

**श्री बालसिंह सोढ़ा :** व्हिप इश्यू हो गया है मोदीजी का।

**श्री मदनसिंह :** मोदीजी ने कागज दिया है वह झूठा सिद्ध हुआ है, सी. एम. को दिया हुआ।

**श्री मोहनलाल मोदी :** ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष :** आरम्भ रखें।

**श्री किशनलाल वर्मा :** मैं बताना चाहता हूं कि कई जगह अनुदान दिया जाता है, वह ठीक तरह से नहीं दिया जाता है। ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जिनको आवश्यकता नहीं होती है और जिन लोगों को आवश्यकता होती है उनको मिलता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करके जिनकी हालत गिरी हुई है उनको दिया जाय, ताकि वास्तव में उनको लाभ हो।

इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, वह रिपोर्ट पेश की जाय। वह रिपोर्ट......

**श्री अध्यक्ष :** वह पेश कर दी गई है, सदन की मेज पर है, उस पर डिस्कशन के लिए बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। इसलिए इस प्रश्न को नहीं उठायें।

**श्री किशनलाल वर्मा :** बस, मुझे इतना ही कहना है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री दिग्विजयसिंह।

**श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा):** अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो लोन्स और अनुदान दिया जाता है, उस

(श्री दिग्विजयसिंह)

के सम्बन्ध में जो क्राइटेरिया है, कम से कम उसकी जानकारी, जो लोकल बॉडीज हैं, उनको अवश्य मिल जानी चाहिए कि आखिर किस प्रकार का क्राइटेरिया है और किन आधारों को लेकर आप लोन देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अमूमन जो समाज कल्याण विभाग द्वारा लोन दिया जाता है, वह फाइनेंशियल यिअर खत्म होने आता है, उस वक्त लोन देते हैं और वह लोन भूर के समान बांटते हैं। यह लोन का साल भर पहले से बजट में प्रावधान रखा जाता है, वह स्पेसिफिक लोन या अनुदान इस बात का होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज एरिया में नियमों के हिसाब से, बार्ड्स के हिसाब से लोन या अनुदान दें, वह उस प्रकार न देकर क्लोज आफ दी यिअर एण्ड ऑफ दी फाइनेंशियल यिअर में देते है। यह गलत है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा अभी माननीय सदस्य फर्मा रहे थे, इस साल जब साल खत्म होने को आ रहा था तब म्यूनिसिपैलिटीज को कुछ न कुछ लोन या अनुदान दिया जा रहा था। मैं भी उस समय उनियारा नगर पालिका के लिए हरिजन बस्ती के लिए, चूंकि वहां नल योजना चालू है, नल लगाने के लिए एस्टीमेट बना कर मिलने गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री ने इतना व्यस्त होते हुए, उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी मुझे अन्दर बुलाया...

**श्री अध्यक्ष :** आप प्रिविलेज्ड हैं।

**श्री दिग्विजय सिंह :** माननीय मोदी जी वहां मेरे पहले से थे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आप उच्च जाति से हैं।

**श्री दिग्विजय सिंह :** मोदी जी कौन सी जाति के हैं।

**श्री अध्यक्ष :** वह भी उच्च जाति के हैं।

**श्री दिग्विजय सिंह :** मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस समय मन्त्री महोदय से मैंने निवेदन किया कि वहां नल योजना चल रही है, वहां इस समय कार्य हो रहा है इसलिए इस समय यदि नगरपालिका को कुछ न कुछ अनुदान हरिजन कॉलोनी के लिए दे दें तो अच्छा रहेगा। आपने फर्माया कि आप एस्टीमेट बना कर ले आओ तो मैं कुछ न कुछ कार्यवाही कर सकता हूं।

सौभाग्य से नगरपालिका के अध्यक्ष आये हुए थे, उनके पास में एस्टीमेट था, उस एस्टीमेट को ले जा कर शाम को निवेदन किया कि एस्टीमेट मौजूद है, इस पर आप तुरन्त कार्यवाही करें। इस पर आपने फर्माया कि नगरपालिका के चेअरमैन की अन्डर टेकिंग जरूर होनी चाहिए कि जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर होगा, नल टूट जाय, कोई खराबी हो जाय तो नगर पालिका दुरुस्त करवायेगी, विभाग से पैसा नहीं मांगेगी। यह कार्यवाही करके भी मैं मन्त्री महोदय के पास ले गया। माननीय मन्त्रीजी अस्वस्थ थे, मैं समझता हूं कि मानसिक संतुलन भी मी ठीक नहीं चल रहा था...

**श्री अध्यक्ष :** क्या मतलब है आपका?

**श्री दिग्विजयसिंह :** ओवर बर्डन, ओवर वर्क उस प्रकार का था उस समय ...

# Page No 68



**श्री मोहनलाल मोदी :** अस्वस्थ नहीं थे, अस्वस्थ होने का बहाना बनाया था जिससे लोग परेशान न करें।

**श्री दिग्विजय सिंह:** मैं यह नहीं कहता। तो उस समय मन्त्री महोदय ने फर्माया आप का यह कार्य अवश्य हो जायगा। यह कागजात हैं, यह ले जाकर आप डाइरेक्टोरेट में दे दें। कल लिस्ट आयेगी, उसमें इन्क्लूड कर के मैं कुछ न कुछ यथासम्भव आपको सन्तोष कराने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कागज लेकर डाइरेक्टोरेट में गया और डाइरेक्टोरेट में कागजात पेश कर दिये। जब म्यूनिसिपैलिटीज के लिए मन्जूरी निकली, तो क्योंकि मैंने निवेदन कर दिया था, इसलिए ख्याल था कि लिस्ट में नाम आ गया होगा, लेकिन उनियारा नगर पालिका का नाम उसमें दर्ज नहीं था। मैं मन्त्री महोदय से मिला, उनसे निवेदन किया, इतनी दौड़ भाग की और सब कुछ हुआ, लेकिन इतने परिश्रम का कुछ नतीजा नहीं निकला। उस पर आपने फौरन एक्शन लिया, यहां तलाश करने के लिए फर्माया, दफ्तर गये तो वहां पर कागज तलाश कराया। दूसरे दिन मुझ से फर्माया कि मैंने कागज दिये नहीं। यह कैसे कह रहे हैं कि डाइरेक्टोरेट में कागज नहीं दिये। मेरी समझ में नहीं आया कि जब डाइरेक्टोरेट में मैंने कागज दे दिये तो फिर मन्त्रीजी को इतला क्यों नही ...

**श्री अध्यक्ष :** समझ में आ जानी चाहिए, आपने तो पहले ही रिमार्क दे दिया है।

**श्री दिग्विजयसिंह :** मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार यह बंटता है पैसा और इसका क्या तरीका है? यह क्या अच्छा तरीका है? यह बताने के लिए कि पक्षपात के तरीके से, विपक्ष का हो चाहे कांग्रेस का हो उनमें भेदभाव नहीं करते हैं, कानून कायदे के अनुसार मन्जूरी देते हैं और नियमानुसार कागज लेते हैं और फौरन आज्ञा प्रदान कर देते हैं और फिर अनुदान कर मिल जाता है यह मन्त्री महोदय ने किया, लेकिन जिस प्रकार से मेरे मामले को टाला गया, अध्यक्ष महोदय उससे मुझे इस बात का सन्तोष हो गया कि पक्षपात अवश्य होता है। एक निवेदन और करूं, वह तो हो गया जैसा हो गया, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के पीछे पड़ा रहा कि कागजात गये कहां? तो अन्ततोगत्वा इस बात में, मैं सफल हो गया, डाइरेक्टोरेट से पता लग गया कि पत्रावली मिल गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पत्रावली मिल गई और अब मैं आशा करता हूं कि कुछ न कुछ मिल जायगा। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जो लोन और अनुदान की राशि नगर पालिकाओं को दी गई, मन्त्री महोदय, कृपया बतायें कि उनको देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा था? किन आधार पर लोन दिया? क्या आपने उन नगरपालिकाओं से नक्शा मंगवाया? क्या आपने उन कच्ची बस्तियों का, म्यूनिसिपल बोर्ड का नक्शा मंगवाया, जिस बस्ती में नल योजना बनाना चाहते हैं? क्या वहां की जनसंख्या है, कितने हरिजन रहते हैं और कितने नल वहां चाहिए? 14 मई को मुझे पत्र मिला है, अध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है कि आपकी पत्रावली मिल गई है, उसके अन्दर बस्तियों का नल योजना से सम्बन्धित नक्शा संलग्न नहीं है। दूसरी उन्होंने यह क्वेरी की है, नल लग जाने के पश्चात् प्रभावित होने वाले हरिजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित

(श्री दिग्विजयसिंह)

जन जाति के लोगों की संख्या । यह नयी क्वेरी हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि गत साल जो लोन और अनुदान दिया है, क्या उनके ऊपर यह शर्त लागू थी ? क्या उनसे नक्शा मंगवाया गया था ? क्या उनसे यह जानकारी ली गई थी । यह एक बार फिर टालने के लिए नई जानकारी देने के लिए मुझ से कहा गया है । तो जिस प्रकार का व्यवहार आपके विभाग द्वारा होता है....

श्री अध्यक्ष : आप सहानुभूति प्राप्त कर रहे थे, कहीं उसमें कमी न हो जाय ।

श्री दिग्विजयसिंह : कमी हो जाय या न हो जाय—उससे फ़र्क नहीं आने वाला है । माननीय मंत्री महोदय का समाज कल्याण विभाग पर जो अच्छा कंट्रोल है, उसका मैं नमूना बता रहा हूं कि किस प्रकार किस किस जगह पर क्या क्या चीज चलती है । जो सहानुभूति मेरे प्रति थी, उसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम इस समय जब वहां नल योजना चल रही है, जो व्यवस्था करना चाहते हों, वह करें । उसका एस्टीमेट दिया हुआ है, यह हरिजन मोहल्ला है, उसमें टैप लगायें उसमें जो नल हैं, उसकी सूची मांग ली है. नक्शा मांग लिया है । लेकिन उसके अनुसार योजना चली नहीं है, वाटरवर्क्स में वह सारी चीजें पड़ी हैं । इन सब पर कार्यवाही नये सिरे से करेंगे तो काफी विलम्ब हो जायेगा और उस समय तो वर्षा शुरू हो जायगी । आप देना चाहते हैं तो लोन या अनुदान ग्रान्ट कर दें, नहीं देना चाहते हैं तो पत्र से सूचित कर दें । आप वर्षों कागज पड़े नहीं रख सकते, क्योंकि 72 में चुनाव होने वाले हैं, वहां उस समय वोट मिल सकें—इसलिए अभी नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता को इससे यह मालूम हो जायगा कि आप निष्पक्ष नहीं है....

एक माननीय सदस्य : वोट तो मिल जायेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो मिलेंगे, आपको मिलेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास जो लोन या अनुदान का पैसा आता है इसको समय से पहले वितरित करें तो काम में आ सकता हैं, अन्यथा जब साल खत्म होने आता है, उस समय आप डिले करके करते हैं तो नगरपालिका की अवधि तीन साल की होती है, एक डेढ़ साल तो उसका पत्र व्यवहार में बीत जाता है, फिर छः महीने से पहिले चुनाव की तैयारी होती है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो पाता है । और फिर आप अनुदान को जिस तरह चाहें काम में ले लेते हैं । अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल वार्ड्स के अन्दर, हरिजन वार्ड्स के लिए इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए योजना देते हैं, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि जो आर. एस. ई. बी. के अध्यक्ष हैं उनको आप हिदायत दे दें कि जितने हरिजन वार्ड्स हैं, वहां कितने पोल्स की कमी है, वहां स्ट्रीट लाइट है या नहीं, इसके लिए नगरपालिका को लिखते हैं, फिर नगर पालिका उनको लिखती है, फिर वह लिखते हैं कि एस्टीमेट भिजवायें । फिर नगरपालिका अध्यक्ष एस्टमेटी भिजवाते हैं, फिर इंजीनियर और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ओवर सियर के पास आता है, फिर काम

(श्री दिग्विजयसिंह)

होता है। इसके बजाय स्वयं इनीशियेटिव लेकर, उसका सर्वेक्षण करके, जिन हरिजन कॉलोनी में लाइट नहीं है, वहां उन वार्ड्स के अन्दर लाइट की व्यवस्था करायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं छात्रावासों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, मेरा जहां तक स्वयं का विचार है, यह छात्रावास अलग अलग चलाये जाते हैं– यह बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ आप छूआछूत को दूर करना चाहते हैं और दूसरी तरफ समाज कल्याण विभाग के शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्रावास अलग हों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास अलग हैं, यह छूआछूत और भेदभाव तो आपने स्वयं विभाग में कर रखा है। आपके मीणा छात्रावास अलग चल रहे हैं.......

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि मौके मौके पर सदन के माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रख कर यह नियम बना रखा है कि अनुसूचित जाति के बीस छात्र अनुसूचित जन जाति के छात्रावास में रहेंगे और अनुसूचित जन जाति के बीस छात्र अनुसूचित जाति के छात्रावास में रहेंगे।

**श्री दिग्विजयसिंह :** यह बीस बीस का सिद्धान्त भी तोड़ दें।

**श्री मदनसिंह :** कल तो होम मिनिस्टर का भाषण था उसमें जातिवाद को खूब बताया है, जातिवाद खूब हो रहा है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** जी नहीं।

**श्री दिग्विजयसिंह :** यह स्वीकार किया है, बीस पर्सेन्ट का स्वीकार किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बीस पर्सेन्ट का भी हटा दीजिये। यह अलग अलग क्यों रखते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो रेगूलर छात्रावास हैं, उनके अन्दर सबको एडमीशन लेने दीजिये। जनरल होस्टल में सबको जाने दीजिये, ज्यादा से ज्यादा आप पर्सेन्टेज रिजर्व रख दीजिये, इतना एडमीशन दे दिया जाय तब जो छुआछूत और जातिवाद की भावना दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इसमें कमी आयेगी। आप देखिये, आज राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रदूत में साफ था कि इस प्रकार जातियों के आधार पर राजनीति चल रही है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम अगर नीचे से लोगों को दृढ़ बनायेंगे और हट से लेकर चलेगें कि जातिवाद नहीं रखना है, भेदभाव नहीं बरतना है, सबको एक साथ रहना है....

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** इस प्रकार के माननीय सदस्यों के सुझाव आते रहते हैं, यह प्राईमा फेसी सुन्दर लगते हैं कि क्यों अलग अलग छात्रावास रखे जायें? जनरल होस्टल में रखने से छुआछूत में चैक आ जायगा और छूआछूत खत्म हो जायगी, लेकिन व्यवहार में......

**श्री अध्यक्ष :** आप इसके बाद उत्तर नहीं देंगे?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** मैं बीच में थोड़ा अर्ज कर दूं.......

**श्री अध्यक्ष :** ऑर्डर ऑर्डर।

**श्री दिग्विजयसिंह :** हो सकता है, मंत्री जी को इसका आभास हो जाय कि छात्रावास

(श्री दिग्विजयसिंह)

एक हो जायं तो मेरे पास यह विभाग रहेगा या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी इस बात को लेकर चलें तो यह भेदभाव मिट सकता है ......

**श्री अध्यक्ष** : कृपया भाषण समाप्त कर दें।

**श्री दिग्विजयसिंह** : टूरिस्ट्स इन्डस्ट्री के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज राजस्थान की ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की यह बहुत डेवलपिंग इन्डस्ट्री है। एक प्रश्न के उत्तर में मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी दी है। उसके संबन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख की बात है, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, उसमें टूरिज्म के सम्बन्ध में एक दो शब्द भी नहीं कहे गये हैं कि राजस्थान सरकार इस इन्डस्ट्री के सम्बन्ध में क्या करना चाह रही है और क्या कदम उठ रही है। साथ साथ में जो बजट स्पीच हुई, इसमें भी वित्त मंत्रीजी ने खास संकेत टूरिज्म के सम्बन्ध में नहीं दिया है। ऐसा हुआ, जैसे टूरिज्म को उन्होंने साइड-बिजिनेस मानकर चलाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, मैंने एक प्रश्न किया, कि 1962 से 1970 तक जयपुर में और उदयपुर में कुल कितने टूरिस्ट आये-उस संदर्भ में उन्होंने बताया, कुल टूरिस्ट का टोटल मैं निवेदन करना चाहता हूं ब्रेक अप नहीं है, 1962 से 1970 तक राजस्थान के अन्दर 1 करोड़ 13 लाख टूरिस्ट आये, उसके अन्दर लोकल और फॉरेन दोनों इन्क्लूडेड हैं। टोटल टूरिस्ट आये है जयपुर के अन्दर 3,03,476 फॉरेन टूरिस्ट आये हैं 1,86,030 उदयपुर में लोकल टूरिस्ट आये, 2,98,016 और फॉरेन टूरिस्ट 41,013 इस प्रकार आप स्वयं देखेंगे कि राजस्थान दिनोंदिन टूरिज्म के अन्दर कितना आगे बढ़ रहा है, टूरिज्म की दृष्टि से हम कितना आगे जा रहे हैं क्योंकि पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती रही है। इसके साथ साथ इस इन्डस्ट्री से जो आमदनी हुई है, वह 26 करोड़ की हुई है। आप स्वयं अनुमान लगायें कि यह ऐसी अच्छी डेवलपिंग इन्डस्ट्री है, जिससे राज्य को इतनी आमदनी हो रही है, फिर भी राज्य के अन्दर कोई सुव्यवस्थित ढंग से इन्तजाम न कर सकें तो दुःख का प्रश्न होता है। जयपुर में होटलों की हालत आप देखिये, कोई प्रोपर होटल इस प्रकार का नहीं है, सिवाय रामबाग पैलेस होटल के, और दूसरा जो खासा कोठी स्टेट होटल है, उसके। फिगर मेरे पास नहीं हैं, फिर भी मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इन दोनों होटलों के आंकड़े कम्पेअर करें, तो आप देखेंगे कि इन दोनों होटलों के आंकड़ों के अन्दर राम बाग पैलेस होटल में जितने टूरिस्ट आते हैं उससे कम खासा कोठी होटल में आते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्टेट होटल है, इसलिए इस अन्डरटेकिंग को स्टेट रन करती है, फिर क्या कारण है कि स्टेट होटल में जितने टूरिस्ट आने चाहिए, ठहरने चाहिए वह नहीं ठहरते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार को होटेलियर्स को इन्सेन्टिव देना चाहिए। कुछ दिनों पहले एक प्रश्न आया था, आपने कहा था, एक फाइव स्टार्स नाम से नया होटल बन रहा है। उसके लिए जमीन दी है। उसके लिए

(श्री दिग्विजयसिंह)

तो मैं बधाई देता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करने जा रही है। लेकिन दूसरा प्रश्न पैदा होता है, राजस्थान में जो विदेशी पर्यटक आते हैं, और देशी आते हैं मद्रास के, लखनऊ के, कहीं के आप समझ लीजिए कि वह नये भवन देखने नहीं आते हैं। अमेरिकन आते हैं, वह नये भवन देखने नहीं आते हैं, यहां से कहीं अच्छे नये भवन उनके वहां बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान का जो आकर्षण है, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर आदि— वह वहां के एन्शियेन्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को देखने आते हैं। मैं निवेदन करूं, एन्शियेन्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को किस प्रकार से राजस्थान के अन्दर बिगाड़ा जाता है। आप पधारें, आमेर के किले में पधारें, वहां पुराना बीच का चौक था, जलैब चौक जिसको कहते थे, उसके अन्दर राज्य सरकार ने मोडर्न फाउन्टेन वगैरह बनाना शुरू कर दिया। रहने की व्यवस्था थी पुरानी, उसको चेंज करके मोडर्न कर दिया। आप पुराने आर्ट को मोडर्न आर्ट में चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट आते हैं वह पूछते हैं, यह चौक किसलिए था। वह देखते हैं ऐसा चौक नहीं था, वह चौक कहां चला गया…

**श्री अध्यक्ष** : इसका बड़ा विरोध हुआ था समाचार पत्रों में भी।

**श्री दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा तो यही निवेदन करना है कि कितनी उपेक्षा की जाती है इन एन्शियेन्ट बिल्डिंग्स की।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मैंने इस सदन में एक प्रश्न भी किया था सज्जनगढ़ महल के बारे में जो कि उदयपुर में है। उस प्रश्न पर मुख्य मन्त्रीजी ने 3-4 बार घोषणायें भी की थीं। पर वो अभी तक अच्छा नहीं बना है। अच्छा बनाने का तात्पर्य मेरा यह नहीं है कि उसे सुन्दर बनाया जाय। मेरा मतलब इसमें यह है कि मेन्टैन इट, एज इटइज जिससे कि उसका जो प्रभाव है वह खराब नहीं हो और उसका महत्व कम नहीं हो। इसमें मेरा निवेदन यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो सड़क हो उसे ठीक करवाई जाय ताकि टूरिस्ट लोग वहां जावें तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहे। इसमें, अध्यक्ष महोदय खास यही बात ध्यान में रखी जावे कि उनका जो मेन आर्ट है वह सुरक्षित रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पहले राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने यह बात कही थी कि जैसलमेर भी अगले कुछ वर्षों के बाद टूरिस्ट सेन्टर हो जायगा क्योंकि वहां पर भी बहुत सी पुरानी एन्शियेन्ट आर्किटेक्चर की इमारतें हैं जो कि पर्यटकों के लिए और खासकर विदेशी पर्यटकों के लिए एक अच्छा आकर्षण केंद्र बन जायगा। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी को इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए कि जोधपुर और जैसलमेर के बीच में जो सड़क है वह खराब है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आपकी मारफत इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर और जैसलमेर के रास्ते के बीच में टूरिस्ट बंगले और होटल होने चाहिए ताकि अगर रास्ते में कहीं कोई किसी टूरिस्ट की गाड़ी खराब हो जाय या कोई बीच में ठहरना चाहें तो

(श्री दिग्विजयसिंह)

वे ठहर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह खासतौर से निवेदन है कि यह सब प्लान्ड वे में होना चाहिए। जैसा कि टूरिस्ट जो दिल्ली से जयपुर की तरफ आते हैं तो रास्ते में अलवर में टूरिस्ट बंगलों में ठहर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिल्ली से जयपुर, आगरा होकर आता है डाइरेक्ट, तो, अध्यक्ष महोदय, बीच में कोई टूरिस्ट बंगला नहीं है और न ही कोई रास्ते में अच्छा होटल ही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसलिये निवेदन है कि अगर कोई टूरिस्ट की रास्ते में कार खराब हो जाती है तो उस वक्त काफी परेशानी टूरिस्टों को हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि टूरिस्टों को प्रॉपर फैसीलिटीज मिलनी चाहिए जो कि अभी नहीं मिल रही है। विदेशों में, अध्यक्ष महोदय, टूरिस्टों को अच्छी फैसीलिटीज दी जाती है। लेकिन हमारे यहां जो टूरिस्ट विदेशों से आते हैं तो उन्हें रास्ते में न तो कोई अच्छे होटल ही मिलेंगे और न ही ठहरने के वास्ते टूरिस्ट बंगले। विदेशों में तो, अध्यक्ष महोदय, हर 40-50 मील पर आपको होटल और टूरिस्ट बंगलों की व्यवस्था मिल जायेगी। उनके जैसी फैसीलिटीज तो हम आज नहीं दे सकते पर फिर भी हमें कुछ न कुछ रियायतें, कुछ न कुछ फैसीलिटीज देनी चाहिए। ऐसा करने से टूरिस्ट डिपार्टमेंट एक अच्छी इण्डस्ट्री बन सकती है। अध्यक्ष महोदय.....

**श्री अध्यक्ष:** आपका मतलब यह है कि इसे इन्डस्ट्री के रूप ले लेना चाहिए।

**श्री दिग्विजयसिंह:** यही मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय।

इसके अलावा मैं एक बात आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि, अध्यक्ष महोदय, सन् 1968 में मुझे ऐसा याद होता कि राज्य सरकार द्वारा एक टूरिस्ठ बोर्ड का गठन किया गया था। उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास भी एक पत्र आया था अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष:** आप क्या उस बोर्ड के सदस्य थे ?

**श्री दिग्विजय सिंह:** बात तो यही है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में कोई भी कार्यवाही होने की सूचना मेरे पास नहीं आई। उस बोर्ड का क्या हुआ वह भी पता नहीं चला। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष:** अब समाप्त कर दीजिये माननीय सदस्य।

**श्री दिग्विजयसिंह:** अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और निवेदन करके कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट को एक तरह से इन्डस्ट्री की तरह बढ़ावा मिलना चाहिये ताकि विदेशी पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा फैसीलिटीज मिलें जिससे राज्य सरकार को इससे लाभ हो। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री मनोहरसिंह मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री पी०के०चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्र कुमार।

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा):** अध्यक्ष महोदय मैं मांग संख्या 25, मुख्य

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

शीर्षक 39- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के बारे में जो डिमान्ड है, उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह डिमान्ड शिड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हिन्दुस्तान आजाद होने से पहले राजा-रानियों और सेठ-साहूकारों के बीच में गिरे हुए थे। अध्यक्ष महोदय....

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : राजा रानियों के ही....

**श्री अध्यक्ष** : यह तो बाह्मणों के बीच में गिरे हुए होंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : वे तो आज भी गिरे हुए हैं।

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** : इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आजादी मिलने के बाद शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को शिक्षा में भी अधिक सुविधा मिलने लगी है जो राजाओं के जमाने में नहीं थी। इस लिये, अध्यक्ष महोदय, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी को मिले हुए आज 23-24 साल हो चुके हैं। इन 23-24 सालों के अन्दर आदिमवासी और अनुसुचित जनजाति के लोग व हरिजनों ने अपनी शिक्षा और आर्थिक हालत के सुधारने के बारे में कोशिश की। उनकी कुछ हालत सुधरी भी है, पर मेरी मान्यता ऐसी है कि, अध्यक्ष महोदय, अभी उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के इस पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने की पूर्णतया कोशिश की जाय। मैंने अध्यक्ष महोदय को इस सदन में कई बार पहले भी निवेदन किया था कि उदयपुर जिले की ऐसी बहुत सी तहसीलें हैं जहां पर आदिवासी लोग अधिकतर ऐसी जगह रहते हैं जो पहाड़ों से घिरी हुई है। इसलिये आज भी इतना राज्य सरकार का धन खर्च होने के बाद भी उन तहसीलों के जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उनकी हालत वो ही है जो आजादी के पहले थी। जो मदद राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह पर्याप्त नहीं है और पर्याप्त मात्रा में मदद उपलब्ध नहीं होने से उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। न ही उन क्षेत्रों में पूरी शिक्षा का प्रबन्ध है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि उन क्षेत्रों में रहने वाले हरिजनों का पूरा विकास होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मै एक बात आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज कल्याण विभाग ने गवर्नमेंट की ओर से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है इसमें खासतौर से उदयपुर जिले, मेरे क्षेत्र की दो तहसीलें हैं उनमें जो अनुदान दिया जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा वो सुविधायें शेड्यूल्ड कास्ट्स, हरिजनों को, आदिवासियों को नहीं मिलती है, और न उस क्षेत्र में हरिजनों के लिये रहने के लिये मकान है, न सिचाई के लिये पानी की पूर्ण व्यवस्था है, न आदिवासियों को खेती की सुविधा के लिये एनी-कट बने

( श्री देवेन्द्र कुमार मीणा )

हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन क्षेत्रों में कुछ भी बने हुए नहीं हैं। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि इन दो तहसीलों के क्षेत्रोंमें जो रहने वाले हरिजन हैं, आदिवासी है उन्हें कुए बनाने के लिये लोन दिया जाना चाहिये ताकि वो लोग अपने छोटे छोटे जो खेत हैं उनका प्रापर्ली विकास कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख इस बात का है कि आज आदिवासी लोगों के बच्चे हरिजनों के बच्चे बहुत से पढ़े लिखे बेकार हैं पर उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आज सरकार ने हर जिले में समाज कल्याण अधिकारी रख रखे हैं, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करते हैं।

मेरा यह निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि इसके लिये आदिवासियों के जो बच्चे पढ़े लिखे हों, हरिजनों के जो बच्चे पढ़े लिखे हों उनके नाम रजिस्टर करवाये जायं उनके नाम लिखे जायं ताकि जब कभी नौकरियों की वेकेन्सी की सूचनायें आये तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को चाहिये कि उन्हें सूचना दे दी जाय ताकि आज जो बहुत से आदिवासियों के लड़के आज बिना सर्विसेज के इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं उन्हें नौकरी मिल जाये।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां गवर्नमेंट के बजट में आदिवासियों को और हरिजनों की मदद के लिये जो रुपया रखा जाता है उसका समाज कल्याण अधिकारी गरीबों को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाते हैं।

( 1.00 म. प. )

( श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन )

इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये आदिवासी व हरिजनों को अधिक सुविधाएं देनी चाहिये।

इस बात की तो मुझे खुशी है और इसके लिये मैं सरकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि आदिवासी व हरिजनों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने 28 प्रतिशत नौकरियां देने का कोटा फिक्स किया है। पर ऐसा होता नहीं है। इस पर मुझे पहले भी विश्वास नहीं था, और आज भी नहीं है कि सरकार अपनी ही इस घोषणा का ईमानदारी से पालन करेगी। हरिजन आदिवासियों को अगर ऊंची से ऊंची नौकरी में रखा जायगा तो वे गरीबों की हालत को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको गरीबी का गहरा अनुभव है, गरीबी क्या है वे खूब जानते हैं। नियोजन विभाग में भी हरिजन व आदिवासी अधिकारियों को ही रखा जाना चाहिये ताकि वे इस 28 प्रतिशत कोटे को तत्परता से पूरा कर सकें।

जैसा कि पिछले वक्ता महोदय ने निवेदन किया था, हमारे छात्रावासों को अलग से नहीं रखा जाना चाहिये। इससे भेदभाव कायम रहता है जो भी विद्यार्थियों के छात्रावास हैं उन्हीं में हरिजन व आदिवासी छात्रों को रखा जाना चाहिये इससे भेदभाव दूर हो सकता है आप भेदभाव को खत्म कराना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान के सारे छात्रावासों में हरिजनों के लड़कों को रखना चाहिये। उसके लिये काम करने की जरुरत है। हाऊस में लम्बे लम्बे भाषणों से काम नहीं चलता है। ऊपर राम राम अन्दर रहीम यह नहीं चल सकता, एक भाई की तरह साथ लेकर चलिये समाज में हमारा भी हिस्सा है।

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के उदयपुर के कई छात्रावासों में मैं गया, वहां की व्यवस्था को मैंने देखा। व्यवस्था को सुधारने के लिये मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया तो इस तरफ विभाग ध्यान दें ताकि विद्यार्थी अच्छे ढंग से पढ़ सकें। जिन लोगों की गलती हो उनको तत्काल सस्पेंड करके सजा दें ताकि दूसरे आदमी वैसा करने की हिम्मत कर न सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी एरिया में भू-आवंटन और पानी की बड़ी दिक्कत है सरकार को इस तरफ ध्यान देकर इसका भी प्रबन्ध करना चाहिये। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये। इतना कहकर मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री परसराम गंगाराम।

**श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि इस राज्य का काफी हिस्सा शेड्यूल्ड कास्ट्स व शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों की मदद पर निर्भर है मगर हरिजनों के प्रति आज दिन तक इस सरकार के दिल में कोई वास्तविक दर्द नहीं है।

सदियों से ब्राह्मणों महाजनों और राजपूत राजा जागीरदारों ने हमें दबा कर रखा पर ये नये राजपूत व नये जागीरदार हमें काफी दबा रहे हैं गांधी शताब्दी के वक्त हरिजन आदिवासियों को जमीन अलाट करने के लिये तहसीलदारों और एस.डी.ओ. को ऑर्डर दिये गये। पर आज तक कोई जमीन व फार्म नहीं दिये गये उनकी एलॉट की हुई जमीनों पर जो थोड़ी बहुत उन्होंने की है, कब्जा लेने के लिये जाते हैं तो ये नये जागीरदार या गांव वाले मारा मारी करते हैं, निकाल देते हैं धन्धा करने में रुकावट डालते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : नये जागीरदारों से आपका क्या मतलब है।

**श्री परसराम गंगाराम** : जो ये सामने बैठे हैं।

समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, मगर अधिकांश में उसका दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि ये मिनिस्टर साहिब हैं बड़े भोले भाले और सीधे साधे हैं, अपना घर भरने में होशियार हैं यहां तक कि वे कई बीघा जमीन अपने कब्जे में लिये बैठे हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इज इट नॉट ए चैलेंज ?

**श्री विश्वम्भर नाथ जोशी** : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर दिस शुड बी एक्सपन्जड, सर।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : क्या असंसदीय है, इसमें ?

**श्री विश्वम्भर नाथ जोशी** : इस बिजिनस रूल को पढ़िये इसकी नोलेज नहीं है।

**श्री मदनसिंह दांता** : हमने खूब पढ़ लिया आपके कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाये हैं आप पर।

**श्री विश्वम्भर नाथ जोशी** : यहां का कार्यक्रम यहां के नियमों से गवर्न होगा एक सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर आक्षेप नहीं लगा सकता जबकि आपकी गलत बात को

# Page No 77



( श्री विश्वम्भरनाथ जोशी )

चुनौती दी है कि मेरे खिलाफ कोई बात साबित करके बतावें। मैं फिर चुनौती देता हूं कि आप मेरे खिलाफ जो कह रहे हैं साबित करके बतावें।

**श्री उपाध्यक्ष :** कोई खास बात उन्होंने नहीं की है।

**श्री परसराम गंगाराम :** मैंने सभी मन्त्रियों के लिये कहा है आप अपने पे क्यों लेते हैं पर चोर की दाढ़ी में तिनका होता है जब आप साफ हैं तो इतने परेशान क्यों होते हैं ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** आप जिस प्रसंग में कह रहे हैं मैं उसका जिक्र कर रहा था उसी प्रसंग में मैं कह रहा था।

**श्री परसराम गंगाराम :** मैं आप से अर्ज करूं कि अभी थोड़े दिन पहले समाज-कल्याण विभाग ने 2-2 हजार रुपया के मकान बनाने का प्रावधान रखा था मगर वह उपयुक्त व्यक्तियों को न देकर मिनिस्टर साहिब ने उन लोगों को दिया जिनसे उनको वोट लेने थे (शेम शेम की ध्वनि)।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** सेम ग्रोन यू।

**श्री परसराम गंगाराम :** अमुक अमुक जिलों में आपने जो रुपया दिया है मैं पुरजोर शब्दों से कहूंगा कि इसमें आपने पक्षपात किया है। आपने अपने रिश्तेदारों को किसी न किसी रूप में जमीनें अलाट कराने में भी मदद की है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:** सबूत रखते हों तो लावें। मैं उनके इस कथन को चुनौती देता हूं।

**श्री परसराम गंगाराम :** अध्यक्ष महोदय मैं आंकड़े बताऊंगा और डिटेल में सबूत भी बताऊंगा कि आपने क्या क्या कारनामे किये हैं।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** बताइये न। आप क्या बतायेंगे आपके पास है क्या ?

**श्री दौलतराम सारण :** अध्यक्ष महोदय, हमारे कान के पड़दे फटने की स्थिति में आगये हैं। माइक का उपयोग करना सीखें अगर उपयोग करने की तमीज नहीं हैं तो। माइक से थोड़ा मुंह दूर करके बोलें।

**श्री शंकरलाल :** इसका जवाब इसी तरह दिया जाता है।

**श्री परसराम गंगाराम :** माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मंत्री महोदय पर जो जिम्मेदारी रखी गई थी वह आपने ईमानदारी से नहीं निभाई है। यहां तक कि आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावासों को जमीन दिलवाने में कर्जा दिलवाने में अभी तक कुछ योगदान नहीं किया है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** किस जगह ? कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स बताइये।

**श्री परसराम गंगाराम :** छूआ-छूत के कितने केस थे अभी तक आपने उनमें कोई मदद नहीं की है। यहां तक की सूरतगढ़ में 1968 से इस मामले के केसेज चल रहे हैं। इस मामले में आपके पास कई दफा एप्लीकेशनें दी हैं पर अभी तक आपने कुछ नहीं किया। ऐसे छूआ-छूत के केसेज कितने चल रहे हैं क्या आप यह बता सकेंगे और उसमें

( श्री परसराम गंगाराम )

आपने कितने मामलों में मदद की । यहां तक कि ये जो आपके छात्रावास हैं वे एक दरगाह की देग की तरह लुट रहे हैं । परबतसर का छात्रावास है इसमें ऐसी अनियमिततायें हो रही है कि कहा नहीं जा सकता । जो 100 रुपया दाखिला फीस लेते हैं यह छात्र को जाते वक्त वापिस नहीं लौटाई जाती खाने के लिये उनको सूखी बाजरे की रोटी और मिरची दी जाती है । आप बतलाइये अनुसूचित जाति के वे गरीब लड़के इस तरह का खाना खाकर इतनी गरीबी में और अनियमितताओं के वातावरण में रह कर किस तरह से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा डिवीजन हासिल कर सकते हैं । तो इस ओर आप ध्यान देकर अपनी जवाबदारी को निभाने का कष्ट करें ।

गांधी शताब्दी में जो जमीनों का अलोटमेंट हुआ है उसमें कब्जा लोगों को नहीं मिला है वह कब्जा आप दिलाने का कष्ट करें ।

जमीनों के मुकदमें चल रहे हैं इनमें उन गरीब लोगों को आप वकीलों की फीस देकर मदद दें ताकि वे अपनी केसो की पैरवी कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाउंगा कि नौकरियों में 28 प्रतिशत का आपने कोटा रखा है । उसमें आपने किस किस विभाग में इस कोटे की कितनी पूर्ति की है ? क्या इसकी जानकारी दे सकेंगे जिला वाइज । जहां तक मैं समझता हूं किसी विभाग में इस कोटे की पूर्ति नहीं हो पाई है । परबतसर में एक हरिजन अधिकारी को प्रोमोशन दिलवाया पर उनको भी उन कवरिया साहब को भी एक कोने में बिठा दिया ताकि वे बोल नहीं सकें । इससे ऐसा लगता है कि समाज कल्याण विभाग के मन्त्री अशक्त हैं वे न किसी की मदद कर सकते हैं न अपना ही कल्याण कर सकते हैं । मैं निवेदन करूंगा ऐसे उपयोगी आदमी को उपयुक्त जगह लगावें ताकि वह शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की भलाई का काम ज्यादा से ज्यादा कर सके ।

आपने भंगी कष्ट निवारण के लिए लाखों रुपयों का बजट रखा पर काम नहीं हो रहा है । आपने गटर बनाने के लिए अजमेर, ब्यावर इत्यादि शहरों में 300, 300 रुपया प्रति गटर के लिये प्रावधान देने के लिए रखा पर आज तक उसमें से एक को भी यह रकम नहीं दी गई । अजमेर शहर में इतने काम हुए पर वहां भी एक भी आदमी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सका । कारण स्पष्ट है । आपने इसके लिए कई कानूनी अड़चने बीच में डाल दी । आपने शर्त रख दी कि इन्कम टैक्स का क्लियरेन्स सर्टिफिकेट दिया जाय । आप सोच सकते हैं 300 रुपये के लिये कौन इन्कम टैक्स की क्लियरेन्स का सर्टिफिकेट देने की तवालत उठायेगा । इसलिये निवेदन करूंगा कि आप इस तरह की उलझनें न डालें । जिनको कोई हटा नहीं सके आप इसके लिये कोई सरल तरीका अपनावें और इस भंगी मुक्ति निवारण के कार्य में रुचि लेकर इसको ईमानदारी से आगे बढ़ावें ।

यही नहीं आप पटवारी की भर्ती के समय भी पक्षपात करते हैं । इसमें भी बड़ी भारी अनियमिततायें होती हैं । तो आप इन चीजों को भी देखें और पूरी तरह से जागरुक और सावधान रहें कि कोटे के अनुसार सभी को सभी विभागों में सब जगह बराबर नौकरियां मिल रही है या नहीं ।

(श्री परसराम गंगाराम)

शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के लिए खेल कूद की भी व्यवस्था आप करें। अभी तक छात्रावासों में कई जगह इन खेल कूद का भी प्रबन्ध नहीं है। सवाई मानसिंह स्टेडियम उनके नाम पर है परन्तु उनके नामका कोई स्टेडियम नहीं बनाया गया है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** किसी शिड्यूल्ड कास्ट के नेता के नाम पर बनावें।

**श्री परसराम गंगाराम :** जो पैसा लगाता है उसके नाम से तो होना ही चाहिये।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** यह परसराम गंगाराम के नाम पर होना चाहिये।

**श्री परसराम गंगाराम :** जो पैसा खर्चेगा उसी का होगा।

भंगी मुक्ति निवारण के लिये जो पैसा आपने लगाया है उसका भी दुरूपयोग हो रहा है। जैसे अजमेर में आपने दस लाख रुपया दिया परन्तु इस काम के लिये इसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। वहां रोजाना इसके लिये स्ट्राइक्स हो रही है असन्तोष फैल रहा है।

अन्त में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान देकर हरिजन और आदिवासियों के कल्याणार्थ सारे फण्ड को उपयोग में लावें।

धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मनोहरसिंह मेहता

**श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) :** उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के तेइस वर्ष के बाद भी आज हरिजन ज्यों का त्यों हरिजन है। आदिवासी ज्यों का त्यों आदिवासी है। केवल आपके सामने दो उदाहरण उपस्थित करना चाहूंगा। इस मेवाड़ राज्य में नाथद्वारा एक माना हुआ तीर्थ स्थान है परन्तु इसमें आज भी मेहतर दर्शन करने नहीं जा सकता। यह मेवाड़ के माथे पर कलंक है, राजस्थान पर कलंक है। इतना बड़ा तीर्थ स्थान आज भी हरिजनों के लिए नहीं खोला गया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** वहां भारत सरकार का प्रशासन है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** आप डींग हांकते हैं। आज तक नाथद्वारा जैसा मन्दिर नहीं खुलवा सके इन्सानों के लिए नहीं खुलवा सके फिर भी मन्त्रि मण्डल के सदस्य होते हुए राज्य सरकार के कर्णधार होते हुए आप उस मन्दिर में दर्शन करने जाते हैं। आपको अपने कानून कायदों को मनवाने के लिए स्वयं को संकल्प करना चाहिए कि स्वयं आप इस मन्दिर में तब तक नहीं जायेंगे जब तक हरिजनों को उसमें प्रवेश नहीं मिल जाता। एक बार मुरारजी भाई उस मंदिर में प्रवेश करने लगे। प्रवेश करते समय उन्हें याद आ गया उन्होंने पूछा इस मन्दिर में मेहतर आ सकता है या नहीं? तो उत्तर मिला कि मेहतर यहां दर्शन नहीं कर सकता मुरारजी भाई वहीं रुक गये और यह कहते हुए लौट पड़े कि जो भगवान मेहतर को दर्शन नहीं देते उन भगवान का दर्शन मैं नहीं कर सकता।

आजादी के तेईस वर्ष बाद भी ये मन्त्री लोग सो रहे हैं। फिर भी डींग हांकते जा

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

रहे हैं और कहते हैं कि हमने इतना काम किया है आखिर आपने क्या काम किया ?

होस्टल आपने चला रखे हैं इसका मतलब यह है कि इन आदिवासी और हरिजनों के अलग अलग होस्टल्स रख कर आप फिर एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आदिवासियों और हरिजनों को भी आप एक साथ नहीं रहने देना चाहते। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इन अलग अलग होस्टलों की पद्धति को आप समाप्त करिये। सम्मिलित होस्टलों को आप प्रोत्साहन दीजिये तभी हरिजन आदिवासी और सवर्ण सब एक साथ रह सकेंगे। पर सही बात यह है आप जान बूझकर इनको अलग रखना चाहते हैं। छुआछूत और भेदभाव आप मिटाना नहीं चाहते क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ बना हुआ है। आप आज इन हरिजन आदिवासियों के नाम पर वोट प्राप्त करते हैं। इनके वोटों पर आप सत्ता पर बैठे हैं और सत्ता का आपको चस्का लग गया है। इस चस्के का नशा छूटने वाला नहीं है। आपकी सत्ता के दो ही आधार हैं एक आधार है मुसलमान दूसरा मेहतर हरिजन और आदिवासी का। ये अगर आज कमर कस लें तो आपका इस सत्ता में टिकना मुश्किल हो जाय इसलिए आप इनके कल्याण के लिए नहीं अपने कल्याण के लिए उनकी आड़ में कुछ करना चाहते हैं। उनके कल्याण के लिए काम करते तो यह कभी नहीं हो सकता था कि नाथद्वारा के मन्दिर में हरिजन जा नहीं पाता। आज आपने अलग अलग होस्टल चला रखे हैं उनमें व्याप्त गड़बड़ियों का आप अन्दाज लगावें तो जिस तरह अकाल के नाम पर पैसा आया है और लोग खा गये थे। उसी तरह हरिजन तथा आदिवासियों के कल्याण के नाम पर दिया जाने वाला लाखों करोड़ों रुपया स्वार्थी लोग खा रहे हैं। आज जितने होस्टल चल रहे हैं, दो चार को छोड़ दीजिये बाकी अधिकांश में गड़बड़ियां होती हैं। बहुत पापाचार होता है। उनके नाम पर पैसा आता है और दूसरे लोग खा जाते हैं। नाम समाज कल्याण। समाज तो वहीं का वहीं है और कल्याण हो रहा दूसरों का। एक कमेटी बिठाइये। हरिजनों और यहां के एम. एल. एज को रखिये और जांच करवाइये। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप खा रहे हैं। लेकिन आपकी निगरानी नहीं है, यह इल्जाम तो मैं आप पर लगाता हूं। आप एक जांच कमेटी बिठा कर देख लीजिए आपको भी मालूम हो जायगा। आप कहते हैं कि हरिजनों को प्लाट दिये। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हरिजन कलेक्टर हो गये वे लेकर बैठ गये गांधी शताब्दी वर्ष में उनको प्लाट दिये गये जो या तो कलेक्टर हैं या ऊंचे 2 पदों पर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े अधिकारियों में मंत्री भी आ जाते हैं। या तो उनको प्लाट दिये जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं जो या तो मंत्री हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं। खेतों की जब अच्छी अच्छी जमीनें निकल गई हैं तब खराब जमीनें दी गई हैं गरीबों को। मांडलगढ़ के लिए कहना चाहता हूं। ये नेता लोग हैं जिन्होंने अभी जमीन ली है नेता को तो मां का स्थान लेना चाहिए। मां सबको खिलाकर फिर खाती है। यदि मां खुद खाने को बैठ जांय और दूसरों को न दे तो वह भी मां नहीं डायन है। कई लोगों ने डायन का पाठ अदा किया है। अच्छी अच्छी जमीनें तो इन लोगों ने रख ली। बीगोद में एक खटीक है उसका एक ही

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

जवान लड़का था जो बस के नीचे दब कर मर गया। उसी प्रकार एक चमार का लड़का कुवा खोद रहा था ऊपर से ताकल्या पड़ा और वह मर गया, बड़ी मुश्किल से दो बीघा जमीन एलाट हुई। उनको अभी तक कब्जा नहीं करा सके। जबकि इन नेताओं के नाम सैकड़ों बीघा जमीन कोलोनाईजेशन मिनिस्टर ने अलाट कर दी। एक भी हरिजन और आदिवासी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके पास जमीन न हो और प्लाट न हो। होना तो यह चाहिये, यह होगा तब ही समाजवाद होगा हरिजन जहां का जहां आदिवासी वहां का जहां, बड़े बड़े लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। क्लेक्टर आदि बड़े बड़े स्थानों पर पहुंच गये वे मौज उड़ा रहे हैं और प्लाट ले रहे हैं, जमीनें ले रहे हैं। हरिजनों के कल्याण का बात करना चाहते हैं। गुजरात की तो बात ही छोड़ दीजिये। हरिजनों और आदिवासियों में यहां भी काफी काम किये जा सकते हैं। शराब खूब चलती है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो आदिवासी और हरिजनों पर। हरिजनों को तनख्वाह मिलती है, आप जाकर देख लीजिये, अधिकांश पैसा इसमें चला जाता है। नाम शराबबन्दी का लेकिन यह सरकार तो सबसे ज्यादा शराब फैला रही हैं। जब उनमें शराब चलाती है। इस सरकार ने तो लॉटरी भी जारी की है। सबसे अधिक टिकिट ये ही लोग खरीदते हैं। इनाम तो एक ही को मिलेगा। 16 लाख का लखपती तो एक ही बनने वाला है। समाज कल्याण के अधिकारी तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जैसे सत्यप्रसन्नसिंह जी भंडारी जिन्होंने एक चमार के लड़के को घर पर रख कर उसको बच्चे की तरह से ट्रीट किया। महात्मा गांधी ने कहा था कि हरिजन के यहां मैं बार बार जन्म लूं यही मेरी कामना है और बार बार उनके यहां जन्म लेने पर भी पाप दूर नहीं होगा क्योंकि इनके साथ इतने अन्याय और अत्याचार किये गये हैं। इसलिये जिन लोगों ने रिश्वत खाई है उनके खिलाफ इन्कवायरी करवा कर जांच करवाइये ताकि जो पैसा उनको मिलने वाला है वह मिल सके। ऐसे लोगों को प्लाट दे दिये गए हैं चाहे वे हरिजन हैं या आदिवासी लेकिन यदि उनके पास पहले जमीन है और प्लाट है और रहने को मकान है तो दी हुई जमीन और प्लाट उनसे छीन लेनी चाहिए। आप उनके वकील बनकर उनकी पैरवी कीजिये। जिनके पास कुछ नहीं है और यह संकल्प कर लीजिये कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक एक भी आदिवासी और एक भी हरिजन ऐसा नहीं रह सकता जिसके पास जमीन न हो। मेहतरों से धन्धा छुड़वाएगें तो उनको दूसरा कौनसा धन्धा देंगे यह भी सोचिये। चमार लोग गांवों में फिरते हैं। मेहतरों में तो फिर भी काम पर लग जाते हैं। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति काम पर लग जाता है। धन्धा कैसा ही हो उसका गौरव बढ़ाएं। कोई रेगर है तो उसका दूसरा नाम है। चमार है तो चमार कहाने में गौरव अनुभव नहीं करेगा। यादव या और कोई नाम रखेंगे। सही जाति बताकर जाति का आप गौरव बढ़ाइये मेहतर के नाम का गौरव बढ़ाना है तो टट्टी सफाई का काम करिये जैसे मां करती है। मां 16 वर्ष तक तो इसी प्रकार रहती है यदि उसके पांच सात बच्चे हों।

**श्री मोहन मोदी :** मां करती है, बाप थोड़े ही करता है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** समाज कल्याण मंत्री हैं उनको मां का पार्ट अदा करना

( श्री मनोहर सिंह मेहता )

है। कई टट्टियों में कीड़े बिलबिलाते हैं। नारकीय जीवन है, वहां सफाई करनी पड़ती है। कानून लाइये कि सिर पर मैला ढोना बन्द। आपने साधन दिये हैं लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है।

प्राइमरी स्कूलों में हरिजनों और आदिवासियों के बच्चे नहीं आते हैं, जहां हरिजन बस्तियां हैं वहां भी नहीं आते हैं। मास्टर रात को वहां रुक कर बच्चों को लाये और उनको आप अलाउन्स दीजिये। रात्रि को पाली चलाइये। आपको छुआ छूत को बन्द करना है, हम और दूसरे इन्सान बराबर है, इन्सान इन्सान में कोई भेद नहीं है तो आपको इस प्रकार की व्यवस्था करना है जिससे अधिक से अधिक लड़के पढ़ने के लिये आयें।

मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा। कई होटलों में हरिजन चाय नहीं पी सकते हैं। ग्लास अलग रहते हैं। म्युनिसिपैलिटी के मेहतर के साथ जाइये और कहिये कि मैं तुम्हारे साथ चल कर चाय पीऊंगा।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत :** आपके घर में सेठानीजी नहीं पीने देती है, यह मैं जानती हूं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** आपको कैसे मालूम है।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत :** मैं जानती हूं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** आप किसी दिन मेरे घर पर आ जाइये। मेहता और मेहतर में कोई अन्तर नहीं रह गया है। मेरे घर में जो होता था उस समय आपके यहां तो हरिजन की छाया नहीं पड़ती थी। मैं तो तब से हरिजनों में काम करता हूं। 18 वर्ष की उम्र में ही मैंने यह काम शुरू कर दिया था। मैं श्रीमतीजी को इतना तैयार कर पाया हूं आप मेहतर के हाथ से पुरस्वा दीजिये.........

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी :** मेहतरानी मेरे यहां मेड सर्वेन्ट है। आप जब भी आयें देख लीजिये।

**श्री मनोहर सिंह :** मेहतरानी टट्टी साफ करती है, झाड़ू निकालती है या खाना पकाती है ?

**श्री शंकरलाल:** यह सब काम आज ही शाम को हो जाये तो ठीक रहेगा।

**श्री मोहन लाल मोदी:** समाज कल्याण विभाग के मन्त्रीजी की पत्नी को भी बुला लीजिये।

**श्री रावतराम :** मेहतरानियों को मेहतरों के घरों में ही रहने दीजिये।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** जितने आपके मन में हरिजनों के बच्चों के प्रति भावना जगेगी उतना ही उनका भला होगा और उनके बच्चों में अपने ही बच्चों के दर्शन करेंगे तब जाकर के यह समाज कल्याण सम्भव होगा। मैं जानता हूं कि आपके मन में तड़प है परन्तु उसके लिये आपको सख्त बनना पड़ेगा और जितनी शिक्षा उसमें फैलेगी उतना ही काम होगा और नाथद्वारा का मन्दिर हर हालत में हरिजनों के लिये खुलना चाहिये। यह कितने दुःख और कलंक की बात है कि नाथद्वारा का मन्दिर आज तक उनके लिये नहीं खुल पाया है। यह

( श्री मनोहरसिंह मेहता )

मेवाड़ के ऊपर कलंक है कि आज तक वह इस मन्दिर को नहीं खुला सका है। यह राजस्थान सरकार के ऊपर भी कलंक की बात है कि वह भी आज तक नाथद्वारा जैसे मन्दिर को जहां सारे हिन्दुस्तान के प्राणी आते हैं, हरिजनों के लिये उसके पट नहीं खुला सकी है। मैंने यह सब उपाध्यक्ष महोदय संक्षेप में ही निवेदन किया है। आज होस्टलों में बहुत गड़बड़ियां हैं। आज उन पर लाख रुपया लुटाया जा रहा है जिस तरह से अकाल पर करोड़ों रुपये लूटे गये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत(भीम)**: उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का टूरिज्म में काम किया जा रहा है उसको लेकर के मैंने एक कटमोशन उपस्थित किया है।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** : आज नहीं है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : आज है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले वर्षों में राजस्थान में टूरिज्म का प्रोमोशन हुआ है लेकिन जिस प्रकार से और ढंग से टूरिज्म का प्रोमोशन होना चाहिये वह नहीं हो पाया है। मैं सदन की जानकारी के लिये कहूंगी कि सबसे पहला नम्बर टूरिज्म की नजर से आगरा का आता था। उसके बाद बनारस का और उसके बाद राजस्थान का आता है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रोमोशनल एक्टीविटी की गई है। आगरा का पहला नम्बर आज भी है लेकिन बनारस के बजाय हिन्दुस्तान के टूरिस्ट मैप में दूसरा नम्बर राजस्थान का आ गया है। इसके लिये मुझे खुशी है और भी कुछ भी काम किया गया है लेकिन मेरे कहने का मकसद यह था कि जितना काम होना चाहिये जितना हमारे पास राजस्थान में पोटेन्शीयेलिटी है उस पोटेनशीयेलिटी के मुकाबले में हमारा टूरिस्ट विभाग आज काम नहीं कर पा रहा है और उसके लिये जो रकम, धन दिया जा रहा है वह काफी कम है। यह ठीक है कि आपने टूरिस्ट बंगला ठीक बनाया है लेकिन प्रोमोशनल वर्क पर अधिक खर्च नहीं किया गया है। हमारे यहां पर ऐसे कई वर्क हैं जिनको डवलप किया जाकर फौरन लोगों में प्रचार किया जा सकता है और उनको आकृष्ट किया जा सकता है। इसमें राजस्थान बहुत ही पीछे है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय हमारा जो प्रोपेगेन्डा है, पब्लिसिटी है उसमें भी राजस्थान बहुत पीछे है। हमारे देखते देखते कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं था वहां पांच, सात सालों में हिमाचल प्रदेश ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। उस हैसियत से जबकि बाहर वालों को देने के लिये उसके पास कुछ भी नहीं है उसने कितनी जल्दी उन लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही चीज है और वह है प्राकृतिक सम्पदा। उस मुकाबले में जब राजस्थान की ओर हम देखते हैं तो यहां देखते हैं विविधता, वैराइटीज और इस कारण से दुनियां का, वर्ल्ड का मेप इस ओर आकृष्ट हुआ है। उसमें राजस्थान को टूरिस्टों के लिये पैराडाइज कहा जाता है। हमारी विविधता एक में अनेक प्रकार की है। आज हमारे यहां

(श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत)

सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि हमने इसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया है। पूरे के पूरे इन्डस्ट्री के रूप में इसको डवलप करने के लिये सरकार ने ध्यान नहीं दिया है केवल एक छोटे से टूरिस्ट डिपार्टमेंट के तौर पर ही हमने इसको रख रखा है। इस ओर हमें अधिक काम करना चाहिये ताकि उससे हमारे राज्य का नाम भी बाहर रोशन हो सके। इसी तरह से एक्टीवीटीज की बात है जिसके लिये मैंने कई बार यहां सदन में जिक्र किया है इसलिये इसको टूरिस्ट इन्डस्ट्री के रूप में लिया जाना और भी आवश्यक है। आज इस वक्त लगभग दो करोड़ के टूरिस्ट बाहर से आते हैं। इससे हमारे राज्य को, राज्य के लोगों को एक प्रकार से कमाई होती है। आज टूरिस्ट सबसे पहले आगरा आता है और आगरा हमारे पास में होने की वजह से वह सीधा राजस्थान में आ सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास न होटलें हैं और न दूसरी सुविधाएं हैं। बाहर से टूरिस्ट हमारे यहां पर आना चाहता है उसको हमें रोकना पड़ता है यह अफसोस की बात है। आज 40 प्रतिशत टूरिस्टों को ट्रेवलिंग ऐजेन्ट्स को मजबूर होकर मना करना पड़ता है कि वे राजस्थान में न आवें क्योंकि हमारे यहां पर होटलें नहीं हैं और अन्य सुविधाएं नहीं है। यहां पर मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जयपुर में एक रिसेप्शन सैन्टर की स्थापना की है। इसलिये आप कह सकते हैं कि हमने इसमें यह एक्टीविटी की है, और मैं इन एक्टीविटी की सराहना करती हूं लेकिन मेरा कहना यह है कि जितना जो कुछ आपके पास में है, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं इस मामले में हम अभी पीछे हैं। होटल का सवाल है जब जब भी यहां पर आया है यहां कहा गया है कि फाइव स्टार होटल की कार्यवाही चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत ही धीमे ढंग से चल रहा है और इसमें रेड टेपिज्म के आड़े आने के कारण कितना ही नुक्सान हो रहा है। आज ही मैंने यू.आई.टी. में जाकर के देखा है। एक सवा करोड़ के फाइव स्टार की होटल का प्लानिंग है वह रेड टेपिज्म के कारण रुका पड़ा है। साल भर रेवेन्यू मिनिस्टरी में कागज को चलते हो गया, मुख्य मन्त्री महोदय के आग्रह करने के बाद भी साल भर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लग गया और अब वह कागज यू.आई.टी. के पास लगभग डेढ़ महिने से पड़े हुए हैं। केवल उसे उस प्लान की मन्जूरी करके कागजों को आगे भेजना है। अभी उपाध्यक्ष महोदय मैं यू. आई. टी. में गई और उन कागजों को तैयार करा कर आगे भेजने के लिए आगाह करके आई हूं। यह हमारे यहां का रेड टेपिज्म है। सवा करोड़ की एक बिल्डिंग हमारे यहां पर बनने वाली है, फाइव स्टार की होटल बनने वाली है और कम से कम 300 आदमियों को इससे रोजगार मिलेगा और इससे राजस्थान के हैन्डीक्राफ्ट को फायदा मिलेगा। हमारे राज्य में कई चीजें हैं उनको बाहर से लोग आकर के देखेंगे परन्तु शायद सरकार इन चीजों के बारे में कोई अहमियत नहीं देती है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि इस तरह का जब रेड टेपिज्म हो तो उनको परसनल अटेन्शन देना चाहिए और इन चीजों को जल्दी से जल्दी करवाने में मदद करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय इस समय सेन्ट्रल के बजट में टूरिज्म पर 7 करोड़ रुपया रखा है और अब 14 करोड़ रुपया रखा गया है। अगर हमारे मन्त्रीजी चुस्त रहे और वे इसका ध्यान रखते तो

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

इसमें कोई दो राय नहीं कि वे वहां से भी कुछ रुपया ला सकते थे। लेकिन हमें जिस तरह से दिलचस्पी को लेना चाहिए अफसोस है कि हम ले नहीं पा रहे हैं इस टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए मेरा यह सजेशन है और कई बार मैंने मुख्य मन्त्रीजी को भी परसनली तौर पर निवेदन किया है कि आप इसको दुनियां के ध्यान में लाना चाहते हैं तो इस टूरिज्म के लिए आपको फुल-फ्लेज्ड मिनिस्टर नियुक्त करना चाहिए ताकि वह इसके ऊपर पूरा ध्यान दे सकें और सेन्ट्रल में भी इसी स्टेटस से बातचीत कर सकें। पहले यह जी. ए. डी. के साथ रख दिया गया और जी. ए. डी. ने इसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया और कोई दिलचस्पी नहीं ली। इसके महत्व को समझते हुए मेरा निवेदन है कि पूरा का पूरा एक फुल-फ्लेज्ड मिनिस्टर दिया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि टूरिज्म के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए...

**श्री उपाध्यक्ष :** जो हैं उन्हीं की पदोन्नति की जाय या किसी और को लिया जाय ?

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत :** यह सरकार जैसा समझे वैसा करे। मैं तो यह चाहती हूं कि टूरिज्म का प्रोमोशन हो। चाहे पदोन्नति की जाय और चाहे हिमाचल प्रदेश और काश्मीर में जैसे अधिकारियों का प्रोमोशन किया गया है वैसे किया जाय। चाहे अलग मन्त्रि मण्डल कायम किया जाय। मैं यह नहीं कहती हूं किन्तु मैं तो यह कहती हूं उस स्टेटस का मन्त्री हो, उस स्टेटस के अनुसार बात करे और ऐसे मन्त्री के हाथ में दिया जाय जो पूरी दिलचस्पी रखे। आज-कल जिस प्रकार के टूरिज्म हमारे यहां आ रहे हैं उसकी स्टेडी भी हमारे राज्य सरकार को करनी चाहिए। यहां बैठा हुआ आदमी किताबों से नहीं जान सकता है।

**श्री दौलतराम सारण :** यह कितनी बड़ी विडम्बना है कलाओं के लिए जो बेस्ट क्वालिफाइड लोग हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है और जिनका कोई वास्तुकला से सम्बन्ध नहीं है उनके निर्देशन में लोग लगे हुए हैं।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत :** आज कल टूरिज्म किधर बढ़ रहा है...

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** किसी अलग मन्त्री को दिया जाय या इन 36 में से ही किसी को दिया जाय ?

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत :** मैं यह नहीं कहती हूं। मेरा तो निवेदन है एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर को दिया जाय।

**श्री दौलतराम सारण :** महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी नहीं है। 50 परसेन्ट तो होना चाहिए। यह भयंकर उपेक्षा है, घोर उपेक्षा है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत :** किसको ?

**श्री दौलतराम सारण :** महिलाओं की।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत :** मैं पर्सनली किसी के बारे में नहीं कह रही हूं। मेरा मकसद तो क्लियर है....

**श्री दौलतराम सारण :** मेरा भी मकसद क्लियर है। योग्यता का उपहास हम

(श्री दौलतराम सारण)

बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : कश्मीर का नाम टूरिज्म में है लेकिन राजस्थान के नाम पर कश्मीर टिकता नहीं है। वन फोर्थ फारिनर भी काश्मीर में नहीं जाते हैं। आज राजस्थान में विविधता है, लेकिन कश्मीर के पास नहीं है। किसी भी चीज में ले लीजिये चाहे स्थापत्य कला में हो, चाहे रंगों में हों, चाहे कास्ट्यूम्स में हो, चाहे ज्योग्राफिकल स्थिति को लें–ईश्वर की कृपा से राजस्थान के पास जो वस्तुयें हैं वह धरोहर के रूप में है लेकिन हम शायद उनकी कद्र भी नहीं जानते हैं और उसकी कीमत भी नहीं जानते हैं। हमारे देखते देखते हिमाचल प्रदेश में, जो टूरिस्टों का एक आकर्षण बन गया है और वास्तव में वहां देखें तो कुछ भी आकर्षण नहीं है या तो केवल वहां प्राकृतिक सौन्दर्य है या वहां पर लोग दशहरे के मेले पर आते हैं इन दो चीजों के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। बनारस में इतने टूरिस्ट जाते हैं, क्यों जाते हैं केवल इसलिए जाते हैं कि वहां पर गंगा नदी है और बनारस गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। शायद इसके अलावा टूरिस्ट का वहां पर कोई आकर्षण नहीं है। हमारे यहां पर चाहे बूंदी को ले लीजिये, चाहें जैसलमेर को ले लीजिए, चाहे जयपुर को ले लीजिये–किसी क्षेत्र को ले लीजिये, अगर ऐसे क्षेत्र का विकास किया जाय तो काफी कुछ आकर्षण के केन्द्र है। टूरिस्टों के लिये हमारे यहां का संगीत, हमारे यहां के नृत्य, हमारे यहां के सांस्कृतिक मेले, हमारे यहां की पुरानी कास्ट्यूम्स एक से एक उत्तम चीजें हमारे पास है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, इन सबकी उपेक्षा करके न चलें। मंत्री महोदय को अपनी पूरी पूरी ताकत लगानी चाहिए। मैं एक नजीर देना चाहती हूं– आज जम्बो जेट का युग आ गया है। भारत में तीन जम्बो जेट दो दो करोड़ की कीमत के खरीदे गये हैं जिसमें एक एक जम्बो जेट में 500-500 टूरिस्ट आते हैं। अब हमारे सामने यह समस्या आ गई है जब एक ही प्लेन में 500-500 मुसाफिर आते हैं तो उनको दूसरी जगह भेजने के लिए क्या किया जाय। कल से ही एक वायुयान 747 बोइंग प्लेन उसमें 130 यात्री दिल्ली होते हुए बम्बई जाते हैं। आज टूरिस्टों के लिए बोइंग प्लेन की व्यवस्था की गई है। उपाध्यक्ष महोदय जो आज जम्बो जेट के लिए सेटिलाइट ऐरोड्राम की जरूरत है और वह सेटिलाइट एरोड्राम दिल्ली के आस पास होना चाहिए और यह प्रश्न विचाराधीन है– दिल्ली के पास कहां पर ऐसा स्थान हो जहां सेटिलाइट ऐरोड्राम बन सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी उस काम के लिए हमारे पास माकूल स्थान है और उसके लिए उपयुक्त मौसम भी हैं— हमारे पास काफी जगह हैं। हमारे मंत्रालय को सचेष्ठ होकर इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। जयपुर में सेटिलाइट ऐरोड्राम कायम किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उदयपुर में रोशनी का इन्तजाम न होने से प्लेन्स को अहमदाबाद में रुकना पड़ता है उससे राजस्थान को कई प्रकार के नुक्सान होते हैं। खास तौर से सर्दियों में प्लेन नहीं उतर सकता है। मैं मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी आप इस प्रकार के कदम उठायें, कुछ इस प्रकार के काम किये जायं कि जो हमारे यहां पोटेन्सियेलिटी है

( श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत )

उसको रख सके। केवल फॉरेन करेन्सी के रूप में ही न सोचें मैं करेन्सी से ज्यादा अपने यहां की सांस्कृतिक धरोहर को रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगी। आज हमारी पब्लिसिटि बाहर नाम मात्र की हो रही है जयपुर का नाम प्रसिद्ध है, उदयपुर को प्राकृतिक सौन्दर्य के नाम से सभी जानते हैं वहां पर कौन कौन सी फ्लाइट जाती है, कौन कौन से प्लेन जाते हैं– इसकी हमारे पास कोई पब्लिसिटि नहीं है, हम बाहर किसी प्रकार की पब्लिसिटी नहीं करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कुछ रकम हमें इस तरफ लगानी चाहिए। अगर हम प्रमोशनल एक्टिविटि पर खर्च नहीं करेंगे तो बाहर कुछ नहीं रख सकेंगे। मैं तो यहां तक कहूंगी हमारे यहां राज्य की ओर से एक दो व्यक्तियों को बाहर भी भेजा जाय तो भेजना चाहिए। आज अफ्रीका में टूरिस्टों के आकर्षण के लिए कुछ नहीं है केवल जो पुरानी बातें हैं उनको ही इस तरह से डेवलप किया है कि आज वह देश बहुत बड़ी भारी टूरिस्ट इन्डस्ट्री में विकसित हो चुका है। प्राचीन झोंपड़ियों को होटलों में परिवर्तन कर दिया है। वहां का मौसम भी टूरिस्टों के लिये अनुकूल नहीं है लेकिन जिस आर्ट को वहां रखा है उस नाते टूरिस्ट आकर्षित होते हैं। मैं नहीं सोचती हूं हमारे पास कमी किस चीज है ? मैं विश्नोइयों के पवित्र स्थान मुकाम की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी जहां पर टीबे हैं और उसके आस पास में हरिण बहुत मिलते हैं क्योंकि विश्नोई लोग वहां पर आस पास में शिकार नहीं करने देते हैं इसलिये भी वहां हरिण बचे हुये रह गये हैं-वहां पर टूरिस्ट आकर्षण की बहुत बड़ी चीज होगी। आज रेगिस्तान को देखने के लिये भी टूरिस्ट तरसते हैं। इससे कमाई भी कर सकते हैं और दूसरे जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वह भी दिखाई जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय अगर इसके ऊपर जिक्र किया जाय तो एक नहीं अनेक स्थलों के लिये कहा जा सकता है। हमारे यहां पिछोला के पानी के लिये कुछ स्कीम बनाई जा सकती है। वहां पर क्लब खोले जा सकते हैं जिससे टूरिस्टों का आकर्षण बढ़े। आज संसार ने शिकारा बनाना कश्मीर से सीखा है लेकिन उस शिकारे में भी आज ससार आगे निकल चुका है लेकिन हमारा दुर्भाग्य है जो हमारे घर की चीज है जिसको दूसरों ने सीखा है उसी को आज हम डेवलप नहीं कर पाये। आज नावें बनाते हैं तो उसको माडर्न आर्ट के रूप में बनाते हैं, आज फव्वारे भी बनाते हैं तो विदेशों की नकल करते हैं। मैं सोचती हूं क्या विदेशी उन चीजों को देखने आयेंगे ? वे देखना चाहते हैं आपके यहां की ओरिजनलिटि, वे देखना चाहते हैं आपकी पुरानी संस्कृति, वे देखना चाहते हैं आपके ट्रिपिकल आर्ट के नमूने लेकिन उन सब पर हमारा ध्यान नहीं है। आज आपकी नावें पुरानी ढंग की हो, वही पुराने ढंग से जो पिछोला में चला करती थी उसी ढंग की हो उसी पर टूरिस्ट आकर्षित होंगे-आपके मॉडर्न ढंग पर नहीं। इसलिये छोटी छोटी बातों पर हर तरह से ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष महोदय एक बात और जब टूरिस्ट आते हैं तो लाखों रुपयों का फायदा दे जाते हैं। राजस्थान एम्पोरियम में देखने से पता चलता है–हमारे यहां की जो औरतें घाघरा पहनती हैं उसके लिये उन लोगों ने 5 लाख का आर्डर दिया है, तो टूरिस्ट का आना मामूली बात न समझें। टूरिस्ट के

( श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत )

आने पर कई प्रकार की चीजें बढ़ती है खास तौर से टूरिस्टों से हेन्डीक्राफ्ट को बहुत फायदा मिला है लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । जितना हमारे पास है उसको आगे नहीं रख सकते हैं। उसमें तब्दीली की जरूरत है । जो आर्ट हमारा मरता आ रहा है उसको बाहर भेज सकेंगे तभी हमारे आर्ट की रक्षा हो सकेगी। इसलिए इसको इन्डस्ट्री से छोटा न माना जाय और इसके लिए प्रोमोशनल एक्टीविटी की जाय । संक्षेप में मैं यही निवेदन करूंगी कि सबसे पहले एक ऐसी फिल्म बनाई जाय जो राजस्थान के विविध अंकों को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सके। उसमें हमारा संगीत हो, उसमें हमारे नृत्य हों, उसमें हमारी पुरानी पोशाकें हों, उसमें पुराने किले हों, उसमें हमारे समाज का विविध वैचित्र्य हो, और उसमें हमारा साहित्य भी हो । इस सारे सवांग की पूर्ण फिल्म बनाकर बाहर टेलिवीजन पर भेजना चाहिए। एक फिल्म बनाकर टेलिवीजन को दे दें तो जो कुछ खर्चा आयेगा फिल्म पर उसका 50 गुना टेलिवीजन वाले दे देंगे और जब वे उसको अपने कार्यक्रम में लगायेंगे तो जो टेलिवीजन देखेंगे वे टूरिस्ट बनकर आयेंगे और उनकी वजह से कई चीजों के आर्डर आयेंगे । उसका हिसाब आज नहीं आंका जा सकता है। मंत्री महोदय, ज्यादे से ज्यादा प्रोमोशनल एक्टीविटी पर रकम खर्च करें, और एक दो आदमियों को बाहर भेजें और दूसरे देशों में वे देखकर आयें। बाहर से देखकर हिन्दुस्तान में आने पर पता चलता है कि इस मामले में हमें कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि चाहे आप स्वयं जायं या दूसरे व्यक्ति को भेजें, लेकिन वह स्टडी करे, और माकूल स्टडी करे । जैसे बरकतुल्ला साहब जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने काफी इसको प्रोमोट किया और काफी दिलचस्पी दिखाई । ऐसी जील का आदमी होना चाहिए कि बाहर जाकर देखे और इसको समझे और इसको ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सके। मैं किसी पर्टीक्यूलर व्यक्ति के लिए नहीं कहती । चाहे आप स्वयं हों, चाहे आपके आफिसर हों चाहे कोई भी हों मेरा मकसद यह है कि ठीक तरह से इसको किया जाय और विदेशों में इसको वाइड पब्लिसिटी दी जानी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रावतराम ।

**श्री रावतराम** (छापर) : उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट का इसमें सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आज यह समाज कल्याण महकमे की जो डिमाण्ड है उसके बारे में इतना तो अवश्य कहूंगा कि सदन के माननीय सदस्य इस बारे में उतने उत्सुक नहीं है जितने कि होने चाहिएं, और यह एक ऐसा विभाग है जो कि राजस्थान के लाखों हरिजनों और आदिवासी लोगों से सम्बन्ध रखता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है, परन्तु फिर भी मेम्बर्स इस बारे में जो हैं विशेष रुचि नहीं लेते हैं...

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** स्वतन्त्र और जनसंघ वालों की दिलचस्पी नहीं है और तो बैठे हैं उनको वोट नहीं दिये इसलिए ।

**श्री रावतराम :** इस बात पर कम से कम माननीय सदस्यों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए सरकार को, क्योंकि यह महकमा ऐसा फिलहाल चल रहा है जैसे कि कोई बनिये की दुकान हो ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बनिये की दुकान बताते हैं बनिया तो बड़े व्यवस्थित ढंग से चलता है।

श्री मोहनलाल मोदी : बनिये की दुकान बड़ी व्यवस्थित चलती है। आपने कैसे कह दिया। उसकी दुकान तो बड़े सुन्दर ढंग से और व्यवस्थित रूप से चलती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बनिये के यहां कोई पोल नहीं रहती है और अपना पैसा कभी किसी को खाने नहीं देता है और बड़ा व्यवस्थित हिसाब रखता है।

श्री शंकरलाल : जोशीजी बनिये नहीं हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनका मतलब शोषण से है।

श्री रावतराम : बनिये के यहां ब्याज दर ब्याज निकलता रहता है।

श्री मोहनमाल मोदी : जोशीजी का महकमा है वह।

श्री रावतराम : समाज कल्याण महकमें में आमूलचूल परिवर्तन कर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सुधार करना चाहिए। इसमें कुछ एफिशियेन्सी लाना चाहिए। आज जो सारी शिकायतें आती हैं वह इसलिए नहीं है कि आपने छात्रावास नहीं खोले और दूसरा कोई काम नहीं किया है।

( 1·55 म. प. )

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

यह काम तो जैसा कि रूटीन में चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन आपका महकमा क्या करता है ? कोई भी आदमी जायेगा तो सन्तोष लेकर नहीं जायेगा कि आपकी क्या एक्टीविटीज हैं। आपने इतनी सारी एक्टीविटीज चालू कर रखी हैं तो कोई भी स्पष्ट नहीं है। वह किसी के समझ में नहीं आ सकता आपके महकमें से क्या प्राप्त किया जा सकता है। आपके महकमें में अच्छे लोग, ईमानदार और सेवाभावी हों जैसा कि मनोहरसिंहजी यह कह रहे थे कि इस विभाग का यह काम है वह सेवाभावी व्यक्तियों से ज्यादा ताल्लुक रखता है। आप इस तरह के लोगों को जो आई. ए. एस. हैं वह कलेक्टर बनना पसन्द करते हैं या सेक्रेटरी बनना पसन्द करते हैं। इस काम में वे रुचि नहीं लेते हैं और न इसकी जानकारी रखते हैं। ऐसे लोगों के हाथों में जब तक यह महकमा रहेगा, यह आप सही मानकर चलें, न हरिजनों की भलाई होगी और न जिस उद्देश्य से महकमा बना है उसकी पूर्ति कर पायेंगे। श्री मनोहरसिंहजी मेहता ने कहा कि जब श्री सत्यप्रसन्नसिंह भंडारी इसके सेक्रेटरी थे तो उनके जमाने में जितनी अच्छी व्यवस्था से काम हुआ है। वह समझते थे कि डिफिकल्टी क्या है और किस तरह से लोगों की मदद करते थे। वह आउट आफ वे जाकर मदद करते थे और उनकी मदद करने का नतीजा यह हुआ कि लोगों के दिमाग में उसकी बड़ी आस्था जमी थी, लेकिन उसके बाद में वही रगड़ दगड़ बराबर चलती आ रही थी। यहां बोलने वाले सदस्यों ने कहा था कि वह रिपोर्ट हाउस में पेश होना चाहिए और बहुत बहस की है, और साल में एक रिपोर्ट हाउस में पेश होती है और माननीय सदस्य

( श्री रावतराम )

बोलते हैं और सुझाव देते हैं लेकिन नतीजा उस रिपोर्ट का कुछ नहीं निकलता है। इसलिए रिपोर्ट पर बहस हो या न हो उससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ऐसा काम करना है जो कि बहुत जरूरी है जिससे सीधा हम लोगों पर असर पड़े जो कि इस बात की आशा रखते हैं कि हमको कुछ मदद मिले।

तो मैं माननीय सभापति महोदया, आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहता था कि आपके महकमें के क्रियाकलापों से और काम करने से यह ऐसा लगना चाहिए कि यहां पर कम से कम पक्षपात नहीं होता है। इसमें न कोई पार्टी का सम्बन्ध आना चाहिए और न राजनीति का सम्बन्ध आना चाहिए। यह एक विशुद्ध सामाजिक समस्या हमारे सामने ही नहीं बल्कि सारे देश की है। इस समस्या को इस लाइट में नहीं लेना चाहिए कि कौन किस पार्टी का है और क्या है। मैं आप पर आरोप तो नहीं लगाना चाहता, क्योंकि आप इस महकमें के मंत्री हैं आरोप लगाने और नहीं लगाने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपने जो कुछ किया है उससे यह जरूर झलकता है कि राजस्थान का कुछ हिस्सा आपने निश्चित तौर से छोड़ दिया है। कई जिलों की आपने पूर्णतया उपेक्षा की है। वह उपेक्षा क्यों की है, यह आपकी समझ में आना चाहिए। जहां पार्टी बंदी का सवाल लेते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए समझते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ज्यादा से ज्यादा जो सत्तारूढ़ दल की मदद करते हैं। आपने कुछ जिलों को इस तरह से नेग्लेक्ट किया है

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : आप कह रहे हैं ?

**श्री रावतराम** : मैं नहीं कह रहा हूं। आप किन के वोटों से आये हैं यह आप जानते हैं। उन लोगों ने आपको वोट दिया या नहीं ?

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** : दिया है।

**श्री रावतराम** : उनकी बात करता हूं

**एक माननीय सदस्य** : पंडितों के वोट से आये हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अकेले पंडितों ने नहीं दिये हैं। उन्हें पंडितों ने वोट नहीं दिये हैं।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : अब देते हैं।

**श्री रावतराम** : मैं सतलाना वाली बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ फील करता हूं वह कहूंगा। हम यह फील करते हैं कि आपकी एक्टीविटीज इस प्रकार की हों कि आपके पैसे का सदुपयोग हो, और उसका रियेली फायदा ठीक हो सके और जो पैसा खर्च करते हैं समाज कल्याण पर वह उन लोगों तक पहुंच सके, इस तरह की आपको व्यवस्था करना चाहिए। वहां विभाग का काम एक नजर में पूछा जा सके, हरिजनों के मामले में इस तरह की आपको व्यवस्था करनी चाहिए (माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) थोड़ा सा आप धीरे बोलें। तो मैं आपको होस्टल के बारे में कह रहा था कि आपने इस तरह कई जिलों को छोड़ दिया है, आपने होस्टल की लिस्ट दी है उसमें 269 होस्टल आपने चला रखे हैं, इनमें से 120 तो गवर्नमेंट

( श्री रावतराम )

चलाती है और 116 को आप अनुदान देते हैं और 33 को तीसरी श्रेणी के अन्दर खोल रखा है। मैं यह सुझाव दूंगा, आप यह होस्टल विधान के द्वारा क्यों नहीं चलायें। यह जो 269 होस्टल चलते हैं, आपका डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, तो यह वह खुद क्यों नहीं चलाता है। इन छात्रावासों में जो तीसरी श्रेणी के छात्रावास चलते हैं, आप मानते हैं कि इनमें करप्शन है, उनमें जो एक लड़के के लिए जितना पैसा सरकार देती है मन्थली वह खर्च नहीं होता है। आप जांच करे या न करें, लेकिन जो आपने होस्टल चालू कर रखे हैं अनुदान के तरीके से, वह केवल मात्र इसलिए चालू कर रखे हैं कि कुछ पब्लिक का कन्ट्रीब्यूशन हो, आप अनुदान दे देते हैं 75 प्रतिशत ……

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** 90 पर्सेन्ट।

**श्री रावतराम :** 90 पर्सेन्ट आप देते हैं और 10 पर्सेंट वह मिलाते हैं, लेकिन वह भी वह नहीं मिलाते हैं, और आप जो 90 पर्सेंट ऐड देते हैं उसमें से 75 पर्सेंट खर्च भी नहीं करते है, वह पैसा दूसरों की जेब में चला जाता है, उनकी जेब में चला जाता है जो संचालक हैं और जो होस्टल को चला रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपने क्यों यह बर्डन अपने ऊपर ले रखा है। इसके अलावा एडमीशन का सवाल है, उसके अन्दर भी वह अपनी मर्जी के मुताबिक लड़कों को एडमिट करते हैं, और बाकी के लड़कों को नहीं करते हैं। यह सोचने की बात है। एक तो होस्टल को आप 90 पर्सेंट ऐड दें, उसका वह नकली हिसाब रखें, दूसरे जो लड़के, उनकी मर्जी में आयें, उनको भर्ती करें और जो लड़के आयें उनसे पैसा खा लें– यह आपत्ति की बात है। इस पर सोचना चाहिए। ऐडेड होस्टल वही होना चाहिए जो वालियन्ट्री एजेंसी के द्वारा या दान से चलती हों, जो आपके महकमे से मिला पैसा ठीक तरह से खर्च करती हों– इसकी जांच करके जिनके लिए आपको पूरा इत्मीनान हो जाय कि वाकई पैसा जमा होती है, उसके बाद आप उनको पैसा दें। फिर जो एडमिशन का सवाल है, उसके लिए भी आपकी कमेटी होनी चाहिए, ताकि उसमें एक आदमी की मोनोपोली नहीं हो……

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** है।

**श्री रावतराम :** गवर्नमेंट होस्टल में है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** सब में है।

**श्री रावतराम :** सबमें है, तो नाम मात्र को होगी। ऐडेड होस्टल में हो, निश्चित तौर से सही तरह से चलाने के लिए। मैं सबके लिए नहीं कहना चाहता, फिर भी इनका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए इन पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अलावा यह जो तीसरी श्रेणी के होस्टल हैं, इनका क्या पर्सेंटेज है, क्या नहीं– इसका पता नहीं, लेकिन इन पर भी विचार करना चाहिए। यह जो ऐडेड होस्टल हैं, इनमें काफी करप्शन है, इनको जो पैसा देते हैं, उसका पचास पर्सेंट छात्रों पर खर्च होता हो तो भी आपत्ति नहीं, लेकिन आज वह पचास पर्सेन्ट भी छात्रों पर खर्च नहीं हो रहा है। इसलिए इनके बारे में जांच करनी चाहिए और सही नीति निर्धारित करनी चाहिए। इनके बारे

( श्री रावत राम )

में बार बार शिकायतें आती हैं, ऐडेड होस्टल में रोज झगड़े होते हैं, लड़के कहते हैं, घी की जगह तेल खिलाते हैं, दूध की जगह पानी पिलाते हैं, गेहूं के आटे की जगह जौ का आटा देते हैं। यह शिकायतें क्यों आती हैं ? अगर डिपार्टमेंट के होस्टल हों तो डाइरेक्टर को ले जाकर बता सकते हैं और कोई बुरी चीज हो तो उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन ऐडेड होस्टल पर कोई दायित्व नहीं है, वह दायित्व से बाहर हो जाते हैं, कहते हैं, यह तो ऐडेड होस्टल है, हम तो ग्रान्ट देते हैं, बाकी उसमें यह अपना हिस्सा मिलाते हैं। इसलिये इस पर विचार करना चाहिये और जहां तक हो सके, गवर्नमेंट अपने अन्दर में होस्टल लेकर चलायें तो उससे फायदा हो सकता है।

दूसरे जो जिले-वाइज लिस्ट दी है, कहां कहां होस्टल खोल रखे हैं, उसके अन्दर में चूरू जिले का उदाहरण दूं चूरू जिले में 1971 को सेंसस रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख 72 हजार की आबादी है। इतनी आबादी चूरू जिले की है, लेकिन एक सरकारी होस्टल जिले के हैड क्वार्टर पर है, उसके बाद में एक ऐडेड होस्टल है, सरदार शहर, बाकासर में। इस जिले में सात तहसीलें हैं, आठ लाख की पापूलेशन का जिला है, लेकिन उसमें दो होस्टल हैं, उनके सिवाय कोई होस्टल नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, एक तरफ बांसवाड़ा है, इसमें आपके 21 होस्टल हैं, सुनिये जोशी जी महाराज, बांसवाड़ा में 21 होस्टल हैं.....

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** अच्छा पकड़ा।

**श्री रावतराम :** जोशी हैं, ब्राह्मण हैं, महाराज हैं।

**श्री विजयसिंह :** महाराज तो शनिश्चर के होते हैं।

**श्री रावतराम :** मिसाल के तौर पर बताता हूं। बांसवाड़ा की पापूलेशन चूरू जिले से कम है, जबकि बांसवाड़ा में 21 होस्टल हैं...

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** बांसवाड़ा में ट्राइबल पापूलेशन 67 पर्सेंट है।

**श्री रावतराम :** अजमेर को ले लें, उसमें दस होस्टल हैं। अजमेर में तो इतनी ट्राइबल पोपूलेशन नहीं है। आप नागौर को ले लीजिए, वहां इतनी ट्राइबल पोपूलेशन नहीं है, फिर भी दस होस्टल हैं। मैं आपको बताऊं, उदयपुर में 32 होस्टल हैं, वहां भी ट्राइबल पोपूलेशन मानते हैं ? तो आठ नौ लाख का जो जिला है, उसमें केवल दो होस्टल हैं, एक तो राजकीय और एक सहायता प्राप्त, बाकी सुजानगढ़, रतनगढ़, छापर, बादासर, चारावास, बीकानेर तक चले जायें इनमें कोई होस्टल नहीं है। इस तरह जो होस्टल खोलते हैं, इस तरह की नीति से काम नहीं करना चाहिए। इस नीति से करना चाहिए जो बैकवर्ड ऐरिया हैं, जो डेजर्ट ऐरिया हैं– मैं अर्ज कर रहा हूं, ऐसे एरिया हैं, जहां तीस चालीस मील तक मिडिल स्कूल नहीं है, वहां बड़े बड़े गांव हैं उन गांवों की पोपूलेशन में शिड्यूल्ड कास्ट्स की पोपूलेशन है, वह 23 पर्सेंट पोपूलेशन है, उनके लड़कों के लिए नजदीक में होस्टल हों तो वह वहां जा सकते हैं, इसलिए कृपा करके इस एरिया में होस्टल खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अलावा आपके होस्टल में जो आपका स्टेन्डर्ड है खाने पीने का, रहन सहन

( श्री रावत राम )

का –इसको समय समय पर चैक करना चाहिए। मैं निवेदन करूं, ऐडेड होस्टल या सरकारी होस्टल—इनमें जितना पैसा खर्च होता है, जितना पैसा स्टूडेन्ट के खाने पीने पर खर्च होना चाहिए उसमें गड़बड़ी होती है, इसमें करप्शन है। यह दूसरे लोगों की जेब में, ठेकेदारों की जेब में चला जाता है और बच्चों का हिस्सा बच्चों के पास नहीं जाता है। वह शिकायत करते हैं, हड़ताल करते हैं, होस्टल से निकलते हैं, मारपीट होती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इस प्रकार की शिकायतें कम से कम हों।

छात्रवृत्ति के बारे में मैंने कई बार हाउस में निवेदन किया है, वैसे पहले से सुधार है। पहले लास्ट में जाकर मिलती थी, अब उसमें सुधार हुआ है। मैं मानता हूं उस सुधार से लड़कों में सन्तोष है। फिर भी इसके अन्दर प्रोसीजर को जितना सिम्प्लीफाई कर सकें, उतना करने की कोशिश करनी चाहिए।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। आज जो शिक्षा की सुविधा दे रखी है, माननीय सभापति महोदया, आप सहमत हों या नहीं – मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, आज शिक्षा के बारे में, शिक्षा के मामले में जितनी डिस्पैरिटी पैदा कर दी है, उससे एक और नई क्लास खड़ी होती जा रही है। आप इसके बारे में कह सकते हैं कि जो लोग साधन सम्पन्न हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। मैं भी मानता हूं, लेकिन फिर भी आज जिस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में ले जाने के लिए जो प्रयत्न भारत सरकार की तरफ से हो रहे हैं और जो सारे देश में समाजवाद की हवा चल रही है, चाहे उससे कुछ हो रहा हो या नहीं, लेकिन वाणी से इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि समाजवाद की दिशा में बढ़े हैं। माननीय सभापति महोदया, जब समाजवाद की दिशा में बढ़ने की बात करते हैं तो एज्यूकेशन के मामले में जो डिस्पैरिटी होती है, उसको खत्म करना होगा। हालांकि आज यह सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आज एजूकेशन के मामले में देखिए, आज आप दो गांवों में एक प्राइमरी स्कूल चलाते हैं, उसमें किसान का, हरिजन का, गरीब का लड़का पढ़ता है, दूसरी तरफ जयपुर में सैंट जेविअर है, पब्लिक स्कूल है, जो अच्छे स्टेन्डर्ड का स्कूल है, जिसमें बड़ा खर्च होता है, गवर्नमेंट दिल खोल कर, माननीय सभापति महोदया (माननीय सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर) मेम्बर आपस में बात बहुत कर रहे हैं, उससे डिस्टरबेन्स बहुत होता है…

**श्री अमीलाल यादव** : बात कोई नहीं कर रहा है, गौर से सुन रहे हैं।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : सुन्दर विचार रख रहे हैं।

**श्री रावत राम** : मैं निवेदन कर रहा था, क्या इस तरह से एजूकेशन के मामले में जिस नीति से स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं एक तरफ सैंट जेविअर पब्लिक स्कूल है जहां पर एक बच्चे पर तीन 2 सौ रुपये खर्च होते हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण लड़का है। जो स्टेन्डर्ड एजूकेशन का आपने बना रखा है उसको भी तो देखिये। एक तरफ यह स्टेन्डर्ड है और दूसरी तरफ ग्रामीण का

# Page No 94



( श्री रावत राम )

स्टेन्डर्ड देखिये। बड़े 2 सेठ साहूकार और लीडर्स के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। फिर उनको कलेक्टर और बड़े 2 पद चाहिये और वे लोग इस देश की जनता को भूखे भेड़ियों की तरह दबोच लेते हैं। उनके कम्पीटिशन में आज हमारे बच्चे टिकते नहीं हैं। क्या आप उन सारी बातों को नहीं समझते हैं ?

माननीय सभापति महोदया, हमारे भारत का इतिहास हमें यह बताता है कि पुराने जमाने से याद करें तो हमें सोचना पड़ेगा। हम सुनते आये हैं और पुराणों में पढ़ते आये हैं कि हिन्दुस्तान में पहले राजा और रंक का लड़का एक जगह पढ़ते थे। इस प्रकार के कई उदाहरण हमें मिलते हैं हमारे ग्रन्थों में। श्री कृष्ण एक राजा के लड़के थे और सुदामा एक गरीब का लड़का था। नालन्दा और तक्षशीला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनमें राजाओं और बड़े बड़े सामन्तों के लड़के पढ़ते थे और शुद्र भी पढ़ते थे। चाहे जाटव हो, कुम्हार हो, किसी भी जाति का हो। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय थे। लकड़ी लेने जाना है तो साथ में राजा के लड़के को जाना पड़ेगा, पानी लेने जाना है तो राजा के लड़के को भी जाना पड़ेगा। सफाई करनी है तो राजा और रंक के लड़के को एक साथ करनी है। वहां समाजवाद था। जहां ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए वहां तो आप स्वयं पैदा करते हैं। आप विचार करिये कि क्या इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स को बन्द कर दिया जाय ? मेरा एक सुझाव है। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि चाहे गरीब और किसान का लड़का हो, सेठ का लड़का हो, चाहे बड़े किसी नेता का लड़का हो आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे सब साथ रह कर पढ़ सकें। इससे उनमें समानता आवेगी, वरना नहीं। करोड़ों रुपया एजूकेशन में खर्च किया इनका फायदा केवल उच्च समाज के लोगों ने ही उठाया है। वर्तमान व्यवस्था जो लागू कर रखी है यह निश्चित है कि यह समाजवादी तरीका नहीं है।

आवास समस्या के बारे में मैं आप से दो बात कहूंगा। इस देश में पहली दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी। हिन्दुस्तान में आवास की समस्या थी और उसको दूर करने के लिये भारत सरकार ने हाउसिंग स्कीम को चालू किया। लो इनकम हाउसिंग स्कीम, मिडिल इनकम हाउसिंग स्कीम। छोटे लोगों के लिए भी एक स्कीम चली। पहली दूसरी और तीसरी योजना में करोड़ों रुपये मिले। वह कहां गये ? आपने उन लोगों का दिये जिनकी हैसियत बड़ी है, जिनके पास मकान हैं और बिजनिस है और व्यापार है। दो दो हजार रुपया तनख्वाह, और उन लोगों को मकान बनाने के लिये हजारों रुपये दिये। जयपुर को ही देख लीजिये हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लोन मिला। कलेक्टर, बड़े बड़े बड़े अधिकारी और बड़े सेठ साहूकार निकलेंगे सूची बनाकर देख लीजिये। लाखों रुपया लोन के उनको दिये हाउसिंग स्कीम के नाम से दिये। क्या आप बता सकते हैं कि जो गरीब से गरीब आदमी रूरल एरिया में बैठा है, एक्चुअली जिसके पास मकान नहीं है। 20 साल पहले उसके पास झोंपड़ा था उसके पास आज भी झोंपड़ा ही है। क्या आपने उसको पांच हजार रुपया भी लोन का दिया है ? क्या सरकार नहीं दे

(श्री रावतराम)

सकती ? क्षमता तो है लेकिन मंशा साफ नहीं है। आपको निश्चित रूप से यह भी मालूम है कि हाउस में भी हैं जिनका हाउसिंग स्कीम के नाम पर एक एक लाख रुपये का लोन दिया है जबकि उनके पास मकान है और लाखों रुपया सालाना इनकम है। फिर किस बात का लोन ? जिनके पास लाखों रुपया सालाना की आमदनी है उनको तीस हजार, पचास पचास हजार रुपया ही नहीं एक एक लाख रुपया एक एक आदमी को लोन दिया है। पांच हजार रुपया भी काश्तकार को लोन देते तो 20 किसानों को मिलता है, और बीस पक्के मकान होते तो हम निश्चित तौर से कह सकते थे कि समाजवादी दृष्टिकोण है और हिन्दुस्तान में है कि उस किसान को पांच हजार रुपया इस सरकार ने लोन दिया है जिसके पास पहले घर बना हुआ नहीं था। उसको तो नहीं दिया। आप कहते हैं कि नियमों में नहीं आता है। नियम किसने बनाये ? जो नियम बनाने वाले थे उन्होंने ही लोन ले लिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि चाहे गांवों में, चाहे शहरों में हरिजनों का सवाल है, उनके पक्के मकान नहीं हैं और उनके मकान बनाने के लिये इस महकमे ने पिछले कई वर्षों से कोशिश की। पहले 750 रुपये दिये और उसके बाद एक हजार रुपया अनुदान का दिया। जोशीजी कितनी ही सफाई दें, एक हजार का अनुदान भी मिलता नहीं। किस प्रकार मिलता है, आप हम सब यह जानते हैं।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** कोरम नहीं हैं।

**श्री रावतराम :** आप बता दीजिये। चुरू जिले के 952 गांव हैं।

( गणाभाव सूचक घंटी )

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** यह लगता है कि कितने इसमें लोग इन्ट्रेस्टेड है।

**श्री रावत राम :** (गण- पूर्ति के पश्चात्) मैं निवेदन कर रहा था कि पांच साल में भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक हजार का अनुदान दिया हो। एक हजार के अनुदान में होता क्या है ? एक हजार में मकान का ढांचा भी खड़ा नहीं कर सकता है। लोगों के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि जहां दूसरे लोग हाउसिंग स्कीम के नाम पर लाखों रुपया ले रहे हैं। मैं केवल हरिजनों के लिये ही नहीं किन्तु वहां गावों में रहने वाले ब्राह्मण, जोशी बनिये आदि दूसरी जाति के लोगों के लिये, जो कि मकान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, उनके खाते में जमीन हैं, वे काश्तकार हैं उसके लिये मकान के लिये क्यों नहीं अनुदान की व्यवस्था करते हैं ? माधोसिंह जी भैंसवाड़ा को एक लाख का लोन दे सकते हैं। दूसरे लोगों को पचास हजार रुपये का लोन दे सकते हैं, जिनके रहने के लिये बड़े बड़े गढ़ हैं।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** उनका शरीर भी मोटा है और मुंह भी मोटा है।

**श्री रावतराम :** तो मैं यह निवेदन करूंगा। आपने नहीं किया है। आपने किसी हरिजन को पांच हजार का लोन नहीं दिलाया है। किसी को पांच हजार का लोन दिलाया हो तो बतावें। आपके ऊपर मेरा यह आरोप है। आप कांग्रेस के मिनिस्टर हैं आपने दो, चार, पांच परिवारों को लोन दिलाया हो तो बतावें।

**श्री माधोसिंह :** आप मेरे क्षेत्र में आइये आपको मुलाहिजा करवाऊंगा। जालौर आवें तो आपको दिखा दूंगा।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** शरीर से मक्खी नहीं उड़ता है।

**श्री रावतराम :** मेरा तो निवेदन यह है कि आपने मकान बनाने के लिये जिनके कि मकान नहीं है....

**श्री माधोसिंह :** मैंने कोई लोन नहीं लिया है।

**श्री मदन सिंह दांता :** पहले लिया था एक लाख रुपया उसकी बात है।

**श्री माधोसिंह :** मैने नहीं लिया है।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा :** भैंसवाड़ा तो गांव का नाम है।

**श्री रावतराम :** मेरा निवेदन यह है कि आपको यह करना चाहिये कि आज आप कर्जे के रूप में हरिजनों को पैसा देते हैं, वह कर्जे के रूप में दे रहे हैं किसी अनुदान के रूप में नहीं दे रहे हैं। आपने एक जो यह योजना बनाई है कि बिना ब्याज के कर्जा दिया जायेगा। यह व्यवस्था तो आपने ठीक की है लेकिन दो हजार में मकान नहीं बनेगा। इसको बढ़ाईये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इसके लिये जो रूल्स बनाये हैं उसको मैंने देखा है और उस हिसाब से तो गांव में रहने वाला कर्जा नहीं ले सकता है। आपने उसमें एक फार्म रखा है। उस फार्म पर सरपंच, जो सम्बन्धित पंचायत है उसका सरपंच तस्दीक करेगा कि उसके पास पट्टा है? आपने इसमें पट्टे की शर्त रखी है। आपको मालूम होना चाहिये कि गांव में पट्टे का कोई रिवाज नहीं है। पंचायतें तो अब बनी हैं। तो हरिजनों को पट्टे नहीं दिये गये हैं। पिछले साल आपने आर्डर निकाला है लेकिन अभी भी उनको पट्टा नहीं दिया गया है। आप यह तो मानिये कि जमीन पर उनका कब्जा है और वे लोग उस जमीन पर पीढ़ियों से बसे हुए हैं। उनको तो आपको पट्टा देना चाहिये। आपके पास यह सबूत है कि 15-20 साल से वह रह रहे हैं। उसी बात पर सरपंच को तस्दीक कर देना चाहिये। खैर सरपंच ने उस फार्म पर तस्दीक कर दी और सरपंच के बाद उस पर विकास अधिकारी तस्दीक करेगा। फिर वह विकास अधिकारी के पास जायेगा और विकास अधिकारी उससे यह कहेगा कि जो गांव है वहां पर आऊंगा और मौका देखूंगा। तो यह कैसा आपका फार्म है। वह हरिजन उस विकास अधिकारी का पीछा करेगा, उसके पीछे फिरना है। विकास अधिकारी तस्दीक कर देगा तब जाकर के वह समाज कल्याण अधिकारी के पास जायेगा। समाज कल्याण अधिकारी फिर मौका देखेगा और उसकी तस्दीक करेगा। इसके बाद वह फार्म डाइरेक्टर के ऑफिस में आयेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इसी तरह से हरिजनों को कर्जा दे रहे हैं? यदि उसके पास में पट्टा है तो वह उस पट्टे की नकल को गजेटेड ऑफिसर से तस्दीक कराकर फार्म के साथ भेज दें। फिर क्या चाहते हैं। पट्टा नहीं है तो इस बात की तस्दीक सरपंच कर दे। वे पीढ़ियों से वहां पर आबाद हैं, उस जमीन पर बैठे हुए हैं। उसकी वह जमीन है उसके बाद भी आप विकास अधिकारी से तस्दीक करना चाहते हैं तो आप सोचिये कितनी बड़ी परेशानी उन लोगों को होती है। लोग उनसे कर्जा दिलाने के नाम पर पैसा खा जाते हैं। जीप का पेट्रोल उनको देना होता है और उसके बाद यहां तक फार्म पहुंच पायेगा। एक एक परिवार से 50-50

(श्री रावतराम)

रुपया खर्च करा लिया जाता है और इन्स-पेक्टर बीच का दलाल पैदा हो गया है। पैसा दिलाने के लिये और वह हरिजनों से 20-30 रुपया खा जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन रूल्स को ठीक कीजिये।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

आप यह तो मानते हैं कि वह गांव का रहने वाला है और सरपंच उसकी तस्दीक कर दें उसके बाद उसको लोन दे दिया जाय। उसके बाप दादा वहां रहते आये हैं। आपने यह जो लोन देने की व्यवस्था की है उसको आप वापिस लेंगे। इसके लिये आपने छ: माही किश्तों का रखा है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि आपको सालाना किश्तें करनी चाहिये और आपको यह 20 किश्तों में वसूल करना चाहिए। यह मेरा सुझाव है कि रूल्स को सिम्पलीफाई करें और जो लम्बी चौड़ी जानकारी इसके बीच में रखी गई है उसको हटा दिया जाये क्योंकि ये हरिजन गरीब आदमी हैं, अनपढ़ हैं और उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है इसलिये ये नियम जितने सीधे और सरल बन सकें बनायें जाये और उन लोगों के मकान बन सकें और समय पर वे लोग अपनी किश्त को अदा कर सकें इस तरह से इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

सभापति महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सर्विसों का मामला है। सर्विस के बारे में बार बार यह कहा जाता है कि 28 प्रतिशत की आपने घोषणा कर दी है। यह घोषणा बड़ी सुन्दर हैं। परन्तु इससे पेट नहीं भरता है। आपको ह सोचना चाहिये कि इसका पालन कैसे होगा? मैं आपको यह पूछता हूं कि ये जो आपके महकमे हैं और उनमें जो अधिकारी हैं वे जो वेकेन्सीज निकालते हैं क्या वे उसमें 28 प्रतिशत का कोटा भरते हैं। कितना प्रतिशत वे लेते हैं। 28 प्रतिशत न लें मैं कहता हूं कि 25 प्रतिशत ही लें। लेकिन आपके विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मेरे ख्याल में यह जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको एक ऐजेन्सी कायम करना चाहिये और वह देखें कि किन 2 हरिजन लोगों को सर्विस नहीं मिल रही है और जो एम० ए० और ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं उनका नाम उसके पास होना चाहिये। उसको यह भी जानकारी देनी चाहिये कि कितने साल तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है और कहां कहां आपके डिपार्टमेंट में वेकेन्सीज हैं। आपके डिपार्टमेन्ट में पांच जगह है तो एक जगह हरिजन को दी जाती है और नहीं तो एक एक करके वेकेन्सीज निकाली जाती है और फिर अलग अलग रूप से उनको भर लिया जाता है। इसलिए उनमें रिजर्वेशन का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इससे क्या हुआ? किसी भी महकमे में आज तक उनके कोटे की पूर्ति नहीं हो पाई है। आप फाइनेन्स डिपार्टमेन्ठ को देख लीजिये। आपने एक्साइज डिपार्ट-मेन्ट में कितने इन्सपेक्टर को भरती किया है। क्या एक भी शिडयूल कास्ट आदमी को लिया है? किस लिये नहीं लगाया है? आप किस तरह से ले रहे हैं, एक एक दो दो कर के ले रहे हैं और तीन तीन महीने के बाद वेकेन्सीज निकला कर उसका इन्टरव्यू ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यह मैं कह रहा हूं ....

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** यह गलत है।

श्री रावतराम : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से सात साल पहले एक शिड्यूल कास्ट के लड़के को मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज में दाखिला कराया गया और पांच साल तक उसने वहां पर ट्रेनिंग ली। हर साल वह फर्स्ट डिवीजन आया और दो साल पहले वह फर्स्ट डिवीजन आया। कालेज छोड़ने के बाद उसने राजस्थान सरकार को निवेदन किया, लेकिन उसको सर्विस में नहीं लिया गया। भीखा भाई के पीछे पड़ा नौकरी नहीं मिली। लड्ढा साहब के पीछे पीछे घूमा लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लगी। उसके बाद यू. पी. गवर्नमेन्ट को उसने एप्लीकेशन भेजी और वहां से उसको इन्टरव्यू काल आया। वह गया और उसका सिलेक्शन हो गया यह दुःख की बात है कि राजस्थान का एक लड़का मालवीय इन्जीनिरिंग कालेज से फर्स्ट डिवीजन आया और वह भी हरिजन और उसको भी यहां पर नौकरी नहीं मिले ? मैं समझता हूं कि कितने ही इस तरह के लड़के हैं। वहां जाने के बाद उसने मुझे चिट्ठी लिखी। अब उसकी क्या भावना है यह आप समझ सकते हैं। उसने मुझे यह लिखा है कि यही सर्विस मिलने के बाद राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड बोर्ड के अन्दर 16 ए. ई. एन की वेकेन्सीज निकली और मुझको भी इन्टरव्यू आया और मैंने उसमें टाप किया किन्तु अपाइन्टमेंन्ट नहीं हुआ। यह शिड्यूल कास्ट का लड़का था। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि यह जो 16 पोस्टें निकली हैं उसमें कितने हरिजनों के लड़कों को लिया गया है आप यह बतायेंगे ? आप इससे ही अन्दाजा लगा सकते हैं ?

अभी आपने सितम्बर में लिये हैं, अभी लेटेस्ट लिये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उसमें तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को भी लिया गया है।

श्री जयनारायण सलोदिया (निवाई): शायद आपकी सिफारिश वालों को लिये होंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमारी कोई सिफारिश नहीं। हमारी सिफारिश से कोई भी नहीं लिया गया है।

श्री रावतराम : माननीय सदस्य ऐसा है कि मेरी बात मुझे कहने दीजिये। अभी जयपुर में इन्टरव्यू लिये गये थे।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदया मैं एक दो मिनट में ही खतम कर दूंगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था सभापति महोदया कि इन्टरव्यू में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के आये थे पर उनको नहीं लिया गया। इसके अलावा मैं आपको हाल ही एक घटना और बतादूं कि अभी पहले जयपुर में पुलिस विभाग में सिपाहियों की भरती हुई थी। उसमें सिपाही लिये गये थे। शिड्यूल्ड कास्ट और हरिजनों के बड़े हैल्थी और अच्छे जवान आये थे लेकिन उन्हें भी नहीं लिया गया। मैं आपको यह निवेदन करदूं कि क्या आप यह समझते है कि आप जिन लोगों को लेते हैं वह हमारी जानकारी में नहीं है। कहीं भी वेकेन्सी किसी विभाग में हो यही हाल रहता है, लेकिन पुलिस विभाग का तो बहुत ही बुरा हाल है। आज व्यासजी यहां नहीं है राजस्थान में जितने पुलिस डिपार्टमेन्ट में एपोइन्टमेन्ट होते हैं·······

**श्री रामकिशन** : उनके सुपुत्र तो यहां मौजूद है उनको ही सुना दीजिये।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : अ. प्रोपर चेनल।

**श्री रावतराम** : एक नाम है श्री लीलाराम उसे तो जरूर लिया गया है बाकी किसी को भी नहीं लिया गया। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन यह कहना जरूर चाहूंगा कि कम से कम सही पिक्चर तो आपके सामने आ जाय। सभापति महोदय मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बेचारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को वेकेन्सीज कहां कहां है इसकी इन्फोरमेशन भी नहीं होती है। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि समाज कल्याण विभाग में जो डिप्टी डाइरेक्टर हैं उनके जिम्मे यह काम कर देना चाहिये कि वह इनकी पूरी जानकारी रखे और उन लोगों के पास जानकारी भेजे। सभापति महोदय मेरा इस बारे में एक यह भी निवेदन है कि राज्य सरकार एक ऐसी एजेन्सी बनावे जो कि इस तरह की जानकारी रखे और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के जो बेरोजगार शिक्षित नौजवान हों उन्हें इन सब बातों की जानकारी देती रहे। ताकि बेचारे गरीब हरिजनों और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को नौकरियां हाथ लग सके।

( समय समाप्ति सूचक घन्टी )

समय बहुत लग गया है, सभापति महोदया, लेकिन अब थोड़ा समय मैं और लूंगा। सभापति महोदया, इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि गांवों में आदिवासियों और हरिजनों के लिये पीने के पानी की बड़ी समस्या है। राज्य सरकार द्वारा बजट में प्रावधान होने पर गांवों में पीने के पानी की समस्या के बारे में आजतक कोई सही हल नहीं निकल रहा है। वार्टर वर्क्स की तो हालत बहुत ही खराब है। सभापति महोदया कस्बों में जहां 2 हरिजन बस्ती है उनकी समस्याओं के बारे में तो वहां के एम० एल० एज० और वहां के स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्ता उन्हे हल करने की कोशिश करते है लेकिन गांवों में पानी की समस्या बहुत ही खराब हैं। गांवों में तो सभापति महोदया पूरी आबादी के लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता है तो बेचारे हरिजनों को पीने के पानी की सुविधा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बजट में पंचायत समितियों को पांच हजार रुपये देते हैं हरिजनों के पीने के पानी के लिये कुए बनवाने के वास्ते। वह पांच हजार रुपये तो आप एक तहसील को देते हैं और एक तहसील में कई पंचायत समितियां होती हैं तो सभापति महोदया जबकि एक कुए के बनाने में 10 हजार रुपये लगते हैं तो 5000) रुपये में तो एक भी कुआ नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक साल में एक गांव में एक भी कुआ नहीं बन सकता है और इस प्रकार जो रुपया आप कुए बनाने के वास्ते देते हैं वह रुपया लेप्स होता है। इस तरह कुए बने नहीं है और वह अनुदान की रकम लेप्स होती है। कई पंचायत समितियों में तो वहां के लोगों ने इस रकम को दूसरे काम में ले लिया है और बेचारे हरिजनों के पीने के पानी की समस्या यों की यों ही बनी हुई है। इसलिये इसके बारे में मेरा यही सुझाव है कि आप चाहे कोई एक गांव ले ले और वहां पर एक कुआ

(श्री रावतराम)

बनवादें तो कम से कम उस जगह की तो समस्या का हल हो जायेगा। इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कई कस्बों में जहां नल योजना बनी हुई है और इधर अभी बजट भाषण में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने भी यह कहा है कि जहां जहां पर हरिजन बस्तियों में जल योजना बनी हुई है, वहां हम इस योजना को पूरी करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर, हमारे चूरू जिले को ही लीजिये। चूरू जिले के राजलदेसर, और सरदारशहर आदि कस्बों में जहां पर चार पांच घरों में तो जल योजना के अन्तर्गत नल लग गये हैं वहां बाकी के घरों में कोई कार्यवाही नल लगाने की नहीं हुई है। चूरू जिले की बात मैं आपसे कहता हूं कि वाटर वर्क्स के जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं वह दूसरी बस्ती के लोगों की बात सुनने को तैयार हो जायेंगे पर जब उन्हें हरिजनों के पानी की समस्या के बारे में जाकर कहेंगे कि यहां 40-50 घर हरिजनों के हैं उन्हें पानी की बहुत तकलीफ है और उसके बारे में आप वहां पर जल्दी नल लगवाने की व्यवस्था करें तो वह एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब यही कहेंगे कि हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये तो आपको समाज कल्याण विभाग से लिखा पढ़ी करनी चाहिये। उनके लिये तो वह ही करते हैं। तो, सभापति महोदया, यह क्या बात है? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि वे इन गरीबों के पीने के पानी की समस्या को मिटाने के लिये कोई कार्यवाही करें? सभापति महोदया, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिन बस्तियों में पाइप लगे हुए न हों वहां पाइप लगाने चाहिये। जहां कुए बनाने हों वहां कुए बनाने चाहिये। कुए बनाने के लिये तो मैं आपसे खास तौर पर यह निवेदन करूंगा कि उन्हें पूरा पैसा देना चाहिये। केवल आप एक तहसील को पांच हजार रुपये दे देते हैं। उनमें से एक पंचायत समिति को अगर दो हजार रुपये मिलते हैं तो मैं आपसे यह स्पष्ट कह दूं कि दो हजार रुपये में तो कुआ बन नहीं सकता। इसके अलावा जहां कुए गांवों में बने हुए हैं और पानी नीचा है वहां कुओं में पम्पिग सेट लगाने चाहिये ताकि गावों में पीने के पानी की समस्या का हल निकाला जा सके। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अगर कहीं पर हरिजनों ने कुए बनवाये हैं जो कि अधूरे ही पड़े हैं उन्हें पूरा कराया जाना चाहिये। कुओं में पम्पिग सेट लगाये जाने चाहिये और पम्पिग सेट के सुचारु रूप से चलने के लिये बिजली भी देनी चाहिये। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर कुओं में पम्पिग सेट और बिजली के लिये लोन मांग जाता है तो कह दिया जाता है कि इसमें टैक्निकल गड़बड़ है और लोन मिलने में भी कठिनाई पैदा होती है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदया, मैं इसको खतम कर ही रहा हूं सिर्फ एक बात और निवेदन करूंगा। श्री मनोहरसिंह जी मेहता ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया है वह है भंगियों के द्वारा मैला उठाने के लिये। इसके बारे में, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस समस्या के हल करने के लिये पिछले साल बजट में प्रावधान रखा गया था लेकिन इस साल में उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। मेरा इस बारे में यही निवेदन है कि भंगी मैला क्यों उठायें? एक इन्सान

(श्री रावतराम)

का मैला दूसरा इन्सान क्यों उठाये ? इसके बारे में यह कहा जाता है कि भंगी मैला उठाने के पेशे को बन्द कर देंगे तो वह इसके बाद में क्या करेंगे और वे भूख मरेंगे। मेरा यही कहना है कि भूखे क्यों मरेंगे ? कोई न कोई इधर उधर का काम कर लेंगे। इस बुरे पेशे को समाप्त किया जाना चाहिये। मेरा तो इस बारे में यह निवेदन है कि गन्दे काम को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये और अगर यह बन्द नहीं होता है तो कानून बनाकर इसको समाप्त किया जाना चाहिये। मैं आपको एक बात का उदाहरण इसके लिये दे दूं। आज से करीब 10-15 साल पहले मेघवाल और बलाई जाति के लोगों ने यह तय किया कि वह मुर्दा पशुओं को उठाना बन्द कर देंगे। उन्होंने मुर्दा पशुओं को उठाना बन्द कर दिया। गांव के लोगों ने मेघवाल और बलाई जाति के लोगों से कहा कि अगर मुर्दा पशुओं को नहीं उठायेंगे तो भूखे मरोगे, राज्य सरकार ने भी यह कहा कि अगर मुर्दा पशुओं को नहीं उठायेंगे तो यह लोग भुखे मरेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि जो मेघवाल और बलाई जातियों ने मुर्दा पशुओं को उठाना बन्द कर दिया, सो कर दिया। गांव वालों ने उन्हें कई तरह से परेशान किया, उन्हें पीने को पानी तक नहीं दिया लेकिन फिर भी उन्होंने मुर्दा पशुओं को नहीं उठाया सो नहीं उठाया और अन्त में आज वह सब ठीक होगया। वे भूखे नहीं मर रहे हैं और कोई न कोई काम तो कर ही रहे हैं। इसी प्रकार एक बात मैं और माननीय सदस्यों को बताद्ं कि सन् 1957 में जब मैं एम० एल० ए० बन कर जयपुर में आया था तब जयपुर में रामगन्ज मन्डी के बाजार मे सड़क पर वेश्याओं के मकान थे। हमारे गांवों में तो ऐसे मकान हमने देखे नहीं थे। वहां पर इस तरह का मजमा लगा रहता था कि उसे देखने से ही शर्म से आंखे नीचे झुक जाती थी। हमने देखा कि किस तरह से इन्सान के शरीर का खुला व्यापार यहां होता था। इसके लिये हमने समाज की बुराई को मिटाने का दृढ़ संकल्प किया और कानून बनाकर उसे यहां से मिटा दिया। आज रामगंज बाजार में यह सब चीज खतम हो गयी है। लोगों को जो यह खयाल था कि अगर ये काम बन्द कर देंगी तो भुखे मरेंगी। लेकिन एक बार जिसे समाप्त करना हो उसे दृढता से समाप्त करना चाहिये। वो सब किया गया और आज वो कुछ न कुछ काम करते है। इस तरह से समाज के एक बुराई के अंग को समाप्त कर दिया, इन्सान के शरीर का जो खुला व्यापार होता था आज बन्द हो गया ....

**श्री जयनारायण सालोदिया** : अब यहां से उठकर गावों में चला गया है, वहां होता है, शहरों में नहीं होता है।

**श्री रावतराम** : माननीय सालोदियाजी मैं आपसे यह भी निवेदन करदूं कि सरकार वेश्यावृति को बुरा मानती थी उसे खतम करना था इसलिये कर दिया। अगर सरकार उससे आमदानी करना चाहती तो करोड़ों रुपये की आमदानी कर सकती थी।

**श्री रामकिशन** : इसका भी नेशनेलाइजेशन करना चाहिये था।

**श्री रावतराम** : पर हमें तो इसको नहीं करना था। हम तो इसको समाप्त करने में थे। चाहे हम भूखे रह सकते हैं, चाहे बजट का दिवाला निकल जाय, चाहे महल

(श्री रावतराम)

छूट जाय और चाहे इज्जत के लिये हमें घास की रोटी खानी पड़े आपको उस लिहाज से लेना चाहिये। भंगी से मैला नहीं उठवाना है तो गटर बनाते जांय और अगर इन्सान का इन्सान से ही मैला उठाना है तो यह टरकाने वाली बात है। मत करें, एक दिन में यह मामला खतम कर दें। आपने वेश्या वृत्ति खतम की तो आज कोई मास्टरनी है, कोई चपरासी है, कोई बरतन माजने वाली है तो कोई सिलाई करने वाली बन गई-सब अपने अपने धन्धे में लग गई हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : आप गलत समझ रहे हैं। वेश्यावृत्ति तो आज भी चालू है। वह गाने बजाने के रूप में हो गई है।

श्री रावतराम : कोई स्वेच्छा से काम करती है यह एक अलग बात है। सीधे बाजार में जो बैठती थी जयपुर और दिल्ली में उसको हटा दिया। आज हम सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। इस समस्या के बारे में आज यही सोचना है कि इसको मिटाना है तो, सभापति महोदय, मैं इसके बारे में इतना कहना चाहता हूं। इसके अलावा एक छोटी सी बात कह कर बैठ जाऊंगा जो छोटे छोटे धन्धे हैं वह समाप्त हो गये हैं बड़ी इन्डस्ट्रीज जो चलती हैं वह उनको पनपने नहीं देती हैं। इन बड़ी इन्डस्ट्रीज ने जो हाथ से काम करके पेट पालते थे वह खतम कर दिये। आपने उनको लिफ्ट दी। उनका बनाया हुआ माल हाथ के बनाये हुये माल से सस्ता पड़ता है। आज हजारों बुनकर जो कपड़ा बनाते थे, आज हजारों मजदूर जो जूता वगैरह बनाया करते थे आज उनका धन्धा मिलों ने ले लिया है। आज लोग उनको खरीद नहीं सकते हैं। जो इस प्रकार का धन्धा करते थे उनके टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। उनकी भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या आपका प्लान है, और क्या आपका प्लान नहीं है। किस तरह गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। गांवों में जो बैठे हैं उनको किस तरह छोटे छोटे उद्योगों में लगाये इसमें आपके किस तरह के विचार हैं समझ में नहीं आता है। आपने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है वे सबके सब बेकार हैं। सबने सर्टिफिकेट ले लिये, सब पास हैं लेकिन उनकी कोई कद्र नहीं है। सभानेत्रीजी, इतना ही कहकर मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आप इस महकमे को ठीक कीजिये जिससे प्रभावशाली ढंग से काम पूरा हो सके। जो समाज के कमजोर हाथ हैं उन पर रहम कीजिये और इस तरह की व्यवस्था कीजिये, जो पैसा आप उन पर खर्च करते हैं वह पैसा सही तरीके से उन पर खर्च हो जाय। इसलिये मैं कहना चाहता हूं। ये प्लाट के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे माधोसिंहजी को यह भी महसूस नहीं हुआ गान्धी शताब्दी क्या हो गई उनको अखर गई। क्या हो गया एक श्रवण लालजी को प्लाट मिल गया, क्या हुआ एक सारोदिया जी को प्लाट मिल गया और क्या हो गया एक दिनेशराय डांगी को मिल गया। 400-500, 500-500 गजके भूखंड और ज्यादा से ज्यादा 10-10 हजार रु. की होगी लाखों रुपये लोग खा गये और इसके लिये इतना रोला मचा दिया

श्री माधोसिंह : रोला तो उन्होंने मचाया और नाम मेरा ले रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): उन हरिजनों और शिडयूल्ड कास्ट्स के लोगों

(श्री मोहनलाल मोदी)

की तारीफ करते जो गरीब लोग हैं और जिनकी आमदनी 100) रु० से कम है उनकी आप तारीफ करते तो ठीक भी था। जिन हरिजनों को वास्तविक सहायता मिलने वाली हो ऐसे लोगों को लिया जाय। आप सहायता देना चाहते हैं उन लोगों को जिनकी आमदनी ज्यादा है और जो स्वयं सक्षम हैं।

**श्री रावतराम :** मैं मोदीजी, तारीफ तो नहीं करता। मेरे गांव में जो महाजन बैठे हैं और जो हरिजन आदिवासी हैं उनको एक को नहीं मिली। जिनकी अप्रोच है उन्होंने ली है।

**श्री मोहनलाल मोदी:** हरिजनों को जो सहायता मिलती है वह ऐसे लोगों को दी जाय जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं। 500-500 रु० कमाने वालों को मिलती है तो यह लानत है।

**श्री रावतराम :** मैं इस बात की ताईद नहीं करता हूं। न मैंने मिनिस्टर की ताईद की है, न किसी कमिश्नर की कि है किसी सालोदिया की है मेहता साहब ने कहा इस तरह गान्धी शताब्दी में गरीब हरिजनों को जमीन नहीं दी है और गरीब हरिजनों के नाम से बड़े बड़े लोग ले गये उस बारे में निवेदन किया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं एक बात यह कह रहा था आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है आपने यह बात कही राजस्थान में जितनी यू. आइ. टी. म्यूनिसिपैलिटि जितनी स्कीम बनाती हैं बीच में व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं....

**श्री माधोसिंह :** उस दिन कहते। जिन्होंने गलत लिये हैं। अब आपने कही है जब मैंने कहा है।

**श्री रावत राम :** इस हाऊस में माननीय सदस्यों के सामने इस बात को बार-बार कहा है, यू० आई० टी०, म्यूनिसिपैलिटी जहां भी जितनी स्कीम बनायेंगी हम उन स्कीमों में 15 प्रतिशत रिहायशी भू-खन्ड शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लिये रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं। 15 प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत भी आप देना नहीं चाहते हैं। आपने 15 प्रतिशत की पालना की है क्या ? आज किसी से कहें तो आपने नाहरी का नाका पकड़ लिया, उसके लिये कह देंगे ?

**श्री माधोसिंह :** में नाहरी के नाके की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो अर्ज कर रहा हूं।

(व्यवधान, अश्रव्य)

**श्री रावतराम :** आपको क्या जानकारी है ? मैं तो केवल हाऊस को यह बताना चाहता हूं—

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** आप माधोसिंहजी से जवाब चाहते हैं या जोशी जी से।

**श्री रावतराम :** आप अगर 15 प्रतिशत नहीं दिला सकते हैं तो फिर घोषणा क्यों करते हैं ? आपने जो नई स्कीमें बनाई हैं, उनमें दिला सकते हैं क्या ? केवल मात्र नाहरी के नाके थी, नाहरी के नाके की ही रट लगा रखी है। नाहरी के नाके की ही हमारी जिम्मेदारी है। सारे अच्छे अच्छे नाके तो आपने पकड़ लिये और यह नाहरी का नाका हमारे लिये रख दिया

(श्री रावतराम)

इस तरह आपकी कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। आज भीखाभाई की लड़की को प्लोट मिल गया तो मैं पूछना चाहता हूं क्या भीखाभाई की लड़की के लिए प्लाट या जमीन रहने के लिए नहीं मिलनी चाहिये? क्या केवल इसीलिए कि भीखाभाई की लड़की है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने प्लाट हैं पहले उसके?

श्री रावतराम : अगर ज्यादा हों तो काटें। अगर प्लाट है तो निश्चित रूप से काटिये। मैं यह नहीं कहता कि एक से अधिक प्लाट दिये जायं।

श्री मोहनलाल मोदी : फिर भी आप गलती कर रहे हैं। वह पैसे से खरीद सकते हैं। जो आदमी पैसे से प्लाट नहीं खरीद सकता है जिनको वास्तव में रियायती रेट पर मिलनी चाहिये उनको तो प्लाट नहीं मिलते हैं और जो खरीदने के सक्षम हैं, उनको प्लाट मिल जाते हैं, इसीलिए मेरा निवेदन है उनको प्लाट नहीं मिलना चाहिए ''

श्री रावतराम : तो फिर आपको एक काम करना चाहिये।

श्री रामचरण : उनको तो नहीं देंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : आपने किसी एक चपरासी को दी है क्या?

श्री रामचरण : जो दिये हैं तो कितने प्लाट्स दिये हैं? 17 आदमियों को प्लाट्स दिये गये हैं तो कौन सा ••

श्री मोहनलाल मोदी : प्रश्न 17 आदमियों का नहीं है। आपने क्या किसी चपरासी को प्लाट दिया है?

श्री रामचरण : जो 17 आदमियों को दिये है वह आपने कटवा दिये। वह इसलिए कटवा दिये कि आप लोगों को जलन हो रही है इन लोगों को अच्छे मौके के प्लाट मिल गये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गरीब हरिजनों को मिलने चाहिएं।

श्री मोहनलाल मोदी : जो हरिजन मंत्री है और एम०एल०एज० हैं उनको तो दे दिये जायं और दूसरों को नहीं दिये जायं।

श्री दिग्विजयसिंह : हरिजन मंत्री हैं तो जरूर मिलना चाहिए।

श्री मोहनलाल मोदी : बड़ों को मिलना चाहिए यानि जो पैसे वाले हैं उनको मिलना चाहिये और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको नहीं मिलना चाहिये?

श्री जयनारायण सालोदिया : मंत्री-मण्डल में जितने नान-हरिजन मंत्री हैं उनके पास कितने कितने प्लाट्स हैं? दामोदरलालजी व्यास के पास कितने प्लाट्स हैं? जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके पास कितने प्लाट्स हैं? कम से कम 5 प्लाट्स हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो चार्ज आप लगा रहे हैं वह सोच समझ कर लगायें। आपने खुद ने प्लाट ले लिया और गरीब रह गये। कौन से प्लाट्स हैं बताइये? हरिजनों के नाम पर आप फायदा उठाना चाहते हैं। आपके प्लाट कैन्सिल हो गये इसलिए आप बोल रहे हैं। हरिजनों का शोषण आप कर रहे हैं। हरिजन मिनिस्टर और एम०एल०ए० बनकर आप हरिजनों को शोषण कर रहे हैं।

**श्री जयनारायण सालोदिया :** जितने भी मन्त्री मण्डल के नान-हरिजन मन्त्री हैं उनके पास कितने हैं ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** अगर एक से ज्यादा हैं तो कैन्सिल करना चाहिए।

**श्रीमती सभानेत्री :** आर्डर, माननीय सदस्य। (श्री रावतराम से) आप काफी समय तक बोल चुके हैं। एक घण्टा हो चुका है।

**श्री मदनसिंह :** सत्य कह रहें हैं और तथ्य के साथ बोल रहे हैं।

**श्री रावतराम :** प्लाट की बात इसलिए कह रहा हूं....

**श्रीमती सभानेत्री :** माननीय सदस्य जल्दी से स्थान ग्रहण करें। दूसरे सदस्य बोलेंगे।

**श्री रावतराम :** इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं...

**श्रीमती सभानेत्री :** आप निवेदन कर चुके हैं। एक घण्टा हो गया है। और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। एक घंटा हो गया है।

**श्री रावतराम :** तो मैं खत्म कर रहा हूं।

**श्रीमती सभानेत्री :** आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री मदनसिंह :** स्पष्ट चीज रख रहें हैं। हरिजनों का सही रिप्रेजेन्टेशन कर रहे हैं। कान्क्रीट एग्जाम्पल दे रहे हैं।

**श्रीमती सभानेत्री :** माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

**श्री रावतराम :** मैं इतना ही...

**श्रीमती सभानेत्री :** माननीय सदस्य अब आप स्थान ग्रहण करिये। आप काफी बोल चुके हैं।

**श्री रावतराम :** मैं समाप्त कर रहा हूं।

तो जो आपने 15 पर्सेन्ट की घोषणा की है तो इसका पालन आपको करवाना है। आपकी जो स्कीम्स हैं और इनमें जो आपका एलॉटमेंट होता है तो उन एलाटमेंट में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का पर्सेन्टेज है उसका पालन करना चाहिये।

इसके अलावा....

**श्रीमती सभानेत्री :** माननीय सदस्य इस बात को कई बार कह चुके हैं। अब आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री बलवन्ताराम।

(विराम) श्री अम्मीलाल यादव।

**श्री बलवन्ताराम :** उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** हमारी पार्टी का नम्बर आयेगा कि नहीं ?

**एक माननीय सदस्य :** पहली बार बोल रहे हैं।

**श्री बलवन्ताराम (बाडी):** सभापति महोदयाजी, ऐसा है कि समाज कल्याण की डिमाण्ड चल रही है उस पर कुछ, उपाध्यक्ष महोदय (श्रीमती सभानेत्रीजी) के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो समाज कल्याण के फायदे के लिए काम उठाये हैं उनमें से कितने काम इन्होंने किये हैं। आज मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो समाज कल्याण विभाग चल रहा है तो आज चार साल से तो मैं भी असेम्बली

(श्री बलवंताराम)

में बैठा हूं और सुनता हूं तो हमारे मंत्रीजी यह कहते हैं कि समाज कल्याण विभाग ने बड़ा भारी उद्धार किया है, और 28 पर्सेन्ट का हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स नियम रखा है। आज मैं बाड़ी, पछेतरा और समथेरा, इन तीन तहसीलों से चुनकर आया हूं। आज मेरी इन तीन तहसीलों में छात्रावास नहीं है। छात्रावास की जगह पर इन्होंने पारसाल एक छात्रावास की कोशिश की तो उसमें कोई अभी तक साधन नहीं पहुंच पाये हैं। मैं मंत्रीजी से यही पूछना चाहता हूं कि आज समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या सुधार हुआ है और क्या सुधार आप करते हो। इतने अर्से में आज इन तीन तहसीलों के अन्दर छात्रावास नहीं हो पाया और शिड्यूल्ड कास्ट्स की कान्स्टीटुएन्सी से मैं चुनकर आया हूं, और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने यह सोचा कि हमारा एक प्रतिनिधि जा रहा है तो कोशिश करेगा। तो मैंने मंत्रीजी से कई दफा कहा कि मेरा एक शिड्यूल्ड कास्ट का क्षेत्र है उसमें एक छात्रावास खोलना चाहिए। मैंने तो उनसे कह दिया और समझा भी दिया लेकिन जो छात्रावास की सहूलियत थी वह आज तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो सहायता मिलती है, कपड़ों की, किताबों की वह आज तक कोई सहायता नहीं मिली है, और छात्रावास का नाम रखा है।

मंत्रीजी से कहा एक दिन कि 28 पर्सेन्ट जगह के लिए शिड्यूल्ड कास्ट के लिए निर्णय किया हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में से चार साल के अन्दर एक शिड्यूल्ड कास्ट की जनता में से कोई एक भी लड़के को नौकरी पर लगा दिया क्या ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** लगा दिया ना प्रद्युम्न सिंह को। वह भी लड़का ही है youngest and the finest.

**श्री बलवन्ताराम :** उनको लगा दें तो हम उनको शिड्यूल्ड कास्ट्स का मान लेंगे। हमें हर्ज नहीं। हमारी गिनती बढ़े तो अच्छी बात है। मुकतेरे आवें, हमें तो आ बात में खुशी है। हम तो लेने को तैयार हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** खुशी मानत हो तो शिकायत काहे बात की है ?

**श्री बलवन्ताराम :** खुशी मानते हैं और मंत्रीजी को समझा रहे हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** फिर शिकायत काहे बात की हे रही है ?

**श्री बलवन्ताराम :** शिकायत काहे बात की नाहि है। समझा रहे हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** छोरे को लगा दियो प्रद्युम्नसिंह को।

**श्री बलवन्ताराम :** शिकायत थोड़े ही कर रहा हूं। लगा दिया तो अच्छी बात है। आज बाड़ी, पछेड़ी और समेथरी तहसीलों में नालियां लगी हुई हैं तो समेथरी तहसील में शिड्यूल्ड कास्ट के लिए पानी के लिए नालियां नहीं लगाई हैं और आप कहते हो कि समाज कल्याण विभाग से नल के लिए पैसा लेते हैं आप कहते हो कि पैसा लेते हैं उधर जब पूछते हैं तो वह कह देते हैं, साहब हमारे पास बजट नहीं आया है। हम तो जहां लाइन जायगी वहां पहुंचायेंगे। तो मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण की जितनी बातें हैं, उनमें कुछ ध्यान देकर कुछ सहायता दिलाने की कोशिश करें...

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अभी तक एक दो नौकरी पर नहीं लगाया चुनाव के बाद ?

**श्री बलवन्तराम :** ऐं जी ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** जोशी जी कह रहे हैं, उत्तर दे देंगे।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** बसेड़ी में होस्टल चालू किया था।

**श्री बलवन्तराम :** बसेड़ी में आज तक होस्टल नहीं है। बाड़ी में एक तुमने, चालू किया जरूर है, लेकिन उसको सहायता मिल नहीं रही है, न सिरमदरा में होस्टल खुला हुआ है, तुमने खुशालपुरा में एक नहीं खोला हुआ है। मैं उस क्षेत्र से आया हूं एक भी आज तक नहीं है।

आपने कहा, हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और हरिजनों के लिए मकान के लिए रुपया देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं आपने घोषणा की, उस घोषणा के कारण एक एक व्यक्ति के पचास पचास, चालीस चालीस रुपये कागज में खर्च हो गये, लेकिन मेरे क्षेत्र में एक कागज पर भी तुमने पैसा नहीं दिया है या तो घोषणा करने के ज़रूरत नहीं है, अगर करें तो आप पैसा देने की कृपा करें···

**श्री मदनसिंह :** आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सभानेत्री महोदया, मैं समझता हूं, सदन की जो कार्यवाही है, उस में कव्वाली का कार्यक्रम नहीं है। इस समय सदन में कव्वाली के पेपर बांटे गये हैं, आज सांयकाल कव्वाली होगी। यह रोज का क्रम है, यह बन्द होना चाहिए। सदन की कार्यवाही चल रही है, उस बीच में बाहर की चीज, पर्चे बांटे, आज कव्वाली होगी, उसमें जरूर पधारें, यह प्रथा बन्द कर देनी चाहिए। आज की सूची में यह नहीं है, कार्यवाही में नहीं है। अगर कोई पर्चे का सवाल हो, तो किसी एजेन्सी से पर्चे बांट दिये जायं, स्वतंत्र पार्टी है इनका ऑफिस है। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है।

**श्रीमती सभानेत्री :** इसके बारे में उचित कार्यवाही की जायगी। आप आरम्भ करें।

**श्री मदनसिंह :** सात बजे कव्वाली है, इसमें आमंत्रित किया गया है।

**श्री बलवन्तराम :** मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, शिड्यूल्ड कास्ट के जो छात्र हैं उन छात्रों की जितनी समस्यायें हैं उनकी जांच करायें। आप देखिये, जो धौलपुर में छात्रावास है, उस छात्रावास में जितना सुधार आप सोचते हैं वह सुधार नहीं हुआ है। छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है इसकी आप जांच करायें। इतना मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, धौलपुर में छात्रावास के अन्दर जितने लड़के शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। एक दिन मैंने उप-मंत्रीजी से कहा था। उन्होंने कहा था, भई, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जोशीजी जाने। तो ऐसा है, यह उप मंत्रियों को क्यों बनाया जाता है जब इनके हाथ में कुछ नहीं होता ?

**श्री श्रवणलाल :** नहीं क्यों ? है इनके पास।

**श्री बलवन्तराम :** इनको कोई काम नहीं दिया जाता है, इसलिए बनाने की क्या जरूरत है ? हम एम.एल.ए. ही ठीक हैं.

**श्री मदनसिंह :** कैसे ठीक हैं ? उनको गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है।

# Page No 108



श्री बलवन्ताराम : गाड़ी बंगले से क्या होता है ? काम करें तो ठीक है, तो हम जैसे एम.ए.एल. बन कर आ गये, तो एम. एल. ए. मंत्री बन कर जनता की आवाज नहीं उठायें और काम नहीं करें तो मंत्री बनने से क्या फायदा है ? जनता क्यों यहां पहुंचाती है ? जनता इसलिए पहुंचाती है कि हमारी जो डिमाण्ड है, जो समस्यायें हैं उनको वहां रखें।

श्री मदनसिंह : इस्तीफा देकर चले जाओ।

श्री बलवन्ताराम : इस्तीफा देना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। कांग्रेस ने न इस्तीफा दिया है और न दे। कांग्रेस आगे बढ़ती गई है, बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस, जैसा आपने कहा, इस्तीफा दे जायगी, लेकिन कांग्रेस ने इस्तीफा नहीं दिया। देखो, इन्दिरा कितनी आगे बढ़ गई, कांग्रेस कितनी आगे बढ़ गई। आप ही सोच रहे हो कि इस्तीफा देकर इधर आ जाओ।

श्री मदनसिंह : हम जितने कम हों अच्छा है। क्वालिटी कम में होती है। संख्या बढ़ती है तो खराबी होती है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, विषय पर आयें।

श्री बलवन्ताराम : मैं इतना कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रवणलाल : सभानेत्री महोदया ''

श्री अभीलाल यादव : सभापति महोदया, मेरा नाम पुकारा गया था। '

श्री जुझारसिंह : इधर का नाम पहले आयेगा।

श्रीमती सभानेत्री : बाद में आयेगा। (स्वतंत्र पार्टी के एक माननीय सदस्य से) आपका लिखा हुआ नहीं आया है।

श्री दिग्विजयसिंह : भेजा है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव इस हाउस के सामने रखे हैं। मैं भी कुछ अपने सुझाव माननीय मंत्रीजी को दूंगा। सबसे पहले तो पिछले 22 साल के शासन के अन्दर जो हरिजनों के लिए, पिछड़ी हुई जातियों के लिए और अन्य पिछड़े सभी वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा और उसके अलावा सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट की ओर से करोड़ों रुपये खर्च हुए है पिछड़े हुए तबके को समान बनाने के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए, उनको इस विभाग के माध्यम से सहायता देकर बराबर और समान बनाने की कोशिश की है। सभापति महोदया, हम देखते इस बात को हैं कि राज्य सरकार—•••

(3.5 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

बहुत लम्बी चौड़ी घोषणा करती है. उन घोषणाओं को हम देखते हैं तो पता लगता है कि आज की समाजवादी सरकार किस प्रकार की घोषणा करती है। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके पहले प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि हम हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिए, उनको रहने के लिए मकान देने के लिए और खाने-पीने के लिए अच्छी व्यवस्था और साधन उपलब्ध करायेंगे। लेकिन चुनाव के बाद अब उनका दू पई के आधार पर शासन हुआ तो

(श्री श्रवण लाल)

वह शासन स्थापित होते ही कहने लगे कि समाजवाद कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक साल के अन्दर समाजवाद आ जाय। एक साल में समाजवाद नहीं आ सकता है। दूसरे सदस्य भी बोलने लगे, जो समाजवाद के लिए बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, वह कहने लगे कि समाजवाद पचास वर्ष तक भी नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार की सरकार की घोषणा और नीतियों को हम देखते हैं। हमारे जो समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्रीजी हैं वह बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं हैं। अगर कोई काम करना चाहे तो उनकी विभाग में पटती नहीं है, कोई आफिसर उनको गांठता नहीं है, इसी प्रकार से होस्टल सुपरिंटेंडेंट्स हैं, मेरे खयाल में किसी प्रकार से गांठते नहीं हैं। उनके कई मसले आते हैं शासन के सामने तो शासन ने पहले घोषणा की थी लम्बी चौड़ी कि अब तक जो अनियमितता हुई है...

**श्री मदनसिंह** : गांठने से क्या मतलब है ?

**श्री रामकिशन** : जूता गांठना।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : जूता गांठना।

**श्री श्रवणलाल** : आप सब जानते हैं। मेरे से कहलवाना चाहते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जोशीजी, इस बात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम यह नोट कर रहे हैं।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : बहुत अच्छा।

**श्री श्रवणलाल** : जो अनियमितता होती है, होस्टल के अन्दर, छात्रवृत्ति के अन्दर, जो पिछड़ी हुई जातियों को आगे लाने के लिये संस्थायें बना रखी हैं उनके अन्दर उसके लिए एक हाउस की कमेटी के, जिस प्रकार से पब्लिक अण्डरटेकिंग काम कर रही हैं, उनके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया जो पब्लिक अण्डर टेकिंग को एक्जामिन करती है, उसी प्रकार यह ऐलान किया गया, जितने समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाये जाने वाले कार्य हैं, संस्थायें हैं उनको जांच करने के लिए एक हाउस की कमेटी बनायेंगे। वह कमेटी जगह जगह पर विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं और छात्रावासों के अन्दर जाकर वहां की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था और साधनों को देखेगी। इस कमेटी का ऐलान किया गया था, सभापति महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे इस बात के लिये कि जब भूमिहीनों का सवाल आता है, हमारी सरकार बड़े जोरों से कहती है, चिल्लाती है कि भूमिहीनों को इतनी जमीन ऐलाट कर दी गई है। और जमीन ऐलाट करने के लिये वह प्रयत्न कर रही है और इस सम्बन्ध में जो कानूनी कार्यवाही करनी होगी वह करने के लिये तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने यह जो जमीन ऐलाट की है-पहले तो हुई नहीं और हुई है तो थोड़ी हुई है-प्रान्त के अन्दर ले लीजिये आंकड़ों के अनुसार यह 6 हजार एकड़ है। 6 हजार एकड़ और आपने यह बताया है कि यह गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर हुई है और यह भूमिहीन हरिजनों को दी गई है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : इससे कहीं ज्यादा हुई है।

श्री श्रवण लाल : यह तो विभाग के आंकड़े है । मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि उस समय क्या सरकार के पास जमीन नहीं थी और जमीन होते हुए भी उसकी सूचना नहीं दी गई और जमीन नहीं होने के कारण गांधी शताब्दी वर्ष में उस जमीन का एलॉटमेंट नहीं किया गया । आज आप कह रहे हैं कि यह नहरी जमीन है, कमाण्ड एरिया है और उस जमीन का ऐलाटमेंट आप कर रहे हैं और इसके आंकड़े भी मेरे पास में है । आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय कि उस जमीन के अन्दर 35 प्रतिशत का रिजर्वेशन यह सरकार कर रही है और बाकी उस नहरी कमाण्ड जमीन का ऐलाटमेंट कर रही है । मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वह जमीन कहां से आई है ? यह तो आपके सामने है । उस दिन क्यों नहीं थी जब गांधी शताब्दी वर्ष चल रहा था उस दौरान में हरिजनों को ऐलाटमेंट किया जाता था । उस समय तो आपने सोचा इस जमीन को सामने रख दिया फिर तो हरिजनों को ही एलॉट करना पड़ेगा इसलिये छिपा कर रख दी और इसके बाद जितनी जमीन आपके पास में अवेलेबल थी वह कैसी थी। वह ऊबड़ खाबड़ थी, उसमें टीले थे या फिर वह जमीन पहले से ही किसी को दी हुई थी । जितनी जमीने आपने दी हैं उनमें 50 प्रतिशत पर झगड़े हैं और आठ आना जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ है । इस प्रकार भूमिहीन हरिजनों के सम्बन्ध में गांधी शताब्दी वर्ष के सम्बन्ध में जिस प्रकार की आपने घोषणा की थी वह सिर्फ घोषणा मात्र ही थी ।

इसके साथ ही साथ, सभापति महोदय मैं नारी निकेतन केन्द्र के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं । इन केन्द्रों में बहुत सी महिलाएं रहती हैं और इस प्रकार जीवन व्यतीत करती हैं जैसे नरक में रहती हों । उनके खाने-पीने की और रहने की जो व्यवस्था है वह बहुत ही सोचनीय है । इस प्रकार वहां पर जो वातावरण पैदा हो गया है वह बहुत ही खराब है और इस कारण से वहां पर लड़कियां भाग गईं । जब नारी निकेतन वालों को मालूम हुआ तो सोचा गजब हो गया लड़कियां जो भाग गई हैं उनको कैसे पकड़ें ? लड़कियां तो भागेंगी जब आप उनको खाने को नहीं दोगे, पहिनने को नहीं दोगे उनकी शादियां नहीं करोगे तो वे भागेंगी । लड़कियां शादी करना चाहती हैं और डिपार्टमेंट उनकी शादी नहीं करा सकता । मैं, सभापति महोदय, अन्दरुनी आत्मा से कहता हूं कि सी.आई.डी. विभाग से इसकी जांच करवाली जाये कि अधिकतर नारी निकेतन के अन्दर शादी करने के इच्छुक हैं, लेकिन डिपार्टमेंट किसी प्रकार का कोई अरेन्जमेंट नहीं करता है कि उनकी शादी करवादी जाये और इसका नतीजा यह होता कि वे भाग जाती हैं । एक धौलपुर के अन्दर पकड़ी गई हैं और मजिस्ट्रेट के सामने एक भगी हुई लड़की के बयान हुए हैं । उसने मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिये हैं कि किस प्रकार से उसको पाबन्द किया जाता है और बलात्कार किया जाता है और किस प्रकार से बलात्कार के लिये पाबन्द किया जाता है, महरूम किया जाता है

एक माननीय सदस्य : यह 'महरूम' और 'बलात्कार' का क्या सम्बन्ध है । मजबूरी कहो ........

श्री श्रवणलाल : मजबूर किया जाता है। इस प्रकार की परम्परा रखी गई तो वहां नारी जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है।

श्री शंकरलाल : स्पेसिफिक चार्जेज होने चाहिये। किस नारी निकेतन में ऐसा होता है उसका नाम बतावें। यह जो आरोप लगाया है उससे यह नहीं मालूम होता है कि वे कौन लोग हैं। क्या वे विभागीय अधिकारी हैं? यह वेग चार्जेज हैं और मन्त्री महोदय भी भ्रम में रहें और इसकी कोई जांच नहीं करवा सकेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनको पता है। अजमेर, धौलपुर की हालत क्या है। सबको पता है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं उनको मंगवा कर देख लें।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि किसी भी माननीय सदस्य से यह बात छिपी नहीं है। वहां पर इस प्रकार की परम्परा है जबकि यह डिपार्टमेंन्ट समाज सुधारने के लिये बनाया गया है। (घंटी) पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिये बनाया गया है और उनके लिये योजना बनाई गई है और योजनाओं के नाम पर लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है और इसको इन्क्वायरी नहीं हो हो रही है, जांच नहीं होती है। इस विभाग का इस प्रकार का ढीला मिनिस्टर है कि जिनकी डिपार्टमेन्ट के अन्दर कोई सुनता नहीं है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इन मन्त्री महोदय के पास न रख कर किसी दूसरे को यह विभाग देना चाहिये जिससे कम से कम वहां पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच हो सके।

इसके बाद, सभापति महोदय, मैं छात्रावासों पर आता हूं। छात्रावास जो संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं वे कितने हैं। उनकी मैं ज्यादा तारीफ नहीं करता। सबसे ज्यादा छात्रावास गवर्नमेन्ट के द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेन्ट के अनुदान से जो छात्रावास चलाये जाते हैं। अगर उनको देखा जाये तो मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि उनके यहां से करीब 27 छात्रावास चलाये जाते हैं और ये 27 छात्रावास ट्राइब्स के हैं। और ये शिड्यूल ट्राइब्स के जो छात्रावास हैं वे कैसे हैं? कोई मीणा छात्रावास है, कोई उसकी जाति के नाम का है इसके अलावा कोई भी कास्ट का लड़का उसमें नहीं है। जहां पर इस प्रकार की बात हो, पिछड़े हुई जाति के बच्चों को सुधारने की बात हो उनको सुधारने के लिये भी इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे छात्रावासों की ऐड बन्द कर देनी चाहिये। सभापति महोदय, इस प्रकार का पक्षपात किया जाकर संस्थाओं को चलाया जा रहा है। जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स की जनसंख्या कम है और ट्राइब्स की ज्यादा है तो आबादी के नाम पर छात्रावास आप वहां पर चला सकते हैं। किन्तु जहां पर कास्ट्स की जनसंख्या अधिक है वहां पर भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये अनुदानित छात्रावास नहीं चलाये जा रहे हैं। यह जो आपने लिस्ट दी है उसको देखने से आपको मालूम हो जायगा कि उस एरिया में कास्ट का एक भी छात्रावास नहीं है। जो छात्रावस चल रहे हैं वे आदिवासी एरिया में हैं, ट्राइब्स के एरिया में हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस एरिया में शिड्यूल्ड कास्ट्स का अधिक परसेन्टेज है वहां पर शिड्यूल्ड कास्टस्

(श्री श्रवण लाल)

का होस्टल खोला जाना चाहिये। वहां के विद्यार्थियों को सुविधा मिलनी चाहिये ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स का विद्यार्थी आगे बढ़ सके। लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं करती है ? क्योंकि वहां से विरोधी जीत कर आता है। इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट्स का छात्रावास नहीं खोलेगी। जहां पर कोई अधिक परसेन्टेज नहीं हो वहां पर कांग्रेस के एम.एल.एज. के कहने पर छात्रावास को खोला जाता है। इस प्रकार की भेदभाव की नीति इस सरकार द्वारा अपनाई जाती है। और किस प्रकार का पक्षपात किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती कांता कथूरिया को 36 हजार का अनुदान दे दिया गया एक जगह के लिए...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : किस बात का 36 हजार रुपया ?

श्री श्रवणलाल : समाज को ऊंचा उठाने के लिये। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय मन्त्री महोदय, से कि क्या हुआ उस कमेटी का ? लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते। जब हमने देखा कि कई बार यहां भी लोग मिले हैं, पहले भी प्रश्न उठाये तो कहा कि फाइनेन्स में गया हुआ है और सेंक्शन नहीं हुआ। दूसरों के लिए कैसे हो गया ? समाज कल्याण में पिछड़ापन है, इसमें लगा दिये गए हैं, क्योंकि हर जगह पिछड़ा पन सुधारना है। कमेटी की घोषणा हो जाती है और कमेटी बन कर तैयार हो जाती है तो हमारे लिए एक प्रकार का मौका मिलता है। होस्टल चलते हैं, धांधली चलती है। खाना अच्छा मिलता नहीं, जूते अच्छे मिलते नहीं। दूध का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बरतन, साबुन वगैरा मिलते नहीं। यह मामला उठाया जाता है तो आश्वासन दे दिया कि माननीय सदस्य ने जो कहा है उसकी जांच करायेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसको नोमिनेट करके, पावर देकर काम चालू करें। उन्होंने घोषणा करदी इस बात के लिए कि 12½ के लिए कहा था उसकी पूर्ति नहीं हुई है। मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोटा रखा गया है वह पूरा नहीं हुआ है। आगे बढ़ाने के लिए कोटा बढ़ा कर 28 परसेन्ट करते हैं। कितने विभागों में आपने अपने वादे के अनुसार उसका पालन किया ? माननीय हंसराज जी ने प्रश्न उठाया था और आपने आंकड़े बताये थे। अधिकतर डिपार्टमेन्ट ने अपनी जानकारी और आंकड़े देने से इन्कार कर दिया है। 28 परसेन्ट जो कोटा है के अनुसार लेना चाहिए था वह नहीं लिया। और उसके कारण प्रश्न का उत्तर तक नहीं देते हैं। आपने क्या नई पद्धति खोली है विभाग में ? गवर्नमेन्ट ने एक सरकुलर निकाला था कि कितनी ही बड़ी पोस्ट हो लेकिन उसमें एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। आपके लिए दूसरे एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज को क्या आवश्यकता थी? डाइरेक्टर अपोइन्टमेन्ट होता था, एप्लीकेशन सब्मिट करके एन्टर हो जाते थे। आपने अपने डिपार्टमेन्ट में इस प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति करके नया एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज खोल दिया। वह रजिस्टर मेन्टेन करेगा और अपने मन चाहों को लेंगे। कोई भी डिपार्टमेन्ट सर्विसेज होते हुए भी वह नहीं

( श्री श्रवणलाल )

अपोइन्ट करेगा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पहले ही एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज से फारिंग कर रखा है, उधर जगह नहीं तो इधर आ जाते थे लेकिन आपने यहां पर यह विभाग खोल कर के हमारे लिए बड़ा भारी रोड़ा पैदा कर दिया है। इससे प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए। उन्होंने एक सरक्युलर इश्यू किया है विथआउट एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज के शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स की नियुक्ति नहीं की जावेगी और नियुक्ति हो गई तब भी ट्रेजरी बिल पास नहीं करेगी। उन्होंने सोचा कि एम्प्लोयमेन्ट हो नहीं सकता और तनख्वाह मिल नहीं सकती। मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि एक एक डिपार्टमेंट में सैकड़ों नियुक्तियां इस प्रकार की टेम्परेरी बेसिस पर नियुक्ति कर दी और पन्द्रह दिन में दूसरे डिपार्टमेन्ट में भेज दिया। पे स्लिप इश्यू हुई, दूसरी जगह लगा दिया। सिंचाई विभाग और पी. डब्ल्यू. डी. के लिए बताना चाहता हूं कि इस प्रकार इन विभाग में काफी तादाद में अपोइन्टमेन्ट हुआ है। इसलिए मन्त्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी इस प्रकार की घटनायें हुई हैं और अपोइन्टमेंट हुए हैं उसके लिए इन्क्वायरी बिठायें और गलत नियुक्तियां की, जिनको हक मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, ऐसे अधिकारियों को दोषी ठहराया जाकर उनको सजा दी जाय।

हाउस में एक प्रश्न उठाया था। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि वह तो हमारी जाति में आ गया है। एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज की शिड्यूल कास्ट के लिये जरूरत नहीं है। किसी ने सुझाव दे दिया और शिड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट बना लाओ और तुम्हारी नियुक्ति हो जावेगी। मैं मंत्री महोदय को साफ बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त करके उसको अपाइन्टमेंट दे दिया। उसका क्या किया ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** कौनसा विभाग ?

**श्री श्रवणलाल :** भाषा विभाग। पूरा नाम ही बता देता हूं।

(विराम)

**एक माननीय सदस्य :** कल बता देना।

**श्री श्रवणलाल :** अभी बता देता हूं। राज्य सरकार को धोखा देने के लिये ऐसे मामले किये जा रहे हैं। एक यादव दूसरा जाट। जाट को जाटव प्रमाणित करके दिया है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** ग्रेड, डेजिग्नेशन सब बता दीजिये।

**श्री श्रवणलाल :** जाति से जाट है और जाटव का सर्टिफिकेट दिया।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** नाम वगैरा बता दीजिये।

**श्री श्रवणलाल :** अभी बता दूंगा।

जैसा मैंने पहले बताया कि इस प्रकार के जितने मसले हैं। सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों को गम्भीर रूप से लें। थोड़ी देर बाद उसका नाम आपको बता दूंगा।

( श्री श्रवण लाल )

यहां पर, सभापति महोदय, काफी लम्बी चौड़ी घोषणा हुई है। गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों, आदिवासियों और भूमिहीनों को पिछड़े वर्ग के पास जिनके पास भूमि नहीं हैं उनको, भूमि अलाट की जावेगी।

**श्री शंकरलाल** : श्रीमती कान्ता कथूरिया को 36 हजार का कहां से अनुदान दिया और मंत्री जी भी चुप बैठे हैं, समझ में नहीं आया।

**श्री श्रवणलाल** : एरिया में।

मैं तो यही कह रहा हूं कि एक जगह तो 36 हजार और एक जगह 4 हजार भी नहीं, यह भेदभाव नहीं होना चाहिए।

**श्री देवीलाल मीणा** : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावासों में कास्ट के लड़के नहीं रखे जाते हैं हो सकता है कि इनके यहां जो छात्रावास चलता है उसमें नहीं हों और हम जो ट्राइब्स के छात्रावास चलाते हैं संस्था द्वारा उनमें तो लड़कों के लिए जगह खाली रखी जाती है। जो समाज कल्याण विभाग के आदेश आते हैं उनकी पालना करके हमारे यहां सभी छात्रावासों में जितने लड़के आये हैं उसमें कास्ट के लड़के रखे हैं और ऐसा भेदभाव नहीं रखा है और कोई पालीटिकल दृष्टिकोण से संस्था नहीं चलती है और वहां भी छात्रावास चलते हैं और चल रहे हैं—कोई ऐसी बात नहीं है।

**श्री श्रवणलाल** : शिड्यूल्ड कास्ट का एक भी बता दें।

**श्री देवीलाल मीणा** : हमारे यहां है।

**श्री श्रवणलाल** : एक भी बता दो।

**श्री देवीलाल मीणा** : हमारे यहां शाहबाद और कस्बा थाना में है, सब जगह हैं।

**श्री श्रवणलाल** : आपको अनुभव नहीं है। हो सकता है आपके यहां एक छात्रावास में हों लेकिन सेन्ट परसेन्ट छात्रावासों में ऐसी हालत है।

तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी पक्षपात की नीति नहीं होनी चाहिए। जो भी बैकवर्ड एरिया है और जहां जरूरत इस बात की है कि यहां पैसा लगाना चाहिए वहां अनुदान का पैसा अधिक से अधिक संख्या में दिया जाना चाहिए, अधिक से अधिक तादाद में पैसा दिया जाना चाहिए और उसका सदुपयोग हो इस प्रकार की परिपाटी, इस प्रकार का प्रचार और इस प्रकार की कार्यप्रणाली आपके विभाग के द्वारा अपनाई जानी चाहिए।

मैं यही कहते हुए अन्त में एक बात माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि आपने बताया कि विभाग के द्वारा 10 प्रतिशत ऐड देते हैं और 90 प्रतिशत उनका होता है। तो 90 परसेन्ट हमारा और 10 परसेन्ट उनका तो जब हम 90 परसेन्ट देते हैं तो हमारी देखरेख नहीं, कोई दखलन्दाजी हमारी नहीं है और जहां 10 है उनको होलसेल पावर्स हैं जिसको चाहे रखें जिसको चाहें निकालें और अपनी मनमानी करें। तो अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे जितने भी छात्रावास हैं जिनको आपने 90 प्रतिशत ऐड दे रखी है उनको 10

( श्री श्रवण लाल )

परसेन्ट भी मत छोड़ो और उनको अपने विभाग के अन्तर्गत ले लो और विभाग के द्वारा चलाओ जिससे कि जो धांधली होती है वह धांधली नहीं हो।

इसी के साथ साथ सभापति महोदय, मंत्री महोदय को थोड़ा सा और निवेदन करूंगा कि जो अनुदान आप देते हैं वह आप चाहें विभाग के द्वारा दें या पंचायत समिति के द्वारा दें या जिला परिषद् द्वारा दें या किसी और दूसरी संस्थाओं के द्वारा दें क्या आपने कभी जानकारी की है कि जो अनुदान आप देते हैं उसका सदुपयोग होता है या नहीं? शायद यह जानकारी आपने कभी नहीं की। आप जो भी अनुदान देते हैं उसको आप इस तरह से देकर अलग हो जाते हैं कि अमुक जिले के अन्दर हम इतना इतना अनुदान देते हैं और उसका क्या उपयोग होता है, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि पैसा अनुदान का कुए के नाम से मंजूर होता है लेकिन आपको कुआ नहीं मिलेगा और किसी भी गरीब के कुए को बता देंगे कि यह कुआ हमने बनवाया है और हरिजनों के पानी पीने के लिए बनवाया है। इसी प्रकार से मकान के लिए अनुदान देते हैं, बैलों की खरीद के लिए 500 रु. देते हैं ये सब फर्जी बातें हैं और न तो कोई बैल खरीदता है और न मकान ही बनवाता है क्योंकि उनके पहले ही मकान बने होते हैं और फिर 500 रुपये में कोई मकान नहीं बनता है। लेकिन होता क्या है कि सर्टीफिकेट मिल जाता है पंचायत समिति के सरपंच का और दूसरे लोगों का कि फलां आदमी को दिया हुआ अनुदान मकान की मरम्मत में या उसके बनवाने में खर्च हुआ है। इस तरह से पैसा ले लेते हैं और कुछ पैसा तो सरपंच की जेब में चला जाता है और कुछ उनकी जेब में चला जाता है तो सभापति महोदय मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के अनुदान की जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिये और इस प्रकार से जो झूठे तत्व मिलें उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

अब मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से एक बात और कहना चाहता हूं कि कम से कम विभाग के अन्दर 108 ग्राम सेविकायें हैं इनमें कुछ औद्योगिक शिक्षक हैं, कुछ दाई आदि हैं। जहां तक दाइयों का सवाल है और ग्रामसेविकाओं का सवाल है इनको विभाग से वेतन मिलता है और कार्य करने के निर्देश मिलते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कभी आपने यह भी देखा है कि अमुक अमुक ग्राम सेविका दाई या प्रशिक्षक जो केन्द्र चला रहे हैं वह वहां काम करते हैं या नहीं, वह मौजूद रहते हैं या नहीं और उनका कार्य कैसा है? आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि ग्रामसेविकाएं, दाई जो आपके द्वारा चलाई जाती हैं उनकी 6-6 महीने की वेतन बकाया है। इस महंगाई के जमाने में और उनको 6-6 महीने वेतन नहीं मिले तो कैसे काम कर सकते हैं। तो जो दाइयां, ग्राम सेविकायें और प्रशिक्षक है इनको जो पिछले वेतन बकाया हैं उनका जल्दी से जल्दी चुकारा किया जाये और जो ये कार्य करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अमुक अमुक जगह पर कार्य ठीक हो रहा है या नहीं।

# Page No 116



( श्री श्रवण लाल )

सभापति महोदय, अब मैं प्रदेश दलित वर्गसंघ के बारे में थोड़ा सा कहूंगा जिसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है ।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं संक्षिप्त में निवेदन करूंगा कि दलित वर्ग संघ के द्वारा करीब करीब $1\frac{1}{2}$ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है । तो जो भी खर्च किया गया है और दलित वर्ग संघ में कुछ लोगों को प्रचार के लिए रखा गया है और वे काम क्या करते हैं आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि नाई की दुकान पर जाकर हजामत बनवाना और मन्दिरों में जाकर भगवान के दर्शन करवाना और होटलों पर जाकर चाय पिलवाना । तो मैं आपके द्वारा सभापति महोदय इस प्रकार की जो संस्था है जहां करने धरने के लिए कोई काम नहीं है और न वह कुछ करते हैं केवल नाई की दुकान पर जाकर हजामत बनवाते हैं और उसमें भी नाई पैसा लेता है, होटल वाले के पास जाकर चाय पिलवा कर लाते हैं जबकि होटल वाला भी पैसे लेता है, ये सब दिखावटी बातें हैं और लोगों को बहकाने के लिए कि हम नाई की दुकान पर जाकर हजामत बनवायेंगे और मन्दिर में जाकर मन्दिर के दर्शन करवायेंगे इस प्रकार की थोथी भावना को लेकर इस दलित वर्ग संघ के द्वारा काफी पैसा ऐंठा जाता है । तो इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये कि पैसा किस किस रूप में खर्च किया गया है और भी दोषी हों उनको दण्ड मिलना चाहिए । सभापति महोदय मैं आपके मारफत मंत्री महोदय को एक और सूचना देना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो छात्रवृतियां हरिजनों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चों को दी जाती हैं वह पहले प्राईमरी स्कूल के बच्चों को भी दी जाती थी लेकिन अब वह बन्द कर दी गई है । वह आठवीं क्लास के ऊपर जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें दी जाती हैं । सभापति महोदय, यह बहुत ही कम बच्चों को मिलती है क्योंकि आठवीं क्लास के नीचे जो बच्चे पढ़ते है उन्हें नहीं मिल पाती है । इस प्रकार बेचारे हरिजनों के बच्चे व शेडूल कास्ट के गरीब बच्चों को छात्रवृत्तियां नहीं मिलने के कारण वे पढ़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा सभापति महोदय समाज कल्याण विभाग द्वारा शिक्षण संस्थायें भी चलायी जाती हैं उसमें भी अनुदान की जो राशि दी जाती है उसमें काफी भेद भाव बरता जाता है । इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि हरिजनों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने में, और जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो एड दी जाती है उनमें पक्षपात नहीं बरता जाना चाहिए और इसमें उदारता बरती जानी चाहिये । सभापति महोदय मैंने देखा है कि आज भी गांवों में खास तौर से जो शेडूल्ड कास्ट और शेडूल्ड ट्राइब के जो बच्चे हैं उन्हे छात्रवृत्तियां नहीं मिलने से वे पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं । सभापति महोदय, दूसरी एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्थिति ऐसी है अगर कोई हरिजन का बच्चा अथवा शेडूल्ड कास्ट और शेडूल्ड ट्राइब के बच्चे अगर पढ़ भी जाते हैं तो भी उन्हें नौकरियां नहीं मिलती है । इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह सभी हरिजनों के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां दें ।

( समय समाप्ति सूचक घन्टी )

( श्री श्रवण लाल )

सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कह कर अब एक ही बात कह कर मेरा भाषण समाप्त कर दूंगा। हमारी सरकार ने बजट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को मकान बनाने के लिये, कुए बनाने के लिये लोन देने का प्रावधान रखा है। वह लोन उन्हें जिला हैड क्वार्टर से मिलता है इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि मकान बनाने, कुए आदि बनाने का जो लोन ज्यादातर उन हरिजनों और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मिलता है जो जिला हैड क्वार्टर पर रहने वाले हों। जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग तहसील हैड क्वार्टर और गांवों में रहते हैं उन्हें वह लोन नहीं मिलता है। इसलिए सभापति महोदय मैं आपके मारफत मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको चाहिए कि मकान बनाने के लिये जो लोन जिला हैड क्वार्टर से मिलता है वह इसके बजाय तहसील हैडक्वार्टर से सब तहसील हैडक्वार्टर्स से सब जगहों से मिलना चाहिये। ताकि गावों के जो आदिवासी है उन्हें भी मकान बनाने के लोन आदि मिलने की सुविधा हो सके। आज सिर्फ जिला हेड क्वार्टर्स पर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते है उन्हें यह सुविधा मिल पाती है। गांवों में जो लोग रहते हैं उन्हें नहीं मिलती है। इतना कह कर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस बारे में कार्यवाही करने के लिये आकर्षित करना चाहूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करे ताकि बेचारे गरीब आदिवासी और हरिजनों को इसका समुचित लाभ मिल सके।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : जब आपका नाम पुकारा गया था तब आप एबसेन्ट थे। समय कम है और आप समय भी काफी लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मेरा नाम भी लिस्ट में है क्या ?

श्री सभापति : आपका नाम लिस्ट में तो है, पर आपका नम्बर बाद में आवेगा क्योंकि जो बाद में अपना नाम देते हैं साधारणतया उन्हें लास्ट में अगर समय होता है तो बोलने का समय दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसका मतलब यह हुआ कि···

श्री सभापति : सूची के हिसाब से तो आपका नाम प्राथमिकता में नहीं है, शायद आपने अपने नाम का एप्रूवल पहले बोलने के लिये चीफ व्हिप से करा लिया है।

श्री बलवन्ताराम : सभापति महोदय हमें भी बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री अमीलाल यादव: सभापति महोदय श्री बलवन्तारामजी को बोलने देने के बाद मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री सभापति : तीन ही कांग्रेस पार्टी के हैं। आप तीनों में से कोई भी एक बोल लीजिये।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय मेरा एक सुझाव है कि तीनों सदस्यों के नाम की गोलियां बनाकर डाल दी जाय और उसमें जिसका नाम आये उन्हें बोलने दिया जाय।

**श्री सभापति** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री दिग्विजयसिंह** : हमारी पार्टी के सदस्यों को बोलने दिया जाय।

**श्री सभापति** : श्री सुरेन्द्र व्यास।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (टोंक) : सभापति महोदय मैं पर्यटन विभाग के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। संबन्धित मन्त्री महोदय है नहीं, इस समय मेरे कुछ प्रश्न है उनके बारे में मन्त्री महोदय से जवाब लेना चाहूंगा। कुछ समस्याओं के बारे में भी निराकरण करना है...

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : सभापति महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : एक भी मन्त्री नहीं सभापति महोदय।

**श्री सभापति** : श्री व्यास जल्दी प्रारंभ कीजिये और जल्दी समाप्त कीजिये। अभी मन्त्री महोदय भी नहीं, आप बोलने के मूड में हैं क्या ?

**श्री जयनारायण सालोदिया** : सभापति महोदय ये बोलने के मूड में नहीं हों तो मुझे बोलने दिया जाय।

**श्री मदनसिंह** : आप कैसे बोल सकते हैं, आप तो विरोधी दल के हैं। आपको चान्स....

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, श्री सुरेन्द्र व्यास अपना भाषण जारी रखें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सभापति महोदय, मैं पर्यटन विभाग के विषय में निवेदन कर रहा था कि पर्यटन विभाग ..

**श्री सभापति** : कौनसी डिमान्ड है आज ? पर्यटन विभाग की है क्या ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : हां पर्यटन विभाग की है। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पर्यटन विभाग का जिस तरह से विकास होना चाहिये उस तरह से राजस्थान में विकास नहीं हो रहा है। जिस प्रकार के आंकड़े सभापति महोदय इस सदन में अभी बताये गये हैं कि इस वर्ष राज्य सरकार को इस विभाग से 26 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि पर्यटन विभाग को राज्य सरकार एक इन्डस्ट्री की तरह डेवलप करें जो कि नहीं किया गया है अगर इसे इन्डस्ट्री के रूप में डेवलप किया गया होता तो राजस्थान सरकार के राज्य कोष में अधिक फायदा होता। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर टूरिस्टों के एट्रेक्शन के लिये जयपुर, और उदयपुर में काफी प्रोसपेक्ट्स हैं। अगर राज्य सरकार इस इन्डस्ट्री की ओर समुचित ध्यान दे तो इसका भविष्य काफी उज्जवल हो सकता है। और ..

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** : जयपुर और उदयपुर इन दोनों जगहों पर तो काफी ध्यान दिया जा चुका है। अब तो इन दोनों जगहों के सिवाय ध्यान दिया जाना चाहिये।

**श्री दिग्विजयसिंह** : माननीय गोकुलप्रसाद जी शर्मा जितना दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया गया है।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** : मैंने आपके उनियारा को देखा है, वहां पर्यटन के लिये कुछ नहीं रखा है।

**श्री दिग्विजयसिंह** : आपने उनियारा तो देख रखा है पर मैं तो उनियारा की

(श्री दिग्विजयसिंह)

बात नहीं कह रहा हूं । मैं तो जयपुर में टूरिस्टों की फैसीलिटीज के बारे में कह रहा था।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सभापति महोदय, टूरिस्टों को जिस प्रकार की फैसिलिटिज मिलनी चाहिए, जिस प्रकार की फैसेलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए वो ऐसी हो कि जिससे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान में आवें और राजस्थान सरकार को अधिक से अधिक फायदा हो। सभापति महोदय मैं एक बात आपको इस बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जो डाईरेक्टर हैं उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ एम० ए० है। जहां तक उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सवाल है मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि उनके पास कोई टूरिज्म का कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास सभापति महोदय, उनके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि जिससे यह इस डिपार्टमेंट में डाईरेक्टर बन सके। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह खासतौर से निवेदन करना चाहूंगा कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर के पास कोई टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल सर्टिफिकेट विशेष योग्यता का तो जरूर होना चाहिए जिससे कि वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट को अच्छी तरह टेक्निकली डेवलप कर सके, ताकि यह टूरिस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार की एक इन्डस्ट्री की तरह काम कर सके। सभापति महोदय, आज कश्मीर के अन्दर टूरिस्ट डिपार्टमेंट से काफी आय होती है। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि जितना कश्मीर के टूरिस्ट डिपार्टमेंट का महत्व है उतना राजस्थान का नहीं फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि कश्मीर के अन्दर राज्य सरकार की आमदानी का ज्यादा शेयर टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट से होता है सभापति महोदय अगर राजस्थान में भी प्रोपर टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से ध्यान दिया जाये, इसका डेवलपमेन्ट किया जावे तो राज्य सरकार को काफी आमदनी टूरिस्टों से हो सकती है। इसके लिये मैं सभापति महोदय यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान मे चूंकि टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट का स्टाफ टेक्नीकली क्वालीफाइड नहीं है इसलिये इस डिपार्टमेन्ट को डेवलप करने में असमर्थ रहा है। मैं आपको इसके बारे में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि टूरिज्म के बारे में बहुत सी टेक्नीकल ट्रेनिंग होती है, कई डिग्री मिलने के कोर्सेज होते हैं। आज दुनिया में कई विश्वविद्यालयों में कई प्रकार के डिपलोमा डिग्री वगैरहा दी जाती है इसके लिये। अगर इसमें इस तरह के क्वालीफाइड लोगों को रखा जाय तो राज्य सरकार को काफी फायदा इस इन्डस्ट्री से होता है। लेकिन सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस विभाग की स्थिति यह है कि इसका कोई कार्यालय तक नहीं बना हुआ है। विभाग को लगातार एक के बाद एक बंगला बदला जा रहा है, खैर यह अलग बात है। बड़े खेद का विषय है सभापति महोदय कि इतनी आमदानी होते हुए भी इस विभाग के पास कोई कार्यालय बना हुआ नहीं है । जिससे कि विभाग का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि टूरिस्ट कोटा के अन्दर जो इम्पोर्टेड कार आती है, जो टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट को मिलती है सभापति महोदय इन इम्पोर्टेड कारों के बारे में यह भी निवेदन करदूं कि जो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

विदेशी पर्यटक आते हैं उन्हें वहां कारें नहीं मिलती हैं वे तो साधारण कारों में जाते हैं और जो साधारण लोग जो कि इन इम्पोर्टेड कारों में बैठना चाहते हैं वह इनमें बैठकर घूमते हैं और ये इम्पोर्टेड कारें यहां के स्टाफ के लोगों के निजी काम से आती हैं। खुद पर्सनल यूज में रखते हैं और इम्पोर्टेड कारों में खुद घूमते हैं। वे घूमें मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। पर जब विदेशी पर्यटक आते हों तो उनको बिठाने के लिए तुरन्त उपलब्ध की जानी चाहिए पर उस वक्त भी जब नहीं मिलती है तो इन कारों के रखने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। पर्यटकों को जब उपयुक्त साधन नहीं मिलते तो जयपुर में और राजस्थान में भी आने का उनका आकर्षण कम हो जाता है। वे यहां कम आना पसन्द करते हैं। तो आप देखेंगे कि टूरिस्टों के लिए निर्धारित कारों में प्राइवेट लोग घूमते नजर आवेंगे जब कि टूरिस्ट को एम्बेसेडर कारों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन बड़ी कारों में बैठना हमारे लिए लग्जरी हो सकती है पर बाहर के लोगों के लिए इनको उपलब्ध कराना हमारे व्यापार वृद्धि का कारण बनता है। सभापति महोदय,

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** मिनिस्टर लोग एम्पाला गाड़ियों में जाते हैं तो आपकी राय के अनुसार उनको भी इन गाड़ियों में नहीं आना जाना चाहिए ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** मैं विषयान्तर नहीं हूंगा। राजस्थान की सरकार में टूरिज्म के लिए बम्बई में एक लाइजन आफिसर की पोस्ट कायम की है जब कि यह आफिसर दिल्ली में होना चाहिए था जहां से होकर अधिकांश टूरिस्ट्स राजस्थान में आते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** इससे लगता है कि आप दो पोस्टें करवाओगे।

**श्री दिग्विजयसिंह :** इनको बम्बई वाले से नाराजगी लगती है। ये दिल्ली में करवाना चाहते हैं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** बम्बई में आफिसर रखना निरर्थक होगा। सभापति महोदय, मेरे को जानकारी मिलती है कि लाइजन आफिसर के कार्यालय के लिए बम्बई में एक बहुत बड़ा फ्लेट भी किराये पर ले लिया है जिसके खर्चे का वहन अभी से करना पड़ रहा है। लाइजन आफिसर के वहां जाने में अभी देरी है।

यहां की टूरिस्ट गाइड सर्विस भी बहुत पूअर है। प्रमुखतया इस प्रकार के टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं। एक विदेशी पर्यटक और दूसरे हिन्दुस्तान में ही रहने वाले अन्य भागों के पर्यटक। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम पर्यटक सब से केवल एक ही अर्थ लगाकर चल रहे हैं कि जो विदेशी यूरोपीय एवं अमरीकी लोग आते हैं वे ही पर्यटक हैं। हमारे ही देश के इतर भागों से आने वाले पर्यटकों को हम पर्यटक नहीं समझते और इसलिए आज टूरिस्ट गाइड सरविस विदेशी पर्यटकों के लिए ही उपलब्ध हैं। देश के भिन्न भिन्न भागों से आने वाले पर्यटकों के लिए नहीं है। इसमे मेरा यह मतलब नहीं कि विदेशी पर्यटकों के लिए यह सरविस उपलब्ध नहीं हो बल्कि मेरा मतलब तो यह है कि इस देश के भिन्न भिन्न भागों से आने वाले पर्यटकों के लिए

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

भी वैसी ही फैसीलिटीज टूरिस्ट गाइड सर्विस की प्रोवाइड करनी चाहिए। राजस्थान सरकार को इस विभाग की तरफ ध्यान देकर डाइरेक्टर को तुरन्त हटा कर किसी टेक्निकल और क्वालिफाइड आदमी को बिठा कर इस टूरिज्म को एक फुलफ्लेज्ड टूरिस्ट इण्डस्ट्री के रूप में डेवलप करके चलना चाहिये।

श्री मदनसिंह : टूरिस्ट आये उनके दिये गये रिमार्क्स भी आपने कभी देखे हैं क्या ? उनके लिये कि ये अयोग्य हैं या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह आप बता दें। मैंने मना थोड़े ही किया है आपको। आज जयपुर में एक रामबाग पैलेस होटल और दूसरा खासा कोठी होटल है। इन दोनों होटलों में टूरिस्टों के लिए अच्छा प्रबन्ध नहीं है।

जयपुर जैसे शहर में एक होटल की भी आवश्यकता है। होटल जहां फेमीलीज खुद जाकर ठहरती है तो सभापति महोदय, टूरिज्म डिपार्टमेण्ट अगर जयपुर में होटल खोल दें तो विदेशी पर्यटक जयपुर में रुककर आगरा चले जायें और दिल्ली भी चले जायें। पर जयपुर में यह होटल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से अधिकांश पर्यटक लोग आगरे से ही वापिस चले जाते हैं और जयपुर जाने की इच्छा रखते हुए भी होटल फेसीलिटी अवेलेबल नहीं होने से आने से रह जाते हैं।

इस तरह से इस टूरिज्म के डिपार्टमेंट को काफी विस्तृत किया जा सकता है और अगर सरकार ध्यान दे तो इस विभाग को केबीनेट स्तर का विभाग बना दिया जाना चाहिए और इसे भी एक केबीनेट इम्पोर्टेन्स का पोर्टफोलियो मान कर बराबर ध्यान दिया जावे तो इस डिपार्टमेंट से सरकार को काफी आमदनी हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा संविधान में एवं संविधान से बाहर कितने कानून और प्रावधान इनकी सुरक्षा के लिए होने के बावजूद भी आज सही मायने में हरिजनों को उनका पूरा लाभ नहीं मिल सका है और वे ऊपर नहीं उठ पाये हैं। अब पिछले तेईस वर्षों में इतना कुछ करने के बाद भी यह बीमारी दूर क्यों नहीं हुई ? और वे सवर्णों में मिक्स-अप होकर अब तक घुल मिल क्यों नहीं गये इस सब का कारण ढूंढना पड़ेगा।

श्री मदनसिंह : भारत के संविधान में तो इसके लिए परिवर्तन लाने की तैयारी हो रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : निश्चितरूप से पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मण, बनिये और राजपूत इन तीन वर्गों ने इनका शोषण किया है उसमें शक की बात नहीं पर अब आजादी के बाद में सभापति महोदय, स्थिति बदल गई है। ब्राह्मण, बनिये और राजपूतों का शोषण तो बन्द हो गया है पर जो हरिजनों के नाम पर सुविधायें लेकर मन्त्रि मण्डल में और विधान सभा में और पार्लियामेंट में आकर बैठते हैं वे हरिजनों का शोषण कर रहे हैं आज उनका शोषण टू फोल्ड है। एक तो वे जो हरिजनों

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के प्रतिनिधि के नाते हरिजनों के लिए उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का उपभोग स्वयं करते हैं। वह आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि अपने आपको हरिजन मानने को तैयार नहीं है खुद सवर्ण क्लास में मिक्स अप होना चाहते हैं। आज मन्त्री-गणों का और सांसदों का रुख यह है कि वे अपने हरिजन भाइयों से मिलना कम पसन्द करते हैं।

(3.58 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

इस पृष्ठभूमि में स्पेसिफिक क्वश्चन सभी एम० एल० एज० और मिनिस्टर्स से पूछना चाहता हूं कि कितने एम० एल० ए० और कितने सांसद हरिजनों को रिप्रेजण्ट करते हैं।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो यह दिग्भ्रम हो गया मालूम होता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रावतरामजी, मैं क्वश्चन पूछ रहा हूं। मेरा स्पेसिफिक क्वश्चन है हर हरिजन मिनिस्टर एम० पी० और एम०एल०ए० से कि जहां भी हरिजन आदिवासी के नाम पर जितनी सहूलियतों का उपभोग करने का सवाल है, छात्रवृत्तियां प्राप्त करने का सवाल है। कितने ऐसे लोगों को यह सहूलियतें और छात्रवृत्तियां या अनुदान आपने दिलवाये हैं जो उनसे अनकनेक्टेड हैं। आपने इन सब का उपभोग अपने से कनेक्टेड आदमियों के लिए किया है। पर कहना चाहता हूं कि अभी सालोदिया जी उठ कर कह देंगे कि मैं इसे इन्कार करता हूं। तो वे अगर किसी के लिए काम करते हैं ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं। मैं तो अधिकांश में क्या हो रहा है, कह रहा हूं। फिर इसमें ज्यादा फर्ज किसका है। आज हरिजन एम० एल० ए० को मिनिस्ट्री में स्थान किस लिए दिया जाता है ? इसलिए दिया जाता है कि वे जिनको रिप्रेजण्ट करते हैं उनका अधिक से अधिक फायदा करें क्योंकि इसमें वे ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकते हैं। इसमें हमारी बदनीयती तो समझ में आने वाली है पर उनको तो इसके लिये काम करना ही चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : दामोदरलाल जी तो उनकी मदद कर सकते हैं इसमें जयनारायणजी सालोदिया को क्या आपत्ति हो सकती है कि वे हरिजनों की मदद करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मदद तो ये करें पर आज ये स्वयं उन हरिजनों के साथ उठने बैठने को तैयार नहीं हैं जो इनसे भिन्न जाति के हैं। रेगर, बलाई और भंगी ये आपस में एक जगह नहीं बैठना पसन्द करते। आज एक भंगी के यहां जाकर हम चाय पी सकते हैं पर ये स्वयं उनको नीचा मानते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं आपसे पूछता हूं उस कांग्रेस के एम० एल० ए० से जिसके कांग्रेस के विधान में रचनात्मक कार्य-क्रम के अन्तर्गत यह आवश्यक शर्त है कि वे हरिजनोद्धार के कार्य में भी हिस्सा लें कि उन्होंने इस दश सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आज तक कितने भंगियों को टिकट दिया।

(श्री दौलतराम सारण)

कितने भंगियों को टिकट दी है और लोगों को उपदेश देते हैं। अपना मुंह नहीं देखते है पानी में। पहले अपना घर टटोलो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप गलत समझते हैं साहब। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। मैं तो कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूं, आपके लिए भी कह रहा हूं...

**श्री दौलतराम सारण** : आप अभी बच्चे हैं, आपको पता ही नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सभापति महोदय, यह आपत्तिजनक शब्द है। जो मैं कहता हूं अपने अधिकार से कहता हूं, आप अपने अधिकार से कहते हैं। जो उम्र में 50 साल का हो तो मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं।

**श्री दौलतराम सारण** : आप अपनी पार्टी को कहें यह बात। आपको अकल का अजीर्ण हो रहा है।

( व्यवधान, अश्रव्य )

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : बच्चे कहने पर आपको गुस्सा क्यों आता है और वैसे उनको भी अपनी बुजुर्गियत का ख्याल रखना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने अक्ल की बात की है।

**श्री केशरीसिंह हाड़ा** : वह भी आज ही की है वरना ये नहीं करते हैं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, बच्चे शब्द से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन किसी बात की वेटेज को कम करने लिए कहा जाय तब आपत्ति है।

**श्री बरकतुल्ला खां** : उम्र अकल द अकल उम्र नास्त...

उम्र अकल से होती है उम्र से नहीं होती।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आज हरिजनों का शोषण दो तरह से हो रहा है। जो आंकड़े हैं वे तो यह है कि ऊपर की जाति नीचे की जाति का शोषण कर रही है। खासतौर से जो नीचे का तबका है भंगी, ऊपर की जाति बैरवा है या और कई जातियां हैं वे ही उन पर शोषण करते हैं और दूसरे शोषण करते हैं हरिजनों के नाम से प्रतिनिधि बनकर विधान सभा में, मंत्री मण्डल में और लोक सभा में बैठे हुए हैं। मैंने मंत्री मण्डल का पहले भी उल्लेख किया है। शायद सारण साहब ने सुना नहीं है। हमारी ओर भी जो कांग्रेस के एम० एल० ए० बैठते है उनके...

**श्री दौलतराम सारण** : उन बेचारों की हैसियत भंगियों के बराबर नहीं है। वे क्या भला कर सकते हैं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर अधिक न कहकर मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में जो कार्यक्रम है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आज लाखों रुपयों का जो प्रावधान रखा है— एक हजार रुपया अनुदान के रूप में और दो हजार रुपये ऋण के रूप में मिलते हैं उसका जो तरीका बना रखा है उसके बारे में विभिन्न माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह सब रिकमन्डेशन डिस्ट्रिक्ट सोसियल वेलफेयर की आ जाय और उसके बाद डाइरेक्टर के यहां से रिकमन्डेशन आ जाय-एक स्पेसिफिक क्वेश्चन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पूछना चाहता हूं कितने केसेज में अनुदान और ऋण—डाइरेक्टर सोसियल वेलफेयर के मरजी के खिलाफ मंत्री महोदय के द्वारा दिये गये हैं या बिना उनकी सलाह के दिये गये हैं। यह बात सामने आ जाय तो काफी हेल्फफुल हो सकता है। किस प्रकार ऋण और अनुदान दिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करूंगा। कृषि क्षेत्र के अन्दर किसी जिले में ज्यादा अनुदान चला जाता है और किसी जिले में कम जाता है। अगर अनुदान के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया कर दें तो काफी हेल्पफुल रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। इसी समाज कल्याण विभाग के विषय में। समाज कल्याण विभाग में कुछ प्रोबेशन ऑफिसर्स की नियुक्तियां हुई थीं। समाज कल्याण विभाग ने दो माह पहले इन पदों के लिये इन्टरव्यूज लिये। कुछ इन्टरव्यू हो चुके थे और कुछ होने वाले थे तो उनको रोकने का आदेश राज्य सरकार द्वारा या मंत्री महोदय द्वारा प्राप्त हुआ और वे इन्टरव्यूज रोक दिये गये। तो मैं जानना चाहूंगा कि किस आधार पर और किन कारणों से प्रेरित होकर, किन वजूहात से ये इन्टरव्यूज रुकवाये गये। रोकने के पश्चात् जब डाइरेक्टर का स्थानान्तर हो गया और विभाग में और कुछ परिवर्तन हुए तो बाकी के इन्टरव्यूज लिये गये। तो जो इन्टरव्यूज पहले हो चुके थे और जो बाद में हुए उसमें, जहां तक जानकारी मिली है, सिलेक्शन लिस्ट में मुझे रद्दोबदल किया गया है। सिलेक्शन लिस्ट में रद्दोबदल किया गया है। यह मैं सदन की जानकारी के लिये रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मसला है कि इन्टरव्यूज हो जायें और सिलेक्शन हो जाय, इसके बाद सिलेक्शन लिस्ट में रद्दो-बदल किया जाये, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के लिये अन्त में यह बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जितने भी समाज कल्याण के काम हैं वे गवर्नमेंट लेवल पर एक कमेटी बना कर बड़े बड़े विभाग बना कर चलाती है, इससे समस्यों का हल नहीं होने वाला है, उससे सोशल रिफार्म्स नहीं होने वाले। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि सोशल ईविल्स वालंटरी आर्गेनाइजेशन्स द्वारा ही दूर किये किये जा सकते हैं। लोगों को सोशल और मारल एजुकेशन देनी चाहिये ताकि उनका मानस बने और वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने बराबर का नागरिक समझें।

**श्री डूंगाराम राजोरिया :** आप तो अपने दल में ही उनको यथास्थान दे दो, मसला अपने आप हल हो जायेगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों को भू–राजस्व में से कुछ हिस्सा राशि का दिया जाता है, उसके लिये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसके अलावा मनोरंजन कर का भी कुछ हिस्सा नगरपालिकाओं को दिया जाता है।

**एक माननीय सदस्य :** वह तो कल है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आज ही है। कल तो केवल यू. आइ. टी. का ही है। आज पंचायत समितियों की जो स्थिति है, वे बिल्कुल निष्क्रिय हो रही हैं। पंचायत समितियों के पास कुछ पैसा नहीं है, तो वे किस प्रकार अपना काम चला सकती हैं? उनके खुद के पास कोई आमदनी का साधन नहीं है। ऐसी हालत में राज्य सरकार को पंचायत समितियों को ज्यादा से ज्यादा भू-राजस्व का हिस्सा देना चाहिये। राज्य सरकार की तो कई प्रकार की और कई प्रकार के मदों से आमदनी होती है और उनका खर्चा चलता है, इसलिये अगर भू-राजस्व में से अधिक हिस्सा पंचायत समितियों को दे दिया जाये तो आज जो पंचायत समितियां पैसे की कमी के कारण लड़खड़ा रही हैं, वे ठीक प्रकार से चल पायेंगी। अभी तो पंचायत समितियां व्यवहारिकरूप से काम कर ही नहीं पा रही हैं।

इसी प्रकार मनोरंजन कर का प्रश्न है। जयपुर शहर में सात सिनेमा हैं, उनसे मनोरंजन कर राज्य सरकार को मिलता है, पर उस आमदनी का मामूली हिस्सा ही नगरपालिका को दिया जाता है। मनोरंजन कर का मेजर शेअर नगरपालिकाओं को मिलना चाहिए, लेकिन उसके बदले में मामूली शेअर आप दें तो यह वाजिब बात नहीं है। राज्य सरकार को चाहिये कि लायन शेअर नगरपालिकाओं को दे ताकि नगरपालिकाओं की स्थिति ठीक हो सके और वे अपना प्रशासन व्यवस्थितरूप से चला सकें और सफाई आदि की समस्याओं का पूरा पूरा उपाय कर सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समय काफी हो गया।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ सुझाव मैंने प्रस्तुत किये हैं और मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इस पर ध्यान देकर इन पर समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करेगी।

**श्री जयनारायण सालोदिया**: उपाध्यक्ष महोदय,

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले श्री रामानन्दजी को टाइम दे दिया जाये। सरकार की ओर से उत्तर पांच बजे प्रारम्भ होगा।

(विराम)

**श्री जय नारायण सालोदिया** : उपाध्यक्ष महोदय·······

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री केसरीसिंह हाड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी (श्री सालोदिया) की बच्ची की शादी है इसलिए पहले इनको बोल लेने दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सालोदिया।

**श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): मा० उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज कल्याण विभाग पर बजट के दौरान बहस शुरू हो रही है मैं सबसे प्रथम माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा जैसे अन्य विभागों की प्रगति विवरण सदन में डिसकस होने से पूर्व ही हर विभाग की प्रगति विवरण हर विधायक को मिल जाती है उस तरह समाज कल्याण का प्रगति विवरण नहीं मिला है।

( श्री जयनारायण सालोदिया )

जिस विभाग का प्रगति विवरण नहीं मिले उसके लिये क्या डिसकस करें। यह तो एक ऐसी बात है बिना प्रगति विवरण विभागीय आंकड़ों पर कैसे बहस की जा सकती है—पहला निवेदन तो यह करना चाहता हूं। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं मा० उपाध्यक्ष महोदय, इस सेसन में अध्यक्ष महोदय द्वारा, मंत्री महोदय द्वारा बार बार इस तरह का आश्वासन दिया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट इस सदन में डिसकस होगी......

**श्री बी० एन० जोशी** : ऑन ए पाइन्ट ऑफ इनफारमेशन सर। प्रगति विवरण बांट दिया गया है। आप अन्य कामों में मशगूल होंगे, इसलिये आपको नहीं मिल पाई होगी।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : मुझे नहीं मिली है। दूसरी बात मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट (मा० मंत्री महोदय के आपस में बातचीत करने पर) मा० मंत्री महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपस में बात न करें। कृपया शान्त रहें।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : अनुसूचित, जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट इसी सत्र में बहस होनी थी। हम लोग पूरी तैयारी इसी मामले में कर रहे हैं। हमें न इतना टाइम मिल रहा है जिससे विभाग की हर प्रगति पर विचार प्रकट कर सकें इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इसी सत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट के लिये दो दिन के लिये जो सदस्य बोलने के लिये लालायित हैं—जो बोलना चाहते हैं, समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में जो अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं वे समयाभाव के कारण नहीं बोल सकते हैं, इसलिये दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा। इसी सत्र में क्योंकि बिजनिस ऐडवाइजरी कमेटी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट रखकर दो दिन डिसकस करायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने आज से एक साल पूर्व यह घोषणा की थी कि हाउस की एक कमेटी बनाई जायगी जैसे लोक सभा में है उसी तरह बनाई जायगी और वह एम. एल. एज. में से होगी। पी. ए. सी. की तरह ही वह सुझाव वगैरह देगी। इस तरह की घोषणा मंत्री महोदय ने की थी वह आज तक नहीं बनी है। उस कमेटी को भी जल्दी से जल्दी बनाकर योगदान करेंगे। मा. उपाध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड बना हुआ है वह भी जो सुझाव गवर्नमेंट को देती हैं, उन पर राज्य सरकार बहुत ही उदासीनतापूर्वक कार्यवाही करती है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जैसे सरकार के द्वारा बोर्ड गठित किया जाता है, उसी प्रकार उसके सुझावों को भी कार्यान्वित किया जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जो बोर्ड फैसले अपनी मीटिंगों में लेता है वह बड़े कारगर ढंग से इम्प्लीमेंट हो। ऐसा ही हमारा बोर्ड भी है जिसकी कभी कभी दो साल तक मीटिंगें नहीं होती है और जब मीटिंग के बाद सुझाव आते हैं तो उन पर विचार

( श्री जयनारायण सालोदिया )

नहीं होती हैं। कोई आदेश राज्य सरकार के नहीं है जो उस पर बोर्ड की प्रोसीडिंग्स को पढ़े–कोई प्रोसीडिंग्स नहीं पढ़ी जाती है। मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा कि ये जो आपने सारे प्रांत में जिला समाज कल्याण बोर्ड गठित किये हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स आपके समाज कल्याण विभाग में आती है उनको कौन अधिकारी देखता है और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देखता है ? ऐसा कोई अधिकारी है ? टोंक जिले का भी इस तरह का बोर्ड गठित है और मैं उनकी मीटिंग्स में जाया करता हूं। जो जो सुझाव टोंक के बोर्ड ने दिये हैं, आज तक आपके विभाग की तरफ से उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है कि उन सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई, कौन से प्रस्ताव को डिस्पोज ऑफ कर दिया और उस पर क्या हो रहा है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप जिला समाज कल्याण बोर्ड को सशक्त बनायें। आपके अनुदान के जो मसले हों, छात्रवृत्ति के मसले हों, जिले के छात्रावासों के मसले हों उन सब के लिये जिला बोर्ड को आप अधिकार दे दें तो उनमें भी चेतना आयेगी और वे जागरूक होंगे। जो रुपया आप अनुदान का देना चाहते हैं वह भी सही और वाजिब आदमी को पहुंचेगा और आसानी से लोगों को मिल सकेगा। इस वक्त क्या होता है कि एक आदमी को बाड़मेर, जैसलमेर और भीलवाड़ा से आकर आपके यहां फार्म भरना पड़ता है और आगे की कार्यवाही करनी पड़ती है जो कि उसके लिए सम्भव नहीं है क्योंकि उसको सौ, दो सौ रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं जो वह कर नहीं सकता।

इसलिए मेरा यह सुझाव है कि ये सारे काम, छात्रवृत्ति, मकान सहायता हॉस्टल की व्यवस्था आदि, यदि आप जिला समाज कल्याण बोर्ड के मारफत करवायें या उनको ही अधिकार दे दें तो ये सारे काम आसानी से हो सकेंगे और सभी को सहूलियत होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नौकरियों के सम्बन्ध में तो मैं खासतौर से उस दिन बोलूंगा जिस दिन आप रिपोर्ट को डिसकस करेंगे और उस पर अच्छा टाइम मिलेगा और अच्छी प्रकार बोलूंगा। अभी तो मैं केवल पोइंट टू पोइंट ही अर्ज कर रहा हूं। नौकरियों के सम्बन्ध में आपने घोषणाएं तो कर दीं, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि वास्तव में रिजल्ट क्या है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप इसके लिये पूरा प्रयास करते हैं और आप प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इतना प्रयास होने के बाद भी मुझे कुछ रिजल्ट निकलता नहीं दिख रहा। कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक 28 पर्सेन्ट वाला नौकरियों का मामला है उस पर बिल्कुल ही आपका काबू नहीं है। न आपके डिपार्टमेंट को यह जानकारी है कि 28 पर्सेन्ट के आधार पर किस किस डिपार्टमेंट ने यह पूर्ति की है, कितने डिपार्टमेंट में कितनी जगह खाली हैं और कितनी पूर्तियां की हैं और उसमें कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को भरा है, तो किसी सूरत में नहीं कह सकते। पुरानी लिस्ट लेकर पढ़ देंगे कि इतने एल. डी. सी. इतने यू. डी. सी. और इतने फोर्थक्लास आदमियों को सर्विस में लिया है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता

( श्री जयनारायण सालोदिया )

हूं कि यह प्रयास किया है आपके डिपार्टमेंट ने लेकिन उनके पास में कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि लैटरबाक्स बने। इधर से उधर टरकाते हैं और उधर से इधर टकराते हैं। इधर से दरख्वास्त उधर भेज दी और उधर से आई तो इधर भेज दी। क्यों नया खर्चा किया। एक ऑफिसर को लाया गया तो उसके पास में अधिकार कुछ नहीं है। न कोई पूछता है। अगर कोई डिपार्टमेंट भला होता है तो चिट्ठी लिख देते हैं और वह किसी को भेज देता है। वह लेते है या नहीं इसकी कोई इन्फर्मेशन नहीं है। 10 आदमियों की सिफारिश करके भेजता है तो लिया या नहीं, उसकी कोई इन्फर्मेशन नहीं और डिपार्टमेंट ने नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया ? वह प्रकोष्ठ खोल दिया है। हमारी बार बार की मांग पर यह प्रकोष्ठ खोल दिया है। उसमें अनुसूचित जाति का अधिकार ले लिया। आप यह कहेंगे कि हमें सारा कर दिया। अनुसूचित जाति के ऑफिसर को एपाइंट कर दिया इसके बाद भी नहीं दें तो क्या करें? नहीं दिये इसलिए कि उस आफिसर के पास में, प्रकोष्ठ के पास में कोई अधिकारी नहीं है। क्या करें वह ? एक आदमी जाकर रजिस्ट्रेशन करा दे। अगर कोई डिपार्टमेंट वाला आदमी मांगता है तो नाम भेज दिया। यह चिट्ठी से काम हो गया, वह पोस्टमैन हो गया प्रकोष्ठा इसलिए निवेदन करूंगा कि यह सीरियसली होना चाहिए। अगर 28 प्रतिशत नौकरी मिले तो सरकार के सब दफ्तरों के बारे में प्रकोष्ठ को अधिकार दें। इसको डिस्ट्रिक्ट तक भेजें। यह सम्भव नहीं है मंत्री महोदय, कि एक उदयपुर का आदमी यहां आकर रजिस्ट्रेशन कराये। जैसलमेर, बाड़मेर का आदमी जयपुर में आकर रजिस्ट्रेशन कराये और बारबार वह भेजे तो कैसे सम्भव हो सकता है। आपके प्रान्त भर में इस तरह के आफिसर हों। डिस्ट्रिक्ट सोशियल वैलफेयर आफिसर का नया एपाइंटमेंट करके यह काम दें। डिस्ट्रिक्टवाइज आंकड़े इकट्ठे किये जायें कि कितने लोग बेकार है और किस किस योग्यता के हैं। इस तरह के आंकड़े जब तक नहीं होंगे तब तक कितनी वेकेन्सीज हर डिपार्टमेंट में निकली, कितनी भरी गई और कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के लोगों को लिया गया, यह जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक काम करने की इच्छा रखते हुए भी काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जैसा उचित समझें, कदम उठाना चाहिए। जो डिपार्टमेण्ट 28 पर्सेन्ट की पूर्ति नहीं करती है और किसी तरह की बेकडोअर एन्ट्री करता है तो उस डिपार्टमेन्ट के खिलाफ सरकार की ओर से कानूनी कार्यवाही इस तरह की होनी चाहिए तब जाकर यह यह काम चल सकता है आगे। नहीं तो इस तरह की चिट्ठी लिखें और उनसे रिमाइन्डर करवायें तो इस तरह के प्रयत्न करें तो यह काम चलने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांधी शताब्दि में जो खेतों की जमीन के मामले थे वह भी इस तरह से ही हुआ है। आपके पास आंकड़ें है, लेकिन वह आंकड़ें उन लोगों के हैं जिन्होंने एलॉटमेन्ट कमेटी में बैठकर जमीन एलाट कर दी लेकिन मौके पर जमीन नहीं है। जमीन पर दूसरे आदमी का कब्जा है और उस आदमी को कब्जा नहीं मिल रहा है तो ये आंकड़ें किस मतलब के हैं। मैं दावे के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि

( श्री जयनारायण सालोदिया )

मैं एलाटमेंट कमेटी का सदस्य भी हूं। हमने जो जमीनें एलाट की हैं तो पटवारी की रिपोर्ट आती है कि फलां नम्बर का सिवाय चक है तो हमने एलाट कर दिया और दूसरे दिन आकर कहता है कि फलां नम्बर तो कब्जा है इसलिए कब्जा नहीं मिल रहा है, पट्टा नहीं मिल रहा है। वह आदमी दर-दर की ठोकरें खाता फिरता है। जमीन काश्त करने जाता है तो झगड़ा हो जाता है, फौजदारी हो जाती है, मुकद्दमा चलता है। आज इस तरह की बात उन लोगों के साथ हो रही है। वाजिब आंकड़े हों तो 50 प्रतिशत लोगों को जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया है।

इसी तरह से, माननीय मंत्री महोदय, ने हाउस में यह घोषणा की थी कि राजस्थान नहर में लाख, डेढ़ लाख जमीन पर अनुसूचित जाति के लोगों को देंगे, लेकिन मैं आपकी मारफत, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के मारफत माननीय मुख्य मंत्रीजी को बात पहुंचाना चाहता हूं या आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं आप भी सरकार के प्रतीक हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसमें आज तक कितनी प्रगति हुई, कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, कितनी जमीन सुरक्षित रखी है और किस तरीके से उनको देना चाहते हैं, देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। इस तरह की बात सरकार की तरफ से आपके उत्तर में स्पष्ट होना चाहिए।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रियायती प्लोटों का मामला है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं। रियायती प्लाटों के मामले में सरकार ने यह घोषणा की कि 15 पर्सेन्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए हर स्कीम में सुरक्षित रहेगी और वह उनको रियायती कीमत पर, एक नोमीनल कीमत पर दी जायगी, तो मैं मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि कितनी स्कीमें सरकार की इस घोषणा के बाद राजस्थान में यू. आइ. टीज. ने प्रचलित की हैं और उनमें 15 पर्सेन्ट के हिसाब से प्लाट दिए या नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक यू. आइ. टी. ने जो-जो स्कीमें ली हैं उनमें से एक-एक स्कीम में भी 15 पर्सेन्ट के हिसाब से प्लाट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को नहीं दिया गया। इसका क्या कारण है कि 15 पर्सेन्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को नहीं दिया गया है। जितनी स्कीमें जयपुर यू.आइ.टी. में आज तक ली गई हैं उनमें नहीं दिये गये हैं प्लाट्स। दूसरी यू. आइ. टी. की भी यही हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार की घोषित नीति है उसके अनुसार यदि काम नहीं होता है तो यह सरकार की घोषणामात्र है, सरकार का धोखा है, सरकार का फरेब है सरकार को अपनी जबान पर, अपनी घोषणा पर अमल करना चाहिए और उसको कार्यरूप में परिणत करना चाहिए, नहीं तो सरकार की घोषणा, सरकार की जबान और सरकार के आश्वासन और एक मामूली आदमी के आश्वासनों में कोई फर्क नहीं रहता है। इसलिए आप जो कहें, माननीय मुख्य मन्त्रीजी कहें या अन्य मन्त्री कहें और उनके द्वारा जो भी बात कही जाय, जो भी घोषणाएं आप करते हैं, जो

( श्री जयनारायण सालोदिया )

आश्वासन देते हैं, जो वायदा करते हैं उनसे मुकरते हैं तो सरकार जैसी एक संस्था, एक ठोस हुकूमत करने वाली संस्था इस तरह से मुकर जाय और वह अपनी मजबूरी जाहिर करे तो ऐसी कमजोर सरकार, ऐसी वादा खिलाफ सरकार, ऐसी नपुंसक सरकार के कहने में किसी की कोई आस्था नहीं रहेगी कोई भरोसा नहीं करेगा, कई उन पर यकीन नहीं करेगा कि ये लोग अपने कहने पर जमे रहते हैं। वे यह सोचेंगे कि ये लोग घोषणा करने वाले हैं, लोगों को धोखा देने वाले हैं और इसी तरह से कहते हैं पर करते कुछ नहीं हैं।। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री को आपकी मार्फत छात्रवृत्ति के संबंध में एक पाइन्ट निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : राजस्व मन्त्री ?

**श्री जयनारायण सालोदिया** : माननीय समाज कल्याण, राज्य मंत्री !

**श्री केसरीसिंह** : वह राजी हो गये।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी छात्रवृत्ति आप देते हैं, वह वाजिब आदमियों तक छात्रवृत्ति नहीं पहुंचती है। मैंने बार बार निवेदन किया है कि छात्रवृत्ति का एक हिस्सा आप शिक्षा विभाग के माध्यम से बंटवाते हैं। शिक्षा विभाग के माध्यम से जो छात्रवृत्ति बंटवाते हैं वह निश्चिततौर पर एक ऊल जूलूल तरीके से बंटती हैं। वह इस काम को बेकार का काम समझते हैं, एक्स्ट्रा काम समझते हैं, अलग काम समझते हैं क्योंकि उनके पास और कई काम हैं, इसलिए आपके छात्रवृत्ति के काम को फालतू का काम समझते हैं, इसलिए किसी को वाजिब मिले, गैरवाजिब मिले, वह उस पैसे को आंख मीचकर बांटना चाहते हैं, पैसे को किसी तरह खत्म करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितना भी छात्रवृत्ति का पैसा है, वह अपने विभाग की मार्फत, अपने अधिकारियों की मार्फत बंटवायें ताकि वाजिब आदमियों को समय पर मिले। वाजिब आदमियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले-इनके लिए उन लोगों के लिए ही आपका विभाग खुला हुआ है। शिक्षा विभाग तो शिक्षा के लिए खुला हुआ है, उनके पास काम बहुत है लेकिन आपका विभाग उनके लिए खुला है, आपकी एजेंसी काफी है जिले में, उसकी मार्फत आप पूरी छात्रवृत्ति का आधा अभी बांटते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी छात्रवृत्ति आप अपने विभाग की मार्फत बंटवायें।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो स्पेशल छात्रवृत्ति देते हैं, उसमें आपने 55 पर्सेंट मार्क्स की कन्डीशन लगा रखी है। जिन छात्र-छात्राओं को 55 पर्सेंट मार्क्स मिलेंगे उनको स्पेशल छात्रवृत्ति देंगे और उनको स्पेशल स्कूल में भेजेंगे। केवल पांच छः स्कूल ऐसे हैं जिनमें ऐसे छात्रों को भेजते हैं। लेकिन उसमें जो दिक्कत है उसको आप जानते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई लड़के-लड़की राजस्थान में ऐसे नहीं हैं जो हर साल 55 पर्सेंट मार्क्स ले आयें, जब हर साल 55 पर्सेंट मार्क्स नहीं ला सकते हैं तो फिर इस

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तरह की कन्डीशन क्यों लगाते हैं। उसमें आपको दिक्कत है, विभाग को भी दिक्कत है और छात्र-छात्राओं को भी दिक्कत है। एक बार अमुक छात्र-छात्रा ने 55 पर्सेंट मार्क्स प्राप्त कर लिया तो आपने उसे विशेष स्कूल में भेज दिया, बीकानेर भेज दिया, बनस्थली भेज दिया, चित्तौड़ भेज दिया, सेन्ट जेवियर में दाखिला करा दिया। यह पहली स्टेज हो गई। लेकिन वह दूसरी बार 55 पर्सेन्ट मार्क्स नहीं ला सका तो वह वापिस आगया। दूसरी साल दूसरा लड़का वहां पहुंच गया जिसने 55 पर्सेन्ट मार्क्स प्राप्त करे हैं। दूसरी बार उसे 55 पर्सेन्ट मार्क्स नहीं मिले तो वह भी वापिस आगया और तीसरा, जिसने 55 पर्सेन्ट मार्क्स प्राप्त किये हैं, वह दाखिल हो गया...

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक मिनट, सर !

इस तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का पैसा बेकार जाता है और लड़के-लड़कियां, जिन्हें एक जगह रख कर जो पैसा उन पर खर्च किया जाता है, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकते। हर साल व्यवस्था बिगड़ती रहती है। एक बार जो लड़का गया, दूसरी बार वह 55 पर्सेन्ट मार्क्स नहीं ला सका तो वह वापिस आगया। दूसरी बार नया लड़का गया, वह दूसरी साल 55 पर्सेन्ट मार्क्स नहीं ला सका तो वह भी वापिस होगया। फिर तीसरा लड़का गया। इसलिए लड़के 55 पर्सेन्ट मार्क्स नहीं लाने के कारण रेगुलर तरीके से वहां नहीं रह सकते हैं और आप का पैसा व्यर्थ खर्च होता है। इसलिए आपको इस बारे में सोचना चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए कि जो विभाग का पैसा खर्च हो, उससे लड़के और लड़कियां, पांच दस लड़के, लड़कियां रेगुलर तरीके से नीचे से ऊपर की क्लास में पढ़कर अपनी जिन्दगी सुधार सकें। अभी इस कारण एक बार सेन्ट जेवियर में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन उनके पास गारन्टी नहीं रहती है कि वह दूसरी साल वहां रह सकेंगे या नहीं। इसी तरह से एक बार बीकानेर के स्कूल में दाखिल होगये या वनस्थली विद्यापीठ में चले गये, लेकिन दूसरी साल 55 पर्सेन्ट के बजाय 50 पर्सेन्ट मार्क्स होगये तो वह वापिस आ जाते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में सोच समझ कर कोई निर्णय करना चाहिए। मैंने कई बार इस पाइंट को अर्ज किया है, उस पर आपने आश्वासन भी दिया है कि आप विचार करेंगे। इसके ऊपर जिस स्तर पर विचार हो सकता है, उस स्तर पर विचार करके, मेरा निवेदन है कि जो सरकार स्पेशल स्कूलों के लिये छात्रवृत्ति देती है उनके लिये इस प्रकार की कन्डीशन नहीं रखें कि 55 पर्सेन्ट मार्क्स हों। इसके बजाय ऐसी कन्डीशन होनी चाहिए कि जो भी पास हो जायेगा, वह ऐसे स्कूल और छात्रावास में दाखिल हो जायगा। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कन्डीशन क्यों है......

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : दिस इज स्पेशल स्कालरशिप, मैरिट स्कालरशिप !

श्री जयनारायण सालोदिया : स्पेशल स्कालरशिप तो है। मैं मानता हूं कि स्पेशल स्कालरशिप का प्रावधान होना

(श्री जयनारायण सालोदिया)

चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा एक गया, दूसरा आया इससे कोई फायदा नहीं है। इससे लड़कों की जिन्दगी नहीं सुधार सकते हैं और आपका पैसा खर्च हो जाता है और लड़कों की जिन्दगी खराब होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आपका आदेश है लेकिन मैं एक अर्ज करूंगा कि कि सरकार से कहकर, पुनः मांग करके इसी सत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के आयोग की रिपोर्ट पर डिस्कशन करायें। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री देवीदत्त गाड़िया ! समय 15 मिनिट !

**श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज कल्याण विभाग की स्थिति कैसी है इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज समाज कल्याण विभाग की स्थिति वैसी ही है जिस प्रकार से एक विधवा औरत नाजायज सन्तान को जन्म देकर उसको सड़क पर फेंक कर चली जाती है...

**श्री जयनारायण सालोदिया** : बहुत अच्छा है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : ठीक इसी प्रकार से राजस्थान का समाज कल्याण विभाग है....

**श्री रामकिशन:** यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, औरत का अपमान है।

**श्री जयनारायण सालोदिया:** पालियामेंट्री शब्द नहीं है ?

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को बसाने के नाम पर कॉलोनीज बनाई गई, छात्रावास बनाये गये, स्कूल खोले गये लेकिन खोलने के बाद में उनकी कोई देखभाल नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध के अन्दर मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आज समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जितने भी कार्य चल रहे हैं उनके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान की रकम खर्च की जाती है, उसका सही उपयोग होता है या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग ने आज कुछ वर्ष के पूर्व जिला कोटा, तहसील किशनगंज और शाहाबाद के अन्दर आदिवासी सहरियों को बसाने के लिए तीन कॉलोनीज का निर्माण किया, सुगरा, खुशालपुरा, पैनाब्दा-यह कॉलोनी बनाई गई। उनको बसाने के नाम पर जमीन आवंटित की गई। गृह कार्य और गृह निर्माण कार्य-इन सारे कामों के ऊपर तीन कॉलोनी के अन्दर राज्य सरकार का 23 लाख रुपया खर्च हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इन तीनों कॉलोनीज में से सुगरा कॉलोनी में सौ परिवार खुशालपुरा कॉलोनी में 82 परिवार और पैनाब्दा कॉलोनी में 45 परिवार बसाने की योजना थी। इस प्रकार तीन कॉलोनी के अन्दर राज्य सरकार ने 23 लाख रुपया खर्च किया और प्रत्येक परिवार के खेती के नाम पर बीस २ बीघा जमीन थी। सगरा, खुशालपुरा और पैनाब्दा कॉलोनीके अन्दर प्रत्येक आदिवासी सहरिये को अपनी भूमि पर सिंचाई के लिए कुए का निर्माण करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने पैसा दिया,

# Page No 133



(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पैसा खर्च किया, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन तीनों कालोनीज की क्या हालत है ? सगरा, खुशालपुरा और पेनाव्दा-इन कॉलोनी में सो, 82 और 45 परिवार रहने चाहिएं क्या मन्त्री महोदय, आप बता सकेंगे कि आज तीनों कालोनी के अन्दर कितने परिवार रहते हैं। कितने परिवारों के मकान बने हुए हैं और कितने परिवारों के खेतों पर कुए बने हुए हैं। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इन तीनों कॉलोनीज में खेतों की सिचाई करने के लिए साधन देने के लिए राज्य सरकार ने तालाब बनाये, बांध बनाये और एनीकट्स बनाये उन तालाब और बांध का क्या हुआ ? वह तालाब बनाये और जो यह सगरा, खुशालपुरा और पैनाव्दा कालोनी बसाई गई, लेकिन आज इस बात को दस बारह साल होने को आये, लेकिन उस तालाब से एक भी बीघा में सिचाई नहीं होती है। कॉलोनी के बीच बनाये गये तालाब का आज नामोनिशान नहीं है। मेरा निवेदन है इस कालोनी को बसाने में लाखों रुपयों का गबन और घोटाला हुआ है। मैं माननीय मन्त्रीजी आपसे पूछना चाहूंगा, इन तीनों कॉलोनीज में हुए गबन और घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनाई थी, उस जांच कमेटी के द्वारा जो जांच की गई और इन तीनों कॉलोनीज के गड़बड़ घोटाले की जांच श्री एस. एल. खुराना तात्कालीन कलेक्टर ने की। वह जांच रिपोर्ट सरकार के पास कब आयी और उन्होंने क्या २ लिखा और उसके आधार पर आपने क्या कार्यवाही की ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी की लाचारी को अनुभव कर रहा हूं। उनको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। उक्त अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट कब दी इसकी भी जानकारी नहीं है। ऐसे समाज कल्याण विभाग के मन्त्री, जिनको जानकारी नहीं है और इस प्रकार की कॉलोनीज में लाखों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन समाज कल्याण मन्त्री जी को कुछ भी पता नहीं है।

इतना ही नहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के नाम पर जो छात्रावास चलाये जाते हैं, खोले जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के नाम पर स्कूल को एड देते हैं, मैं माननीय मंत्रीजी, आप से पूछना चाहता हूं, वास्तव में समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान की बात करना चाहते हैं तो आपके विभाग ने कभी जांच की है प्रत्येक जिनमें कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं जिनकी भूमि पर बड़े बड़े भूमिपति और धनपतियों ने कब्जा कर रखा है कभी आपने प्रयास किया है ? वे गरीबी के कारण न्यायालय में नहीं जा सकते है। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये वकील जरूर नियुक्त किये हैं। अफशोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां भी राजनैतिक आधार है। ऐसी सूची है आपके पास अथवा क्या आप यह जानकारी देंगे कि किस २ व्यक्ति की पैरवी करने के लिये किस को नियुक्त किया और कितना रुपया प्रति वर्ष उन पर राज्य सरकार का खर्चा होता है ? बारां सब डिविजन में आपने राजनैतिक आधार पर कोटा जिला कांग्रेसाध्यक्ष श्री कैलाशनाथ को वकील नियुक्त किया है। तीन चार साल से वकील हैं उन्होंने कितने केसेज की पैरवी की माननीय मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस कॉलोनी का समाज

Page No 134



(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कल्याण विभाग ने निर्माण किया, भूमि आवंटित करवायी उस पर कितना खर्चा हुआ। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि उन आदिवासियों सहरियों का कब्जा नहीं और बड़े २ लोगों का कब्जा है। माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि उनके मुकदमें की पैरवी आपका वकील कर रहा है क्या ? नहीं कर रहा है। दूसरा वकील कर रहा है। किसलिये वकील नियुक्त किया ? आपके विभाग ने कोटा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को इसीलिये क्या नियुक्त किया था ? इसी प्रकार से क्या गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं ? आज राजस्थान सरकार और रेवेन्यू विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भूमि आवंटिन की बात करते हैं लेकिन कब्जा नहीं होता है। आप जब शाहबाद गये थे तो सहरियों ने आपके सामने सारी परिस्थितियों को रखा था। माननीय मंत्रीजी, आप से पूछना चाहूंगा कि आपने क्या कार्यवाही की इस प्रकार सहरियों की हत्यायें होती हैं। उन गरीब सहरियों की लड़कियों को बड़े २ भूमिपति और धनपति उड़ा कर लेजाते हैं। आपने विभाग ने क्या कार्यवाही की ? पुलिस वाले तो पैसे वालों की वकालत करते हैं। आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की ? लाखों रुपए खर्च किये गये, उन कोलोनीज में दो चार परिवार ही रहते हैं। वे लोग वहां नहीं रहते हैं। जितने कुओं का निर्माण पर खर्च किया है उन कॉलोनीज में कुओं की हालत यह है कि पांच छ: खड्डे जरूर हैं। एक कुए का छोड़ कर बाकी में पानी नहीं है। उनको बसाया किस प्रकार जाय, उनकी आपको चिन्ता नहीं हैं। आपके जिले के अधिकारियों ने क्या किया ? आप भी वहां पर गये थे।

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, उस इलाके में वन सम्पदा पर वनवासी सहरियों का अधिकार होना चाहिये। लेकिन उनसे वह वन सम्पदा छीन ली गयी। चाहे वाये हो, गोंद हो, तदूपते हों। सोसाइटीज का क्या हुआ ? सहरिये उनमें सदस्य थे। उन सहरियों के नाम पर बनायी गयी सोसाइटीज में राज्य सरकार के हजारों रुपये के शेयर हैं। लेकिन वनश्रमिक सोसाइटी को श्री ब्रह्मदत्त शर्मा ने दबा लिया। हजारों रुपया दबा लिया। जितनी भी उदयपुर और चित्तौड़ की सोसाइटीज हैं, उनकी हिस्सा पूंजी सौ-सौ रुपया है, लेकिन शाहबाद तहसील की जितनी सोसाइटीज हैं, उत्पादक सोसाइटी या दूसरी 15 हजार की हिस्सा राशि शामिल कर दी और वन श्रमिक सहकारी संघ में डाल देने से वह विलीन हो गयी। जंगलों का ठेका नहीं मिलता, तीन-तीन, चार-चार साल से। उस इलाके में कत्ये का व्यापार स्टेट ट्रेडिंग के आधार पर है। वे आदिवासी जिनका वनों पर संरक्षण है वे क्या खावेंगे ? उन सहरियों का शोषण चारों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उनके उत्थान के लिये आपने कुछ नहीं किया।

इतना ही नहीं समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रावास चलाये जा रहे हैं और स्कूलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़के पढ़ते हैं। इन एडेड स्कूलों में अनुदान की रकम देते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम पर। जिला झुंझुनू में इन्दरा गांधी बालिका विद्यालय है। व्यवस्थापक ने समाज कल्याण विभाग में हरिजन लड़कियों के फर्जी नामों की लिस्ट देकर हजारों रुपये का अनुदान लिया है। मैं चैलेन्ज पूर्वक कहता हूं कि उस पब्लिक विद्यालय में एक भी हरिजन छात्र ने प्रवेश नहीं लिया

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

है, लेकिन विभाग से हजारों रुपयों की रकम अनुदान के रूप में ली है। आपने जांच क्यों नहीं करवायी ? इन्दरा गांधी हाई स्कूल के अन्दर जो अनुदान की राशि दी है उस अनुपात में लड़कियों का प्रवेश भी नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप गरीब लोगों के, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान की बात करते हैं, समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के पक्के मकान बनाने के लिये अनुदान और ऋण देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कोटा जिले में गत चार साल में किस २ जिले के किन २ लोगों को ऋण और अनुदान दिया ? क्या यह सही नहीं है कि 68 के आसपास राजस्थान के एक उपमंत्री, जो आपके सहयोगी हैं, उनके भाई के नाम पर उनके लड़के के नाम पर आपने मकान बनाने लिये अनुदान की रकम दी या नहीं ? क्या यही आपका नैतिक स्तर है ? क्या यही आपकी गरीबों के प्रति सहानुभूति है। कई ऐसे व्यक्ति हैं और जबकि उस व्यक्ति के तो पक्का मकान है और क्या उसने इस लोन का सही उपयोग किया है। मेरी जानकारी है उपाध्यक्ष महोदय कि उक्त व्यक्ति ने अभी तक पक्का मकान नहीं बनाया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : समय हो गया है माननीय सदस्य।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : दो मिनट और बोलूंगा। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अप्रेल के महीने में भूरसी बांटी है अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को। इन लोगों को जो कर्जा आपने बांटा है उसकी क्या यहां पर जानकारी दे सकेंगे कि राजस्थान के किस किस जिले के अन्दर किस किस जाति के लोगों को मकान के लिये कर्जा दिया है। मेरा यह मन्त्रीजी पर आरोप है कि कोटा जिले के अन्दर और बारां सब-डिवीजन के अन्दर आपने अपने चार साल के कार्यालय के अन्दर एक भी हरिजन मेहतर को गृह निर्माण के लिए पैसा नहीं दिया है। चाहे बलाई हो, चाहे चमार हो इन लोगों को एक भी रुपये का कर्जा नहीं दिया है। इसका क्या कारण है ? क्या ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नहीं है ? आप इनको राजनैतिक आधार पर वितरित करते हैं। यह गलत है। मेरा यह सुझाव है कि आप प्रत्येक जिले के अन्दर जितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनमें यह कर्जा विभक्त करें ताकि हर जाति के लोगों को कर्जा मिल सके।

अन्त में एक बात यह कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि कोटा जिले के अन्दर, बारां सब डिवीजन के अन्दर, तहसील बारां के अंदर, कई ऐसे गांव हैं, राजापुरा, खारड़ा, हरिपुरा इन गांवों के अन्दर जितने अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग रहते हैं, आज तक इन गांवों के अन्दर पीने के पानी के कुएं नहीं हैं। तो आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की। क्या यह आपका नैतिक दायित्व नहीं है कि इन लोगों को पीने का पानी मिले और आप कार्यवाही करें ? अन्त में एक बात यह और कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ··

**श्री उपाध्यक्ष** : अन्त में आप कह चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बात कहता हुआ कि आज बारां के अन्दर सात साल पहले, पांच साल पहिले हरिजन कोलोनी के निर्माण के लिये आपने पैसा दिया था, बारां की नगर परिषद् को 62 हजार रुपया दिया था और आपने उस पैसे को वापिस ले लिया। यह सही है कि उस समय की नगर-पालिका ने हरिजन कोलोनी के निर्माण के लिये पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन बारां जिसकी कि आबादी 30 हजार की है और कोटा जिले के अन्दर दूसरा सबसे बड़ा शहर है और राजस्थान की सबसे बड़ी गल्ले की और किराने की मण्डी है वहां पर हरिजनों को आज तक प्लाट्स नहीं दिये गये हैं और इसके लिये कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब उस हरिजन कोलोनी के निर्माण के लिये आप कब पैसा देने वाले हो। मुझे विश्वास है कि आप इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन आज उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जितनी भी नगरपरिषदें हैं उनमें हरिजनों को निलम्बित किया जाता है। उन हरिजनों को जो मैला उठाते हैं, गंदगी को साफ करते हैं। क्या आप इस मामले की जांच करावेंगे कि कितने महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जब समाज कल्याण विभाग से नगर-पालिकाओं को एड दी जाती है उत्थान के नाम पर, शहरों की गन्दगी की सफाई करने के नाम पर, बिजली लगाने के नाम पर और जब वे इस दायित्व को नहीं निभाती हैं और हरिजनों को परेशानी होती है तो ऐसी नगरपालिकाओं को आपके विभाग के द्वारा ऐड नहीं दी जानी चाहिये। बारां नगरपालिका को समाज कल्याण विभाग से 25 हजार रुपया बिजली लगाने के लिए दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह आपने जो 25 हजार रुपया बारां नगरपालिका को बिजली लगाने के लिये हरिजन मोहल्लों के लिये दिया था और जो लिस्ट दी थी विद्युत विभाग को कि वह बिजली इन हरिजनों के मोहल्लों में लगावें ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण समाप्त हो गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बस समाप्त करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसकी जांच करवायेंगे। क्या वह 28 हजार रुपया विद्युत विभाग को आपने लिस्ट दी है उसके अनुसार व्यय हुआ है? क्या वह हरिजन मोहल्लों में लगाया गया है। क्या इसका आपने नगरपालिका के क्या चेयरमैन से सर्टीफिकेट ले लिया है और समाज कल्याण विभाग ने इसकी जांच करवाई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका विभाग इसकी जांच करवायेगा और सम्बन्धित अधिकारियों ने जो गबन किया है, घोटाला किया है उसकी क्या जांच करवाई है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? आशा है इस सम्बन्ध में आप उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से मांगों के पारित होने तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की प्रगति रिपोर्ट इस विभाग की तरफ से समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है उससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार घोषणाओं में ज्यादा विश्वास करती है और उन घोषणाओं के अनुरूप कितना काम किया और कितना लक्ष्य प्राप्त किया। उसके ऊपर ध्यान सरकार का नहीं है। मैंने इस प्रगति रिपोर्ट में यह जानने का प्रयत्न किया कि जो प्रावधान गत वर्ष और जो घोषणाएं गत वर्ष सरकार की ओर से की गई थी चाहे वह छात्रवृत्तियों के बारे में होती है बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में है, चाहे आवास की व्यवस्था करने के बारे में हो, इस प्रगति रिपोर्ट में सिवाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो एग्रीकल्चर लैंड का ऐलाटमेन्ट हुआ उसके फिजीकल आंकड़े तो अवश्य इसमें मौजूद है। इसके सिवाय बजट प्रावधान के जिन आंकड़ों को। अप्रेल 70 में पता लग गया था और उसके आधार पर उस समय रिपोर्ट तैयार कर के दी जा सकती थी ऐसी रिपोर्ट और सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई उस आधार पर 71-72 की रिपोर्ट तो मन्त्रीजो उस समय उपस्थित कर सकते थे। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी स्वयं इस बात पर ध्यान देंगे।

श्री पी. एन. जोशी : कौनसी रिपोर्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सदन के सामने आपने जो प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके सम्बन्ध में जो प्राविजन्स, फाईनेन्सीयल प्राविजन्स आपने जिन जिन कार्यों के लिये किये हैं उसमें फिजीकल टारगेट को कितना आपने पूरा किया है, किस हद तक पूरा कर पाये हैं, नहीं कर पाये हैं तो क्यों नहीं कर पाये हैं और बढ़े हैं तो कितना आगे बढ़ सके हैं, इस चीज की रिपोर्ट होनी चाहिये। मैं तो यह चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी अपने उत्तर में इस बात को बतायेंगे। सदन में कई बार क्यूश्चन भी आया है और अलग अलग सवाल पर क्लीअर कट जवाब भी दिया गया है। आपने घोषणा की थी कि तमाम ग्रेजुएट्स को 100 रुपया मासिक और पोस्ट ग्रेजुएट को 150/- रुपया मासिक आर एक साल या जब तक उनको रोजगार न मिले, उनको भत्ता दिया जायेगा। इस वर्ष 70-71 में आपने 85 हजार का प्रावजिन रखा था। तो कितने लोगों को आपने यह दिया है, वह आंकड़े भी आप इकट्ठा कर लें। हम यह जानना चाहेंगे कि एक्चुअली यह घोषणा रही या आपने स्वचुअली इस चीज का पालन भी किया है।

दूसरी बात एम्पलायमेंट के बारे में 28 परसेन्ट की बात, क्वेश्चन आवर में कितनी ही बार आपसे पूछा गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है माननीय मंत्रीजी कि एक्चुअली जो हमारे संविधान में गारन्टी हमने दी है, जिस बात को हम करना चाहते हैं उसका इम्पलीमेन्टेशन किस हद तक आ है तो इस बारे में भी फिजिकल टारगेट्स में आप कहां तक पहुंचे हैं, किस किस विभाग में उसकी भी आप जानकारी दें।

पिछले बजट के अवसर पर यह भी घोषणा की गयी थी कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो भी बस्तियां होंगी उन बस्तियों में विशेष तौर से बजट में प्रावधान लाइट्स के लिए और वाटर के लिए किया गया था।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक्चुअली में बजट प्रावधान के अनुसार आप कितना स्पेण्ट करे पाये, कितनी सुविधायें कितनी बस्तियों में आप विशेषतौर से कर पाये उसको भी फिजिकल टारगेट के रूप में आपको बताना चाहिए।

इसी प्रकार से आपने 8½ लाख रुपये का प्रावीजन किया था पिछली वर्ष इस बात के लिए कि हरिजनों को या आदिवासियों को मुफ्त हाउस साइट प्रोवाइड करने के लिए। इस रुपये से आपको जमीन एक्वायर करनी थी और फ्री हाउस साइट देनी थी। इसमें इसको भी नहीं बताया है कि इस दिशा में आपने कितना काम किया है। जहां तक मेरी जानकारी है या और माननीय सदस्यों से जानकारी करने पर पता लगा है कि इस फ्री हाउस साइट देने की दिशा में आपके विभाग ने कोई काम नहीं किया है अलबत्ता किसी के पास प्लाट हुआ तो उसको आपने सबसीडी या लोन दिया है लेकिन फ्री हाउस साइट की दिशा में आपका विभाग अभी तक उदासीन है। इसलिए जो पिछले बजट में प्रावधान था उसके संबंध में आपके यहां कहां तक कार्यवाही हुई है उसके लिये आप जवाब देने का प्रयत्न करें और आइन्दा जो भी एचीवमेंट्स इस दिशा में हों उनको रिपोर्ट में लाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि यह बजट जिन राजनैतिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत हुआ है और जो सोशियल और इकानामी रिफार्म्स देश में करने की घोषणा

5.02 म. प.

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

की गयी है और केन्द्र में जो दल गवर्नमेंट चला रहा है और यहां जो दल है यह उसी का अंग है और उसी नेतृत्व में यह गवर्नमेंट भी चल रही है और विशेषतौर से जो घोषणायें लोकसभा के चुनाव में की हैं गरीबी को दूर करने का एलान, बेरोजगारी दूर करने का एलान इस घोषणा में किया गया और उससे अधिक से अधिक लाभान्वित होने वाला तबका हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट का होना चाहिए। तो उसका कोई रिफलेक्शन आपके इस बजट में होगा यह मैं मानकर चलता था लेकिन आपके विभाग के बजट के आंकड़े देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। आपके जो बजट के आंकड़े हैं उसके अनुसार 1969-70 में जो एक्चुअली एक्सपेन्सेज हुए हैं वे 2 करोड़ 13 लाख हैं और बजाय बढ़ने के 1970-71 में आपका बजट एस्टीमेट्स तो केवल 1 करोड़ 98 लाख था लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 2 करोड़ 2 लाख के रखे गये है। उसके बाद ये घोषणायें हुई। लोकसभा के चुनाव हुए और 350 सीटें आपने जीतीं और समाजवाद का कार्यक्रम हाथ में लेंगे, गरीबी को दूर करेंगे इस संदर्भ में आप ये बजट लेकर आये। 1969-70 का बजट 2 करोड़ 13 लाख का था और 1970-71 का 2 करोड़ 2 लाख का था और अब आपका बजट 1 करोड़ 82 लाख का है, पिछली साल के 20 लाख कम। पहले 11 लाख कम थे और अबकी बार 20 लाख कम। तो आपकी घोषणाओं के अनुरूप आपका बजट किस प्रकार का है यह बात समझ में नहीं आती। इसलिए ऐसा लगता है कि उस तबके को केवल भाषणों से, केवल घोषणाओं से आश्चर्यचकित कर दो या आकर्षित कर दो लेकिन जो मुद्दे की बातें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं उस दिशा में बढ़ने की बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने जो आंकड़े देखने की कोशिश की कि यह कमियां कहां की गयी हैं तो मैंने पाया कि भंगी कष्ट निवारण का 20 लाख रुपया जो पिछली साल बजट के अन्दर रखा था इस साल के बजट में आपने उसको उड़ा दिया। क्या कारण है? क्या आपने यह महसूस किया है कि इस योजना की आवश्यकता नहीं है, यह अव्यवहारिक है या आप ही खुद बतायेंगे कि क्या बात है। यहां तो माननीय सदस्य दस्तखत करा रहे थे और हमने उन दस्तखतों से लिखा है कि इस योजना को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। आज भारत में अभिशाप है कि इस प्रकार से भंगियों को मैला ढोना पड़े। मैं माननीय सदस्यों से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस मैला ढोने को बन्द करने के लिए कोई डेट मुकर्रर की जानी चाहिए। यह भंगियों के तय करने का सवाल नहीं है। भंगी मैला नहीं ढोयेंगे और यह गवर्नमेन्ट के तय करने का सवाल होना चाहिए। आज अमेरिका के अन्दर नीग्रो के साथ कैसे व्यवहार हो और उसकी आलोचना हम करें और हमारे देश के अन्दर आज हम ही हरिजनों और भंगियों के साथ कानून के जरिये हम इस तरह का काम लेते हैं। इतना ही नहीं अगर वह संगठित होकर क्लेक्टिव बारगेनिंग करके अपनी तनख्वाहें बढ़वाने की बात करें कि हम मैला इतनी तनख्वाह लेकर ढोयेंगे तो आप एसेन्शल सर्विसेज आर्डिनेन्स उसके ऊपर लागू करें और कहें कि तुमको तो मैला ढोना ही पड़ेगा और नहीं ढोओगे तो तुमको जेलों में डालेंगे। तो यह नीग्रो का सा व्यवहार हम इनके साथ कर रहे हैं और हम अपने ऊपर हाथ रखकर देखें कि यह व्यवहार उससे कम नहीं है। आज यह समाजवाद की बात करने वाली सरकार अभी दो महीने भी नहीं हुए, चुनावों में जीतने वाली सरकार और भंगी निवारण के 20 लाख रुपये काटे। घोषणा की वित्त मंत्रीजी ने कि जो भी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे उनको नौकरी का भत्ता देंगे जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देंगे लेकिन पिछली साल भी 85 हजार का प्रावीजन और इस साल भी प्रावीजन वही अगर आप ज्यादा लोगों को देना चाहते हैं तो आपका प्रावीजन कितने ही गुना ज्यादा होना चाहिए और पिछली साल की घोषणा के अनुसार आप प्रावीजन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका इरादा उससे आगे बढ़ाने का नहीं है। यही कारण है कि आपने इसके लिए रूल्स अभी तक नहीं बनाये हैं। लोग पूछते फिरते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन्स दें, कहां दें और क्या उसके नियम हैं। इसी तरह से इन्जीनियर्स की बात है, इसी तरह से डिप्लोमा होल्डर्स की बात है। घोषणा हो गयी, कब से लागू होगी, क्या नियम होंगे इसमें साल निकल जायेगा और वही 85 हजार का प्रावीजन आपकी नियत से जाहिर होता है, यह आपकी असलियत को जाहिर करता है कि उस घोषणा के अन्दर दम नहीं है। असलियत यह है कि आप उसी स्थान पर खड़े हैं, यथास्थान हैं और उसी स्थिति में हैं और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप मजबूरियां बताते हैं लेकिन आपके राजप्रासादों के लिए वह नहीं होगा। आप होटल बना देंगे लेकिन इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है।

Page No 140



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो छात्रवृति के लिए 5 लाख 72 हजार का प्रावीजन था अब की बार 3 लाख का ही है। तो यह समाजवाद की दिशा में और बढ़कर कदम है कि छात्रवृत्ति के लिए जितना रखा गया था पिछली साल उससे भी इस साल कम कर दिया है। पिछली साल कानूनी सलाह के लिए 10 हजार रुपया था उसको भी आपने काट दिया है इकानामी मेजर में। तो किसी न किसी रूप में यह बजट इस तबके को राहत देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था उसके अन्दर भी कमी है आंकड़ों के रूप में। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह सरकार घोषणा करती है कि हम समाजवाद की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं इस बात को समझ लें कि समाजवाद को कुछ शक्तियां, कुछ वर्ग समाजवाद को चाहते हैं और कुछ वर्ग समाजवाद के खिलाफ है। अगर इस हिन्दुस्तान में समाजवाद का कोई सच्चा सिपाही है तो वह हरिजन और आदिवासी है जो तमाम वर्गों के नीचे दबा हुआ है। इसलिए समाजवाद का सच्चा सिपाही यह वर्ग है और इस वर्ग को वास्तव में फौज खड़ी करनी है— समाजवाद के निर्माण करने की तो इस वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। इस लक्ष्य पर देश को चलना होगा और जो हरिजनों और आदिवासियों की अहमियत है इस दिशा में मैं समझता हूं इसको देखा जाना चाहिये। सभापति महोदय इस लिए मैं निवेदन करूंगा आज जब नया दृष्टिकोण यह सरकार अपनाने जा रही है और इन समस्याओं को देखना शुरू किया है तो इसकी समस्या को हल करने के लिये मुक्तेनजर पर भी तब्दीली करें। मैंने पिछली साल भी निवेदन किया था, आप इन क्लासेज—हरिजन और आदिवासियों के अन्दर एक बहुत बड़ा काम करेंगे, अगर आप उनमें क्लास कान्सियसनेस वर्ग चेतना, पैदा करेंगे। आप उनमें यह महसूस करा रहे है, आज जो कुछ लोग हैं मेहरबानी करने वाले है, चैरिटि वाले लोग है इन किस्मत पर रहने वालों के लिये मदद के लिये यहां पर आये है- मुझे माफ करें अगर यह दिशा है तो उनको हम गुलामी से नहीं निकाल सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

यह आगे नहीं बढ़ा सकेगा इसलिये जो प्रचार का तरीका है, जो शिक्षा का तरीका हैं, उनमें संगठनों का तरीका है, आप यह कोशिश न करें कि उनके संगठन न बनें। उनके वास्तविक संगठन खड़े हो जिसमें चेतना हो, शक्ति हो जो उस संगठन को मजबूत कर सके। मेरा यह निवेदन है कि इस समाज को बदलने में केवल आपकी हाथ की बात नहीं हैं। उनमें चेतना और शक्ति हो तो हाथ मजबूत हों जायेंगे। आपके कानून बने हुये हैं लेकिन नाथद्वारा टेम्पिल में क्या है, मुख्य मंत्री जी वहां से आते हैं। वहां कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत है लेकिन आज वहां भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि नाथद्वारा में हरिजन नहीं जा रहे हैं और आपका कानून चुप है। उस पर कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। आपकी सरकार को चाहिये कि वहां पुजारियों को मुकर्रर करें, अगर आप वास्तविक अस्पृश्यता को खतम करना चाहते है तो वहां पर पुजारियों को मुकर्रर करें और कोई वजह नहीं इस तरीके से हरिजनों को मुकर्रर करेंगे, उनको इस तरह की इजाजत होगी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो अस्पृश्यता का निवारण अपने आप हो जायेगा। जिन लोगों को आप होटल रेस्टोरेन्ट खोलने की परमिशन देते हैं, आप यह कानून बनायें कि उसमें हरिजन एम्पलाइज अवश्य होगा और उन्हीं को लाईसेन्स मिल सकेगा। होटल में क्लर्क हो, मैनेजर हो जो भी पद हो – उसमें हरिजन आवश्यक तौर से हो और गवर्नमेंट उन्हीं को लाइसेन्स देगी इस नजरिये को चेंज करिये। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून बनाना पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और फिर हम यहां किसलिये बैठे हैं। यह लेजिसलेचर किस लिये है। यह विभाग सोशियल वेलफेयर समाज की उन हालतों को देखें और आज तक जिन कार्य –कलापों को ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात तुरन्त की जा सकती है। जितने मन्त्रि-मण्डल के सदस्य हैं उनको इस काम को प्रारम्भ करने के लिये अपने यहां एक रसोइया हरिजन रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: केवल मंत्रियों की जिम्मेदारी हो, ऐसी बात नहीं हैं। हम और आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं यह भी नहीं कहता कि आप कानून से करेंगे और हमारी अपनी इच्छाओं पर नहीं होगा। हरिजन लोग हमें भी मजबूर करें और हम एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे हमारी माताएं बहिनें वगैरह सब ठीक हो जायेंगी और इस तरह से नहीं हुआ तो वर्षों लगते रहेंगे और अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो सकेगा माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा आज इतने वर्षों के बाद समाज में कुछ परिवर्तन आये जो पहले अव्यवहारिक था वह आज व्यवहारिक हो गया है। मुझे आश्चर्य हुआ कई जगह प्याऊ पर टूंटी लगी हुई है और पानी प्याऊ पर टूंटी के जरिये पिलाया जाता है। अलवर में 47 में एक जूलूस निकला था और 47 के बाद न हिन्दुओं के लिये, न मुसलमानों के लिये, न हरिजनों के लिये किसी के लिये कोई टूंटी लगती नहीं है। यह समाज के अन्दर सबकी जिम्मेदारी है। मैं निवेदन करूंगा आप होस्टल हरिजनों के लिये आदिवासियों के लिये अलग बनायेंगे–शायद शुरू में रेसिस्टेन्स था कि वे छुआछूत करते हैं लेकिन वह अब आफेन्सिव में है डिफेन्सिव में नहीं है इसलिये मैं समझता हूं आज इस सदन में और भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है अब स्टेज यह पहुंच चुकी है कि इनका अलग अलग होटल न करके एक ही साथ रखें। Common hostels without any reservation.

कोई विरोध नहीं करेगा और मैं समझता हूं यह अलगाव की भावना दूर हो जायेगी इस दिशा में सोचने की जरूरत है।

(समय समाप्त सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जहां तक जमीन बांटने का सवाल है, मैं यह समझता हूं तीन प्रोग्राम हो जमीन, आवास और रोजगार। यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। मेरा यह निवेदन है कि इन तीन प्रोग्राम में – जमीनों पर बसाने में आवास की समस्या हल करने में और रोजगार की समस्या हल करने में जो केवल औपचारिकता बरत रहे हैं उनकी ऐमरजेन्सी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और आवश्यकता को महसूस करके कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। पिछले वर्ष एक टीम प्रोग्राम था और गान्धी शताब्दी के रुप में हरिजनों और आदिवासियों को जमीन अलाट की और उन लोगों को करीब दो लाख 77 हजार एकड़ जमीन अलाट हुई। 80-85 परिवारों में साढ़े तीन एकड़ फी परिवार के हिसाब से अलाट हुई। अगर एक साल में पौने तीन लाख एकड़ जमीन अलाट करेंगे तो सभापति महोदय एक करोड़ एकड़ भूमि अलाट होनी है तो इस तरह से 33 वर्ष लग जायेंगे। जो नारमल अलाटमेंट होना चाहिये उतना भी नहीं है। कौनसा आपका तेजी का प्रोग्राम है। मै समझता हूं यह दुरुस्त नहीं है। अवास में मैंने कहा आप उदासीनता बरत रहे हैं। टिनेन्सी एक्ट 55 से बना हुआ है उसकी दफा 33 के अन्दर हरिजनों को, आदिवासियों को भूमिहीन लोगों को, किसानों को गरीब मजदूरों को मुफ्त जमीन मिलने का अधिकार है लेकिन अभी तक राजस्थान में यह डेड लेटर की तरह पड़ी हुई है। जितना विभाग में काम होना चाहिये उसमें हम जानते हैं कि टाइम लगता है। प्रोसीजर इस तरीके का है कि कौन तकलीफ करे। एस. डी. ओ. को चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सर्क्युलर भिजवाया पिछले दिनों में। उसके बाद में लोग सब टूट पड़े। उनकी तरफ से कोई काम करने वाला नहीं है, और अभी तक हमारा समाज कल्याण विभाग है उसका जो बजट प्रोविजन है और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उन्ही को ले रहा है। आज इसके अलावा और जरूरत है। समाज कल्याण विभाग की ज्यादा जिम्मेदारी है और उसको वह सम्भाले की हरिजनों के हितों पर ज्यादा असर करने वाले जो और प्रशासनिक कार्य है वे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो उसमें शुरुआत कराने के कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। जैसा कि अभी एम्प्लायमेंट के बारे में प्रकोष्ठा खोला है, जमीनों के एलाटमेंट के बारे में भी हो सकता है, पर्सेन्टेज आफ एम्प्लायमेंट कितना 2 मिलता है यह आपने कर दिया है आवास के बारे में इसी तरीके से हो सकता है, छुआछूत के बारे में इसी तरीके से हो सकता है। ये सारे के सारे काम समाज कल्याण विभाग के हैं और केवल छात्रवृत्ति देना, छात्रावास खोलना और लोन और सब्सिडी बांटना इस काम तक ही अपना काम सीमित समझते हैं। मैं समझता हूं कि यह दुरुस्त नहीं है। आप अपनी रेस्पान्सिबिलिटी को बहुत छोटा कर रहे हैं

(समय समाप्ति सूचक घंटी) सभापति महोदय मैं ...

**श्री सभापति :** 25 मिनिट बोल गये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** इसलिए आज यह देखने में आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हरिजन आदिवासी हमारे समाज के इम्पार्टेन्ट अंग के साथ में ज्यादती हो रही है। इनके साथ में न्याय होना चाहिए। यह अच्छी बात है कि आज वह वर्ग भी जो प्रमुख शोषक वर्ग रहा है, वह भी इस बात को महसूस करने लगा है चाहे तो वह समाजवादी क्रान्तिकारी बढ़ती हुई शक्तियों के प्रकट होने के कारण ताकि बाद मे अच्छा व्यवहार हो, इस डर की वजह से, लेकिन यह चेतना इस समय अवश्य है। लेकिन उसके अनुरूप बहुत थोड़ी पर्सेन्टेज में काम हुआ है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

सदस्यों ने इस बात की आलोचना की कि हरिजन एम. एल. ए. या हरिजन मिनिस्टर यह एक शोषकवर्ग बन गया है, और यह मुख्य समस्या है उन वर्गों की। ये लोग अनुचित रूप से रियायतें ले, यह गलत है और यह दुरुस्त नहीं है। लेकिन हम अपनी तमाम शक्ति उस तरफ ही जुटा लें, यह सबसे बड़ा खतरा है, तो गलत दिशा में डाइवर्शन हो जायगा। अभी तक स्वर्ण समाज का ही सबसे बड़ा शोषण था इनमें आपस में जातियों में कुछ भी क्यों न हो भंगी से चमार की नफरत क्यों न हो, लेकिन यह हिस्टोरिकल फेक्ट है कि अभी तक आपको समाज का सवर्ण समाज का शोषण ही मुख्य रहा है हरिजनों एज ए होल पर, उनके आपस में स्माल कन्ट्रेडिक्शन चाहे हो सकते हैं वे एवायड किये जाने चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की भावना मैं समझती हूं किन्ही माननीय सदस्यों में हैं चाहे वो मंत्री हों या एम.एल.ए हों गलत है। इस तरीके से एलाटमेंट नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी हो, किसी काम हों। गलत दिशा में पड़ेंगे तो हरिजनों के लिए आप रहनुमा बन नहीं सकते। आप खरीदे जाओगे जैसे कि और लोग खरीदे गये हैं। सवर्ण लोग और ये लोग सबसे पहले उनका मुंह बन्द करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार की कोशिश की जाय। मैं समझता हूं यह दुरुस्त नहीं है और यह समाज को इस तरह से डाइवर्ट करने की बात होगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जमीनों का एलाटमेन्ट हुआ है, साइट्स का एलाटमेंट और एम्प्लायमेंट यह तीन मेजर कठिनाइयां हैं। समाज कल्याण विभाग आज चाहे गवर्नमेंट का एक इम्पार्टेन्ट विभाग नहीं माना जाता है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ओपन आई वाला हो वह देख सकता है, आने वाले जमाने को देख सकता है तो भविष्य में आने वाला हिंदुस्तान की हुकूमत अपने हाथ में लेने वाला है, यही वर्ग इस हिन्दुस्तान के अन्दर शासन करने वाला है। गरीबी को दूर करने की बात है तो इस गरीब वर्ग के हाथ में हिन्दुस्तान को कमान आयेगी तो वह गरीबी को दूर करने के लिए कदम उठा सकेगा, समाजवाद कायम कर सकेगा और रिश्वत खोरी को खत्म कर सकेगा। उस वर्ग से आने वाले नेता और उन वर्ग मे सामाजिक क्रान्ति करने वाले नेता कितनी ही शपथ खाया करें और संविधान को सर पर उठा कर चलें, लेकिन वास्तविक जो एक सामाजिक शोषक वर्ग के हैं और जब तक शोषक वर्ग के साथ में ये हैं वह नहीं आयेगी। इस-लिए बहुत बड़ी पोटेन्शियेलिटी का यह डिपार्टमेंट है। जिस समाज कल्याण डिपार्टमेंट को आपने आज सी क्लास का किया हुआ है और ऐसे डिपार्टमेंट में मंत्री के नाम से किसी को देना है, इस दृष्टि से इसको रखा है, अगर आप में केपेसिटी है और उस वर्ग में चेतना करनी है तो आप कर सकते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट में जहां कि 28 पर्सेन्ट की बात हो आप चुप बैठ जाते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट आपको बताता नहीं है और चाहे जैसे लिख देता है। क्यों लिख देता है अगर आप इस प्रकार से मोबीलाइज हों तो। हरिजनों का एक बहुत बड़ा जुलूस; प्रदर्शन इस असेम्बली और सेक्रेटेरियेट में लाकर खड़ा कर दें और घेर लें तो इस तरीके से एम्प्लाय में देना संविधान के खिलाफ है, आपकी घोषणाओं के खिलाफ है और ऐसे आॅफिसरों को

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

इमीजियेटली हटाया जाना चाहिए। उस शक्ति को खड़ा करने की जरूरत है। आप इस दृष्टिकोण के साथ ऊपर से बैठ कर चुप रहे तो यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। समाज में जागरूकता पैदा करके इनको अपने हित के लिए खड़ा कर दें तो यह देश को आगे बढने की दिशा होगी।

सभापति महोदय, मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपके डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में कुछ ओल्ड पेन्शन के बारे में कहना चाहूंगा। आपका डिपार्टमेंट ओल्ड एज और इन्वेलिड पेन्शन को डील विथ करता है। आपके रूल्स में खामियां है और उन रूल्स की खामियों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। एक तो मुझे यह कहना था कि अभी तक प्रोसीजर जो ओल्ड एज पेन्शन करने का है उसके अनुसार कभी भी ओल्ड एज पेन्शन डेट आफ एप्लीकेशन से मन्जूर नहीं होती है। बावजूद आपके यहां पर डिक्लेरेशन करने के या आपने उसके बारे में कोई परिपत्र निकाल दिया है अभी तक वह नहीं होता है अलवर के अन्दर क्लेकटर ने आपके यहां से क्लेरिफिकेशन मांगा है। वह क्लेरिफिकेशन क्या गया ओर क्या नहीं गया, लेकिन अभी तक जो भी पेन्शनें मन्जूर होती है वह मन्जूर जब कलेक्टर साहब जिस डेट से करते हैं उस डेट से लागू होती है। जो आपके रूल्स में कहीं हों तो इसको आप देख लें।

श्री मोहनलाल मोदी: सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी कलेक्टर जिस दिन से सेन्क्शन करता है उस दिन से वह लागू होती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : करेक्ट एप्लीकेशन आफ रूल्स नहीं है।

दूसरा मेरा कहना यह हैं कि वे लोग जिनके न लड़का है न लड़की है तो उनके लिए प्रोसीजर ऐसा है कि जिसके वेरीफिकेशन के अन्दर कई जगह डुप्लिसिटी है। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट अलग वेरीफिकेशन करता है कि जो स्टेटमेन्ट हुआ है वह सही है या गलत है। मैं समझता हूं कि यह डुप्लिसीटी नहीं होना चाहिये। आपके सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के पास क्या एजेन्सी है? आपका एक इन्स्पेक्टर है और सारे जिले में कितने गांवों की उसके पास में एप्लीकेशन हैं तो उसको उसके वेरीफिकेशन में सारा साल निकल जायगा। उसके पास न कोई वाहन है, न कोई जीप है। जायगा कैसे? नतीजा यह होता है कि शहरों तक ही ओल्डएज पेन्शन महदूद रहती है। गांव वाले लोगों को मिलना चाहिये। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के पास स्टाफ है पटवारी है या पंचायतों का आप सिस्टम रखें। लेकिन यह आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो वेरीफिकेशन का रखा है वह अव्यवहारिक है। उसमें बड़ा समय लगता है। कम से कम तीन मास से ज्यादा नहीं लगना चाहिये, ऐसा प्रोसीजर बना दें ताकि वे इधर उधर मारे-मारे न फिरें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक ही बात है रिफ्यूजीज की पेन्शन्स के बारे में। इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि सन् 47 में आये हैं और हिन्दुस्तान के नागरिक बन गये है फिर भी उनसे कहा जाता है कि इस तरीके से सर्टिफिकेट लायें तो अजमेर से कई शिकायतें आई हैं। इस बारे में पिछली दफा भी एक कटमोशेन के जरिये इस बात को उठाया गया था, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वह दिक्कत अब तक चली आ रही है। यह बहुत ही आवश्यक है। 23 वर्ष से लगातार बसे हुए हैं तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगना जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

आये थे उनसे तो उनके बीच में यह पेनिक क्रियेट करना है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): सभापति महोदय, मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के विषय में मैंने पांच कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। मैं उनके बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला जो कटौती प्रस्ताव है महतरों द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में चल रही है। उसके बारे में राज्य सरकार ने अवश्य ही कुछ कदम उठाये, नगरपालिकाओं को इस समस्या के समाधान के वास्ते कुछ सहायता दी और नगरपालिकाओं ने हाथ ठेलों की भी कुछ व्यवस्था की, परन्तु यह कार्य इतना बड़ा कार्य है, और इस कार्य को करने के लिये बहुत बडी राशि की आवश्यकता है। अभी रामानन्द जी अग्रवाल, जो अपने विचार रख रहे थे, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने भी यह बजट एस्टीमेट 1971-72 के देखे हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भंगी कष्ट मुक्ति योजना के अन्तर्गत पहले बीस लाख रुपये का प्रावधान था 1970-71 के अन्दर लेकिन इस साल 1971-72 के अन्दर इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है किस प्रकार से आगे कदम बढाना चाहते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय, से यह जानना चाहता हूं कि जो 1971-72 का बजट है, हो सकता है हमारे पढ़ने में कुछ गलती हुई है, तो उसका वह स्पष्टीकरण कर दें, और अगर कोई व्यवस्था नहीं की है तो व्यवस्था उनको करनी चाहिये वह इसके बारे में अवश्य ही कुछ व्यवस्था करें। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये 1969-70 में जो प्रावधान रखा गया था उससे कम 1970-71 में रखा गया और उससे कम 1971-72 में। चाहिए तो यह था कि इन अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये ज्यादा व्यवस्था की जाती, परन्तु दिनोंदिन सालों साल कम व्यवस्था कर रहे हैं - यह व्यवस्था 1971-72 के बजट एस्टीमेट के अन्दर दी गई है- उसको स्पष्टरूप से और अच्छी तरह पढ़ा है, उसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि सालों साल इसके अन्दर बजट में कमी कर रहे हैं—यह प्रगति की निशानी नहीं है, इससे अनुसूचित जाति और जन जातियों के प्रति कांग्रेस सरकार की भावना उचित दिखाई नहीं देती है। इस सम्बन्ध में अपने को प्रयास करना चाहिए और इसके लिये ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करने की कोशिश करनी चाहिये ।

अब मैं कुछ मेरे बाड़मेर जिले की कुछ समस्याओं के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। बाड़मेर नगर बाड़मेर जिला की हैड क्वार्टर है, वहां पर कोई अनुसूचित जाति का बोर्डिंग हाउस नहीं है। बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति की एक लाख की जनसंख्या है। इसलिए जिला हैड क्वार्टर पर अनुसूचित जाति का बोर्डिंग हाउस न होना—यह अनुसूचित जातियों के लिये असुविधाजनक बात है। उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति का बोर्डिंग हाउस हो ।

मैं भी इस बात से सहमत हूं, जो रामानन्दजी अग्रवाल ने विचार रखा और

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हमारे जो सदस्य हैं, वह सम्भवतः वही विचार रखते हैं, मेहताजी साहब का यह विचार है कि अब यह समय आ गया है कि हम राजकीय होस्टल ही रखें, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग होस्टल नहीं रखें। यद्यपि मैंने मांग की है क्योंकि सिलसिला चल रहा है, इसलिए बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति के बोडिंग हाउस की मांग रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजकीय होस्टल की व्यवस्था ही होनी चाहिए। उसके अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पच्चीस पर्सेन्ट लड़के सम्मिलित किये जा सकते हैं, तीस पर्सेन्ट भी व्यवस्था कर सकते हैं, 28 पर्सेन्ट का सरकारी सर्विसेज में रिजर्वेशन का प्रोविजन है, तो 28 पर्सेन्ट की व्यवस्था की जा सकती है। यह कोशिश करनी चाहिये। अलग-अलग से होस्टल कायम करें और यह व्यवस्था होती रहेगी तो वह अलग रहेंगे और अलग रहेंगे तो भेदभाव और बढ़ेगा। इसलिये यह कोशिश अवश्य करनी चाहिये कि राजकीय होस्टल हो और सभी जातियों के छात्र उसमें सम्मिलित हों और अनुसूचित जाति के लोगों को उसमें प्रिफरेन्स दिया जाय।

पानी और बिजली की व्यवस्था हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, समाज कल्याण विभाग इसमें मदद देता है। परन्तु मैं देख रहा हूं कि बाड़मेर नगर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी मोहल्ले में, मैं दो तीन साल से देख रहा हूं कि बिजली पानी के वास्ते मदद नहीं दी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया और मंत्री महोदय ने दिलचस्पी ली, परन्तु प्रश्न यह उठा कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का जो सोशल वेलफेअर आफिसर है, वह बहुत कम इन्ट्रेस्ट लेता है और रिपोर्ट ही बहुत देर से भेजते हैं, पेपर डाइरेक्टर सोशल वेलफेअर के पास देर से पहुंचते हैं। इस साल भी नहीं पहुंचे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी बाड़मेर नगर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए पानी और बिजली की सुविधा समाज कल्याण विभाग से दी जाय और उसका लाभ बाड़मेर नगर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लाग उठा सकें- इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

इस बात के सम्बन्ध में, मैं अपना विचार रखना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए जो वकील की नियुक्तियों के लिए प्राविजन किया जाता है, फण्ड्स की व्यवस्था की जाति है उनके केसेज को फाइट करने के लिए, मैंने अवसर पाया है, बहुत से जिलों में इसकी व्यवस्था नहीं है। पहले जो व्यवस्था की गई थी 1970-71 में, वह दस हजार रुपये की व्यवस्था गई थी। इस साल बिल्कुल व्यवस्था नहीं हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्लाट्स एवं खेतों का एलाटमेंट कर दिया जाता है, लेकिन उनको पजेशन नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर डिस्प्यूटेड जमीन दी जाती है, तो डिस्प्यूटेड जमीन के लिए फाइट करना पड़ता है, फाइट करने पर जो जमीन की कीमत होती है उससे ज्यादा उन लोगों को खर्च करना पड़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का कोई डिस्प्यूटेड लैंड हो या उनके किसी राइट का मामला हो तो उसके

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रोटेक्शन के लिए अच्छे वकील को नियुक्त करना चाहिए और इसके बारे में व्यवस्था 1971-72 में नहीं की है-इसलिए इस बारे मे व्यवस्था की जानी चाहिए।

अस्पृश्यता निवारण के बारे में अभी सभी सदस्यों ने विचार रखे हैं। अभी मंदिरों के अन्दर प्रवेश करने के बारे में प्रश्न आया राजस्थान के अन्दर अब भी मंदिरों के अन्दर प्रवेश के बारे में हमने कोई प्रगति नहीं की है। इसके लिये कुछ कानून बनाने से भी कार्य पूरा नहीं होता है। कानून तो इसके लिए पहले से ही है (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) परन्तु हम सामाजिक कार्यकर्त्ता इसके बारे में इतने प्रयत्नशील नहीं हैं-चाहे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों चाहे दूसरी पार्टी के सदस्य हों लोगों का यह कर्त्तव्य है कि जो सवर्ण वर्ग के व्यक्ति हैं उनके अन्दर विचार इसके प्रति बनायें, वह खुद इस प्रकार के विचार के बनें और उन्हें इस विचार को बनाना चाहिए कि उनके साथ सहृदयता बरत कर उनका मंदिरों के अन्दर प्रवेश हो-तो बहुत अच्छा है। यदि यह नहीं होता है तो कानून को सख्ती से अमल में लाना चाहिए। पहले तो इसके बारे में राजस्थान के अन्दर एक सप्ताह मनाया जाता था और उसमें मंदिरों के अन्दर प्रवेश का भी कार्य होता था परन्तु मैं देख रहा हूं कि पिछले दस वर्षों के अन्दर यह कार्य शिथिल पड़ गया है और इसके लिये हमें प्रयास करना चाहिये, कोशिश करना चाहिये और कार्यक्रम बनाना चाहिये। मन्दिरों में प्रवेश का कार्यक्रम बनाकर मन्दिरों में हरिजनों को प्रवेश कराना चाहिये आज तक होटलों के अन्दर उनको चाय उपलब्ध नहीं होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक उनको पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। मेरे जिले में मैंने यह देखा है कि किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति अनाज की दुकान लगाते तो कोई उससे अनाज नहीं खरीदता है। कपड़े की दुकान लगावें तो कोई उससे कपड़ा नहीं खरीदता है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या गवर्नमेंट ने उसको चीप ग्रेन शाप एलाट की है ?

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : अगर नहीं की है तो यह गवर्नमेन्ट की मिस्टेक है। चीप ग्रेन शॉप जनरली हरिजनों को एलाट की जाये तो ठीक है। अगर वे नहीं आवें तो यह अलग बात है। परन्तु गवर्नमेन्ट भी उनको प्रोत्साहन नहीं देती है। मैं तो यह चाहता हूं कि उनको ··

**श्री दौलतराम सारण** : मिल्क स्कीम में हरिजनों को रखा जाता है !

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : किसी को भी रखा जाय जो योग्य हो।

**श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल** : बोतल बेचने में क्या योग्यता होती है। एम. एल. ए. केन्टीन में क्यों नहीं रखते।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : केन्टीन में रखें। यह ठीक है। मैं तो इसी विचार का हूं।

**श्री दौलतराम सारण** : इस सेक्रेटेरियेट में भी रखें और उनको प्रोत्साहन देना चाहिये।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : यहां पर जो हरिजन है उसका लड़का पढ़ा लिखा है।

**श्री दौलतराम सारण** : समाज कल्याण विभाग भी तो रखे ।

**श्री सभापति** : आज तो हरिजन कलेक्टर है ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : उनका जो रिजर्वेशन है, मैं समाज कल्याण मन्त्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि आप अपने डिपार्टमेन्ट में 28 प्रतिशत का जो रिजर्वेशन है उसकी तो पहले पूर्ति करें । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं और जो दूसरी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के अन्दर इनका कितना परसेन्टेज है उसका क्लीअर पिक्चर जानना चाहता हूं कि यह जो कोटा है वह अनुसूचित जाति और जनजाति को ही दिया गया है । इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे ।

**श्री सभापति** : श्री अमीलाल यादव ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कितने भाषण और होंगें ।

**श्री सभापति** : लास्ट ।

**श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़) : सभापति महोदय, आज समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है । इसमें यह तो सभी माननीय सदस्य तसलीम करते हैं कि दिन ब दिन इस गरीब तबके की तरक्की होनी चाहिये यद्यपि राज्य सरकार ने इस ओर कदम उठाया है लेकिन वास्तव में इस कदम के इम्पलीमेन्टेशन में पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है । मैं भी आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तव में यह तबका हमारे भारतवर्ष में और राजस्थान में जो शिड्यूल कास्ट का और ट्राइब्स का है वह बहुत ही बड़ी संख्या में हैं और गरीब हैं । यह हमारे समाज के अन्दर पिछड़े हुए लोग हैं और इसी वजह से आपने संविधान के अन्दर इनके लिये रिजर्वेशन किया है । राजनैतिक रिजर्वेशन जरूर उनको मिला है और उसके कारण आज माननीय सदस्य यहां पर और पालियामेन्ट में बैठ कर अपनी राजनैतिक बातें करते हैं । लेकिन सही मायने में उनकी आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है और आजादी के बाद दूसरे समाज की जो क्लासेज हैं, जो सवर्ण लोग हैं जिनमें खासतौर से पहले से ही जो काम में आगे बढ़े हुए थे, राजा महाराजा, पून्जीपति लोग वे इन बीस साल की आजादी के बाद और ज्यादा बढ़े हैं और उस क्लास के लोग भी आगे बढ़े हैं जो पहले से आगे बढ़ी हुई थी । सही मायने में जो डिजर्व करते थे उन लोगों को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है । चाहे देहात को ले लें चाहे कस्बों को ले लें । मिसाल के तौर पर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह 28 प्रतिशत रिजर्वेशन सर्विसेज में रखा गया है प्रत्येक महकमे में तो आपके पास में इसके लिये कौनसा कोआर्डिनेशन है यह आप अपने उत्तर में बताने का प्रयत्न करेंगे कि कौन कौन से महकमे में कितने पर्सेन्ट लोग हमारी सर्विसेज के अन्दर हैं । मेरी यह मान्यता है कि जो कोटा है वह बिलकुल ही उसके अनुसार बहुत ही कम है । मैं मानता हूं कि इसमें आंकड़े दिये हुए हैं परन्तु मैं आपके महकमे के बारे में जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं ? आपके पास प्रत्येक छठे महीने आपके डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट जानी चाहिए । अभी यहां पर जैसा चर्चा में कहा गया है एक एक करके इस तरह से भर्ती कर लेते हैं और

( श्री अमीलाल यादव )

उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता। इसलिए हर तीसरे महीने रिपोर्ट आनी चाहिए कि कोटा कितना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिये जो अधिकारी दोषी हों उनको दण्ड दिया जाना चाहिये जो इस तबके के अन्दर कम्पलेसेन्सी और ईर्ष्या, द्वेष पैदा करते हैं। हमारी जो नीति है वास्तव में हम उसको दिल से चाहते हैं तो उसको इम्पलीमेन्ट करें। घोषणा करते हैं लेकिन सही मायने में उसको इम्पलीमेन्ट करें तो मेरी मान्यता है कि बहुत कुछ इस समाज को, इस तबके को आगे लाकर समाजवाद का नारा देने में सहयोग बन सकेगा। लेकिन यह देखा जाता है कि यह घोषणा इम्पलीमेन्ट नहीं होती है। आपने इस बजट के अन्दर स्टाइपण्ड का रखा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह स्टाइपेण्ड आपने कितने लोगों को दिया है और क्या आपने यह आंकड़े प्रत्येक गांव, हर तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट का मालूम किया है। राजस्थान के स्कूल्स, कॉलेजों और दूसरी जगह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के कितने लड़के निकले हैं और कितने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। पहले तो आपके पास में यह आंकड़े होने चाहिए जिसके अनुसार आप सही मायने में इस घोषणा की पूर्ति कर सकें और इससे आपको बजट में प्रावधान रखने में भी सहूलियत होगी कि आपके यहां कितने तो ग्रेजुएट्स हैं और उनके अनुसार आपको इतना स्टाइपण्ड उनको देने की जरूरत पड़ेगी और उसके अनुसार आप बजट में प्रावधान रख सकेंगे। मेरी मान्यता है कि आप अपने उत्तर में यह बतलायेंगे कि राजस्थान के रहने वाले ग्रेजुएट्स और पोस्ट-ग्रेजुएट्स कितने हैं। इन पिछले सालों में जब से आपने यह डिक्लेअर किया है कि उनको स्टाइपण्ड दिया जायेगा जब तक कि उनको सर्विस न मिले तो वह कितने लोगों को दिया गया है और कितनी उनकी संख्या है और कितनों को स्टाइपेन्ड दिया गया है। इसी प्रकार की घोषणा इस साल की गई है और इसके अन्दर इस रकम को 200/- रुपया कर दिया गया है। पहले से अधिक कर दिया है। इस साल भी परीक्षा में पास हुए हैं उनको भी इस प्रकार के आंकड़े लेकर के आप अपने महकमें में रखें।

दूसरा निवेदन मैं सभापति महोदय, सर्विसेज के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। शिड्यूल्डकास्ट का कोटा कुछ हद तक आप पूरा भी करते हैं, सौभाग्य की बात है कि कुछ लोग इसमें आगे आये हैं, चाहे राजनैतिक कारण से या अन्य किसी कारण से परन्तु उनकी माली हालत उन्नत नहीं हुई है। इसलिये उनकी माली हालत उन्नत करने के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये। इसके साथ ही सभापति महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट या कोई भी गरीब आदमी हो यदि वह सर्विस करना चाहता हैं यह जो ब्यूरोक्रेसी है, हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट है उनको चाहे मिनिस्टर भी कहदें सिवाय एक दो को छोड़कर यह मेरी मान्यता है कि उनकी इच्छा के विपरीत नौकरी नहीं दिला सकते हैं और न नियमों के अनुसार ही उनको नौकरी मिलेगी और उन्हीं को मिलेगी जो उनके मर्जीदान होंगे। इसके लिये भी कोई तरीका निकालना चाहिये। जिससे सही मायने में सर्विस मिले और यही वजह है जो कोटा रिजर्व कर रखा है शिड्यूल्ड कास्ट और आदिवासियों का वह पूरा नहीं होता है। इसका एकमात्र यही कारण है वे लोग अपने मरजीदानों को पहले से

(श्री अमीलाल यादव)

ही भर लेते हैं। न तो उनका आपको पता चलता है कि कितनी वैकेन्सी हैं, कब डिक्लेयर किया जायगा, वे पेपर गांव में पहुंचते हैं कि नहीं और अगर पहुंचते भी हैं तो समय पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये सारी दिक्कतें हैं और ये प्रेक्टिकल दिक्कतें हैं। इनका फायदा जो पहले बसे हुये हैं वे ही उठाते हैं। यह समस्या न केवल आदिवासियों और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये बल्कि देहात के प्रत्येक गरीब किसान और पढ़े लिखे के सामने समस्या है। मैं यह चाहूंगा आप इस बारे में कोई इस प्रकार का कदम उठायेंगे कि जो कोटा रिजर्व है। वह कोटा केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही नहीं रहे बल्कि पंचायत समिति तक करेंगे और वहां तक ऐडवरटाइजमेंट होना चाहिए बल्कि मेरी मान्यता है प्रत्येक गांव पंचायत तक सरक्यूलर जारी होने चाहिए कि इतनी वेकेन्सी हैं और इस डिपार्टमेंट में हैं। हर तीन महीने में रिपोर्ट आनी चाहिए तब जाकर आपने जो टारगेट फिक्स किया है उसकी पूर्ति हो सकेगी वरना इस ढर्रे से आप यह चाहें हम पूर्ति कर लें, यह किसी भी सूरत में नहीं होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मा० सभापति महोदय 1–2 मिनिट में, अर्ज करूंगा। फ्री लीगल एडवाइस के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि जो एडवोकेट्स मुकर्रर किये है उनके पास कितने केसेज आये हैं और कितनी पेशियां अटेन्ड की हैं और उनके क्या रिजल्ट आये हैं। मैं अपने रीजन के बारे में कह सकता हूं। अलवर जिले से कौन लीगल ऐडवोकेट मुकर्रर है, यह पता नहीं है लेकिन बहरोड़ में अनटचेबिलिटि के और अलाटमेंट के कितने केसेज पेन्डिंग हैं। मैंने किसी एडवोकेट को पैरवी करते नहीं देखा है। मैं भी एडवोकेट हूं और सब-डिविजन में रहता हूं। वहां पर यह भी जानकारी में नहीं है कोई लीगल एडवोकेट अलवर जिले में कर रखा है या नहीं कर रखा है। चाहें क्रिमनल के लिए और चाहे रेवेन्यू के लिए और चाहे अनटचेबिलिटि के लिए हों। आज तक किसी ने कार्यवाही नहीं की। एक इसके सम्बन्ध में, मैं आपसे निवेदन करूंगा जो आपके हाउसिंग और सेनिटेशन की समस्या है, इसका भी कुछ पता नहीं है हर जगह शिकायत रहने के बावजूद भी और इतना कहने के बाद भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहां पर करीब 8 जगह नल योजनायें हैं। किसी भी आप हरिजन कालोनी के अन्दर जाकर देखेंगे तो न तो वहां कोई टैप्स हैं और न पाइप लाइन गई है और कहीं टैप्स हैं भी तो उनको आज तक खोला नहीं गया है। यही हालत बिजली की है। नीमड़ा, बहरोड़, मीमराना, जसोल आदि 7–8 हजार की आबादी वाले कस्बे हैं जिनमें लगभग 100-150 हरिजनों की आबादी है, उन गांवों में भी आपकी बिजली व पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। रोड्स का कोई प्रबन्ध नहीं है। जो घोषणा की है उसको सही मायने में प्रायरिटि देकर ऐसी लोकेलीटीज में प्राथमिकता दीजिये। वैसे ही गरीब एक एक जगह पर 15-15, 20–20 आदमी रहते हैं और इतने कन्जेस्टेड एरिया में रहते हैं और सेनिटेशन को बिल्कुल मेन्टेन नहीं कर सकते हैं इसलिए रोड और नालियां होना आवश्यक है। उनकी सफाई का भी प्रोग्राम होना चाहिए, बाथरूम का भी इन्तजाम हो। गरीब लोग वैसे ही सफाई से नहीं रह सकते और दूसरे लोग जैसा हमारा स्वभाव है

(श्री अमीलाल यादव)

उनको अपने पास बिठाने की वह भी दूर हो जायगी और एक सद्भावना भी उनके लिए पैदा होगी। इसलिए माननीय सदस्यों को मैं थोड़े से ही समय में, जो समय लिया है उसका धन्यवाद है वरना अंदाजा मान लिया था कि वास्तव में बोलने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए जो छोटी छोटी बातें हैं बिजली की, पानी की, नल की, नालियों की, रोड्स की स्टाइपेन्ड की जो जो बताई गई है उसका माननीय मंत्री महोदय विशेष ध्यान देंगे और मैं यह उम्मीद करूंगा वे इस ओर ज्यादा ध्यान देकर जो घोषणा की है उसको कार्यान्वित करेंगे और अपने जवाब में उन सबका उत्तर देंगे।

**श्री सभापति :** मंत्री महोदय।

**राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) :** सभापति जी, सर्व प्रथम तो मैं सदन के दोनों ही ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे विभाग की बहस में काफी दिलचस्पी ली और काफी रचनात्मक सुझाव इधर और उधर से आये जिसका मैं स्वागत करता हूं और यह विभाग आप लोगों की सुझावों की रोशनी में ज्यादा तीव्र गति से प्रयास करेगा। यह भी मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं सबसे पहले माननीय सदस्यों ने जो खास खास मुद्दे उठाये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री नन्दलाल ने यह कहा कि बूंदी के अन्दर जिला हैड क्वार्टर को हटा लिया गया। दरअसल में यह ठीक है। हमने प्रशासनिक व्यय में कटौती करने के कारण ही ऐसा किया है। पहले 26 जिलों में सभी जगह हैडक्वार्टर थे उनमें से 6 को कम कर दिया गया है। अब राजस्थान में 20 जिला हैडक्वार्टर रखे गये हैं। हमने छोटे जिलों को मिलाकर दो की जगह एक कर दिये हैं। टोंक-बूंदी के पास है और बूंदी से जिला हैडक्वार्टर हटाकर टोंक रख दिया गया है। टोंक जिला ही बूंदी के काम को देखेगा। यह बिल्कुल नहीं हटाया गया है। दोनों जगह पास पास है इसलिए टोंक के जिला मुख्यालय होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेय जल के बारे में बहुत से मा० सदस्यों ने सुझाव दिये। राजस्थान में पेय जल की समस्या हैं और यह पेय जल की समस्या न केवल पिछड़ी जातियों के लिए है बल्कि यह समस्या राज्यस्तर पर हैं और अभी तक राज्यस्तर पर इसका हल नहीं निकल पाया हैं। हमारे इस विभाग के प्रावधान तो बहुत सीमित हैं। समाज कल्याण के पास पिछड़ी जाति के लोगों के पानी के हल के लिए 68–69 में केवल 25 हजार रुपये रखे गये थे उसको बढ़ाकर 50 हजार रुपये किए गए और पिछली साल 1 लाख थे, इस साल डेढ़ लाख किया गया हैं। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बढ़ाते जाते है। फिर भी एक कुए के लिए 10 हजार रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमने मोटेतौर पर दो हजार रुपये की राशि इसके लिए रखी हैं। डेढ़ लाख का प्रावधान हैं तो 75 कुए बन पाते हैं।

**श्री दौलतराम सारण :** 25 हजार में एक कुआ बनता है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** 232 पंचायत समितियां हैं अपने यहां तो 5-4 पंचायत समितियों के बीच में मुश्किल से एक कुआ आता है। असलियत में इस बात

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

में दो राय सदन के सदस्यों की है। हमारे साथियों में से भी कुछ लोगों का कहना है कि अलग कुए नहीं बनाने चाहियें। अगर उनके लिए अलग कुए बना दिये जायेंगे तो अलगाव की भावना पैदा होगी और उनकी जड़ बढ़ती जायगी। दूसरा वर्ग कहता है कि अलग कुए बनाए जाएं उसके लिए प्रावधान की व्यवस्था की मांग करते हैं। अलग कुए बनाए जाने से समस्या का निराकरण नहीं होता है।

**श्री मोहनलाल मोदी** : अलग कुए बनाना बन्द कर दें और उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी पिलाने की व्यवस्था करें।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : सारा सदन यह चाहे तो कोई ऐतराज नहीं है।

**श्री मोहनलाल मोदी** : सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं मिले तो अलग कुए बनायें नहीं तो निराकरण कैसा ?

**श्री विश्म्भरनाथ जोशी** : सार्वजनिक कुओं पर से जहां पर पानी नहीं लेने दिया जाता है तो ऐसी सूरत में उनके जलकष्ट के निवारण के लिए उनके लिए कुए बनवा दें।

**श्री दौलतराम सारण** : समझ गये, आगे चलें आप।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : छुआछूत के बारे में विस्तार से कहना चाहूंगा। यह बात सही है और हम सब के लिए अफशोस की बात है कि भारतीय गणतन्त्र की स्थापना के 20 वर्ष बाद भी हम छुआछूत को देश से समाप्त नहीं कर पाये हैं। इसके बारे में हमारे संविधान ने छुआछूत को दण्डनीय करार दिया है और इसके लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। कानून भी बने हुए हैं लेकिन कानून का लाभ पिछड़े हुए भाई नहीं ले पाते हैं। मैंने वकील की हैसियत से देखा है कि लोग थाने में रिपोर्ट करने को आते नहीं और रिपोर्ट अगर कर भी दी जाती है तो गवाह तैयार नहीं होते हैं, और गवाह तैयार भी हो जाते हैं तो नाना प्रकार से उन पर दबाव डाल कर उनको अदालत में जाने से रोकने की कोशिश की जाती है। प्रक्रियायें ऐसी रख देते हैं कि किसी प्रकार चालान कामयाब नहीं होता है। पुलिस का जैसा रवैया होना चाहिए कि उसका तत्परता से चालान करे और तफतीश करे यह हर केस में नहीं मिलता है। तो ये सारी कठिनाइयां हैं। इस प्रकार चालान अव्वल तो होता नहीं है और यदि होते भी हैं तो बहुत कम संख्या में होते हैं।

इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सोशियल रिफार्म्स का सवाल है, समाज की कुरीतियों के उन्मूलन का सवाल है, मैं माननीय सदस्यों को इस बात को ध्यान में रखने की अपील करूंगा कि यह प्रोसेस ऑफ सोशियल रिफार्म्स बड़ा स्लो प्रोसेस है। जैसी कि कहावत है लैंट हैबिट्स डाई हार्ड। केवल कानून के आधार पर ही नई बात नहीं होती है। हिन्दुस्तान में आज तक इस तरह के कई कानून बने हैं। बाल विवाह के खिलाफ कानून है जिसको शारदा एक्ट कहते हैं और जिसके अनुसार 14 साल की लड़की और 18 साल का लड़का, इससे कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद राजस्थान के सार्वजनिक

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

कार्यकर्ता सारे इस बात को जानते हैं कि सैंकड़ों और हजारों की तादाद में राजस्थान राज्य के अंदर आज शादियाँ भी छोटे बालक और बालिकाओं की होती है। 3 साल का लड़का और दो साल की लड़की की शादी होती है, बल्कि यहां तक हो जाता है कि माताएं दूध पीते हुए बच्चों की शादियां कर देती हैं और बच्चों के जन्म से पहले ही शादियां तय कर लेते हैं। ये सारी बुरी बातें हैं। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि······

श्री रामकिशन : ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऐसा हो रहा है।

श्री रामकिशन : ऐसा इसलिए हो रहा है कि किसी ने लिख दिया है कि 7 साल की गौरी तो 7 साल की शादी होगी। जब तक आप इन किताबों में संशोधन नहीं करेंगे·······

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Old habits die hard.

श्री रामकिशन : मैं हिन्दी में बोला और आप अंग्रेजी में कह रहे हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कानून लागू करने से, सरकारी फरमानों से, सरकारी विज्ञप्तियों से ही समाज की कुरीतियां, पुराने आचरण, व्यवहार के तरीकों को नहीं बदला जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है जनमत को सही दिशा में प्रशिक्षित करने की·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक फर्क है। ऐसा है कि आपकी सरकार प्रोसेस आफ चेन्जेज बाई कन्सेन्ट आफ आल में विश्वास करती है। हमारा यह कहना है कि यह जो तरीका है वह एक्सप्लायटर से उसकी कन्सेन्ट लेना है कि एक्सप्लायटेशन किया जाय कि नहीं तो एक्सप्लायटेशन कैसे खत्म होगा ? You want to move by consent all. That is why you want to take time.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कन्सेन्ट से ही करना चाहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिससे आप और हम इन्कार नहीं कर सकते। दहेज के खिलाफ कानून पास हो गया, लेकिन वह किताबों तक ही सीमित हो गया। प्रगतिशील लेजिस्लेशन्स बहुत सारे बने हैं चाहे वे एग्रेरियन रिफार्म्स हों लेकिन उनको मनवाना पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो उसका कारण यह है कि पब्लिक ओपीनियन के प्रशिक्षण और लेजिस्लेशन के बीच में खाई है। उस खाई को तब पाटा जा सकता है जबकि हम जनमत को सही दिशा में प्रशिक्षित कर पायें और जन मानस को जागृत कर सकें। यह बहुत जरूरी है। मैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानून को सफलता उनके लिए बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेन्ज है, वास्तव में हिम्मत की बात है। यह चुनौती है भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है ही। गांधीजी ने कहा था कि छुआछूत हिन्दू धर्म के लिए कलंक है। जितनी जल्दी यह समाप्त हो जाय उतना ही हिन्दू धर्म के लिये अच्छा है। मैं इसको हम सब की और हमारे सारे देश को बरबादी मानता

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

हूं। अतः इस पर मतभेद नहीं रखता हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया है वे आज इसके बारे में पूरा आचरण करने को तैयार हों। मगर गांवों में रहने वाले लोग...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्रि मण्डल के सदस्यों को स्वयं को करना चाहिए। आप अमृतलालजी के यहां की रोटी नहीं खाते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप नुक्ता-चीनी करके...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं चुनौती दे सकता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : शारदा एक्ट के बहाने से हम छुआछूत को नहीं मिटाना चाहते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह बात बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल गलत समझे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आपने उदाहरण क्यों दिया है। इसका मतलब तो यही है कि शारदा एक्ट की पाबन्दी नहीं होती है...

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब यह है कि सरकार जितने कानून बनाती है वह केवल दिखावे के लिये बनाती है। बाकी तो पोल पट्टी है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सोशियो-इकोनामिक कन्डीशन्स को एनेलाइज करके उनकी जड़ें तक जाने की कोशिश करेंगे तो मालूम होगा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असल में वे मन्त्रीजी से तफतीश कराना चाहते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति जी, एक दफा जब मन्त्री जी बोलते हैं तो सब को सुनना चाहिए और बाद में पूछ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी इस तरह से तो यह 10 बजे तक नहीं निबटने वाला है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय मन्त्री जी, क्या आप नहीं समझते हैं कि जयपुर के मन्दिरों में हरिजन जा नहीं सकते तो फिर माननीय मन्त्री जी और सरकार क्यों नहीं ऐक्शन लेती है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सरकार तो तब ऐक्शन लेगी जबकि आप रिपोर्ट करेंगे। पुलिस उसका चालान करेगी।

श्री दौलतराम सारण : शारदा एक्ट लागू है लेकिन पुलिस की आंखों के नीचे और मन्त्री जी के साथ जाते हैं और देखते हैं तो कोई ऐक्शन नहीं लेती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम रिपोर्ट करेंगे तो...

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : राजस्थान के किसी भी भाग में अगर छुआछूत के आचरण के बारे में कोई शिकायत आती है, थाने में होती है, पुलिस को प्राप्त होती है तो आज के कानून और राजस्थान के नियमों के अनुसार तफतीश की जायगी, कार्यवाही की जायगी और उसका चालान किया जायगा।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** क्या आपकी जानकारी में यह नहीं कि नाथद्वारे के टैम्पल में घुसने नहीं देते हैं हरिजनों को ?

**श्री किशनलाल (नाथद्वारा) :** नाथद्वारे की क्या बात करते हैं वहां....

**श्री दौलतराम सारण :** आप नाथद्वारों की बात करते हैं, इनकी पूजा वाले ठाकुर जी को हाथ तो लगाले कोई हरिजन ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** बिल्कुल गलत कहते हैं आप। इसको राजनैतिक चीज बनाने की कोशिश करते हैं।

**श्री किशनलाल :** नाथद्वारे में हरिजन जाते हैं।

**श्री जगन्नाथ पटेल :** नाथद्वारे में भील लूटते हैं परसाद जा जा कर। कोई कुछ नहीं कहता है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** दूसरा, हिण्डौन से आने वाले माननीन सदस्य ने एक बात यह कही कि उनके जिले में अनुसूचित जाति के छात्रावास कम हैं। उनका कथन काफी हद तक ठीक है। जितने सवाई माधोपुर जिले में छात्रावास खुले हैं वे किन्हीं कारणों से अधिकांश में सवाई माधोपुर में अनुसूचित जन-जाति के खुले हैं। सवाई-माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति के छात्रावासों की कठिनाई को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करूंगा, और वर्तमान वर्ष में सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति के लिये छात्रावास खोलने की कार्यवाही की जायगी।

**श्री डूंगाराम राजोरिया :** यह अनुचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के छात्रावास अलग अलग क्यों हैं ? इनको मिक्स्ड क्यों नहीं किया जाता है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** अलग २ छात्रावासों की बात, आप अभी आये हैं और इसके पहले कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, जवाब दे चुका हूं। यह सुझाव बड़ा अच्छा है और सिद्धान्त और आदर्श की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के लोगों के बारे में एक अंग्रेज ने एक नोवेल लिखा था उसकी आखिरी लाइन में यह लिखा था It is difficult to assess the characteristics of Indian mind तो उसकी बहुत सी बातें हम सब पर लागू होती हैं। इस बात की पुरजोर मांग की गई कि अलग से छात्रावास क्यों रखते हैं ? इनको खत्म कर देना चाहिए। ये अलगाव की भावना को जन्म देते हैं तो इस बारे में, मैं आपको बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा इसकी डिटेल्स में जाइये और इसकी इम्पलीकेशन्स को वर्क आउट करिये। हमारे छात्रावासों में हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के विद्यार्थियों को वे सभी आवश्यक वस्तुयें मुहैया करते हैं जिनकी उनको नितान्त अभाव है। जैसे खाना, कपड़ा, तेल, साबुन, किताबें, कागज, इत्यादि। इन सबका मुफ्त इन्तजाम करते हैं। जनरल छात्रावासों में इस स्थिति में अगर वे सवर्णों के साथ रहेंगे तो उनमें तालमेल नहीं रहेगा। फिर अव्वल तो जनरल छात्रावास एक जिले में हैड क्वार्टर पर एकाध होगा जबकि राजस्थान में पिछड़ी जाति के भाइयों के लिये तहसील हैड क्वार्टर सब डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर तथा छोटे छोटे गांवों में भी छात्रावास खोल रखे हैं। अगर जनरल का

( श्री विश्वम्भरनाथ जोशी )

कर देंगे तो इन सब को हम सहूलियतें नहीं दे पायेंगे।

**श्री दौलतराम सारण :** बस बस मन्जूर है। इसको छोड़ दीजिये आगे चलिये। यह दलील मानलो।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** फिर यह कहा गया कि हरिजन और आदिवासी छात्रों के लिये एक ही छात्रावास हो अलग अलग नहीं हो। आपने यह जो प्रश्न उठाया है इसको ध्यान में रखते हुए बहुत पहले हमने प्रावधान कर रखा है हम भी चाहते हैं कि यह वाटर टाइट कम्पार्टमेंट नहीं होना चाहिये। इसलिए हमने नियम बना रखा है कि शिड्यूल्ड कास्ट के होस्टल में 20 प्रतिशत ट्राइब्ज के बच्चे लिए जायेंगे। और ट्राइब्ज के होस्टल्स में 20 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे लिए जावेंगे।

**श्री दौलतराम सारण :** आप जब यह समझते हैं तो इन छात्रावासों के नाम क्यों अलग रखते हैं। इन सबका समाज कल्याण छात्रावास नाम क्यों नहीं रख देते। कम से कम यह भेद तो मिटादो।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:** हमने आज भी इनका नाम किसी का गांधी छात्रावास है किसी का कुछ है इसी तरह से राष्ट्र के नेताओं पर नाम रखें हैं।

**श्री दौलतराम सारण :** आप पोपुलेशन के रेशो के आधार पर इनकी भर्ती की व्यवस्था कर दें।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।** हम ऐसा नहीं कर सकते । हमें भारत सरकार से अलग अलग हैड में अनुदान मिलता है। इसलिए हमें ट्राइब्स सेक्टर की रकम ट्राइब्ल सेक्टर में और शिड्यूल्ड कास्ट के सेक्टर की रकम शिड्यूल्ड कास्ट सेक्टर में खर्च करनी पड़ती है। इसी हिसाब से काफी रकम हमें भारत सरकार से प्राप्त होती है।

**श्री दौलतराम सारण :** मंत्रीजी भारत सरकार अगर गलत कर रही है तो आप इसको दुरुस्त करवा दीजिये ना। भारत सरकार भी आप की है, वह आपकी वाजिब बात सुन लेगी।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** यह हम नहीं कर सकते। दोनों को अलग अलग सैंक्शन दी जायेगी।

**श्री डूंगाराम राजोरिया :** यह बहाना क्यों बनाते हैं?

**श्री दौलतराम सारण :** आपकी सारी योजनायें दिल्ली में बनती है। भारत सरकार आपको भेजती है और भारत सरकार विदेशों से पैसा लेती है और विदेशी पैसे के बल पर ये योजनायें बनती है। वास्तविकता और असलियत में क्या होना चाहिये इस आधार पर आपकी योजनायें नहीं बनती इससे यह स्पष्ट है कि यह सारी आपकी योजना थोथी और नकली है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** श्री परस राम गंगारामजी ने एक मुद्दा उठाया था कि जमीनों का आवंटन तो हो गया पर उनको कब्जा नहीं मिला यह सही नहीं है। तीन चार लाख एकड़ जमीन अलोट कर दो। यह ठीक है कि बहुत से मामलों में डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : मंत्रीजी आपको खबर होनी चाहिये कि अस्सी परसेन्ट लोगों को पजेशन नहीं मिला।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : पटवारी ने कब्जे नहीं दिये। अस्सी प्रतिशत लोगों को नहीं दिये।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : आपके जिले के कलेक्टर ने कार्यवाही की थी मौके पर जाकर जमीनों को देखा और फिर जमीनों का कब्जा दिलाते हैं और वही पट्टा हैण्ड ओवर कर देते हैं।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : एक जगह भी कलेक्टर ने ऐसा नहीं किया मंत्रीजी! आप जो सूचना दे रहे हैं गलत हैं, एक भी जगह जाकर कलेक्टर ने पजेशन नहीं दिया।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : जमवा रामगढ़ में एक किसान को ही पट्टा नहीं मिला वैसे ही डोल रहे हैं।

**श्री मोहनलाल मोदी** : मंत्री महोदय, आपको यह जानकारी भी है या नहीं कि कितने लोगों को कब्जा नहीं दिया? निःसन्देह यह तथ्य है कि नब्बे प्रतिशत लोगों को कब्जा नहीं मिला। खाली आपके रेकार्ड पर यह चीजें है। वास्तव में तो आपने हरिजनों को धोखा दिया है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : आपका ख्याल गलत है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : यह बिल्कुल सही हैं कि आप बता दें कितनी शिकायतें आई हैं आपके पास। यह रेवेन्यू विभाग आज शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के साथ घोर अन्याय कर रहा है। किसी कलेक्टर एस. डी. ओ. तहसीलदार या पटवारी ने कब्जा दिलवाने में कभी दिलचस्पी नहीं ली। कब्जे दे दिये गये यह कहकर आप रेवेन्यू विभाग के इन भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। आपको तो आरोप लगाना चाहिये। रेवेन्यू विभाग के इन भ्रष्ट लोगों पर कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अलॉटमेण्ट हो जाने पर भी जमीनों पर कब्जा नहीं दे रहे हैं और यह सही हैं।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : आप कब्जा देने की बात किस आधार पर कह रहे हैं बगैर आधार के ही जैसा चाहें झूठ बोलते हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी को पहले अपनी बात कहने दें। उसके बाद आप प्रश्न पूछ लें।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह आप शान्ति से सुनें। इसके बाद आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : आप गलत बात कहते जाओ और हम सुनते जावें। झूंठ बोलते जाओ गलत सलत कहते जावो। यह नहीं हो सकता।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने कहा कि लीगल एड इनको मिलनी चाहिये।

लीगल एड का जहां तक सवाल है, हमने डिविजनल हैडक्वार्टर पर जैसे जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर वगैरह वहां पर हमने

( श्री विश्वम्भरनाथ जोशी )

स्टेण्डिग लीगल कौन्सिल को रखने की कोशिश की है। हर जगह पर तो इसके लिये प्रावधान नहीं कर सकते फिर भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर हर कलेक्टर के डिस्पोजल पर हमने फण्ड रख दिया हैं अगर वह फण्ड कम पड़े तो दूसरे हैड से ट्रान्सफर करके हम रकम उनको देंगे यह व्यवस्था हमने की है। ताकि वाजिब मुकदमों की पैरवी करने के लिये वे यह प्ली नहीं ले सकें कि उसके पास पैसा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : फिर तो आप यह और बता दें कि राजस्थान भर में आज तक कितने मुकदमों में इस तरह से पैरवी की गई है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : नम्बर पूछना चाहें तो यह मैं आपको जानकारी कर के बता सकता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय जो बात बहस में नहीं उठाई गई हो उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, यह बात बहस में कई बार उठायी गई है इस सरकार ने बारां सब डिविजन में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की है जो किसी भी केस में पैरवी नहीं कर रहा है। सरकार ने राजनैतिक आधार पर उसकी नियुक्ति की है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइये कि कितने शहरियों की आपके उस वकील ने वकालात की है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बिल्कुल जवाब दूंगा। धैर्य रखिये सब्र रखिये। मैं जवाब दूंगा। मैं कह रहा था, माननीय सभापतिजी, राजस्थान का 1970, 71, 72 के बजट एस्टीमेट्स हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पेज 308 देखिये। मिसलेनियस हैड में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये इसमें दस हजार का प्रोवीजन है और पेज 309 देखिये लीगल एड के हैड में दस हजार का प्रोवीजन और है। दस हजार का प्रोवीजन तीसरी जगह और किया है इस तरह से कुल तीस हजार का प्रोवीजन हमने किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पेज 309 में तो कृषि की डिमाण्ड है यह बजट एस्टीमेट नहीं बजट एक्सप्लेनेटरी नोट है।

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : आप दूसरी किताब देख गये। तो शिड्यूल्ड कास्ट के लिये मुकदमों की पैरवी करने के लिये तीस हजार का प्रावधान रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर क्या यह आपकी लाल किताब में है क्या ?

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : तो इसके लिये हमने यह तरीका अपनाया है कि यथासंभव योग्यतम व्यक्ति को हम वकील नियुक्त करते हैं। जैसे जयपुर शहर में हमने एक अनुभवी रिटायर्ड सेशन जज इमानुलहक को जयपुर स्टेट के लिये अपोइण्ट किया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : कितने केसेज इन्होंने देखे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसी शिड्यूल्ड कास्ट वाले को ही अपोइन्ट कर देते।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : किसी इन्डिवीज्युअल का फायदा देखने के बजाय

( श्री विश्वम्भरनाथ जोशी )

सारी कम्युनिटी का फायदा देखते हैं। अच्छी केलीबर के वकील ज्यादा अच्छी पैरवी कर सकते हैं। बारां में कैलाशनारायण शर्मा 15 साल की स्टेंडिंग के एडवोकेट हैं। काफी अनुभवी है। अब माननीय सदस्य राजनैतिक दृष्टि से कुछ भी कह सकते हैं।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : उन्होंने कितने केसेज लड़े यह बतला दीजिये।

**श्री विश्वंभरनाथ जोशी** : वे शहरियों के मामले में व्यक्तिश: दिलचस्पी लेते हैं और इन्होंने बिना फीस लिये फ्री पैरवी भी की है।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : एक दिन भी नहीं की। आप सदन को गलत सूचना दे रहे हैं आप यह बतला दीजिये चार साल में कितने केस लड़े हैं। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं एक साल में पांच केस भी नहीं लड़े होंगे। अब जिस साल में नहीं लड़े उस साल का पैसा लेंगे क्या ? माननीय मंत्रीजी, एक बात बता दें कि जब से वे वकील बने हैं शहरियों के कितने केस लड़े चलिये यही बतला दीजिये।

**श्री विश्वंभरनाथ जोशी** : वे वकील इतने निष्ठावान थे•••····

**श्री दौलतराम सारण** : यहां वकीलों की निष्ठा का सवाल नहीं है। पिछड़े लोगों की पैरवी का सवाल है। आपके पास आंकड़े हों तो आप बतला दीजिये कि जिले वार कुल कितने केसेज इनके हैं ? और इनमें से कितने केसेज में आपके वकीलों ने पैरवी की है ? आपके इस प्रावधान में से कितनी राशि खर्च हुई ?

**श्री विश्वंभरनाथ जोशी** : रेडीहैण्ड तो यह जानकारी नहीं है। बाद में यह फीगर्स मैं आपको दिलवा दूंगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप यह भी बतला दीजिये कि जितने वकील आपने अपोइण्ट किये हैं वे कितने हैं ? और उनमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कितने हैं ?

**श्री विश्वंभरनाथ जोशी** : इस दृष्टि से हमने नहीं देखा है हमने अनुभवी और स्टेंडिंग के आदमी देखे हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सिर पर मैला ढोने की प्रथा उठाने की बात आप कह रहे थे उस पर आइये ना ?

**श्री विश्वंभरनाथ जोशी** : श्री रावतरामजी ने होस्टलों के बारे में फरमाया। देखिये समाज कल्याण ऐसा विषय है और यह क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें कोई भी सरकार, कोई भी महकमा सारे समाज के कल्याण की ठेकेदारी और जिम्मेवारी लेकर चल सके। सरकार अकेली यह ठेकेदारी और जिम्मेवारी लेकर चले यह उचित भी नहीं है, संभव भी नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। इस विस्तृत और महत्वपूर्ण काम के लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिये। इसीलिये हमने छात्रावासों की व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथों में रखी है। उनको 90 प्रतिशत मदद राज्य सरकार देती है। अब जहां व्यवस्था खराब होती है वहां सरकार जांच करती है अव्यवस्था को दूर भी करती है। जहां जरूरी समझती है वहां सरकार अपने अनुदान को सस्पेण्ड भी कर देती है। विभाग इन सब की डाइरेक्ट देखरेख नहीं करता यह सही

( श्री विश्वम्भरनाथ जोशी )

भी नहीं है और संभव भी नहीं है पर जहां हम गड़बड़ी देखते हैं वहां उचित एक्शन लेते हैं। हमने झुंझुनूं के एक छात्रावास को, दूसरे रींगस के और फुलेरा के छात्रावासों को इन तीनों को खत्म किया। उनकी मान्यता वगैरह समाप्त कर दी।

श्री दौलतराम सारण : कहीं किसी उदयपुर के छात्रावास को भी आपने लिया ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : हम किसी पर अपना कन्ट्रोल एक्सरसाइज नहीं करते। जो भी हमारे 48 छात्रावास हैं उनके हिसाब किताब का इण्टरनल ऑडिट करवाते हैं। ए. जी. की पार्टी भी ऑडिट करती है। तो इस तरह से यथा संभव प्रयास किया जाता है कि इस पैसे का सदुपयोग हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आगे चलिये। पेय जल की व्यवस्था के बारे में भी कुछ मंत्री महोदय कहेंगे।

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : पिछले साल में हम कुछ सीमित संस्थाओं को ही सहायता दे पाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो पोलिसी का स्टेटमेण्ट बता दीजिये। डिटेल्स में तो लिखित में अलग से जवाब भेज दीजिये। जैसे सिर पर मैला ढोने की प्रथा दूसरे कोलोनीज आप अलग अलग बसाते हैं मिक्स्ड कोलोनीज बसाइये। तीसरा अलग छात्रावासों की पोलिसी की बात बता दीजिये। चौथी बात यह है कि छुआछूत को मिटाने के लिये मंत्रियों के यहां से शुरूआत करिये। राजकीय उद्योगों में मिल्क बूथों पर हरिजनों को रखिये। मंत्रियों के घरों में हरिजन रसोइया रखने के बारे में केबीनेट डिसीजन कोई लिया हो तो बतला दीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : केण्टीन के धन्धे का सवाल है तो नियमों के अनुसार उसे एन्टरटेन किया जावेगा।

श्री दौलतराम सारण : मिल्क बूथ और रसोई में रखने के बारे में कह दीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्यों ने कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिये तो यह सब तो हमने किया है सरकार का इस पर एक पब्लिकेशन पब्लिश हुआ है उसके पेज 39 पर देख लीजिए।

श्री दौलतराम सारण : यह पढ़ लिया।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपने क्या फरमाया इट एपीअर्स यू आर नोट सीरियस। मैं 25 अप्रेल, 68 के बाद अलोटेड प्लाट्स की संख्या बताता हूं। उदयपुर में कुल 3, 281 प्लाट अलोट किये गये जिनमें से 608 शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अलोट किये गये। भीलवाड़ा में कुल 204 प्लाट्स में से 124 प्लाट शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दिये गये। जयपुर में 743 प्लाट्स में से 214 प्लाट्स दिये गये शिड्यूल्ड कास्ट वालों को जोधपुर में 2300 प्लाट्स में से 634 प्लाट्स दिए गए। हिण्डौन में 158 में से 52 प्लाट्स शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लोगों को दिए गए। गंगापुर में 300 में से 33 चित्तौड़गढ़ में 191 में से 38 प्लाट्स इनको दिए गए हैं। इस बात का भी प्रयास किया गया है कि इनको कब्जा दिलाने में उचित कार्यवाही की जाय।

Page No 161



(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

अब जो लैण्ड जो उनको एलोट की गई है उसके भी आंकड़े अगर माननीय सदस्य चहाते हों तो वे भी जिलेवार बता सकता हूं। मैं टोटल बता देता हूं शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लोगों को 52 हजार 392 बीघा 16354 व्यक्तियों को जमीन दी गई एवं 30 हजार 608 व्यक्तियों को 96 हजार 501 एकड़ जमीन पिछले वर्ष गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों को एलोट की है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसमें से कब्जा कितनों को दिया ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्यों को कब्जे के बारे में व्यग्रता है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक बात और बता देता हूं कि ये रिहायशी आंकड़े ही हैं जो पहले से आबाद हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने जो अभी आंकड़े बताये ......

श्री डूंगाराम राजोरिया : ये सारे झूठे आंकड़े हैं। वह लोग वहां रहते थे और वहीं उनको जमीन दे दी गई है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जहां तक आपने कहा कि बहुत से अलाटमेंट्स हो गए हैं लेकिन फिजिकल पजेशन नहीं हुआ है, उन केसेज के लिए विभाग ऐसा विचार रखता है कि राजस्थान में कितने केसेज में पजेशन हो गया और कितने केसेज हैं कि जिनमें पजेशन नहीं हुआ और नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ और उसके बाद में फिर उस जमीन पर कब्जा कराने की पूरी कोशिश की जायगी।....

श्री दौलतराम सारण : आप यह बता दें कि कितने आदिवासी और हरिजन भूमिहीन हैं कितने परिवार और कितने इनमें बेकार हैं और कितने शिक्षित युवक बेकार हैं यह आंकड़े बता दें ? कितने आवासहीनों को भूमि की आवश्यकता है, कितने रोजगार विहीनों को रोजगार की आवश्यकता है और कितने पढ़े लिखे लोगों को रोजगार की आवश्यकता है और उनके लिए कितना प्रावधान आप कर सकते हैं और आगे के लिए आपकी क्या योजना है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप मानेंगे कि राजस्थान का जो इवेलुएशन विभाग है और स्टेटिस्टिक्स का जो ऑरगेनाइजेशन है ये दोनों इस काम में लगा दिये जायं सारे कामों को छोड़ कर तो यह आंकड़े जो आपने मांगे हैं यह कम से कम 8-10 महीनों में भी इकट्ठे नहीं कर सकते।

श्री दौलतराम सारण : फिर आप रोजगार किसको देंगे ? योजना क्या बनायेंगे, और क्या प्रावधान करेंगे ? जब आपके पास जरूरतमन्दों की जरूरत के आंकड़े आपके पास नहीं हैं तो आप क्या प्रावधान करेंगे और किसके लिए करेंगे ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : होस्टलों के बारे में माननीय सदस्यों ने खासतौर से कहा और यह हमारे विभाग की मेजर एक्टीविटी है....

श्री शंकरलाल : आपने शहरों में प्लाट की बात बताई और गांवों में मुफ्त प्लाट देने के लिए राज्य सरकार ने भी घोषणा की थी, उसके अलावा पंचायत के रूल्स में 267 के अनुसार हर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त प्लाट

( श्री शंकरलाल )

देने का प्रावधान है लेकिन पंचायतें नहीं देती हैं और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने कोई कदम उठाये हैं कि गांवों में इनको नियम के अनुसार भूमि दी जा सकेगी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : असलियत में इसके लिए रेवेन्यू विभाग सम्बन्धित है। समाज कल्याण का मतलब यह तो नहीं है कि मैं दूसरे विभाग के कार्मों में दखलन्दाजी करूं ?

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : कभी लिख कर नहीं भेजा समाज कल्याण विभाग ने ? क्या यह भी आपको अधिकार नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : हमें तो आशा है कि आप भूमिहीनों को भूमि अलाट करेंगे, जरूरतमन्द आवासविहीनों को आवास देंगे और आप कहते हैं कि यह आंकड़े मेरे पास नहीं है और फिर आपको कहें तो आप कहते हैं कि यह संबंध दूसरे विभाग से हैं और मैं उसमें दखलन्दाजी नहीं दे सकता।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जो मेरे विभाग से सम्बन्धित मामले हैं, मैं उसके लिए आपको पूर्ण उत्तर दे दूंगा और जिनका सम्बन्ध दूसरे विभागों से हैं, मैं उनसे पूछ सकता हूं और फिर कुछ कह सकता हूं। उनको थोड़ा बहुत अर्ज कर सकता हूं याने उनको स्ट्रैस कर सकता हूं लेकिन दूसरे विभागों में दखलन्दाजी तो मेरा विभाग नहीं कर सकता।

श्री शंकरलाल : इसको आप दखलन्दाजी की बात नहीं कहें। समाज कल्याण विभाग का कर्त्तव्य है कि हरिजनों की भलाई के काम करें। गांवों में प्लाट्स पंचायतें नहीं देती हैं तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को जो उन जिलों में रहते हैं वे वहां जाकर देखें, जो इन्सपेक्टर्स हैं वे वहां जाकर देखें और गांवों में प्लाट्स दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये और इस कार्य में गांव वालों को सहयोग देना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपके यहां से कब कब लिखा गया और पंचायत विभाग के मंत्री जी ने आपकी बात नहीं मानी और अगर नहीं लिखा गया तो आपके यहां से इतना जो देना चाहिए कि आपके जिले के अधिकारी उनके पीछे इतना पड़े कि जहां जहां उनको प्लाट्स नहीं मिले हैं और जितनी पंचायतों की ओर से नहीं मिल सके उनको पंचायत मंत्री की ओर से आदेश जायें लेकिन आप लिखकर दें तभी तो हो। आपने कब कब लिखा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वास्तविकता यह है कि तो गवर्नमेंट और मंत्रिमण्डल के, केबिनेट के तय करने की बात है कि वे इसको कितनी अहमियत देते हैं। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा जाता उसका ही जवाब नहीं देते हैं, उसका ही अमल नहीं करते जो कि एडिमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, आप लिख भी दो तो भी कागज और स्याही खराब होंगे, उससे कुछ नहीं होना जाना है जब तक कि गवर्नमेंट केबिनेट लेवल पर इसको नहीं लिया जाये और डिसीजन नहीं लिया जाये कि इसको प्रायोरिटी दे और चीफ सेक्रेटरी एज आफिसर इसकी जिम्मेदारी नहीं लें कि इसको एग्जीक्यूट करायें। इस चीज को आप फाइट करके केबिनेट मिनिस्टर जो भी आपके डिपार्टमेंट का हो उसी से हो सकता है। आप केवल चिट्ठी लिखकर दे देंगे तो कुछ नहीं होगा।

**श्री मोहनलाल मोदी :** आपने कहा कि दूसरे विभागों में दखल नहीं दे सकता तो आपने 28 परसेन्ट का जो रिजर्वेशन रखा है तो यह किस तरह से पूरा करेंगे और क्या योजना है आपकी ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** तो मैं आप-को निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की उसका मैं स्वागत करता हूं और यह ठीक है कि प्रशासनिक समय के अन्दर जितनी भी कोशिश कर सकते हैं राज्य सरकार की घोषणाओं को शीघ्र क्रियान्वयन करने की दिशा में हम विभाग से सम्पर्क स्थापित करके और एम्फे-साइज करके इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे और मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखूंगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि 28 परसेन्ट के रिजर्वेशन को किस प्रकार से पूरा करेंगे और उसके बारे में बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने चूंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एम्पलाय-मेन्ट का सवाल है इसके लिए एक हाइ पावर कमेटी हो रही है और अपाइन्टमेन्ट सेक्रेटरी और दूसरे लेबर कमिश्नर जो कि एम्पलाय-मेंट एक्सचेन्ज के इन्चार्ज हैं सब सदस्य है और हम भी पीरियोडिकल रिव्यू करते हैं और फैक्ट्स मंगाते हैं और क्या कार्यवाही की जाये इसके लिए विचार करते हैं और ऐसी बात नहीं है कि हम देखते नहीं हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट एडवरटाइजमेंट करते हैं और कौन कौन से नहीं और कौन कौन डिपार्टमेंट डिफाल्ट करते हैं जिन्होंने 28 परसेन्ट का जो रूल है इसके क्रियान्वयन की दिशा में फेल्योर रहे हैं याने उन्होंने 28 परसेन्ट के रूल को फालो नहीं किया है। अगर आप चाहें तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूं ··

**श्री मोहनलाल मोदी :** हां बताइये। साथ में यह भी बताइये कि क्या कार्यवाही कर रहे हैं और किस तरह से यह 28 पर-सेन्ट का कोटा पूरा करायेंगे।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** जो विभाग इस 28 पर्सेन्ट के कोटा को पूरा करने में अस-फल रहे हैं इसमें से कुछ यह है-उप-निदेशक राजस्थान नागरिक सुरक्षा कार्यालय, जयपुर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, उप शासन सचिव वित्त बिक्री एवं आबकारी इस प्रकार से और कुछ विभाग मिलाकर कुल 25 विभाग ऐसे हैं कि जो असफल रहे हैं इस कोटा को पूरा करने में····

**एक माननीय सदस्य :** सब पढ़िये।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** उप विकास आयुक्त पंचायत एवं विकास······

**श्री दौलतराम सारण :** समाज कल्याण विभाग का भी बता दें।

**श्री मोहनलाल मोदी :** जिन्होंने कोटा पूरा नहीं किया इनके हैड आफ दी डिपार्ट-मेंट को सस्पेन्ड करा दीजिए।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** माननीय सदस्य यह बहुत जानते हैं······

**श्री मोहनलाल मोदी :** इन विभागों के हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट हैं उनको सस्पे-न्ड करा दें यह कार्यवाही क्यों नहीं करते ? कोई तो कदम उठायें।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** बिल्कुल कदम उठाया जायेगा।

# Page No 164



**श्री दौलतराम सारण** : जोशी जी को तो सुखाड़िया, जी ही इन्टरव्यू नहीं देते (विराम) आप तो हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को सस्पेन्ड कराने की बात करते हैं जोशी जी को तो सुखाड़िया जी इन्टरव्यू ही नहीं देते ।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : बिराजिये, बिराजिये ।

**श्री देवेन्द्रकुमार** : समापति महोदय....

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : 28 में आपका विभाग तो है ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : मुख्य मंत्री जी और मेरे बीच में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । आप फिक्र मत करें ।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : 28 में आपका विभाग तो नहीं है ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : जी नहीं । मेरे विभाग की तो जो मैं सूचना दे रहा हूं, उसको आप सुनिये । शांत रहिये ।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : जिन्होंने 28 पर्सेन्ट नहीं रखे हैं उनमें आपका विभाग तो नहीं है ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : मेरा विभाग नहीं है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जो 28 पर्सेन्ट का कोटा पूरा नहीं हो रहा है, उनके सम्बन्ध में क्या आपने मुख्य मंत्री को या किसी दूसरे मंत्री महोदय को यह मामला भेजा है, यह मामला केबिनेट में रखने के लिये ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : आपने पूछा है, उसके लिये मैं अर्ज कर दूं चीफ सैक्रेटरी को यह भेजा है और कहा है कि सूटेबल ऐक्शन डिवाइस करें । चीफ सैक्रेटरी के सुझाव के अनुसार इन द फर्स्ट इन्स्टान्स हमारे डाइरेक्टर ने डी. ओ. लैटर लिख कर डिपार्टमेंट्स का ध्यान आकर्षित किया है । अगर उसके बाद भी नहीं होती हैं तो क्या पैनल एक्शन हो....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : केबिनेट के अन्दर यह मामला उठाया, उसके लिए आपने मुख्य मंत्री जी को लिख कर दिया ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी**: इन द फर्स्ट इन्स्टान्स चीफ सैक्रेटरी को यह कहा—इसके बारे में उचित कार्यवाही इन विभागों के खिलाफ करिये । चीफ सेक्रेटरी की यह राय थी कि इन द फर्स्ट इन्स्टान्स समाज कल्याण विभाग के निर्देश के पश्चात् जिन विभागों में इस पर्सेन्टेज की पूर्ति नहीं हो रही है—उनको डी. ओ. लैटर लिख कर ध्यान आकर्षित करें, उसके बाद भी जो विभाग लैग बिहाइण्ड करते हैं, उनके खिलाफ पैनल एक्शन लिया जाय । इसके अलावा जो हाइ पावर कमेटी है, उसकी अगली मिटिंग हो रही है उसके एजेण्डे पर यह प्रश्न रखा है, वह हाइ पावर कमेटी इस पर डिसीजन लेगी, उसकी सूचना मैं दे दूंगा ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कैबिनेट में आपने खुद ने जाकर नहीं रखा है ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : वह स्टेज अभी आना बाकी है । जो कमेटी है, हाइ पावर कमेटी, वह डिसीजन लेगी • • •

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपके डिपार्टमेन्ट से जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले को नहीं कर रहे हैं...

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : नो नो।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जो पर्सेन्टेज को पूरा नहीं कर रहे हैं, 28 पर्सेन्ट कोटा पूरा जिसमें नहीं हुआ है, तो इस मसले के ऊपर आपके डिपार्टमेंट को केबिनेट में रिप्रजेंट करने वाला कौन है, सोशल वैलफेयर को कौन रिप्रजेंट करता है ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : क्या फर्माया ? आई कुड नाट अन्डरस्टेंड।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : केबिनेट में कौन रिप्रजेंट करता है सोशल वेल्फेअर को ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : मैं रिप्रजेंट करता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपको बुलाया जाता है ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : मेरा डिपार्टमेंट एजेण्डे में होता है तो मुझे बुलाया जाता है।

**श्री देवेन्द्रकुमार** : 28 पर्सेन्ट कोटे का परिवार नियोजन में पालन नहीं होता है। आदिवासी बी. ए. लड़के योंही फिरते रहते हैं।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : कैसे फिरते हैं, मैं आपको आंकड़े देता हूं···

**श्री देवेन्द्रकुमार** : बताइये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: जो 1970-71 में रिक्रूटमेंट हुए हैं···

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह स्टेटिस्टिक्स किस के दे रहे हैं। पिछली बार इस हाउस में जो बयान दिया था, उस बयान के बाद आज तक एक साल की अवधि में जो सोशल वैलफेअर के मामले में जो-जो मसले उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में कौनसा डिसीजन केबिनेट से कराया है ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि हमारे विभाग के अन्दर कोटे के अचीवमेंट क्या हैं, वह मैं बता रहा था। अगर नहीं जानना चाहते है तो मैं रख देता हूं।

**श्री देवेन्द्रकुमार** : सुनाइये।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : आंकड़े आप हमें सरकुलेट कर दें तो महरबानी हो। जो जो आप बता रहे हैं, यह आंकड़े आप बता रहे हैं···

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : क्या यह सत्य है कि यह आंकड़े गलत रखे हैं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा····

**श्री सभापति** : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) सवाल जवाब अब नहीं होंगे। सवालों का जवाब बीच में नहीं दे सकते हैं।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी**: (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) वन मेम्बर शुड बी इन पजेशन आफ द फ्लोर ऑफ द हाउस।

श्री रावतराम : मंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं—इसको हमें सुनने दिया जाय। बीच में डिस्टरबेन्स हो रहा है, उसको आप रोकिये और इनको पूरा कहने दीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि परिवार नियोजन आपकी लिस्ट मे है या नहीं, उसमें 28 पर्सेन्ट लिए गए हैं या नहीं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सुनने का सब्र रखिये। सुन लीजिये।

श्री देवेन्द्र कुमार : परिवार नियोजन में कितने प्रतिशत आदिवासी हैं—यह बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : परिवार नियोजन में ?

श्री शंकरलाल : परिवार नियोजन विभाग की बात है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : समाज कल्याण विभाग की बात बता रहा था। 1970-71 में जो रिक्रूटमेंट के आंकड़े हैं वह निवेदन करता हूं। मेरा महकमा बहुत छोटा महकमा है, उसमें एक गजेटेड आफिसर लिया है इसलिए उसमें प्रतिशत का सवाल पैदा नहीं होता है। एक लिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : हरिजन नहीं लिया गया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : एक लिया गया है। अधीनस्थ सेवा में आठ व्यक्ति लिये गये, जिनमें से दो अनुसूचित जाति के हैं। जहां तक मंत्रालय का सवाल है, 16 लिये गये, उनमें से 6 सवर्ण हैं और 8 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल मिलाकर लिये गये हैं···

श्री रावतराम : कब लिये हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : 1970-71 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्दर 5 में से 3 सवर्ण और 2 अनुसूचित जाति के लिये हैं, इस प्रकार साढ़े छिआलीस पर्सेन्ट आता है। रिक्रूटमेंट में। मेरा महकमा एक छोटा सा महकमा है····

श्री देवेन्द्रकुमार : परिवार नियोजन में क्या है ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विभाग की दो मेजर एक्टिविटीज हैं, एक है होस्टल की····

श्रीमती सुमित्रा : परिवार नियोजन के लिये कह दें कि आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको पता नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : परिवार नियोजन डिफाल्टिंग डिपार्टमेंट्स में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या यह मान लिया जाय कि उसमें 28 पर्सेन्ट ले लिया है ?

श्री दौलतराम सारण : समाज कल्याण का 1970-71 का बताया, क्या आप बता सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग में टोटल पर्सेन्टेज क्या हैं, पूरे विभाग में आज तक ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : पूरे विभाग में ?

श्री दौलतराम सारण : हां, टोटल पर्सेन्टेज क्या है विभाग का, यह बता सकते हैं विभाग का, यह बता सकते हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप जानते हैं, यह रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट में हो रहा है, यह पिछली साल से ......

श्री दौलतराम सारण : साढ़े बारह पर्सेन्ट पहले भी था।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हम आज की परिस्थितियों में जानना चाहते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना प्रतिशत आज तक है ? आपने 1970-71 में जो लिये—वह हम नहीं जानना चाहते हैं हमने आंकड़े मांगे हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने अनुसूचित जाति और जन जाति के हैं ? आप यह आंकड़े क्यों नहीं देते हैं। जब 1970-71 के आंकड़े देते हैं तो हम मांगते हैं वह क्यों नहीं देते हैं ? यह बताइये, आज तक किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये है ? आप यह XXX कहते हैं ...

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय, बार बार अनपार्लियामेन्ट्री वर्ड × × × कहा जा रहा है—यह एक्सपंज किया जाय।

श्री डूंगाराम राजोरिया : गलत बात के लिए हम गलत कहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने कहा, × × × बोल रहे हैं, वह कहते है ठीक है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : गलत बात के लिए आप हां कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते।

श्री गिरधारीलाल व्यास : × × × शब्द एक्सपंज किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं नहीं, जिनको ऐतराज होना चाहिए उन्होंने तो आब्जेक्शन किया नहीं ..

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आई आब्जेक्ट टू इट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने कहा, × × × कहते हैं, मन्त्री कहते हैं ठीक है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : गलत कहा है।

श्री शंकरलाल : गलत कहा है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : इट शुड बी एक्सपंज्ड।

श्री सभापति : शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। हटा दिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : असत्य लिख दिया जाय।

श्री सभापति : मन्त्री जी रिप्लाई खत्म करें।

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं आधे से ज्यादा कन्क्लूड कर लेता यदि बीच में इंट्रप्शन नहीं हो, मेम्बरों के ऑब्जेक्शन रेगुलर्ली हो रहे हैं। मैं मोटे तौर पर निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री शंकरलाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसमें सदन के सब माननीय सदस्य इन्ट्रेस्टेड होंगे। इस सदन में मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान के अन्दर उच्च न्यायिक सेवायें हैं, उनके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन नहीं है। 1969-70 के अन्दर जो नोटिफिकेशन निकला था कि इनके जो एडवोकेट्स हैं उनमें से हायर जुडिसियल सर्विस में लिये जायेंगे

(6.48 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन इन कास्ट्स का रिजर्वेशन नहीं है। क्या समाज कल्याण-विभाग मूव करेगा कि जो इनके एडवोकेट्स हैं उनमें से हायर जुडिसियल सर्विसेज में लिये जायेंगे और उनमें भी इन लोगों का रिजर्वेशन होगा ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला है यह हायर जुडिसियल का हाई कोर्ट से सम्बन्धित है और इसमें राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया जा सकता है वह हाई कोर्ट के परामर्श से ही लिया जा सकता है। इसलिए मैं वन साइडेड डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : परामर्श किया है या नहीं ?

श्री शंकरलाल : नियम तो गवर्नमेंट ने बनाया है।

श्री दौलतराम सारण : मन्त्री जी गलत कह रहे हैं, न हाई कोर्ट से परामर्श करने का विषय है। यह राजस्थान सरकार के द्वारा नीति बनाने का और नियम बनाने का विषय है। राजस्थान सरकार ने नीति बनाई और नियम बनायें उसमें वह हाई कोर्ट्स गाइड नहीं होती है। वह स्वतंत्र है कि न्यायिक प्रणाली कैसी रखें, न्यायिक सर्विसेज में किसको लिया जाय—इसके लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है, राज्य सरकार सुप्रीम पावर है। इसका हाई कोर्ट से संबंध नहीं है। मंत्री जी गलत उत्तर दे रहें है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, राजस्थान सरकार की घोषित नीति स्पष्ट है। इस विषय में प्रयास होगा कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए जो 28 पर्सेन्ट का रिजर्वेशन है वह उनको मिले।

श्री रोशन लाल शर्मा : उनसे परामर्श किया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री रोशनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्री ने हाई कोर्ट का ध्यान इस सम्बन्ध में खींचा है या नहीं ? हम जानना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न है, आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया। पहले जब यह असेम्बली में प्रश्न आया था तब यह कहा था कि हाई कोर्ट का ध्यान खींचेंगे, तो उसके बाद क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, आप आसन ग्रहण करें और मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये। बाद में प्रश्न पूछ लीजिये। इस तरह से डिबेट समाप्त नहीं होगी।

श्री शंकरलाल : यह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देने दीजिये। मंत्री महोदय की तैयारी है वह बता दें। उसके बाद में शंका रह जाय तो पूछ लें।

श्री दौलतराम सारण : वह शुरू तो करें।

श्री रोशनलाल शर्मा : हाई कोर्ट का इस प्रश्न के सम्बन्ध में ध्यान खींचा है या नहीं।

श्री दौलतराम सारण : अब यह अपना उत्तर शुरू करेंगे और फिर हम पूछेंगे...?

श्री मोहनलाल मोदी : मन्त्री महोदय, क्या यह बतायेंगे....

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : पहले मैं अपना उत्तर दे दूं।

श्री मोहनलाल मोदी : प्रश्न पूछने का भी कोई टाइम मिलेगा या नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ; मैं यह निवेदन कर रहा था कि डिपार्टमेंट की जो एक्टीविटीज हैं उसमें हमारा यह प्रयास होगा कि 28 प्रतिशत का जो रिजर्वेशन है....

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें। आप आसन के माध्यम से बातचीत करें माननीय सदस्य।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्य के विभिन्न सेवाओं में निश्चित अनुपात से स्थान मिलें इसके लिये एक विशेष समिति का गठन किया गया है, वह हाई पावर्ड कमेटी है, उसमें अपाइन्टमेंट सेक्रेटरी मेम्बर हैं, सम्बन्धित हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट है, डिप्टी मिनिस्टर जी०ए०डी० और डिप्टी मिनिस्टर सोशल वेलफेयर है और समाज कल्याण मन्त्री के नाते मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूं। इसकी पीरियोडिकल मीटिंग्स होगी और इन मीटिंगों में इस सारे मसले को रखकर आवश्यक कार्यवाही के लिए उसको मन्त्रिमण्डल तक भेजूंगा।

दूसरा, होस्टलों के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण के माध्यम से कहा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : होस्टल्स का प्रशासन सुधारने के लिए राज्य सरकार ने.......

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो हाई पावर कमेटी बनी है उसकी आज तक कितनी मीटिंग्स हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष । इसका उत्तर बाद में दे देंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अन्त में इसका उत्तर दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ उंगली उठाते हैं यह उचित नहीं है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : होस्टल्स की व्यवस्था सुधारने के लिए यहां पर कहा गया है । करीब 240 छात्रावास चल रहे हैं । उनकी व्यवस्था के लिये दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं । जिसकी सूचना भी इस मौके पर मैं माननीय सदस्यों को देना चाहूंगा । छात्रावास में अधिकतर जो सुपरिन्टेन्डेन्ट होता है वह अधिक जिम्मेदार है, अनुशासन को कायम करने वाला हो । अभी तक सुपरिन्टेन्डेन्ट मैट्रिकुलेट होता था । अब हमने इसकी क्वालिफिकेशन बना दी है ताकि वह अधिक सक्षम हो । इसलिये उसकी विशेष योग्यता एम० ए० सोशियोलोजी, एम० ए० साइकोलोजी या मास्टर ऑफ एजुकेशन हो, ऐसे क्वालिफाइड व्यक्तियों को भविष्य में इन पदों पर रखा जायेगा और इनका वेतनमान भी रिवाइज किया गया है । और उनका पे स्केल 225-525 का स्केल कायम किया है और अभी तक 19 को रिक्रूट किया है और बड़े छात्रावासों में इनको भेजा जायेगा । जो बेरोजगारी का मसला है उसमें भी ये अधिक सहयोगी बनेंगे और उसका निराकरण करेंगे । जो विद्यार्थी छात्रावास में हैं उनकी प्रवृत्ति किस ओर है, उसको देख कर के विद्यार्थी को मार्गदर्शन दे सकेंगे । कोई लड़का इन्जीनियर बन सकता है तो जो एम० ए० साइकोलोजी का वार्डन है या मास्टर आफ एजूकेशन है उसके बारे में बता सकता है कि उसको कौनसा विषय लेना चाहिए । वह वार्डन रोजगार दिलाने के लिए भी कार्यवाही करेगा । 50 से अधिक छात्र जहां होंगे वहां पर इन अधीक्षकों को लगाया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहां पर अनुदानित छात्रावास हैं उनकी भी शिकायत की गई है । जो शिकायतें इसके बारे में की गई हैं ये काफी हद तक सही हैं । सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आज महंगाई का जमाना है और चीजों के भाव बढ़ गये हैं और अनुदान का हमारा स्केल वही पुराना है । एक विद्यार्थी जो आठवीं कक्षा तक पढ़ता है उसके लिये हम 40/- रुपया और नवीं, दसवीं तक के विद्यार्थियों के लिये 45/-रु० देते हैं । इसके अन्दर उसका कपड़ा, खाना, तेल, साबुन, पुस्तकें सभी आ गयी हैं । अनुदानित संस्थाएं इस से खर्च नहीं चला पाती हैं या तो वे इन आवश्यकताओं के अन्दर कोई काट छांट करती है या दस प्रतिशत चन्दा इकट्ठा करती हैं । किन्तु यह चन्दा भी कुछ संस्थायें ही कर पाती है और बाकी की संस्थाएं सुविधाओं में कमी करके काम चलाती हैं । इसलिये इनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो 40 से 45 रु० प्रति विद्यार्थी अनुदान इन संस्थाओं को दिया जाता था वह बढ़ा कर 55 से 60रु० प्रति विद्यार्थी कर दिया गया है और यह 1 जुलाई से हम लागू कर रहे हैं । इस प्रकार धनाभाव के कारण जो सुविधाओं की कमी थी और व्यवस्था में खराबी थी वह इससे दूर की जा सकेगी और इससे अनुदानित छात्रावासों की व्यवस्था एक सुदृढ़ आधार पर की जायगी । यह दो महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिये हैं और इससे वर्तमान में जो छात्रावास हैं उनकी व्यवस्था में कोई शिकायत नहीं रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिये पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जाये । आज के हालात में

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना जरूरी है और यदि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तो वे अपने आप समाज के दूसरे लोगों के समकक्ष आ जाते हैं और अक्सर लोग उनके साथ छुआछूत का आचरण भी नहीं करते हैं। यह ठीक है कि कास्ट का कोई तहसीलदार, थानेदार बन जाता है तो कोई भी छुआछूत नहीं करता है और समाज उनका सम्मान करता है क्योंकि उसका जीवनस्तर ऊंचा होता है। सब लोगों के साथ वह घुलमिल जाता है। इसलिये राज्य सरकार ने उनके बेटरमेंट के लिये विशेष योजनाओं को रक्खा है और जिसकी सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है। सर्विसेज में उनका रिजर्वेशन 28 प्रतिशत रक्खा है, सेवा सहकारी समितियों ट्राइब्स एरिया में जहां पर कि आदिवासी लोग रहते हैं, बनाई गई है। जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं और हरेक आदमी पढ़ लिख कर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, कलक्टर नहीं बन सकता। हरेक व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। इसलिये इस बात का प्रयास किया गया है कि जंगलों में जो ठेकेदारी का सिस्टम है वह बन्द किया जाये ताकि वे लोग इनका शोषण करते थे। इससे उनको मुक्त कराया गया है और इसके लिये वन श्रमिक सहकारी समितियां बनाई गई हैं और डिपार्टमेंट उनको अनुदान देता है और इनके लिये जो भी लोन वगैरह होता है दिलाया जाता है। इस प्रकार की आज हजारों सहकारी समितियां हैं और वे काम कर रही हैं। इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के पढ़े लिखे नवयुवकों के लिए एक योजना बनाई गई है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस समाज में भी बेरोजगारी है और शिक्षित लोगों में भी बेकारी होगी तो समाज का एक वर्ग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आज वैसे हो इस पिछड़े हुए वर्ग में शिक्षा की कमी है और उसमें एक पढ़े लिखे की बेकारी परेशानी का कारण है और उसको नौकरी नहीं मिलती है तो उन पर यह प्रभाव पड़ता है कि एम०ए० होकर भी बेकार बैठा है इसलिये बच्चों को क्यों पढ़ाया जाये। इसलिये उनमें शिक्षा के प्रति आकर्षण हो, उनमें शिक्षा के प्रति निराशा पैदा न हो, इसको दूर करने के लिये यह सोचा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पोस्ट ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स को बारह महीने तक या कम्पीटिटिव परीक्षा की तैयारी करने तक उनको अनएम्पलाइड स्टाइपन्ड देने का तय किया है। यह बात गलत है, नियम नहीं बने, फार्म छप चुके हैं। पिछले साल अनुदान दिया गया है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : पिछले साल कितनों को दिया।

**श्री विश्म्वभर नाथ जोशी** : आप यह चाहते हैं तो मैं यह बता सकता हूं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : आगे चलिये आप।

**श्री विश्वम्भर नाथ जोशी** : पढ़े लिखे लोगों में निराशा नहीं आये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और मा० सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो कुछ कमियां और खामियां हैं। हमारे छात्रावासों के अन्दर प्रशासन के लिये अनुसूचित जाति के

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

के कल्याण के लिये एक विद्याध्ययन का जो कार्य किया गया है, यह केवल राजस्थान राज्य में हो रहा है। अगर अन्य राज्यों से मुकाबला करेंगे तो हम अन्य राज्यों के मुकाबले जो ऐडीशनल स्टाइपेन्ड का मामला है उसमें राजस्थान ही एक राज्य है जो दे रहा है और राज्य इसको नहीं दे रहे हैं। मैं यू० पी० में गया हूं। आगरा जैसे शहर में जो यू० पी० की दूसरी राजधानी है कोई राजकीय छात्रावास अनुसूचित जाति के नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आगरा किस लिये गये थे। मेडीकल एग्जामिनेशन के लिये गये थे क्या ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : आगरा शहर में डिविजनल हैड क्वार्टर है वहां पर नहीं है....

(व्यवधान, अश्रव्य)

.... मैं मा० सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं राजस्थान राज्य पिछड़ी जाति के कल्याण के क्षेत्र में सबसे अग्रगण्य राज्य है, सबसे आगे है...

(पुनः व्यवधान)

**श्री मनोहरसिंह मेहता**: आगे चलिये।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : जिस राज्य ने महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार किया है, छुआछूत को खतम कर दिया है

(कई मा० सदस्यों के खड़े होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रावत राम।

**श्री रावत राम** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं एक तो मकानों के लिये जो कर्जा दे रहे हैं उसके लिये आपने इस साल बजट में कितना रुपया रखा है और उसके हिसाब से कितने परिवारों को दे पायेंगे यह बता दीजिये। दूसरा आपने बेरोजगारों के लिये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो मासिक भत्ते की व्यवस्था की है— गई साल के आंकड़ों का पता नहीं लेकिन क्या यह सही है कि फर्स्ट और सैकिण्ड डिवीजन वालों के लिए ही यह व्यवस्था की है।

**श्री विश्वम्भर नाथ जोशी** : हां, फर्स्ट और सैकिण्ड.........

**श्री उपाध्यक्ष** : बीच बीच में नहीं उपाध्यक्ष महोदय, एक बार कह लेने दीजिये।

**श्री रावत राम** : यह फर्स्ट और सेकिन्ड क्लास वाली बात तो सर्विस देने में काउन्ट हो सकती है। इस बेरोजगारी भत्ता देने में नहीं होनी चाहिये थर्ड क्लास को भी भत्ता तो मिलना ही चाहिये, क्योंकि वह बेरोजगार है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इस साल के लिये कर रहे है। फाइनेन्स मिनिस्टर की घोषणा है, सबके लिये है। हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिये है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी**:इस वर्ष सब के लिये है। मैं आंकडे बता रहा हूं साहब..

**श्री रावत राम** : जो लोन और सब्सिडी देते हैं मकान बनाने के लिये उसमें आप एक हिस्से में ज्यादा दे देते हैं और

(श्री रावतराम)

कुछ हिस्सों को नेगलेक्ट कर देते हैं । क्या आप जिला वाइज जनसंख्या के लिहाज से देंगे। तीन और चौथा मेरा यह है कि सब्सिडी और लोन दोनों दे देते हैं या एक देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट इयर है इसलिये सबको मिलेगा। इलेक्शन इयर है । पहले दो तीन साल में कितने जीते हुये इलाकों में देना होता है फिर सबको।

श्री रावत राम : लोन देते हैं उसके साथ सब्सिडी भी देते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : एक ही (एक अंगुली का इशारा)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक अंगुली से लघुशंका और दो अंगुली से दीर्घशंका होती है, इससे क्या मतलब हुआ।

श्री रावत राम : अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिये होस्टल बनाने की योजना है क्या?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: सारे प्रश्नों को एक साथ याद रखना मुनासिब नहीं होगा। एक एक करके ···

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: पिछले साल नहीं दिया, यह ठीक नहीं है। दरख्वास्त ही कम आई थी, जिनकी आई उनको दे दिया गया। मेरे पास आंकड़े हैं । 150 रुपया प्रति माह पोस्ट ग्रेजुएट के लिये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की 10 दरख्वास्तें आईं, 10 को दे दिया गया। जनजाति में चार दरख्वास्तें आईं, उनमें से तीन को दे दिया। ग्रेजुएट के लिये 100 रुपया। इसमें आवेदन-पत्र तीन प्राप्त हुये जिनमें से दो को स्वीकृत हुआ, अनुसूचित जाति में दो दरख्वास्तें आईं और दोनों को स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार 3,900 पोस्ट ग्रेजुएट को को और 800 रुपया ग्रेजुएट को । इस तरह कुल मिलाकर 4,700 रुपये दिये गये दूसरी बात दोनों अनुदानों में से एक दिया जाता है। सब लोगों को पता नहीं है। दरख्वास्त समानरूप से नहीं आई, कहीं से लेट आई, कहीं से क्या हुआ लेकिन जो समय पर आ गई उनको सबको मन्जूर किया गया है । अब उपाध्यक्ष जी, 30 तारीख तक सारे रुपयों को लेकर बैठे रहना भी ठीक नहीं है। माननीय सदस्य शिकायत करते हैं लेकिन करीब 22-23 आखिरी तारीख तक जो दरख्वास्तें आई हैं उन सबको सेंक्शन कर दी। जो बिल्कुल आखिरी तारीखों में आई हैं उनको मंजूर नहीं कर सके। जो पिछले साल नहीं हुए उनको इस साल पूरा कर दिया जायगा । चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया छात्रावास चूरू जिले में आबादी के अनुपात से छात्रावासों की संख्या कम है। इसलिए चूरू जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में और खोलने की कार्यवाही की जाय···

श्री रावतराम : मैंने निवेदन किया ···

श्री उपाध्यक्ष : अब दुबारा नहीं माननीय सदस्य।

श्री रावत राम : आपने जो लोन की व्यवस्था की है मैंने यह पूछा है चालू साल में

(श्री रावतराम)

अमाउन्ट कितना है। बस इतना बता दीजिये और कितने परिवारों को देंगे क्योंकि यह पूरे राजस्थान का सवाल है।

(कई मा० सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री गाड़िया। सूचना प्राप्त कर रहे हैं।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** चालू वर्ष क्या प्रावधान है, मैं बता दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री गाड़िया।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** एक प्रश्न मा० मंत्री से पूछना चाहता हूं किशनगढ़ शाहबाद क्षेत्र में कुशलपुरा, सुभदरा कालोनी में जो समाज कल्याण विभाग ने करीब 25 लाख रुपये के खर्च हुए हैं वह सारी कालोनीज बरबाद हो गई। वहां जमीनों में खेती नहीं होती है। आप उनके लिये क्या कर रहे हैं। कितने व्यक्ति खेती कर रहे हैं, कितने कुओं द्वारा सिंचाई हो रही है, उनका क्या हुआ?

**श्री उपाध्यक्ष :** और कोई प्रश्न पूछना है आपको।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** माननीय सदस्यों को जवाब यह देना है कि 6 लाख का इस साल है उसमें से लोन और सब्सिडी का दो लाख का है। इसके साथ स्केवेन्जिंग हाउस के लिए गवर्नमेंट का रुपया होगा। उसके फिगर्स सबमिट नहीं हुए हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय गाड़ियाजी के प्रश्न का उत्तर दे दें।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:** वहां पर तीन कालोनीज हैं··· बेनावता, सुभदरा कालोनी और तीसरी शायद कुशलपुरा है, कालोनी है। यह मेरे खयाल से कई वर्ष पुराना मामला है, लेकिन अब की बार मैं मौके पर गया हूं और मैंने सुभदरा को देखा है। बेनावता को भी देखकर आया हूं। आपका यह फरमान है कि सुभदरा में आदमी नहीं रहते हैं और मकान बने हुए हैं। मैं अपनी आंखों से लोगों को रहते हुए देखकर आया हूं।...

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** कितने परिवार रहते हैं?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** कम से कम 35-40 मेरे ख्याल से परिवार रहते हैं।····

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** यह कुशलपुरा और सुभदरा में 100-100 परिवार के लिए है और बेनावता कालोनी में 45 परिवार के लिए है और आप यह बता रहे हैं कि 35-40 परिवार रहते हैं ·······

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** मैं एक का ही बता रहा हूं सुभदरा का।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** 100 परिवार में 35-40 ही रहते हैं तो बाकी चले गये तो इस मामले की जांच की जाय····

**श्री उपाध्यक्ष :** भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** इसकी जांच पहले हो चुकी थी·······

**श्री उपाध्यक्ष :** (श्री मोहन लाल मोदी के खड़े होने पर) आप स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : मैं फिर दुबारा देख लूंगा कि क्या बात है। अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

**श्री मोहन लाल मोदी** : कितनी ही नल-योजनाएं आपकी चालू होती हैं लेकिन किसी भी हरिजन मोहल्ले में पानी की पाइप लाइन नहीं जाती है। तो आप यह आश्वासन दें कि जो नल-योजना आयन्दा के लिए चालू होंगी उनके साथ-साथ ही हरिजन मोहल्ले के लिए पाइप लाइन बिछाई जायेगी और आजकल जो योजना चालू हैं उनमें भी हरिजन मोहल्लों में पाइप लाइन बिछाई जायगी।

एक बात तो यह है। दूसरी यह है कि जिन विभागों में पूरे 28 पर्सेन्ट का रिजर्वेशन सर्विसेज में इन लोगों को नहीं दिया है, क्या आज ऐसे विभागों के अध्यक्षों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? उनको सस्पेंड करने की कार्यवाही करेंगे?

आपने प्रश्न पूछ लिया है। आपने पूछ लिया है कि 28 पर्सेन्ट की पूर्ति नहीं हुई तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

**श्री उपाध्यक्ष** : दोहराये नहीं, माननीय सदस्य।

**श्री मोहनलाल मोदी** : उनको सस्पेण्ड करने की कार्यवाही करेंगे या उनका ग्रेड रोकने की कार्यवाही करेंगे?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : क्या कार्यवाही की जायगी यह मैं बाद में बता दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : कार्यवाही करने के बाद में बता देंगे।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : कार्यवाही जरूर की जायगी। मैं हाई पावर कमेटी की मीटिंग सेशन के तुरन्त बाद कन्वीन करूंगा और उसमें डिसीजन लेकर अगर आवश्यकता हुई तो केबिनेट में रख कर कारगर कार्यवाही करूंगा।

आपने दूसरा यह फरमाया था कि जहां पर पैसा स्वीकृत हो चुका है और काम नहीं हुआ है तो उनको प्राथमिकता दी जायगी, उसको कम्प्लीट कराया जायगा...

**श्री मोहनलाल मोदी** : यह प्रश्न नहीं है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 69-70 में हमारे पास प्रावधान काफी था, क्योंकि एक करोड़ रुपया गांधी शताब्दि के लिए मिला था इसलिये लिबरली पैसा दिया गया है। पिछले साल सीमित था। नलों के लिये डेढ़ लाख था, इसलिए बहुत सा कालोनीज में नहीं दे पाये हैं। इस साल 15 लाख का प्रोवीजन रखा है।

इसके अलावा राज्य सरकार ने यह निर्णय भी कर लिया है कि इस वर्ष शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के मोहल्ले में जहां भी बिजली और नल नहीं लगे हैं वहां पर हर जगह नल और बिजली लगाई जायगी।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : घुमक्कड़ जातियों को बसाने के लिए भारत सरकार ने पहले योजना बनाई थी। अब जो हैं उनको बसाने के लिये, गृह-निर्माण के लिये, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, छात्रवृत्ति के लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है। एक प्रश्न तो यह है ..

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : कौन सी जाति?

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : घुमक्कड़ जाति, जैसे गाडोलिया लुहार आदि।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि कुओं के निर्माण के लिये 2 हजार रुपये जो दिये जाते हैं तो हमारे क्षेत्र में दो हजार से कोई कुआ नहीं बन सकता है। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में दो हजार से 10 हजार तक की राशि कुओं के लिए तय करेंगे या नहीं करेंगे ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, घुमक्कड़ जाति के लिए माननीय सदस्य ने वेदना जाहिर की है, जैसे गाड़िया लुहार....

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : गाड़िया नहीं गाड़ोलिया लुहार।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : मैंने गाड़िया सम्बोधित नहीं किया, गाडोलिया कहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा में नहीं आया है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : इसके लिए पिछले वर्ष और इस वर्ष नहीं कर पाये है इस कारण कि भारत सरकार ने कोई धन राशि देने से इन्कार कर दिया। इसलिए उनके लिए प्रावधान नहीं किया जा सका। लेकिन कई जगहों से इनके लिए मांग भी आई है और आवश्यकता भी महसूस की है। मैंने माननीय सदस्य को बताया था कि 19-20 को अखिल भारतीय समाज-कल्याण का सम्मेलन हो रहा है उसमें मैं इस मसले को उठाने वाला हूं कि राजस्थान की विशेष परिस्थितियों पर विचार करके एक धनराशि गाडोलिया लुहारों के लिए और अन्य घुमक्कड़ जातियों के पुनर्वास के लिए दी जाय।

कुए के लिए आपने फरमाया कि 10 हजार रुपये कुए के लिए दिये जायं। जब धनराशि इतनी है कि लाख डेढ़ लाख है तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में 10 कुए ही बन पायें तो 10 हजार तो देना सम्भव नहीं हो सकता, लेकिन 2 हजार से ऊपर धनराशि करने का विचार किया जायगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सम्मेलन में इतना बड़ा नोट दें वर्ना कुछ नहीं मिलने वाला है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : जितने राजस्थान के बड़े मन्दिर हैं जिनमें हजारों लाखों आदमी दर्शन करने आते हैं उन मन्दिरों में मेहतर कैसे प्रवेश न कर सकें दर्शनों के लिए इस बारे में क्या सोचा है ? एक प्रश्न तो यह है।

दूसरा यह है कि 22 साल के बाद भी सर पर मैला उठाने की प्रथा समाप्त नहीं हुई है तो किस कानून में ऐसा प्रावधान लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से कोई आदमी बिना फ्लश के लेट्रिन्स शहर में नहीं रख सके, और सर पर मैला उठाने की प्रथा कैसे समाप्त हो, इसके लिए क्या सोचा है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : दोहराये नहीं माननीय सदस्य।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : सर पर मैला उठाने की प्रथा के सवाल पर कौन सी कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि असलियत में यह प्रथा अरबन एरिया तक ही सीमित है। रूरल एरिया में इसकी कोई प्राब्लम नहीं है। अरबन एरिया तक सीमित है।

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

तो इस बात का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग इस ओर अपने कर्त्तव्य की पूर्ति के लिए अग्रसर हों कि सारी नगरपालिकाओं और म्युनिसिपल बोर्ड्स और राजस्थान के अन्दर जितने भी यू० आइ० टीज० हैं वे अपने यहां ऐसी पालिसी एडाप्ट कर लें कि कोई भी मकान बने तो उसमें अलावा फ्लश की तहारत के और दूसरी तहारत के निर्माण की स्वीकृति नहीं देगी। यह जब तक नहीं होगा और पुरानी तहारतों के लिए ही प्रावधान किया जायगा तो पुरानी तो परिवर्तित होती जायगीं और नई बनती जायेंगी इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग को अपना फर्ज अदा करना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि स्वायत्त शासन विभाग उसको पूरा करेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंदिरों के प्रवेश के सम्बन्ध में ?

**श्री विश्वम्भर नाथ जोशी** : उसके प्रवेश के बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि मंदिरों में प्रवेश की पूरी इजाजत है। अपने अधिकारों के प्रयोग में रुकावट आती है तो पुलिस की सहायता लेंगे और मुकद्दमा बनेगा और चालान होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री श्रवण लाल संक्षेप में।

**श्री श्रवणलाल** : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सेशन के अन्दर मंत्री महोदय ने इस प्रकार की घोषणा की थी कि एक कमेटी हाउस के मेम्बर्स की बनाई जायेगी जिसके ...

**श्री उपाध्यक्ष** : संक्षेप में, माननीय सदस्य। कमेटी बनाने की घोषणा की इतना ही तो कहना है कि उसका क्या हुआ ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विचार है कि जो घोषणा की गई है आई स्टिक टू इट। मैं मुकरता नहीं हूं। मैंने लिख कर पत्र विधान सभा सचिवालय में भेज दिया माननीय अध्यक्षजी से निवेदन करते हुए कि वे कृपया इस प्रकार की एक समिति जो 11 सदस्यों की हो जिसको यह अधिकार होगा, और पालियामेंट की जो कमेटी है उसी पैटर्न पर निर्माण कर दें, और उसके बाद में सारे वे ही अधिकार उसको प्राप्त होंगे। कमेटी बनाना यह आसन का काम है। मेरा काम नहीं है। वह कमेटी हाउस की कमेटी होती है इसलिए गवर्नमेंट नोमीनेट नहीं कर सकती है। इसके लिए विधान सभा सचिवालय यह बात प्रकट कर रहा था कि उसके लिए एडिशनल स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी—एक कमेटी आफिसर और स्टाफ। सारे लम्बे-चौड़े स्टाफ की नियुक्ति आपका सचिवालय चाहता था कि पहले कर दी जाय। मैंने यह निवेदन किया था कि पहले कर दी जाय। मैंने यह निवेदन किया था कि कमेटी बन जायगी उसके बाद में वित्त विभाग लाजिमीतौर पर स्वीकृति जरूर देगा, लेकिन पुटिंग दी कार्ट बिफोर दी हार्स वाली बात होगी। मैं चाहता था कि कमेटी पहले बने और सचिवालय का कहना था कि पहले स्टाफ हो। जब कमेटी ही नहीं है तो स्टाफ कैसे ?

**श्री श्रवणलाल** : नतीजा क्या हुआ ?

**एक माननीय सदस्य** : नतीजा कुछ नहीं हुआ।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी तो नतीजा क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कह दिया।

श्री शंकरलाल : स्थिति आपके सामने है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सचिवालय के सामने वित्तीय स्थिति खड़ी हुई है, वित्तीय समस्या खड़ी हुई है-उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष । स्थिति सामने आ गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम यह जानना चाहते हैं, इसमें बाधा क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सचिवालय को इस हाउस में डिस्कस करने का सवाल नहीं है। इस संबंध में प्रश्न पूछने का सवाल पैदा नहीं होता है। गवर्नमेंट ने इस सदन में कहा था कि कमेटी कान्स्टीट्यूट करना चाहती है, स्पीकर महोदय को कहा, तो विधान सभा सचिवालय ने गवर्नमेंट को लिख कर भेजा कि इस कमेटी के लिए यह स्टाफ चाहिए। गवर्नमेंट ने लिख कर भेज दिया कि कमेटी कान्स्टीट्यूट होगी उसके बाद में खर्चा होगा। इस सारे विवाद में साल भर क्यों निकाल दिया। यह गलत है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मेरा काम था वह कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्पीकर महोदय या विधान सभा सचिवालय को दोष देना गलत बात है। यह जरूरी है कि गवर्नमेंट स्टाफ की सेंक्शन साथ ही भेज दें, स्टाफ नहीं भेजें कामेटी कैसे काम करेगी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जब कमेटी का फंक्शन नहीं होता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केबिनेट मीमो बना कर आपको फाइनेन्स से इसकी व्यवस्था करानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ! संक्षेप में। काफी प्रश्न हो गये हैं।

श्री शंकरलाल : राजस्थान के अन्दर भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए कोई कानून है ? अगर नहीं है तो राज्य सरकार ने क्यों नहीं बनाया है......

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न कटौती प्रस्ताव के द्वारा नहीं उठाया गया है।

श्री शंकरलाल : यह कटौती प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें नहीं, हिस्सा नहीं लिया डिबेट में। लिखित में उत्तर भेज दिया जायगा।

श्री शंकरलाल : मैं इसलिए ही पूछ रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : सभी प्रश्न नहीं आ सकते। यह मान कर नहीं चल सकते।

श्री शंकरलाल : इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव था, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं यह प्रश्न रख सकता था, यह नीति का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : इसका लिखित में जवाब भेज दिया जायगा।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** लिखित में भेज देना।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री किशनलाल !

**श्री किशनलाल वर्मा :** गांवों में और कस्बों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियां होती हैं, उनमें नल लगाने के लिए और बिजली लगाने के लिए खर्च किया जाता है, उसमें निश्चित पर्सेन्टेज खर्च करने के बारे में सोचते हैं। इसमें पर्सेन्टेज का सवाल नहीं है। असलियत में बिजली के लिए नगरपालिका को आर. एम. ई., इन्जीनियर के द्वारा एस्टीमेंट बना कर भेजने चाहिए नल के बारे में और लोकल बॉड़ी को यह सर्टिफिकेट देना चाहिए कि बाद में जो माहवारी खर्च आयेगी, वह देने को तैयार होंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** संक्षेप में। समझ में आ गया है। श्री गोकुलचन्द!

**श्री गोकुलचन्द :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार खड़ा हूं प्रश्न पूछने के लिए। मंत्री महोदय ने बहस का उत्तर देते हुए दो बातों को स्वीकार किया है, एक तो यह कि भूमि जो एलाट हुई है उसका कब्जा नहीं मिल पाया है। बहुत सी रिपोर्ट ऐसी हैं— यह माननीय मंत्री ने माना है। दूसरे छुआछूत का इलाज नहीं हो पाया है, 20 वर्ष विधानसभा को बने हुए हो गये, आजाद हुए तेईस साल हो गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस विभाग ने कुछ कमेटियां बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसका कलेक्टर चेअरमैन है, विधान सभा के सदस्यों की अलग अलग काम देखने के लिए और विचार करने के लिए एम. एल. ए. की कमेटी हैं, केन्द्र में अनुसूचित जाति और जनजाति का बोर्ड बना हुआ है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उस रिपोर्ट पर बहस होती है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा कि उसने छुआछूत को मिटाने के लिए एक सुझाव दिया था कि जिन पंचायतों में छुआछूत होती है उनको सब्सीडी बन्द कर देनी चाहिए। दूसरा सुझाव यह दिया था कि जिस पंचायत में छुआछूत बरती जाती है, जो सम्बन्धित पंचायत है, उसके सदस्यों के नागरिक अधिकार बन्द कर दिये जायं। इन सुझावों पर माननीय मंत्री और सरकार ने कोई विचार किया है और विचार किया है तो क्या एक्शन लिया है…

**श्री उपाध्यक्ष:** भाषण नहीं। समझ में आ गया है।

**श्री गोकुलचन्द :** दूसरा प्रश्न यह है, सरकार ने भूमिहीनों को भूमि देने में जो बाधा महसूस हो रही है वह है बेदखली की और अनधिकृत कब्जे की समस्या की, उसके अलावा जो एलाटमेंट किया है उसका कब्जा दिलाने की भी समस्या है। इसको सरकार ने गम्भीररूप से नहीं लिया है। वास्तव में जहां भूमि एलाट हुई है वहां पर उन लोगों को कब्जा नहीं मिला है। इसके लिए कमेटी बना दी जाय, कलेक्टर और एस. डी. ओ. की, वह वहां मौके पर जाकर इसको देखें और कब्जा दिलाने की कार्यवाही करें……

**श्री उपाध्यक्ष :** भाषण नहीं।

**श्री मोहनलाल मोदी :** यह भी पूछ लें कि आप चौदह साल से सदस्य हैं तो क्या आपको मंत्री बनाने का प्रावधान रखा है ?

**श्री गोकुलचन्द** : मेरा निवेदन है कि जो भी एलाटमेंट किया जाय, वह दर्ख्वास्त मिलने पर और उस जमीन के बारे में रिपोर्ट मिलने पर एलाटमेंट किया जाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : भाषण नहीं होगा। आप भाषण दे रहे हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : हो गया।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : जहां तक माननीय सदस्य का पहला सवाल है, आपने कहा, जिन लोगों को कब्जा नहीं मिला है, उसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ·····

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले कह दिया।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : इसके बारे में मैं जवाब में कह चुका हूं, राजस्थान के विभिन्न जिलाधीशों, तहसीलदार और एस. डी. ओ. से फिगर्स मंगाये हैं, जो एलाटमेंट अनुसूचित जाति और वनजाति के लोगों को गांधी शताब्दी वर्ष में या उसके उपरान्त में हुए हैं, ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें एक्चुअल फिजिकल पजेसन नहीं हुआ है और उसका क्या कारण है। उसके बारे में जांच करके सारे केसेज में कब्जा दिलाने की कोशिश की जायगी।

**श्री दौलतराम सारण** : सूचना आयेगी, तब तक आप मंत्री नहीं रहेंगे।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : बहुत से केसेज में ऐसा होता है कि एलाटमेंट हो गया लेकिन अपील कर दी और स्टे ले आये, तो हम स्टे को वायोलेट नहीं कर सकते हैं····

**श्री दौलतराम सारण** : जब तक सूचना आयेगी तब तक नई विधान सभा बन जायेगी।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : स्टे आर्डर ले आये तो हमारी मजबूरी है। जिनमें कब्जा दिला सकते हैं उनमें दिलाने की कोशिश की जायगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से·······

**श्री दौलतराम सारण** : पर्यटन विभाग को छोड़ते हैं साहब, उस पर मतदान साथ कर लें। सदन सहमत है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : मांग पारित करें।

**श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल** : भरतपुर जिले में 25 हजार बीघा के करीब जमीन भूमिहीन किसानों को एलाट की गई है, उसके बारे में····

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य !

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** : उसके बारे में तीन बार सदन में निवेदन कर चुका हूं, वहां अधिकारियों से मिल कर ए. डी. एम. से मिल कर, तहसीलदार से मिल कर वह जमीन, 25 हजार बीघा जमीन ···

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य यह नया तथ्य है।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** : एक मिनिट में अर्ज कर दूं। यह बहुत घोटाला है ···

श्री उपाध्यक्ष : यह नई बात है, माननीय सदस्य !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जवाब दें या न दें यह नई बात नहीं है। पांच लाख रु० और दस लाख रु० तक की रिश्वत के बड़े बड़े केसेज हैं और वह जमीन बड़े बड़े जमीदारों से ले ली है, बड़े बड़े जमीदारों के पास पहुंच गई है। इस कारण वहां फौजदारी हो रही है, मर रहे हैं लोग, बरबाद हो रहे हैं। क्या आप इसके बारे में कोई जांच कमीशन बैठाने के लिए तैयार हैं, तो मौके पर जाकर हम लोगों को कॉन्फीडेन्स में लेकर स्थान पर ही कोई हल निकालें। वहां पर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है····

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इस प्रश्न का ताल्लुक राजस्व विभाग से है, सारी बात की सूचना मय आंकड़ें के वह देंगे। जहां तक समाज कल्याण विभाग का सम्बन्ध है उसमें पूरी कार्यवाही की जायगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : 25 बीघा का कब्जा लोगों को नहीं मिला है।

एक माननीय सदस्य : शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पिछली साल भी मैंने निवेदन किया। क्या इस मामले में आप हरिजन भाइयों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आश्वासन दे दिया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : लीगल असिस्टेन्स की आवश्यकता है तो वह विभाग दिलाने की कोशिश करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑार्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आखिरी प्रश्न। यह 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन की घोषणा की, क्या यह सही है, 28 पर्सेंट कोटा इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि नियमों में आवश्यक संशोधन छः महीने के बाद किया गया हाउस में घोषणा करने के बाद। समझ गये क्वेश्चन।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऐसी बात नहीं है। असलियत में एक दिक्कत जरूर नियमों के संबंध में प्रक्रिया बनाने के संबंध में सामने आई थी, वह यह है···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : महीने कितने लगे और क्यों—यह पूछ रहा हूं। हाउस में घोषणा करने के बाद नियमों में अमेंडमेंट 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन का कितने दिनों के बाद किया ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं निवेदन करूं, उसका कारण यह था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, 50 पर्सेन्ट से ज्यादा किसी पर्टीक्यूलर ईअर में सारा टोटल रिजर्वेशन, टोटल वैकेन्सी से पचास पर्सेन्ट से एक्सीड नहीं कर सकता। वह एक्सीड करता है। राजस्थान के मंत्रिमंडल का निर्णय था, राजस्थान में पर्टीक्यूलर ईअर में टोटल रिजर्वेशन इन आल कैटेगरीज 35 पर्सेन्ट से एक्सीड नहीं करेगा, यह किया था, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के राजस्थान पुलिस में 20 पर्सेन्ट नियुक्त हुए, पुलिस पर्सनल थे और कुछ एक्स मिलिट्री

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

वालों के लिए था, कुछ कैटेगरीज में 45 पर्सेंट और 50 पर्सेन्ट से एक्सीड कर जाता है, तो उसको रीकन्साइल करना जरूरी था। इसके बारे में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात ठीक है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उसमें थोड़ा समय लगा।

श्री उपाध्यक्ष : टूरिज्म।

माननीय मंत्री महोदय।

राज्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री दौलतराम सारण : यह तो यों ही पास कर देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : दो तीन मिनिट ही बोलूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके पास पुलिस विभाग होने से टूरिस्ट कम आते हैं। इसलिये पैसा न दिया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पर्यटन के संबंध में जो सुझाव प्रस्तुत किये मैं उनका स्वागत करता हूं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि टूरिज्म के लिये माननीय सदस्यों को कितना इन्टरेस्ट है।

यह तो निर्विवादित बात है कि हिन्दुस्तान में राजस्थान एक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और राजस्थान ही पहला प्रदेश है कि इस के लिये सबसे पहले एक अलग से विभाग रखा है और सन् 59 से आज तक इस संबंध में वह कार्य करता चला आ रहा है।

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये उनका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी माननीय सदस्यों की राय थी कि इस इन्डस्ट्री को डेवलप करने के लिये अधिक खर्चा करना चाहिये। इस विभाग को प्रारंभ किया गया तो 15 लाख रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में खर्च किये गये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया और खास कर प्रतिवर्ष जहां पांच छः लाख रुपया खर्च करते थे वहां इस वर्ष 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार इस ओर जागरूक है। अधिक पर्यटक आयें और राजस्थान को आय का नुकसान न हो। यह बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हरएक के मन में यह अभिलाषा है कि अधिक विकास हो और अधिक से अधिक संख्या में यहां पर पर्यटक आयें। प्लान के एलोकेशन में प्रायोरिटीज को देखना पड़ेगा। हमें उस दृष्टि से प्रावधान रखना पड़ता है तो आज की परिस्थिति में हम चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह दिक्कत सामने है और हम इसको टाल नहीं सकते हैं। उस दृष्टि से यह प्रावधान किया है। 55 में राजस्थान में 1500 पर्यटक आये। और 30 हजार भारतवर्ष में आये। प्रतिवर्ष 5 परसेन्ट। भारतवर्ष में 2 लाख 80 हजार आये तो 39 हजार यहां राजस्थान में आये। 14 परसेन्ट हुए। जहां राजस्थान में पर्यटक बढ़ाने का प्रश्न है 68-69 में 31,500 और 1969-70 में 39,500। दो वर्ग में 25 परसेन्ट इन्क्रीज हुए। इससे आप ही अन्दाज लगा लीजिये कि राज्य सरकार

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जागरूक है और इस ओर प्रगतिशील कदम उठाती रही है।

**एक माननीय सदस्य** : आबादी बढ़ गयी है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : जहां तक जयपुर में पर्यटकों को सुविधा का सवाल है, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त होने चाहिये, इसके लिये राजस्थान सरकार ने Hotlies को इन्सेंटिव दिया है। जमीन नीलामी की कीमत पर दी है। 6½ पर्सेन्ट इन्टरेस्ट ही लेना तय किया है। दो फाइव स्टार होटल तैयार हो रहे हैं। एक क्लार्क अजमेर होटल। कन्स्ट्रक्शन कार्य शुरू कर दिया है और दूसरा है आर० के० वर्मा होटल। नींव शुरू हो गयी है इसकी ओर कार्य प्रारम्भ होने वाला है। इस दृष्टि से दो अच्छे बड़े होटल तैयार हो जावेंगे। साथ ही साथ रिसेप्शन सेन्टर के लिये भी हमने बात की है भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है। पयर्टकों की सुख सुविधा के लिये फाइव स्टार होटल कायम किया है। जमीन भी राजस्थान सरकार ने निर्धारित कर दी है। यूथ होस्टल की स्वीकृति हो चुकी है। इस साल पूरा होने वाला है। पूरी सुविधा का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। टोंक से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया कि निदेशक क्वालिफाइड नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जो डाइरेक्टर हैं वे हिन्दुस्तान के माने हुए डाइरेक्टर्स में से एक हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सलेक्शन हुआ था। ये कई टूरिस्ट एजेंसीज में काम कर चुके थे। डिप्टी डाइरेक्टर फोरिन से ट्रेनिंग भी लेकर आये हैं। यह कहना कि राजस्थान पर्यटक निदेशक हैं वे क्वालिफाइड नहीं है यह समझ में आने वाली बात नहीं है और जो आरोप लगाया गया है वह निराधार है यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

आर्कियालोजिकल डि. जो कुछ तब्दीली बागात आदि में करने जा रहा है उसको रोका जाना चाहिये यह कहा गया। राजस्थान में नयी और पुरानी चीजों को टूरिस्ट आदि देखने आते हैं। जो भी तब्दीली की गयी है उसमें बराबर कहा गया है कि वह रिप्लेस ही की जाये। इस ओर काफी जागरूक हैं। राजस्थान सरकार बराबर इस ओर जागरूक हैं और पर्यटकों के आवागमन की दृष्टि से राजस्थान काफी महत्व रखता है और इस महत्व को और बढ़ाने के लिये बराबर प्रयत्न करते जा रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनका स्वागत करता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मुझे यह क्वेश्चन पूछना है कि युनिवर्सिटी एरिया में कोमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, पोद्दार स्कूल, कानोड़िया कॉलेज और रेजिडेन्सियल लोकेलीटिज् हैं गांधीनगर बापूनगर। आपने युनिवर्सिटी के कैम्प्स के पास में होटल बनाने की इजाजत दी है और डील कर रहे हैं शाहजैन के साथ में। इस पर युनिवर्सिटी ने प्रोटेस्ट किया है। गवर्नमेन्ट को रिएक्जामिन करना चाहिये। युनिवर्सिटी के एरिया में पर्यटकों के लिये होटल खोला जाय तो दो चार मील आगे पीछे ले जायं इस सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : शाहजैन से किसी प्रकार का डील नहीं किया है।

# Page No 184



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : शाहूजैन एण्ड एलाइड कन्सर्न्स ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आर० के० वर्मा हैं उनको दिया है । चीफ टाउन प्लानर हैं उन्होंने उसको देख कर प्लान बनाकर स्वीकार किया है ! उसके बाद में सरकार ने नीलाम किया है और लोकेशन फाइने-लाइज हो चुकी है । उससे पीछे हटने की बात नहीं है । युनिवर्सिटी वगैरा की ओर से उस समय कोई ओब्जेक्शन नहीं आया था ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मांगों पर मतदान ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,48,78000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई ।

( विराम )

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 76 अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 79,94,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 7.40 बजे दिनांक 18-5-71 के 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई )

# Page No 185



## परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 792 की सूची)

APPENDIX 'A'

**Names of meter reader; & date of meter reading in different localities under Falna Sub-division in February & March, 1971**

| S. No. | Name of locality | Name of Meter Reader | Date of Reading | Date of preparation/issue of bill |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rani | Shri B. S. Rav | 23/2 & 25/3 | 27/3 |
| 2. | Takhatgarh | ,, Onkar Singh | 28/2 & 19/3 | 22/3 |
| 3. | Falna | ,, R. N. Mishra | 27/3 & 18/3 | 22/3 |
| 4. | Bali | ,, R. K. Saxena | 25/2 & 28/3 | 28/3 |
| 5. | Sewar | ,, R. K. Saxena | 26/2 & 28/3 | 27/3 |
| 6. | Sadri | ,,B. L. Sharma | 3/3 & 23/3 | 27/3 |

APPENDIX 'B'

**Date of issue of bills in various localities of Falna Sub-Division, in March, 1971.**

| S. No. | Name of locality | Date of issue of the bills | Date of delivery of bills | Name of Bill Distributors |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rani | 27/3 | 28/3 | Shri V. C. Mehta W/C Bill Distributor was on leave hence the Lineman, Shri Sambhu Dass distributed the bills. |
| 2. | Takhatgarh | 22/3 | 24/3 | Shri D. R. Choudhary. |
| 3. | Falna | 22/3 | 28/3 | Shri Ranchhod Dass. |
| 4. | Bali | 28/3 | 29/3 | Shri N. R. Choudhary. |
| 5. | Sewar | 27/3 | 29/3 | Shri M. L. Bhana |
| 6. | Sadri | 27/3 | 29/3 | (Bill Distributor was on leave hence the Lineman, Shri Usuf distributed the bills. |

## APPENDIX 'C'

**Names of Cashiers who were sent to various Places from 29-3-71 to 14-4-71.**

| S. No. | Name | Name of collection centres | Date |
|---|---|---|---|
| | | *March, 1971* | |
| 1. | Shri O.P. Agarwal<br>Shri Nasirudeen | Takhatgarh | 29, 30, 31-3-71 |
| 2. | Shri S.N. Yadava | Khimel | 29, 30-3-71 |
| 3. | Sbri R.K. Soni<br>Shri Dhanna Ram | Rani | 29, 30-3-71 |
| 4. | Shri Badri Prasad<br>Shri Nrain Lal | Bali | 29, 30, 31-3-71 |
| 5. | Shri S.N. Yadava | Lunwa | 31-3-71 |
| 6. | Shri Dhanna Ram | Sewari | 31-3-71 |
| 7. | Shri R. K. Soni | Bijapur | 31-3-71 |
| 8. | Shri Peer Mohd. | Bera | 31-3-71 |
| 9. | Shri Nawin Chandra<br>Shri Banshi Dhar | Sadri | 30, 31-3-71 |
| 10. | Shri S.N. Yadava | Mundara | 30-3-71 |
| 11. | Shri Naveen Chandra | Sanderao | 28, 29-3-71 |
| 12. | Shri R.N. Singolia<br>Shri Jagdish Purohit | Falna | 29, 30, 31-3-71 |
| | | *April, 1971* | |
| 1. | Shri Dhanna Ram | Rani | 7, 9, 12, 13, 14-4-71 |
| 2. | Shri S.N. Yadava | Bali | 6, 7, 9, 12-4-71 |
| 3. | Shri M. P. Jain | Mundera | 12-4-71 |
| 4. | Shri Badri Prasad | Sadri | 6, 7, 9, 12-4-71 |
| 5. | Shri Jagdish | Sewari | 12-4-71 |
| 6. | Shri Ashok Kumar | Bera | 12-4-71 |
| 7. | Shri M.L. Kumawat | Falna | All working days. |

## परिशिष्ट 2

( ता. प्र. सं. 799 की सूची )

प्रतिलिपि पत्र संख्या एफ 7 (101) रा० क०/69 दिनांक 28-8-70 ओर से सहायक सचिव राजस्व (क) विभाग निमित्त मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

विषयः— बांस कूप सलार नं० 9 रेंज झाडोल उदयपुर डिवीजन में अवधि विस्तार हेतु

संदर्भः — आपका पत्र संख्या 20777 दिनांक 30–4–70

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्त ठेके में अवधि विस्तार 30 जून, 1970 तक स्वीकृत किया जाता है। अवधि विस्तार शुल्क बाकी बचे कूप पर 20 प्रतिशत लिया जावे।

भवदीय

ह०

सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (क) विभाग

निमित्त :—

मुख्य वन संरक्षक,

राजस्थान, जयपुर।

सं० एफ. 7 (215) राज० क०/67 दिनांक 14-5-69

विषय:— उदयपुर वन मण्डल के मानखा रेन्ज की घास कूप देवली नं० 6 सन् 1967-68 में अवधि विस्तार देने के बारे में।

महोदय,

निर्देशानुसार निवेदन है कि उदयपुर वन मण्डल के मानखा रेन्ज के बांस-कूप देवली नं० 6 का ठेका सन् 1967-68 के लिए श्री हुसेन पुत्र अब्दुल गनी के नाम स्वीकृत हुए थे। आगे 30 जून, 1969 तक और कार्य करने के लिए अवधि विस्तार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

अवधि विस्तार शुल्क बाकी बचे हुए कूप की कीमत का 50 प्रतिशत वसूल किया जावे।

भवदीय

ह०

सहायक सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :—

1. वन संरक्षक, उदयपुर।
2. डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर, उदयपुर।
3. गार्ड फाइल।

ह०

सहायक सचिव, राजस्व

## परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 812 की सूची)

### अनाज व घास परिवहन के ठेकों की सूची

**अनाज का ठेका (1968-69)**

(1) मुरलीधर जीवतराम सांचोर

(2) श्री ऊंकचन्द मुलतानमल, सांचोर

(3) गुजराज सम्पतराज, भीनमाल

(4) श्री कैलाश ट्रांसपोर्ट कं०, पाली

नोट :– अनाज गोदामों तक पहुंचाने का ठेका खुली बोली पर दिया गया था, जिसमें उपरोक्त व्यक्ति सम्मिलित हुए थे।

**अनाज का ठेका (1969-70)**

(1) भीनमाल (1) गजराज मदनलाल
(2) सोहनलाल
(3) ऊंकचन्द मुलतानमल

(2) जालोर (1) ऊंकचन्द मुलतानमल
(2) गजराज मदनलाल
(3) सुमेरमल सुरेन्द्रकुमार
(4) सांवलचन्द जहारमल
(5) मुन्नीलाल जालोर
(6) तेजराज ऊमाजी
(7) कैलाश गुड्स ट्रां. कं.
(8) मोहन राज छाजेड़

(3) सांचोर (1) गिरधारीलाल
(2) गजराज मदनलाल
(3) भीमाराम
(4) फाऊलाल बांठिया
(5) मोहनराज छाजेड़
(6) ऊंकचन्द मुलतानमल

सन् 1969-70 में अनाज गोदामों तक पहुंचाने का ठेका खुली बोली पर दिया गया था। खुली बोली में उपरोक्त व्यक्ति सम्मिलित हुए।

उपरोक्त व्यक्तियों से अलग अलग तहसीलदारों के लिये प्राप्त टेण्डर में निम्न व्यक्तियों के नाम ठेका सबसे नीची दर पर होने से स्वीकृत किया गया :—

(1) जालोर — मैसर्स सुमेरमल सुरेन्द्र कुमार, जालोर

(2) भीनमाल — मैसर्स गजराज मदनलाल

(3) सांचोर — मैसर्स ऊंकचन्द मुलतानमल

सूची 'क'

## परिशिष्ट 4

( ता. प्र. सं. 814 की सूची )

### विधान सभा प्रश्न संख्या 141 द्वारा श्री नन्दलाल बैरवा

उत्तर 1 एवं 2- बून्दी से लाखेरी वाया पटकड़, गेडोली, सुवालिया की चौकी मार्ग की लम्बाई 42 "ए" श्रेणी स्कोप 4 बसें 3 रिटर्न ट्रिप्स हैं ?

वर्तमान में 3 बसें चलती हैं जो 3 रिटर्न सर्विस करती हैः—

1. आर.जे.जी. 575 कृष्णा बस सर्विस परमिट वैध 14-6-72 तक ?
2. आर.जे.जी. 605 श्री नजरमोहम्मद परमिट वैध 12-4-73 तक।
3. आर.जे.जी. 268 मैसर्स कैलाश बस सर्विस परमिट वैध 29-6-71 तक।
4. आर.जे.जी. 207 सेरेन्द्र चन्द्र शर्मा ,, ,, 9-12-71 तक।

बून्दी से नैनवा वाया खटकड़ देईः—मार्ग की लम्बाई 40 मील "ए" श्रेणी स्कोप 11 बसे 9 रिटर्न ट्रिप्स।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, | आर.जे.जी. 266 | श्री मेसर्स कोपरेटिव सो. लि. | परमिट | वैध | 28-5-71 |
| 2. | आर.जे.जी. 281 | मेसर्स सेठी रोड्वेज | ,, | ,, | 29-6-72 |
| 3. | आर.जे.जी. 298 | मेसर्स ,, | ,, | ,, | 29-6-72 |
| 4. | आर.जे.जी. 375 | मेसर्स लाखेरी कोबियान ट्रा. | ,, | ,, | 10-6-71 |
| 5. | आर.जे.जी. 603 | महेश ट्रान्सपोर्ट सर्विस | ,, | ,, | 29-6-72 |
| 6. | आर.जे.जी. 591 | ,, ,, | ,, | ,, | 29-6-72 |
| 7. | आर.जे.जी. 278 | रंगलाल सुरेष कुमार | ,, | ,, | 29-6-72 |
| 8. | आर.जे.जी. 292 | श्री कन्हैयालाल छाबड़ा | ,, | ,, | 14-9-71 |
| 9. | आर.जे.जी. 597 | श्री रंगलाल सुरेशकुमार | ,, | ,, | 8 -2-73 |
| 10. | आर.जे.जी. 595 | श्री हीरालाल बून्दी | ,, | ,, | 8-2-73 |
| 11. | आर.जे.जी. 601 | श्री मंजूर अहमद | ,, | ,, | 7 -4-73 |

सभी बसें चल रही हैं।

# Page No 191



चारा परिवहन (सम्वत् 2025 करने हेतु दिनांक 9-12-68 को निम्न फर्मों के वर्ष 1968-69 के लिये टेण्डर्स प्राप्त हुए :—

(1) श्री इन्द्रसेन गुरा, जालोर (2) श्री मुरलीधर वल्द जीवतराम सांचौर

(3) श्री फाऊलाल बांठिया (4) श्री भीकमचन्द पारसमल, पाली

(5) श्री मदनलाल शंकरलाल आहोर (6) काठेड एण्ड कं., पाली

(7) श्री कैलाश गुड्स कम्पनी, पाली (8) श्री जगदीश चन्द शंकरलाल, पाली

किन्तु विभिन्न प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण इनमें से कोई भी स्वीकार नहीं किया गया और दिनांक 24-12-68 को घास परिवहन हेतु खुली बोली की कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें बोली लगाने वाले निम्नलिखित व्यक्ति थे।

**रेल्वे स्टेशन जालोर :—** (1) इन्द्रसेन गुरा, (2) श्री भूरमल, (3) श्री देवाराम

इनमें से श्री भूरमल की बोली मंजूर की गई।

**रेल्वे स्टेशन भीनमाल :-**

(1) श्री सांवतमल—अवतारमल नेनानी, (2) श्री भूरमल,

(3) श्री देवाराम, (4) श्री मुरलीधर, (5) श्री इन्द्रसेन गुरा,

(6) कैलाश गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी

इनमें से श्री इन्द्रसेन गुरा की बोली को मन्जूर किया गया।

**रेल्वे स्टेशन रानीवाड़ा :—**

(1) श्री मुरलीधर, (2) श्री भूरमल, (3) कैलाश गुड्स ट्रां. पो. कं.

इनमें से श्री कैलाश गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी का ठेका मन्जूर किया गया।

बून्दी से केशोराय पाटनः—27 मील "ए" श्रेणी स्कोप 2 बसें एवं 2 रिटर्न ट्रिप्स।

1. आर.जे.जी. 466 मेसर्स बून्दी रोड़वेज परमिट वैध 29-6-72
2 आर.जे.जी. 467 ,, ,, ,, ,, 29-6-72

बून्दी कापरेन लाखेरीः—56 मील "ए" श्रेणी स्कोप 1 बस 1 रिटर्न ट्रिप।

1. आर.जे.आर. 3655 बून्दी रोड़ वेज परमिट वैध 29-6-72
यह बस चल रही हैं।

इन्दरगढ़ से नैनवा वाया करवर, झीमीरी, वामन गांवः—28 मील 'सी' श्रेणी स्कोप 3 बसें 2 रिटर्न ट्रिप्स

1. आर.जे.एल. 575 श्री कन्हैयालाल छाबड़ा परमिट वैध 27-11-72
2. आर.जे.एल. 8001 श्री गुलाबचन्द ,, ,, 27-3-72
3. आर.जे.एल. 4535 श्री टेकचन्द खलवानी ,, ,, 4-3-73
सभी बसें चल रही हैं।

## सूची 'ख'

प्रश्न संख्या 141 द्वारा श्री नन्दलाल बैरवा ?

| मार्ग का नाम | परमिटों में जो गांव दर्ज है उनकी सूची | परमिटों में जो छोटे-छोटे गांव दर्ज नहीं हैं उनकी सूची |
|---|---|---|
| स्टेशन इन्द्रगढ़ से नैनवा | इन्द्रगढ, वामनगांव, समीदी, करवर | सटावदा, सूसा, बरोतिया, हीरापुर, बंबूलिया, राजलावारिया आदि |
| बून्दी से लाखेरी वाया गडोली | — | बहादुरिया, माटून्दा, भेरपुरा, बलदेवपुरा, खटकड़, कुआ, गूथा आदि। |

## परिशिष्ट 5

### सूची 'अ'

(ता. प्र. सं. 800 की सूची)

जिलाधीश झालावाड़ के पत्रांक 2078 दिनांक 10-6-70 द्वारा प्राप्त जिला कृषि उत्पादन समिति झालावाड़ द्वारा प्रस्तावित ग्रामों की सूची :—

| क्र. सं. | गांव का नाम | क्र. सं. | गांव का नाम |
|---|---|---|---|

**पंचायत समिति खानपुर:—**

**प्रथम प्राथमिकता**

(1) सूमर

**द्वितीय प्राथमिकता**

(2) पोट खेड़ी
(3) बेसार
(4) कंवरपुरा
(5) भंवरा
(6) दोवड़ा

**अन्य**

(7) गोल्याखेड़ी
(8) पिपलाज
(9) देदिया
(10) जोलया

**पंचायत समिति पिड़ावा**
**(मुख्यालय सुनेल)**

**1. प्राथमिकता**

(1) जीताखेड़ी
(2) माया खेड़ी
(3) ओड़िया खेडी
(4) फर्शपुरा
(5) हिम्मतगढ़
(6) आकोदिया

**द्वितीय प्राथमिकता**

(7) स्वांस
(8) कालीतलाई
(9) चंवली
(10) गुराडिया
(11) लालगांव
(12) मटखेडा
(13) कलोनिया
(14) चलवाई
(15) पाऊखेडी
(16) रोशन बाडी
(17) चन्देल
(18) रावल
(19) डावला
(20) दीवलखेडा

**अन्य:—**

(21) सरोनिया
(22) धरोनिया
(23) कोटडी खेजडिया

# Page No 194



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|

(24) पेटभर
(25) सामिया
(26) गरदन खेडी
(27) डोला
(28) दांता व खेडी
(29) सालरी
(30) कल्याणपुरा
(31) सांगरिया
(32) मथानिया
(33) खेराना
(34) शेरपुर
(35) बजरंगपुरा
(36) बोलिया बुजुर्ग
(37) बोरदा
(38) कुडला प्रताप
(39) छोटी

**पंचायत समिति डग :—**

**प्रथम प्राथमिकता**

(1) गोलखेडी
(2) पीपाखेडी
(3) जेताखेडी
(4) सांकरिया

**द्वितीय प्राथमिकता**

(5) हरनीखेडा

**अन्य :—**

(6) पगारिया
(7) आवर
(8) गुराडिया
(9) हरनावदा
(10) गुनाई
(11) बयासरा
(12) डग
(13) बिसनिया

**पंचायत समिति बकानी :—**

**प्रथम प्राथमिकता**

(1) दीबडी
(2) टीटोडिया
(3) खटकड
(4) बगपुरा
(5) शिवपुरा
(6) नरसिंहपुरा
(7) मोलक्या खुर्द
(8) रैपला
(9) कोटडा कुन्जा
(10) देवर
(11) धोबडिया

**द्वितीय प्राथमिकता**

(12) पीपलिया
(13) कोली
(14) गारांगांव
(15) लक्ष्मीपुरा
(16) दाबिया
(17) रामपुरिया
(18) महेशपुरा
(19) मोलक्या कलां

**अन्य :—**

(20) झीझनिया
(21) उम्मेदपुरा
(22) पुनिया खेडी

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|

(23) करलगांव
(24) बडाय
(25) नागोर
(25 A) कोटड़ा घटा
(26) मन्ना
(27) गिरधरपुरा
(28) धानोदा
(29) आवलिया
(30) गुराडी
(31) सेमली
(32) भीभनी
(33) वंजारी
(34) चोरखेडी
(35) ताल
(36) सारंगा का खेडा
(37) छोपुरा

**पंचायत समिति मनोहर थाना :—**

**थम प्राथमिकता**

(1) वरडावदा
(2) ऊणी
(3) अमलावाद
(4) बुरकाडिया
(5) फेकरडा
(6) पथरिया
(7) अरनियादेह
(8) पोलीदेह
(9) मेठून देह

**पंचायत समिति झालरापाटन :—**

**प्रथम प्राथमिकता**

(1) फाजलपुर
(2) नाला
(3) धनवास
(4) लोकनंदा
(5) सहीपुर
(6) खोकन्दी
(7) दीत्याखेडी
(8) जेतपुरा
(9) नहराबाद
(10) गोपालपुरा (रायपुरा)
(11) पुरनिया

**द्वितीय प्राथमिकता**

(12) पूठयाखेडी
(13) गढारी
(14) उन्डल
(15) नलखाडी
(16) ढावली
(17) नयापुरा
(18) बडोदिया
(19) मानपुरा
(20) खेडला
(21) देवरिया
(22) बहुमाली
(23) आंवली खुर्द
(24) वकानी खुर्द
(25) मूल्याखंडी
(26) सरोद

# Page No 196



## परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 807 की सूची)

पंचायत समिति मांडलगढ़ को करों से हुई आमदनी का विवरण

| वर्ष | व्यवसायिक कर से हुई आय | भू-राजस्व पर उप-कर से हुई आय |
|---|---|---|
| 1961-62 | 1164)- | — |
| 1962-63 | 419)- | — |
| 1963-64 | 136)- | — |
| 1964-65 | 72)- | — |
| 1965-66 | 36)- | — |
| 1966-67 | — | — |
| 1967-68 | 759)- | — |
| 1968-69 | 1065)-68 | 8426)36 |
| 1969-70 | — | 17808)22 |
| 1970-71 | — | 17183)47 |
| | 3651)68 | 43418)05 |

## APPENDIX 'B'

**List of the villages sanctioned during the year 1970-71**

**District Jhalawar**

| S. No. | Name of the village | Tehsil |
|---|---|---|
| 1. | Semli Kalayan | Pirawa |
| 2. | Titodia | Jhalrapatan |
| 3. | Pozalpura | —do— |
| 4. | Jatpura | —do— |
| 5. | Nahrawad | Peehpahar |
| 6. | Salri | Pirawa |
| 7. | Kalyanpura | —do- |
| 8. | Bajrangpura | —do— |
| 9. | Khejadia | —do— |
| 10. | Sangria | —do— |
| 11. | Moria Kheri | Jhalrapatan |
| 12. | Deetiya Kheri | —do-- |

# परिशिष्ट 7

सूची 'अ'

(अ. प्र. सं. 711 की सूची)

सिंचाई खण्ड बून्दी के द्वारा निम्न नहरों से लाईनिंग करवाने हेतु उनके आगे अंकित राशि की फरसी डलवाई थी

| | | |
|---|---|---|
| 1. | दाईं मुख्य नहर गुढ़ा बांध | 1,12,073) रु० |
| 2. | गोठडा बांध मुख्य नहर | 31,372) रु० |
| 3. | रोनीजा माइनर | 19,371) रु० |
| 4. | भीमलत बांध की नहरें | 37,196) रु० |
| 5. | ढोढी माइनर | 3,312) रु० |
| 6. | पाइबाला पुरा बांध की नहरें | 12,006) रु० |
| 7. | मोतीपुरा बांध की नहरें | 5,128) 37 रु० |
| 8. | बटावर्दी नहर | 7,414) रु० |
| 9. | किशनसागर तालाब की नहरें | 4,326) 50 रु० |
| 10. | कोटड़ी घाटा लिफ्ट स्कीम | 2,600) रु० |
| | | 2,34,798-87 रु० |

सूची 'ब'

प्रत्येक नहरों पर कराये गए कार्य व कितने की फरसी उवाई आदि का विवरण निम्न प्रकार हैं:—

| नाम नहर | कार्य विवरण | खर्च की गई राशि |
|---|---|---|
| गुढा बांध दाई मुख्य नहर | चैन 433 से चैन 442-50 | 112073) रु० |
| | चैन 479 से चैन 489 | |
| | चैन 500 से चैन 535 | |
| हालासपुरा शाखा नहर | चैन 20 से चैन 23 | " |
| | चैन 33 से चैन 36 | |
| | चैन 65 से चैन 92 | |
| | चैन 433 से चैन 448 | |
| अलोद शाखा नहर | चैन 0 से चैन 40 | " |
| बून्दी का गोठडा मुख्य नहर | चैनन 3 से चैन 11-5 | |
| | चैन 13 से चैन 18-00 | 31371) रु० |
| | चैन 47 से चैन 50-00 | |
| | चैन 97 से चैन 103-00 | |
| रोनीजा बांध मुख्य नहर | चैन 0 से चैन 25 | 19371) रु० |
| भीमलत बांध की नहरें | चैन 167 से चैन 172 | |
| | चैन 187 से चैन 192 | |
| | चैन 240 से चैन 244 | |
| | चैन 244 से चैन 248 | |
| | चैन 0 से चैन 4 | |
| | चैन 4 से चैन 7 | 37196) रु० |
| | चैन 61 से चैन 65 | |
| | चैन 113-75 से 118-75 | |
| | चैन 120-75 से 126 | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | चैन 99-5 से 103-5 | |
| | चैन 110-5 से चैन 112-75 | |
| | चैन 94 से चैन 99-5 | |
| ढोडी माइनर | चैन 0 से चैन 75 | 3312) रु० |
| पाईवालापुरा माइनर | चैन 101 से चैन 107 | |
| | चैन 70 से चैन 75 | |
| | चैन 7 से चैन 11-5 | 12006) रु० |
| | चैन 2-20 से चैन 7 | |
| | चैन 57 से चैन 62 | |
| मोतीपुरा मुख्य नहर | चैन 7 से चैन 54 | |
| | चैन 54 से चैन 62 | 5128-37 |
| बटोवदी मुख्य नहर | चैन 0 से चैन 75 | 7414) रु० |
| | चैन 7-5 से 14-5 | |
| किशनसागर तालाब | | 4326) रु० |
| कोटडी घाटा लिफ्ट स्कीम | | 2600) रु० |

## परिशिष्ट 8

( अ० प्र० सं० 716 की सूची )

पंचायत समिति लाडनूं को राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण का विवरण–

| क्रमांक | ऋण शीर्षक | धनराशि जो दी गई | प्रयोजन जिसके लिए ऋण दिया गया |
|---|---|---|---|
| 1. | कृषि दीर्घ कालीन | 1,15,979.37 | कूप निर्माण, पम्पिग सेट, उन्नत कृषि यन्त्र आदि । |
| 2. | कृषि अल्पकालीन | 1,40,529.33 | बीज, खाद खरीदने हेतु । |
| 3. | लघु सिंचन | 1,409.00 | लघु सिंचाई योजनाओं के लिए । |
| 4. | सामुदायिक विकास | 1,44,145.11 | कूप निर्माण आदि । |
| 5. | राजस्व तकाबी | 6,157.00 | बैल खरीदने हेतु । |
| 6. | ग्रामदान | 26,058.00 | ग्राम सभाओं के लिए । |
| 7. | ग्रामीण गृह निर्माण | 19,000i00 | ग्रामीण गृह निर्माण के लिए । |

## परिशिष्ट 9

( प्र० प्र० सं० 615 की सूची )

तहसीलवार ग्रामों की संख्या जो कि लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र में आते हैं किन्तु जहां अभी तक पानी नहीं पहुँच सका है।

| क्र०सं० | तहसील का नाम | ग्रामों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | लाडपुरा | 4 |
| 2. | दीगोद | 17 |
| 3. | सांगोद | 13 |
| 4. | अन्ता | 17 |
| 5. | बारां | 8 |
| 6. | मांगरोल | 16 |
| 7. | बून्दी | 26 |
| | योग:- | 101 |

# Page No 203



तहसीलवार ग्रामों की संख्या जो कि बेहड़ों के मध्य में है और जहां सिंचाई के साधन अभी तक उपलब्ध नहीं किये जा सके हैं।

| क्र० सं० | नाम तहसील | ग्रामों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | लाडपुरा | 1 |
| 2. | अन्ता | 1 |
| 3. | मांगरोल | 1 |
| 4. | इटावा | 6 |
| 5. | पीपल्दा | 14 |
| 6. | केशोराय पाटन | 9 |
| | योग:— | 32 |

## शुद्धि-पत्र

( सोमवार, दिनांक 17 मई, 1971 )

| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 9 | अन्तिम से 5 | मिलेगी | मिले |
| 10 | 6 | तो | और |
| 16 | 11 | ही | भी |
| 17 | 2 | रामप्रसाद बोहरा | श्री रामप्रसाद बोहरा |
| 23 | शीर्ष | ( श्री गंगा सहाय ) | ( श्री गंगाराम चौधरी ) |
| 30 | 2 | घोषित | घोषित |
| 102 | 13 | निमाण | निर्माण |
| 121 | अन्तिम से 7 | बीकनेर | बीकानेर |
| 124 | 13 | वारे कहना | बारे में कहना |
| 162 | 4 | श्री मोहन मोदी | श्री मोहनलाल मोदी |
| 166 | 7 | का | की |
| 177 | 12 | श्री मोहनमाल मोदी | श्री मोहनलाल मोदी |
| 194 | 9 | शिडयूल | शिडयूल्ड |
| ,, | 5 | निकला कर उसका | निकला कर उनका |
| 195 | 18 | इन्जीनिरिगं | इन्जीनियरिंग |
| 201 | 4 | भूख गरेगें | भूखों मरेगे |
| 202 | अन्तिम से 8 | 400-500 | 400-400 |
| 205 | 6 | लिया | दिया |
| 207 | 7 | क्या केवल | केवल |
| 210 | 17 | श्री अम्मीलाल यादव | श्री अमीलाल यादव |
| 211 | 5 | शिड्यूल्ड कास्ट्स नियम रखा है | शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये नियम रखा है। |

| पृष्ठ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 213 | 12 | सिरमदरा | समेधरा |
| 248 | 14 | किये किये जा सकते हैं | किये जा सकते हैं। |
| 255 | अन्तिम से 16 | हमें | हमने |
| ,, | 12 | अधिकारी | अधिकार |
| 267 | 13 | आपने | आपके |
| 273 | 4 | समभ | समक्ष |
| 274 | 17 | स्कचुअली | एक्चुअली |
| 280 | 13 | महबूद | बहबूद |
| 309 | अन्तिम से 1 | अनुचित | अनुसूचित |
| 310 | 3 | श्री विवम्भरनाथ जोशी | श्री विश्वम्भरनाथ जोशी |
| 322 | अन्तिम से 14 | जब आपके पास जरूरत मन्दों | जब जरूरत मन्दों |